Monday, 25 August, 1969

लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

आठवाँ सत्र
Eigth Session

Rack No. 57(1)
Acc. No. 8.12.67
PARLIAMENT LIBRARY

Preservation Unit
4-8-92
Fumigated
On 5/1/84
Parliament Library

[खंड 32 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XXXII contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 25, सोमवार, 25 अगस्त, 1969/3 भाद्र, 1891 (शक)
No. 25 Monday, August 25, 1969/ Bhadra 3, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
721,	केन्द्रीय शीरा बोर्ड	Central Molasses Board	1-5
722.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली	National Mineral Development Corporation Ltd., New Delhi	5-12
723.	सरकारी उपक्रमों में भर्ती	Recuritment in Public undertakings	12-18
724.	किसानों को सस्ती दर पर बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity to Farmers at Cheap Rates	18-20

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या

S. N. Q. No.			
9.	मुरादाबाद जिले की हसनपुर तहसील में गंगा में बाढ़ से हुई क्षति	Loss in Hasanpur Tehsil of Moradabad district due to floods in Ganga	20-24

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
725.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार वेतन	Need-based wage for Central Government Employees	24-25
726.	नौवहन अभिकर्ताओं की फर्म द्वारा विदेशी मुद्रा की ठगी	Defrauding of foreign exchange by a Firm of Shipping Agents	26

* किसी नाम पर अंकित + यह चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
727.	थीन बाँध परियोजना	Construction of Thein Dam Project	25-26
728.	हल्दिया तेल शोधक कारखाना	Haldia Refinery	26
729.	भारत की नगरीय तथा ग्रामीण जनसंख्या के लिये पेय-जल	Drinking water for Urban and Rural Population of India	26-27
730.	गोआ के मुख्य मंत्री की विदेश यात्रा	Goa Chief Minister's visit abroad	27
731.	दिल्ली तथा नई दिल्ली में सरकारी अस्पतालों की स्वच्छता की स्थिति में सुधार	Improvement of Hygenic conditions of Government Hospitals in Delhi and New Delhi	27-29
732.	सरकार उपक्रमों में पड़ी बेकार क्षमता	Idle capacity in Public Sector undertakings	29
733.	समुद्र-तल से खनिजों का निकालना	Extraction of Minerals from Sea-bottom	29-30
734.	सहकारी गृह-निर्माण समितियों को भूमि का आवंटन	Allotment of Land to Co-operative House Building Societies	30-31
735.	दिल्ली विकास अधिकरण के विरुद्ध शिकायतें	Grievances against Delhi Development Authority	31
736.	भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे उर्वरक कारखाने द्वारा किए गए दोषपूर्ण करार	Defective Agreements entered into by Trombay Fertilizer Plant of FCI	32
737.	चोरी किए करों की सूचना देने वालों को भुगतान	Payment to Informants for realising evaded Taxes	32-33
738.	दिल्ली परिचारिका संघ का ज्ञापन	Memorandum by Delhi Nurses Association	33
739.	दिल्ली में अस्पतालों में सुविधायें बढ़ाना	Incresing of facilities in Delhi Hospitals	33-34
740.	एल्यूमीनियम का निर्यात	Export of Aluminium	34-35
741.	वोल्फ्राम	Wolfram	35
742.	सरकारी उपक्रमों के लिये लोक सेवा आयोग	Public Service Commission for Public undertakings	35-36

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
743.	राजधानी में गाडगिल आश्वासन के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्तियों के क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of accommodation to displaced persons in the capital under the Gadgil Assurances	36
744.	ब्रह्मपुत्र आयोग	Brahmputtra Commission	36-37
745.	बैंकों द्वारा राज्यों को ऋण दिया जाना	Bank loans to States	37
746.	तापती नदी के गन्दे पानी को पीने के लिये उपयोग करने हेतु फिल्टर करने की योजनायें	Schemes for filtering polluted water of Tapti river for drinking purposes	37-38
747.	घाटे वाले राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Deficit States	38
748.	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्योग स्थापित करना	Setting up of Industries during Fourth Plan	38
749.	बरौनी में तापीय बिजलीघर	Thermal Power Station at Barauni	38-39
750.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर रोक	Wage Freeze of Central Government Employees	39-40
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
4699.	नई दिल्ली में स्वामी राम तीर्थ के नाम पर एक सड़क का नाम	Name of road after Swami Ram Tirath in New Delhi	40
4700.	बम्बई के टैक्सी-चालक संघ की ओर से अभ्यावेदन	Representation from Taximen's Union of Bombay	40
4701.	जीवन बीमा निगम के अधिकारियों को मकान बनाने के लिये ऋण	House-building loans to LIC Officer.	41
4702.	दिल्ली विकास प्राधिकरण की निम्न आयवर्ग सम्बन्धी गृह-निर्माण योजना	Low-income Group Housing Scheme of DDA	41-42
4703.	केन्द्रीय ऋण तथा लोक ऋण	Central Debt and Public Debt	42

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4704.	परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये ट्रांसीस्टरों की खरीद	Purchase of Transistors for Family Planing Programme	42-44
4705.	भारत में शिशु मृत्यु	Infant Mortality in India	44-45
4706.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें	Service conditions of Central Government employees	45
4707.	डुबडा बेसिन जल निस्सारण योजना	Dubda Basin Drainage Scheme	45-46
4708.	सरोजनी नगर, नई दिल्ली में टाइप दो के क्वाटर की सीढ़ियों की दीवार में रंग करना	Painting of Staircase Walls of type II Quarters of Sarojni Nagar, New Delhi	46-47
4709.	गुजरात में मेडिकल कालेज	Medical Colleges in Gujarat	47-48
4710.	गुजरात में गाँवों को दी गई बिजली	Village electrified in Gujarat	48
4711.	गुजरात सरकार द्वारा माँगी गई केन्द्रीय सहायता	Central assistance sought by Gujarat Government	48-49
4712.	गुजरात में बाढ़ पीड़ितों को फिर से बसाना	Rehabilitation of flood victims in Gujarat	49
4713.	मध्य प्रदेश द्वारा जमा राशि से अधिक राशि निकालना	Overdraft by Madhya Pradesh	49
4714.	मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता	Per Capita power availability in M.P.	49-50
4715.	मध्य प्रदेश में पुनासा और बार्गी परियोजनायें	Punasa and Bargi projects in Madhya Pradesh	50-51
4716.	नवर उर्वरक कारखाने	New Fertilizer plants	51
4717.	तेल कम्पनियो द्वारा पैट्रोलियम उत्पादों का आयात	Petroleum products imported by oil companies	51-52
4718.	मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनायें	Irrigation and power projects in Madhya Pradesh	52
4719.	लेखा बाह्य धन के सम्बन्ध में गुजरात मे पकड़ा गया जालसाजी गुट	Racket in unaccounted money unearthed in Gujarat	52-53

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4720.	संसद् सदस्यों और सरकारी कर्मचारियों के वेतनों पर कर	Tax on salaries of M.Ps. and Government Employees	53-54 54
4721.	मँहगाई भत्ते को वेतन में मिलाना	Merger of D. A. with Pay	
4722.	सोहामिन जी औषधि	Sohmin-G. Drug	54-55
4723.	खेतरी ताँबा परियोजना	Khetri Copper Project	55-56
4724.	महाराष्ट्र में बिजली की भारी कमी	Acute shortage of power in Maharashtra	56-57
4725.	जीवन बीमा निगम द्वारा बसत प्रतियोगिता का आयोजन	Basant competition organised by life Insurance Corporation	57
4726.	भारतीय तेल निगम द्वारा ग्राहकों के विरुद्ध दायर किए गए मुकदमे	Suits filed by Indian Oil Corporation against their customers	27
4727.	सम्पदा निदेशक, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against director of Estates, New Delhi	58
4728.	दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम	The Delhi Rent Control Act	59
4729.	लिफ्ट चालकों (ड्राइवरों) के वेतन मानों का पुनरीक्षण	Revision of pay scales of Lift Operators (Drivers)	59-60
4730.	संसद् तथा मंत्रालयों के प्रकाशनों की गैर–सरकारी छापाखानों में छपवाई	Printing of Parliament's and Ministeries publications in Private Presses	60
4731.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में रोगियों से दुर्व्यवहार	Maltreatment of patients in All India Institute of Medical Sciences	60-61
4732.	चौथी योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector enterprises in the Fourth Plan	61-62
4733.	श्री मूँदड़ा का विदेशी बैंकों में रुपया	Monies held by Shri Mundhra in Foreign Banks	62-63
4734.	दक्षिण अफ्रीका में भारतीय फिल्में	Indian Films in South Africa	63

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/P
4735.	दिल्ली में विदेशी स्वयंसेवक	Foreign Volnteers in Delhi	63-64
4736.	ट्राम्बे उर्वरक कारखाने की कमियों के बारे में जाँच	Enquiry into shortcomings of Trombay Fertilizer plant	64-65
4737.	दिल्ली में झुग्गी पटरी पर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिक सुविधाएँ	Civil amenties for Jhuggi pavement Dwellers in Delhi	65-66
4738.	विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा धनराशि का भेजा जाना	Remittance of money by Indians settled abroad	66
4739.	ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अस्पताल	Hospitals for Rural Areas	66
4740.	आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के लिये अनुसंधान प्रयोगशालाएँ	Research laboratories for Ayurveda	66-67
4741.	विदेशों में रखे गए खाते	Accounts maintained abroad	67
4742.	पेंशन के विचाराधीन मामले	Pending pension cases	67
4743.	दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये दो कमरों वाले क्वार्टरों का निर्माण	Constructions of two room quarters for Central Government Employees in Delhi	68
4744.	विदेशों के बैंकों में भारतीयों के खाते	Accounts of Indians in Banks abroad	68
4745.	राष्ट्रीय आय के वितरण के बारे में महलनवीस समिति का प्रतिवेदन	Mahalanobis Committee report on distribution of National Income	68-69
4746.	सरकारी उपक्रमों में अधिक वेतन वाले नए पद बनाना	Creation of high salary posts in Public Undertakings	69
4747.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था नई दिल्ली का कार्य	Functioning of All India Institute of Medical Sciences, New Delhi	69-70
4748.	किदवई नगर, नई दिल्ली के निवासियों की दुर्दशा	Plight of residents of Kidwai Nagar, Delhi	70
4749.	पाइराइट्स एण्ड कैमिक्ल्स डेवलपमैंट कम्पनी लिमिटेड	Pyrites and Chemicals Development Company Ltd.	71
4750.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	Hindustan Organic Chemicals Ltd.	72

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4751.	आयोजना के अन्तर्गत योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के उपयोग में अनियमितताएं	Irregularities in the utilisation of Central Assistance for Plan Schemes	72-73
4752.	विचाराधीन कर निर्धारण और पुनः निर्धारण सम्बन्धी मामले	Assessment and re-assessment of pending cases	73-74
4753.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कच्चे माल की नियमित सप्लाई	Regular supply of raw materials to public Sector undertakings	74
4754.	फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में मशीनों का अनुरक्षण	Maintenance of Machinery in Fertilizer and Chemicals Travancore, Ltd.	74-75
4755.	कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन	Foreign Exchange violations by Companies	75
4756.	बैंक आफ चाइना	Bank of China	75-76
4757.	नई दिल्ली में बहुमंजली इमारतों का निर्माण	Construction of multi-storeyed buildings in New Delhi	76
4758.	सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों को जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण दिया जाना	LIC loans to Public and Private Sectors	76-77
4759.	फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	Fertilizers and Chemicals Travancore, Ltd.	77-78
4760.	हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड	Hindustan Latex Limited	78-79
4761.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड	Hindustan Organic Chemicals Ltd.	79-80
4762.	दक्षिण कनारा जिले के गुरुपुर एनिकट में अवरुद्ध जल की सप्लाई	Supply of water impounded in the Gurpur Anicut in the South Kanara district	80-81
4763.	पेंशन निधि	Pension Fund	81
4764.	तेल और तेल के उत्पादनों का आयात	Imports of Oil and Oil products	81-82

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4765. भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग के बारे में सर्वेक्षण रिपोर्ट	Survey report on foreign Collaboration in Indian Industry	82
4766. समूचे देश के लिए एक ग्रिड	Single grid for the entire country	82
4767. धातु के स्थान पर प्लास्टिक के विद्युत् संवाहक का आविष्कार	Invention of a plastic conductor of Electricity to replace Metal	83
4768. श्रीनगर के निकट गाँवों का धँसना	Sinking of villages near Srinagar	83-84
4769. दिल्ली में रेलवे स्टेशनों का पुनर्निरूपण तथा नवीनीकरण	Remodelling and Renovation of the Railway Stations in Delhi	84
4770. राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में पेय जल की कमी	Shortage of Drinking Water in Sawai Madhopur District of Rajasthan	84
4771. आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जामनगर (गुजरात) को केन्द्रीय अनुदान	Central Grant to Ayurvedic University Jamnagar (Gujarat)	84-85
4772. पचास हजार से कम जनसंख्या वाले नगरों का विकास	Development of cities with less than fifty thousand population	85
4773. अमेरिका में कार्य कर रहे भारतीय डाक्टर	Indian Doctors working in U.S.A.	85-86
4774. गुजरात के डाँग जिले के कोढ़ पीड़ितों द्वारा डांग सेना का गठन	Formation of Dang Sena by Leprosy patients of Danges District of Gujarat	86
4775. भारतीय दंड संहिता के अधीन पंजीकृत मामले	Cases Registered under Indian Penal Code	86
4776. भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दर्ज किए गए मामले	Cases Registered under Indian Penal Code	87
4777. प्राथमिक ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र	Primary Rural Health Centres	87
4778. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कच्चा माल प्रबन्ध व्यवस्था	Materials Management in Public Sector Undertakings	87-88

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ /PAGES
4779.	मध्य प्रदेश को डीजल तेल का आवंटन	Allocation of Diesel Oil to Madhya Pradesh	88
4780.	तिलक नगर, दिल्ली में हरिजनों के लिये बहुमंजिले मकान	Multi-storyed Tenements for Harijans in Tilak Nagar, Delhi	88-89
4781.	दिल्ली विकास अधिकरण के बारे में दिल्ली के उप-राज्यपाल को प्रत्यायोजित शक्तियाँ वापस लेना	Withdrawal of Powers delegated to Lt. Governor of Delhi regarding D.D.A.	89-90
4782.	दरभंगा में भूमि पर कथित कब्जा	Alleged Occupation of land in Darbhanga	90
4783.	इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड में भारतीय तथा प्रत्यावर्तित स्टाफ डायरेक्टर	Indian and expatriate staff directors of Indian Explosives Limited	90-91
4784.	उद्योगों का घेराव	Gherao of Industries	92
4785.	इन्दौर तथा उज्जैन में सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों तथा डाक्टरों की संख्या बढ़ाना	Incresed Beds and Doctors in Government hospitals at Indore and Ujjain	92-93
4786.	वस्तुओं की तस्करी	Smuggling of Goods ...	93
4787.	मंगलौर हवाई अड्डे पर निर्माण--कार्य	Construction work at Mangalore Airport	93-94
4788.	फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर, लिमिटेड	Fertilizer and Chemicals Tranvacore, Limited	98-95
4789.	डाक्टरी शिक्षा तथा अनुसंधान की स्नातकोत्तर संस्था, चंडीगढ़ के एक डाक्टर की पदावनति	Rivision of a doctor of Post Graduate Intitute of Medical Education and Research, Chandigarh	95
4790.	धातु तथा खनिज व्यापार निगम का वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय को हस्तान्तरण	Transfer of MMTC to the Ministry of foreign Trade and Supply	96

अता० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4791.	सरकारी क्षेत्र में गैर-तकनीकी व्यक्तियों के स्थान पर तकनीकी व्यक्तियों की नियुक्ति	Replacement of technical hands in Public Sector	96
4792.	सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास की कमी	Shortage of accommodations for Government Employees	96-97
4793.	आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर में किसानों को बैंकों द्वारा ऋण	Bank loans to farmers in Andhra Pradesh and Mysore	97-98
4794.	जीवन बीमा निगम के पालीसी-होल्डरों की शिकायतें	Complaints from LIC policy holders	98
4795.	कोक कर कोयला विकास निधि	Coking coal development fund	98-99
4796.	रिज़र्व बैंक आफ इंडिया से राज्य द्वारा नियत राशि से अधिक धन निकलवाना	Overdrafts by States on the Reserve Bank of India	99
4797.	हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री का कथित अनादर	Alleged disrespect to Himachal Pradesh Transport Minister	99
4798.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के लिए नई विज्ञापन एजेंसी	New Advertising agency for public sector undertakings	100
4799.	जन निरोध पर व्यय	Expenditure on Birth Control	100-101
4800.	मंत्रियों का डाक्टरी खर्च	Medical Expenses of Ministers	101
4801.	कोयले, ताँबे और मैंगनीज का उत्पादन	Production of Coal, Copper and Manganese	101-102
4802.	मंत्रियों तथा अधिकारियों की विदेश यात्रायें	Visits abroad by Ministers and Officials	102-103
4803.	दिल्ली में विद्युत् प्रणाली का कार्यकरण	Operation of power system of Delhi	103
4804.	दिल्ली/नई दिल्ली में कार्य करने वाले रेलवे कर्मचारियों को जनरल पूल में क्वार्टरों का नियतन	Allotment of Accommodation to Railway Employees Servicing in Delhi/New Delhi from the General Pool	104
4805.	वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुछ राज्यों को उद्यम कर्त्ताओं को सहायता	Assistance to Enterpreneurs of certain States by Financial Intitutions	104-105

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4806.	औद्योगिक विकास बैंक	Industrial Development Bank	105
4807.	अधिकारियों को अध्ययन छुट्टी पर विदेशों में जाने की अनुमति	Officers permited to go Abroad on Study Leave	105
4808.	विश्व बैंक से ऋण	World Bank Loan	105-106
4809.	क्लोरोटट्रासाइक्लीन का उत्पादन और आयात	Production and Import of Chisrotetracycline	106-107
4810.	श्रीमती कस्तूरबा गाँधी के नाम पर कर्जन रोड का नया नाम रखना	Renaming of Curzon Road, New Delhi after Kasturba	107
4811.	पश्चिम तथा पूर्व जर्मनी से ऋण	Credit from West and East Germany	107-108
4812.	भारत में गैर-सरकारी उद्योगों के विकास के लिये पूर्व और पश्चिम जर्मनी से प्रस्ताव	Offers from East and West Germany to Promote private Enterprises in India	108
4813.	ट्राम्बे उवर्रक कारखाने के विस्तार के लिए अमरीकी सहायता	US Aid for Expansion of Trombay Fertilizer Unit	108-109
4814.	फरक्का बाँध	Farakka Barrage	109
4815.	डा० भगवानदास मेमोरियल ट्रस्ट तथा आल इण्डिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी	Dr. Bhagwan Das Memorial Trust and All India Blind Relief Society	109-110
4816.	कोयले के मूल्यों में वृद्धि	Rise in coal prices	110
4817.	सोने का तस्कर व्यापार	Gold Smuggling	111
4819.	श्री महेश योगी द्वारा रोल्स रायस मोटरकार का खरीदा जाना	Purchase of Rolls Royce by Shri Mahesh Yogi	111-112
4820.	ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इंशोरेंस कम्पनी के कानपुर स्थित कार्यालय में गबन	Defalcation committed at Kanpur Office of Oriental Fire and General Insurance Company	112
4821.	सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक लाभ	Pecuniary Benefits to Government Employees	112-113

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4822.	प्रधान मंत्री के लिये नया निवास स्थान	New Residence for Prime Minister	113
4823.	राजस्थाय में बिजली की दरों का पुनरीक्षण	Revision of Electricity Rate in Rajasthan	113-114
4824.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की सैक्शनल अफसर एसोसिएशन द्वारा दिया गया माँग-पत्र	Memorandum of Demands submitted by C. P. W. D. Sectional Officers' Association	114
4825.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिक्ल्स लिमिटेड को हानि	Loss incurred by Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd.	114-115
4826.	काँगों में हीरे निकालने के कार्य में भारत द्वारा पूँजी लगाये जाने के लिए काँगों सरकार की प्रार्थना	Request by Congo Government for India's Capital Participation for expolitation of Diamonds in Congo	115
4827.	विशाखापत्तनम में जस्ता पिघलाने का कारखाना (जिंक स्मैल्टर प्लांट)	Zinc Smelter Plant at Visakhapatnam	115-116
4828.	विभिन्न टाइप के सरकारी क्वार्टरों के किराये का पुनरीक्षण	Review of Rent of various Types of Government Residences	116
4829.	दिल्ली के लोगों के प्रयोग के लिए गंगा का पानी	Ganga water for use of Delhi People	117
4830.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एस्सो, बर्मा शैल और काल्टैक्स को रोस्तम अशोधित तेल की सप्लाई	Offer of Rostam Crude to Esso, Burmah Shell and Caltex by ONGC	117-118
4831.	अमझोर माइन वर्क्स यूनियन शाहाबाद जिला बिहार द्वारा प्रस्तुत किया गया माँग पत्र	Charter of Demands presented by Amjhore Mine Workers' Union, Shahabad District, Bihar	118
4832.	पटना सिटी में गन्दगी स्थिति	Insanitory Conditions in Patna City	118-119

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4833.	पटना जल बोर्ड	Patna Water Board	119
4834.	सिन्धु नदी के जल में कच्छ का हिस्सा	Kutch Shares in Waters of Indus River	119-120
4835.	डी० डी० टी० मिश्रणों का मानवों पर प्रभाव	Effects of DDT Compounds on Human Beings	120
4836.	बम्बई में सोना तथा घड़ियाँ पकड़ी जाना	Seizure of Gold and Watches in Bombay	120-121
4837.	राज्यों में शान्ति सेना (पीस कोर) कार्यकर्ता	Peace Corps Workers in States	121
4838.	अमरीकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा दी गई भारतीय वैज्ञानिकों को अधि-छात्रवृत्तियाँ	Fellowships to Indian Scientists awarded by US National Insitutes of Health	121-122
4839.	आसाम के पेट्रो-रसायन उद्योगों में जीवन बीमा निगम का अंशदान	Participation by LIC in Assam's Petrol Chemical Industries	122-123
4840.	नई दिल्ली में 37 मंजिल के भवन का निर्माण	Construction of 37 Storey Building in New Delhi	123
4841.	नई दिल्ली नगरपालिका के अध्यक्ष तथा अधिकारियों के आचरण की जाँच	Enquiry against President and Officials of New Delhi Municipal Committee	123-124
4842.	पैट्रोलियम कोक	Petroleum coke	124
4843.	विशाखापत्तनम में जस्ता पिघलाने का संयंत्र	Zinc smelter plant at Visakhapatnam	125
4844.	सिंचाई की सुविधायें	Irrigational Opportunities	125-126
4845.	उज्जैन (मध्य प्रदेश) में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना	Setting up of a Medical College in Ujjain, M. P.	126
4846.	दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by DMC Sweepers	126-127
4847.	पटना चिकित्सा महाविद्यालय	Patna Medical College	127

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4848.	श्रेणी 1 के निवारक अधिकारी नियुक्त करने के लिये कोचीन सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा ली गई परीक्षा	Examination conducted by Cochin Customs House to appoint Grade I Preventive Officers	128
4849.	आयकर विभाग में श्रेणी 2 के अधिकारियों की श्रेणी 1 में पदोन्नति	Promption of class II officers to class I service in Income-Tax Department	128-129
4850.	पश्चिम कोसी नहर योजना	Western Kosi Canal Scheme	129
4851.	लंकरणसर बीकानेर में उठाऊ सिंचाई योजना	Lankarnsar Bikaner Lift Irrigation Scheme	129-130
4852.	नन्दीद्रुग खानों के श्रमिकों द्वारा त्यागपत्र	Resignation by workers of Nandydrog Mines	130-131
4853.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से विकास ऋण	Development laons from International Development Association	131
4854.	अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से विकास ऋण	Development loans from US Aid	131-132
4855.	आयकर विभाग, पटना द्वारा उन व्यक्तियों को जिन्होंने आयकर दे दिया है प्रमाणपत्र जारी किया जाना	Issue of certificates to persons by Income-tax department, Patna who have paid income tax	132
4856.	हरियाणा में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये केन्द्रीय धन	Central Funds for Rural Electrifications in Haryana	132-133
4857.	उड़ीसा में खनिज उत्पादन	Mineral production in Orissa	133-134
4858.	प्रतिरक्षा लेखा नियंत्रक देहरादून के क्षेत्राधिकार में काम करने वाले सहायक लेखा अधिकारियों का एक स्थान पर काम करना	Stay of an Assistant Accounts Officer under the control of Defence Accounts Dehra Dun at one place	134
4859.	नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा संसद् सदस्यों के फ्लेटों से संलग्न सर्वेन्ट क्वाटरों के सम्बन्ध में बिजली के बिलों को संसद् भवन स्थित स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया के जरिये लेने से इंकार करना	Refusal by NDMC to accept electricity bills in respect of servant quarters attached to M.Ps. flats through State Bank of India, Parliament House	135

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ /PAGES
4860. उत्तर प्रदेश में कोयले की कमी के कारण ईंटों के भट्टों को हानि	Brick kilns hit by coal shortage in U.P.	135-136
4861. मैसर्स मैसूर सीमेंट, मैसूर द्वारा स्वामित्व का भुगतान	Payment of royalty by M/s Mysore cement, Mysore	136
4862. राजस्थान में ग्रामीण जल-प्रदाय योजनायें	Rural Water Supply Scheme in Rajasthan	136
4863. सस्ती दरों पर पन-बजली का उत्पादन करने की योजना	Scheme for producing Hydro-electricity at cheapter rates	136-137
4864. बिहार की गंडक और कोसी परियोजनाओं को अनुदान	Grants for Gandak and Kosi Projects of Bihar	137
4865. परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme	138
4866. परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme	138
4867. धागे पर उत्पादन–शुल्क	Excise Duty on Yarn	138-139
4868. कोयला गैस शुद्ध करने वाले कारखाने की स्थापना के लिये एक जर्मन फर्म के साथ समझौता	Agreement with German Firm for Setting up a coal gas purification Factory	139
4869. मध्य प्रदेश में सतारा सिंचाई योजना	Stara Irrigaion scheme in Madhya Pradesh	139
4870. परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme	139-140
4871. साउथ एवन्यू नई दिल्ली मे संसद सदस्यों के फ्लेटों में रहने वाले क्षय रोगी	T. B.Patients living in M.P.s flats in South Avenue, New Delhi	140
4872. केन्द्रीय लोक–निर्माण विभाग दिल्ली के लिफ्ट–चालकों की माँगों का ज्ञापन	Memorandum of demands submitted by lift operators of C.P.W.D., Delhi.	141
4873. महानदी की सतियारा परियोजना	Satiyara Project on the River Mahanadi	141-142
4874. साउथ तथा नार्थ एवन्यू के फ्लेटों में शीशे वाले दरवाजे और खिड़कियाँ	Glazed doors and windows of North and South Avenue Flats	142
4875. राज्य बिजली बोर्डों से ली जाने वाली ब्याज की दर	Rate of Interest charged from State Electricity Boards	142-143

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4876.	कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जीवन बीमा निगम के स्वमित्वाधीन आवासीय भवन	Accommodation units owned by LIC in Calcutta, Bombay and Madras	143
4877.	अस्वस्थता के आधार पर विदेश गई महिलायें	Females who went abroad on Medical grounds	143-144
4878.	भारत का भू-आकृतित्व मानचित्र	Geomorphological Map of India	144-145
4879.	वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की विदेश-यात्रा	Tours by Officials of Ministry of Finance to foreign countries	145
4880.	बरौनी तेल शोधनशालाओं के कर्मचारियों के लिये मकान	Quarters for Barauni Refinery Employees	145-146
4881.	जीवन बीमा निगम की अपना मकान बनाओ योजना को इम्फाल में लागू करना	Extension of LIC's own your Home Scheme to Imphal	146
4882.	धातु तथा खनिज व्यापार निगम द्वारा मैंगनीज अयस्क का वस्तु विमिमय के आधार पर निर्यात	Export of Managanese Ore by MMTC on Barter Basis	146-147
4883.	केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में सिविल सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति	Appointment of Civil Assistant Engineers in C. P. W. D.	147
4884.	भारतीय इंजीनियर सेवा संवर्ग	Cadre of Indian Service of Engineers	148-149
4885.	केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के अधीक्षक इंजीनियरों का कार्यकाल	Tenure of CPWD Superintending Engineers	149
4886.	जीवन बीमा निगम के उत्तरी क्षेत्र के श्रमिक संघ के कार्यकर्ताओं को तंग किए जाने के आरोप	Charges of Victimisation of Union Workers of Life Insurance Corporation Northern Zone	149
4887.	जीवन बीमा निगम के उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय में अनुसूचित जातियों के अधिकारी	Scheduled castes Officers in LIC, Northern Zone Office	150

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ /PAGES
4888. इम्फाल नगरपालिका, मणिपुर को अनुदान	Grants to Imphal Municipality, Manipur	150-151
4889. पेंशनों में तदर्थ वृद्धि की माँग	Demand for an ad hoc increase in Pensions	151-152
4890. मिल के कपड़े पर उत्पादन शुल्क का प्रभाव	Effect of Excise duty on mill made cloth	152-153
4891. फारस की खाड़ी में दूसरे तेल भंडार का पता लगाना	Striking of second oil Bearing structure in Persian Gulf	153
4892. कृषि ग्राम्य-ऋण बोर्ड	Agricultural Rural Credit Board	154
4893. जापान और जकार्ता की यात्रा पर प्रधान मंत्री के साथ गए कर्मचारियों द्वारा लाया गया विदेशी माल	Foreign goods brought by staff accompanying Prime Minister on Tour to Japan and Jakarata	154
4894. कोरबा कोयला ऐल्यूमिनियम उद्योग समूह पर खर्च	Expenditure on Korba Konya Aluminium Complex	154-155
4895. चौथी योजना में गंडक परियोजना के लिये धन	Funds for Gandak Project during Fourth Plant	155-156
4896. रक्त दान	Blood Donation ..	156
4897. राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का आरक्षण	Reservation for Scheduled Cates and Scheduled Tribes in Nationalised Banks	156-157
4898. दिल्ली की नारायण रिहायशी योजना क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के औषधालय खोलना	Opening of CGHS Dispensary in Naraina Residential Scheme area of Delhi	157-158
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attenton to Matter of Urgent Public Importance	158-166
सरकार द्वारा टाइम्स आफ इण्डिया ग्रुप के पत्र-पत्रिकाओं को अपने हाथ में लेने की कथित व्यवस्था	Reported arrangement for take-over by Government of Times of India Group of Papers.	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	166-167

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
राज्य सभा के सन्देश	Message from Rajya Sabha	167
समिति का चुनाव	Election to Committee	167-168
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings	
राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में	Re. Presidential Election ..	168
विनियो। (रेलवे) संख्या 3 विधेयक, 1969	Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 1969	169-172
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider ;	169
श्री परिमल घोष	Shri Parimal Ghosh	169
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	169
पारित करने का प्रस्ताव	Motion tos Pass	
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh ..	169
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee ..	169
श्रीमती इला पालचौधरी	Shrimati Ila Palchoudhuri ..	169
श्री मीठा लाल मीना	Shri Meetha Lal Meena ..	170
श्री सूरज भान	Shri Suraj Bhan ..	170
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji ..	170
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta ..	170
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra ..	170
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri ..	171
श्री प० ला० बारूपाल	Shri P. L. Barupal ..	171
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Vishwanathan	171
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain ..	172
अतिरिक्त अनुदानों की माँगें (रेलवे) 1967-68	Demands for Excess Grants (Railways) 1967-68.	172-182
श्री लोबो प्रभु	Shri Labo Prabhu ..	173
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida ..	173
श्री शिव चरण लाल	Shri Shiv Charan Lal ..	174
श्रीमती अगम दास गुरु मिनिमाता	Shrimati Agam Dass Guru Minimata.	175
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	175
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve ..	176
श्री एस० कन्डप्पन	Shri S. Kandappan ..	176
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	177
श्री चन्द्र शेखर सिंह	Shri Chandra Shekhar Singh ..	178
श्री देवराव पाटिल	Shri Deorao Patil ..	178

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
श्री बि० प्र० मंडल	Shri B. P. Mandal	..	178
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes	..	178
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	..	179
श्री महन्त दिग्विजय नाथ	Shri Mahant Divijai Nath	..	179
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotrimoy Basu		180
श्री परिमल घोष	Shri Primal Ghosh		180
विनियोग (रेलवे) संख्या 4 विधेयक, 1969 पुरः स्थापित	Appropriation (Railways) No. 4 Bill, 1969 Introduced		182
अनुपूरक अनुदानों की माँगें (सामान्य) 1969–70	Demands for Supplementary Grants (General) 1969-70		182-198
श्री मीठा लाल मीना	Shri Meetha Lal Meena	..	191
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida		192
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta		193
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad		193
श्री रा० कृ० बिड़ला	Shri R. K. Birla	..	194
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkarlal Bohra		194
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	..	194
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	..	196
श्री ई० के० नायनार	Shri E. K. Nayanar	..	196
श्री जगन्नाथ पहाड़िया	Shri Jagannath Pahadia	..	197
डा० चेन्ना रेड्डी तथा अन्य व्यक्तियों की रिहाई के बारे में	Re. Release of Dr. Chenna Reddy and others		195
विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1969 पुरः स्थापित	Appropiration (No. 4) Bill, 1969 Introduced		198
व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का प्रश्न	Point of Personal Explanation		198
श्री के० के० शाह	Shri K. K. Shah		198
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion	..	198
राष्ट्रीय वस्त्र निगम	National Textile Corporation	..	198-202
श्री एस० आर० दामानी	Shri S. R. Damani	..	198
श्री ब० र० भगत	Shri B. R. Bhagat	..	199

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार 25 अगस्त 1969/3 भाद्र, 1891 (शक)

Monday, August 25, 1969/ Bhadra 3, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

केन्द्रीय शीरा बोर्ड

*721. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आधार पर शीरे के प्रभावकारी और उचित समन्वय और समान वितरण के लिए केन्द्रीय शीरा बोर्ड की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है?

पैट्रोलिम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण):

(क) जी हाँ।

(ख) राज्य उत्पादन शुल्क मंत्रियों के आखरी सम्मेलन में, जो 19 मई, 1969 को हुआ, यह फैसला हुआ था कि परामर्शदात्री निकाय के रूप में एक केन्द्रीय शीरा बोर्ड स्थापित किया जाए।

Shri Ramavatar Shastri: Molasses is a Very important commodity in our area and it is used for several purposes. You are aware that there have been certain irregularities in regard to its distribution and we have been getting news about it. The people of Bihar know what difficulties they have been facing for the last two years to get

it. I want to know the figures of State-wise distribution of molasses by the Government during the years 1967-68 and 1968-69.

It is exported also. I want to know the amount of foreign exchange earned by the Government during the last two years on account of the export of molasses.

श्री द० रा० चव्हाण: जहाँ तक वर्ष 1967–68 तथा 1968–69 में शीरे के निर्यात का प्रश्न है, जब इस अवधि में पिछले वर्षों की अपेक्षा चीनी का उत्पादन कम हुआ तो, शीरे के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। अतः विदेशी मुद्रा अर्जित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। परन्तु इससे कुछ पहले अर्थात् वर्ष 1966–67 में जबकि शराब की कमी थी, तो वर्ष 1966–67 तथा 1967–68 में शराब का आयात किया गया था। पहले वर्ष 41,000 मीटरी टन का तथा, दूसरे वर्ष 33,000 मीटरी टन शराब का आयात किया गया था। पहले वर्ष के आयात की लागत 380 लाख रुपए तथा दूसरे वर्ष की लागत 349 लाख रुपए थी। अब, पिछले दो वर्षों में शीरे के आवंटन के बारे में वर्ष 1966–67 तथा 1967–68 के आँकड़े मेरे पास नहीं हैं।

Shri Ramavatar Shastri : There are factories at Barauni. Molasses is also produced there and used for making metalled roads. Now, it is learnt that the molasses has gone sub-standard and the people who used it to make pucca roads have now stopped purschasing it and as a result thereof the metalled roads are not being constructed and thus the movement of molasses has been blocked up. I want to know whether the molasses has been blocked up, if so, in what quantity ; and what steps are being taken to stop the production of sub-standard molasses. I also want to know the prices of the molasses fixed by the Government.

श्री द० रा० चव्हाण : शीरे को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है, श्रेणी 1, श्रेणी 2 तथा श्रेणी 3 1 श्रेणी 1 के शीरे का मूल्य 67 पैसा प्रति क्विंटल है, जो 6 रुपए 70 पैसे प्रति टन बैठता है। श्रेणी 2 के शीरे का मूल्य 57 पैसे प्रति क्विंटल है तथा श्रेणी 3 के शीरे का मूल्य 40 पैसे प्रति क्विंटल है।

शीरा जमा होने के बारे में मेरे माननीय मित्र ने कहा है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि देश में शीरे की कुल माँग 16 लाख मीटरी टन है, जबकि इसका उत्पादन सम्भवतः 12 लाख मीटरी टन है। अतः वास्तव में तो इसकी कमी ही है और पश्चिम बंगाल की यह माँग है कि इसका उत्पादन भट्ठियों से बढ़ाया जाये।

Shri Ramavatar Shastri : I had asked a question about Barauni. Molasses is used for construction of metalled roads and due to its being sub-standard, people are not purchasing it, as a result of which it is not being utilised. He has given only a general answer and not the answer to my specific question. I want an answer to my question.

श्री द० रा० चव्हाण : मैं माननीय सदस्य का ध्यान मुख्य प्रश्न की ओर आकर्षित करता हूँ जो अखिल भारतीय आधार पर शीरे के प्रभावकारी और उचित समन्वय और समान वितरण के लिए केन्द्रीय शीरा बोर्ड की स्थापना के बारे में विचार और निर्णय करने के

बारे में है। यदि माननीय सदस्य बरौनी तथा अन्य मामलों के बारे में अलग से प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर दूंगा।

श्री फ० गो० सेन: क्या मंत्री महोदय द्वारा अनुमानित कमी का कारण यह है कि शराब बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की मात्रा कम पड़ जाती है और इसीलिये शीरे के मूल्य बढ़ रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार शीरे से शराब तैयार करने वाली भट्ठियों की आवश्यकताओं को कैसे दूर कर रही है?

श्री द० रा० चव्हाण: वास्तव में वितरण तथा मूल्यों पर नियंत्रण है और किसी व्यक्ति द्वारा उसे ऊँचे मूल्यों पर बेचे जाने अथवा इसके मूल्य को बढ़ाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसा कि मैंने स्पष्ट कर दिया है, देश में शीरे की अनुमानित माँग 16 लाख मीटरी टन है जबकि इसका अनुमानित उत्पादन 12 लाख मीटरी टन होने की सम्भावना है। इसलिये 4 लाख मीटरी टन की कमी है। कुछ राज्यों के पास अतिरिक्त शीरा है तो कुछ के पास इसकी कमी भी है। वस्तुतः 19 मई, 1969 को होने वाले उत्पादन शुल्क मंत्रियों के सम्मेलन में इन कमियों को ध्यान में रखकर आवंटन किए गए थे।

श्री रणजीत सिंह: शीरे के समान वितरण के बारे में विचार करते हुए सरकार केवल चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के बारे में विचार कर रही है तथा उन खाण्डसारी कारखानों द्वारा उत्पादित शीरे के बारे में विचार नहीं करती, जहाँ अधिकांश शीरा व्यर्थ जा रहा है तथा समाज के निर्धन लोगों द्वारा खाने के काम में लाया जा रहा है, जिनके बारे में, मैं समझता हूँ, मंत्री महोदय ही प्रकाश डाल सकेंगे कि वास्तव में यह उन लोगों के लिए हानिकारक है, जो उसे खाते हैं। अतः क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार शीरे को पुनः बिक्री-योग्य बनाने तथा वितरित करने के बारे में विचार करेगी?

श्री द० रा० चव्हाण: जहाँ तक खांडसारी के शीरे तथा उसके व्यर्थ जाने का प्रश्न है मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि शीरा नियंत्रण आदेश में उस शीरे के बारे में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। खांडसारी के शीरे पर यह नियंत्रण आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा मैसूर राज्य में भी लागू कर दिया गया है।

Shri Randhir Singh : Quite a large number of factories--both in Private and Co-operative sectors--sell molasses at throw-away prices to big contractors. Would you sell it in a free market instead of selling it to the monopolists at throw-away prices, so that the farmer may get due price for his cane ? Would you give an opportunity to the farmer also to purchase it ? Would you consider these two points ?

श्री द० रा० चव्हाण: शीरे के लिए दिए जाने वाले मूल्य के बारे में कई समितियों ने विचार किया है। इन सभी समितियों ने यही निष्कर्ष निकाला है कि यदि शीरे के मूल्य बढ़ाये जाते हैं तो शराब के मूल्य बहुत ऊँचे हो जाने की सम्भावना है तथा शराब पर आधारित लगभग एक हजार उद्योगों पर इसका बुरा प्रभाव हो सकता है।

श्री जी० विश्वनाथन : मंत्री महोदय ने बताया है कि शीरे का प्रति टन नियत मूल्य 7 रुपए से कम है। मुझे खेद है कि सरकार इस तथ्य से परिचित नहीं है कि निर्धारित मूल्यों तथा

खुले बाजार के मूल्यों में बड़ा अन्तर है। जहाँ निर्धारित मूल्य 7 रुपए से कम है वहाँ बाजार मूल्य 4000 रुपए से अधिक है। क्या सरकार निर्धारित मूल्यों में वृद्धि करने तथा खुले बाजार मूल्यों पर नियंत्रण करने के लिए समुचित उपाय करेगी? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि सरकार शीरे के एकत्रित भण्डारों तथा उनके लगातार समान वितरण के बारे में क्या उपाय कर रही है?

श्री द० रा० चव्हाण : मैं पहले ही बता चुका हूँ कि शीरे के वितरण तथा मूल्यों पर नियंत्रण है। जैसा कि मैंने अभी बताया है कई प्रकार के शीरे हैं, जिन्हें शीरा-नियंत्रक विभिन्न राज्यों को वितरित नहीं करते, क्योंकि उस शीरे का स्तर श्रेणी-3 से भी घटिया है। अतः इस शीरे को खुले बाजार में बेचने की अनुमति होती है।

श्री जी० विश्वनाथन : क्या मंत्री जी को पता है कि सात रुपए और चार हजार रुपए में बड़ा भारी अन्तर होता है?

श्री द० रा० चव्हाण : मूल्यों पर नियंत्रण है तथा विभिन्न श्रेणियों में शीरे के लिए भी मूल्य निर्धारित हैं। मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हमने मूल्यों में वृद्धि करने का निर्णय इसलिए नहीं किया है क्योंकि इससे शराब के मूल्य बढ़ जाने की सम्भावना है।

Shri Shinkre : Before the attaintment of the Independence and during the Portuguese regime, alcohol in Goa used to be prepared from coconuts and cashew nuts only. Many distilleries have now come up there after the attainment of Independence and these are preparing brandy, whisky and rum. But they are not getting molasses. They are trying to get it from Mysore and Maharashtra, but they have some difficulties in that regard. As far as my informations goes, the owners of the distilleries have asked the Government to formulate such a plan for distribution as may enable them to get molasses from Mysore and Maharashtra. I want to know the action being taken by the Central Government in this regard.

श्री द० रा० चव्हाण: उत्पादन-शुल्क मंत्रियों के सम्मेलन में अन्तर्राज्यीय आवंटन का निश्चय किया गया था। माननीय सदस्य का यह कहना सही नहीं है कि गोआ की माँग पूरी नहीं की जा रही। वस्तुतः महाराष्ट्र के पास तो अतिरिक्त शीरा है तथा उसके अतिरिक्त शीरे से अन्तर्राज्यीय आबंटन किया गया है। जहाँ तक शराब बनाने के कारखानों तथा अन्य बातों का प्रश्न है वह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

Shri Yogendra Sharma : As has been told, molasses is mainly used for the production of alcohol. It is not a fact that while allocating molasses to different States, more molasses has been given to those States where prohibition order is in operation, and in this way production of illicit liquor is being encouraged.

श्री द० रा० चव्हाण: यह बात सही नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु: क्या मंत्री महोदय इस तथ्य से अवगत हैं कि पश्चिम बंगाल में शीरे की सप्लाई की कमी के कारण उत्पादन-शुल्क विभाग को राजस्व के रूप में प्रतिवर्ष लगभग 7 करोड़ रुपए की हानि हो रही है, यदि हाँ, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि पिछले वर्षों में सभी श्रेणियों के शीरे का औसत उत्पादन कितना रहा है; और कुल उत्पादन में से राज्यों को वितरित

कर हेतु केन्द्रीय सरकार को कितना अंश मिला तथा राज्यों को वास्तव में कितना अंश प्राप्त हुआ

श्री द० रा० चव्हाण: पिछले दो तीन वर्षों के उत्पादन के आँकड़े इस प्रकार हैं:—

1965-66, 15.30 लाख मीटरी टन, 1966-67, 8.38 लख मीटरी टन 1967-68 9 लाख मीटरी टन तथा 1968-69, 15.23 लाख मीटरी टन। पिछली बार भी मैंने कहा था कि शीरे का उत्पादन चीनी के उत्पादन पर निर्भर करता है। शीरा का उत्पादन चीनी के उत्पादन का 35 प्रतिशत होता है।

मेरे माननीय मित्र ने पश्चिमी बंगाल की कठिनाइयों का उल्लेख किया है। वास्तव में, वह मेरे पास आये थे, तथा हमने पश्चिम बंगाल के मंत्री महोदय से बातचीत की थी। पश्चिम बंगाल की कठिनाइयों पर विचार किया गया तथा उन्हें समझ कर उनको हल कर दिया गया।

श्री ज्योतिर्मय बसु: भाग (ख) का क्या उत्तर है? अर्थात् राष्ट्रीय शीरा बोर्ड योजना का?

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न!

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली

*722. †**श्री क० लकप्पा :** **श्री ए० श्रीधरन :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की इसकी स्थापना के समय तथा 31 मार्च, 1969 को, अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी क्या थी;

(ख) इसे निगम द्वारा 31 मार्च, 1969 तक सरकार, बैंकों तथा अन्य लोगों से पृथक-पृथक कितना ऋण प्राप्त किया गया;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस निगम द्वारा कितनी रकम ब्याज के रूप में दी गयी;

(घ) इस निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है तथा उसे कितना लाभ अथवा हानि हुई; और

(ङ) यदि कोई हानि हुई तो उसके कारण क्या हैं, और वर्ष 1969-70 के बारे में क्या अनुमान है?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की स्थापना के समय अर्थात् नवम्बर, 1958 से तथा 31 मार्च, 1969 के दिन इसकी अधिकृत तथा चुकता पूंजी निम्न प्रकार से थी:—

	अधिकृत पूंजी	चुकता पूंजी
(1) स्थापना के समय	15 करोड़ रुपए	4,000 रुपए
(2) 31 मार्च, 1969 के दिन	30 करोड़ रुपए	25,06,03,000 रुपए

(ख) निगम द्वारा 31 मार्च, 1969 तक लिये गए ऋण निम्न प्रकार से थे:—

(1) केन्द्रीय सरकार से लिए गए ऋण	26,52,00,000 रुपए
(2) अन्य दलों से लिये गए ऋण (किरिबुर) तथा बेलाडिला लोह अयस्क प्रायोजनाओं के लिये संयंत्रों तथा मशीनरी की जापान से आस्थगित अदायगी खरीदें)	7,85,00,000 रुपए

उपरोक्त तिथि को भारत के स्टेट बैंक से लिया गया कोई भी नकद ऋण बकाया न था।

(ग) निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न ऋणों पर आस्थगित अदायगियाँ खरीदों सहित, दिए गए ब्याज की कुल राशियाँ निम्न प्रकार से थीं:—

1966–67	19,88,000 रुपये
1967–68	2,55,54,000 रुपये
1968–69	99,00,000 रुपये (अनन्तिम)
जोड़	3,74,42,000

(घ) निगम के पिछले तीन वर्षों के दौरान के कार्य-परिणाम तथा लाभ और हानियाँ नीचे बताई गई हैं:—

(1) कार्य परिणाम :

	वास्तविक उपलब्धियाँ		बिक्रियों से प्राप्तियाँ
	उत्पादन "गोला में टन"	निर्यात "शुष्क लौंग टन"	(विदेशी मुद्रा) (लाख रुपयों में)
	लाख मैट्रिक टनों में)		
1—किरिबुर लोह अयस्क खानें :			
1966–77	18.88	16.53	957.00
1967–68	19.89	17.78	1064.00
1968–69	18.36	16.72	1005.00
जोड़	57.13	51.03	3026.00
2—बेलाडिला लोह अयस्क खानें (निक्षेप संख्या 14)			
1966–67	–	–	– खान निर्माण-अवस्था में थी।
1967–68 (श्रमिकों द्वारा निकाला गया फ्लोट अयस्क)	4.64	3.53	262.2 उपरि

1968–69	21.52	15.13	1155.00	(अनन्तिम)
जोड़	26.16	18.66	1417,00	

3—हीरा खनन प्रयोजना, पन्ना

वास्तविक उपलब्धियां **(देश के भीतर बिक्रियां)**

	उत्पादन (कैरेट)	बिक्रियां*	(लाख रुपयों में)
1966–67	2411	3929	18 38
1967–68	7841	6356	23.38
1968–69	7465	7443	29.36 (अनन्तिम)
जोड़	17717	17728	71.12

*पिछले स्टाकों सहित

(2) पिछले तीन वर्षों के दौरान निगम को हुए लाभ तथा हानियाँ निम्न प्रकार से हैं:—

(लाख रुपयों में)

	किरिबुर खान	बेलाडिला खान	पन्ना हीरा खानें	जोड़
1966–67	(–) 55.65	–	–	(–) 44.65
1967–68	(–) 139.36	(–) 1.30	(–) 18.26	(–) 158.92
1968–69	(–) 115.66	(–) 167.98	(+) 2.00	(–) 281.64 (अनन्तिम)
जोड़ :	(–) 299.67	(–) 169.28	(–) 16.26	(–) 485 21

(ङ) हानियों के कारण तथा 1969–70 वर्ष के लिये लाभ हानियों के अनुमान नीचे बताये गए हैं:—

जब किरिबुर प्रायोजना प्रारम्भ की गई थी, पत्तन से लम्बी रेल दूरी के कारण, इस खान से लोह अयस्क के निर्यात से हनियों के पूर्वानुमान थे। बाद में रेल भाड़े तथा पत्तन प्रभारों में वृद्धि और निर्यात-शुल्क लगाया जाना, किरिबुर तथा बेलाडिल प्रायोजना, दोनों को होने वाली हानियों में अंशदायी हुआ। किरिबुर तथा बेडाडिला लोह अयस्क खानों से लोह अयस्क खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा जापान इस्पात मिलों के साथ तय किए गए मूल्यों पर जापान को निर्यात किया जाता है। बिक्रियों से प्राप्त होने वाली एफ० ओ० बी० टी० राशियों का बँटवारा (1969–70 की बिक्रियों के लिए कल्पित) विभिन्न बाह्य अभिकरणों के बीच निम्न प्रकार से होगा:—

	रुपये–प्रति मैट्रिक टन		बिक्रियों से प्राप्त राशियों की प्रतिशतता	
	किरिबुर	बेलाडिला	किरिबुर	बेलाडिला
क. बिक्रियों से प्राप्तियाँ	56.94	69.97		
ख. **लागतें**				
1—रेल भाड़ा	28.00	33.50	49.18	48.08
2—पत्तन प्रभार	9.00	9.00	15.81	12.91
3—निर्यात शुल्क	6.00	10.50	10.54	15 07
4—खनिज तथा धातु व्यापार निगम का कमीशन	0.75	0.75	1.32	1.08
5—स्वामित्व तथा उपकर	1.75	2.25	3.07	3.23
	45.50	55.90	79.92	80 37
खनन, परिचालन लागत, मूल्यह्रास, प्रासंगिक कार्यों पर तथा ऋण पर व्याज आदि का खर्चा निम्न रूप से होता है :—				
6—प्रासंगिक तथा लक्षीय दायित्व	1.75	1.75	3.07	2.51
7—कार्यचालन पूंजी तथा सरकारी ऋण पर ब्याज	2.03	2.70	3.95	3 88
8—मूल्यह्रास	4.12	5.17	7.63	7.42
9—खनन लागत	7.99	8.42	13.84	12.08
	15.89	18.40	28.49	25.89

बिक्रियों से प्राप्त होने वाली एफ० ओ० बी० टी० राशियों से पहले। 1 से 5 तक मदों का खर्चा पूरा किया जाता है और 6 से 9 तक की मदों पर खर्चे को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को केवल अवशिष्ट राशि ही उपलब्ध होती है। इसके परिणामस्वरूप किरिबुर से निर्यातों पर 4.45 रुपए प्रति मैटिक ट्रन की तथा बैलाडिला से निर्यातों पर 4.37 रुपए प्रति मैट्रिक टन की हानि होती है।

पन्ना हीरा खान को उस समय कुछ हानि हुई जब यह निर्माणावस्था में थी परन्तु अब यह संभावना है कि खान 1969–70 वर्ष के दौरान अपनी निर्धारित क्षमता प्राप्त कर लेने के पश्चात् लाभ दिखायेगी।

वर्ष 1969–70 के लाभ/हानि का अनुमान नीचे दिया जाता है

	रुपये (लाखों में)
1. किरिबुर लौह अयस्क खानें	86.18 (हानि)
2. बेलाडिला लौह अयस्क खानें (भंडार संख्या 14)	153.18 (हानि)
3. पन्ना हीरा खानें	5.77 (हानि)
शुद्ध अनुमानित हानि	233.59 (हानि)

श्री क० लकप्पा: राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एक बड़ा ढोंग है, इसमें सभी बड़े लोग तथा अन्तर्राष्ट्रीय ठग हैं। मेरे ही जिले तुमकुर में, जहाँ अपार खनिज भंडार हैं, कई खान-मालिक कार्य कर रहे हैं। पोतदार नामक एक खान-मालिक ने मैसूर सरकार को कई लाख रुपयों का धोखा दिया है। यह निगम 4 करोड़ रुपए से अधिक राशि के घाटे पर चल रही है। यह संतोषजनक कार्य नहीं कर रही है।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ जिससे यह पता चल सकेगा कि मेरे जिले के खान-मालिकों ने सब जगह अपना एकाधिकार जमा रक्खा है और मैसूर सरकार को ठग लिया है। पोतदार ने मैसूर सरकार को कई लाख रुपयों का धोखा दिया है। अखिल भारतीय काँग्रेस समिति का जो अधिवेशन बंगलौर में हुआ था, उसमें उसने काफी धन दिया था। क्या सरकार उन खान मालिकों के संदिग्ध आचरण की जाँच करेगी जिन्होंने मैसूर सरकार और इस निगम को ठगा है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के बड़े अधिकारियों के विरुद्ध उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न तो अधिकृत पूंजी, चुकता पूंजी और अन्य ब्यौरों के बारे में है। वे पूछ सकते हैं कि खनिजों का क्या हुआ, परन्तु प्रश्न अधिकृत पूंजी आदि से सम्बन्धित है, मुझे आशा है कि वह अगली बार संबंधित प्रश्न पूछेंगे।

श्री जगन्नाथ राव: मैंने प्रश्न के सभी पाँचों भाग के उत्तर विस्तार से बता दिये हैं जिनमें लगाई गई पूंजी सरकार, से लिया गया ऋण, दिया गया ब्याज, उत्पादन, आय, लाभ तथा हानि के आँकड़े दिए गए हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को जो हानि हुई है वह इसके सुचारु रूप से कार्य न करने के कारण नहीं हुई है, अपितु यह निगम तो बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है। हानि ऐसे कारणों से हुई है जो निगम के नियंत्रण से बाहर है। हमने किरिबुरु लौह अयस्क का कतिपय ब्यौरा दिया है, इसका मूल्य 56 रुपए 94 पैसे है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को रेलभाड़ा 28 रुपए, पत्तन शुल्क 9 रुपए, निर्यात शुल्क 6 रुपए खनिज तथा धातु व्यापार निगम का कमीशन 9 रुपए 75 पैसे, स्वामित्व तथा उपकर 1 रुपए 75 पैसे है। इसमें अतिरिक्त प्रासंगिक तथा गन्तव्य तक पहुँचाने का दायित्व शुल्क 1 रुपए 75 पैसे, कार्य-संचालित पूंजी तथा सरकारी ऋण पर ब्याज 2 रुपए 3 पैसे, मूल्य ह्रास 4 रुपए 12 पैसे, और खनन लागत 7 रुपए 99 पैसे हैं। बेलाडिला खान का ब्यौरा भी उसी प्रकार दिया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय मंडी से हम जो मूल्य पाते हैं वह जो हम व्यय करते हैं उससे बहुत कम है। सभा इस बात को अनुभव करेगी कि इसने राष्ट्रीय आय को बढ़ाया है और 31 मार्च, 1968 के अन्त तक राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने 48 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं।

श्री क० लकप्पा: मैं संरक्षण चाहता हूँ, मेरा प्रश्न यह था कि क्या इसको हानि इसलिए हो रही है क्योंकि पोतदार एण्ड कंपनी ने स्वामित्व नहीं चुकाया है। क्या वे मैसूर राज्य में उन खान मालिकों के संदिग्ध आचरण की जाँच करवायेंगे?

श्री जगन्नाथ राव: यह प्रश्न राष्ट्रीय खान विकास निगम से सम्बन्धित नहीं है। राष्ट्रीय खान विकास निगम गैर-सरकारी नहीं है।

श्री क० लकप्पा: राष्ट्रीय खान विकास निगम को इन बातों के कारण हानि हो रही है। इस पर पोतदार और अन्य बड़े खान मालिकों का नियंत्रण है। बेलाडिला के खान के उद्घाटन के अवसर पर एक भोज में 1.50 लाख रुपए व्यय किए गए थे। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है और यदि हाँ तो किसने भोज में इतने अधिक धन व्यय करने की अनुमति दी। तकनीकी विशेषज्ञों को लाने के लिए एक विमान किराये पर लिया गया था। प्रति व्यक्ति पर 47 रुपए व्यय किए गए।

अध्यक्ष महोदय: यहाँ भोज का प्रश्न नहीं है। मुझे दुःख है कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री क० लकप्पा: मुझे आपका संरक्षण चाहिए। राज्यसभा में यह उत्तर दिया गया था कि उद्घाटन में 1.9 लाख रुपए व्यय किए गए थे। मेरा कहना है कि सरकार ने यह कहा था कि वे कोई अपव्यय नहीं कर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि बेलाडिला लौह अयस्क परियोजना के उद्घाटन के अवसर पर सरकार ने 1.99 लाख रुपए खर्च किए? यदि हाँ, तो इतना अपव्यय क्यों होने दिया गया जबकि वे निगम को हानि पर चला रहे हैं?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुन सेन):—हमने संयुक्त राष्ट्र संघ से विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था ताकि वे यह बता सकें कि इन विशेष खानों को किस प्रकार खोदा जाये। स्वभावतः हमें कतिपय व्यय करना पड़ा। राष्ट्रीय खान विकास निगम द्वारा घोषित मूल्य और कार्य सम्पादन एक विस्तृत स्वरूप में देखना चाहिए। हमारा खनन व्यय प्रति मीटरी टन लगभग 7 रुपए 99 पैसे है जबकि जापान में यह 56 रुपए 94 पैसे में बेचा जाता है। इस हानि का कारण यह है कि हमें सीमा-शुल्क, रेलवे भाड़ा और अन्य व्यय देने पड़ते हैं जिसकी व्याख्या की गई है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सरकारी कोष में यह धन विभिन्न मदों के रूप में आ रहा है। जबकि सीमा-शुल्क समाप्त नहीं किया जाता अथवा कुछ छूट नहीं दी जाती तब तक राष्ट्रीय खान विकास निगम लाभ नहीं कमा सकता। फिर भी धन सरकारी खजाने में आ रहा है। आप समझेंगे कि राष्ट्रीय खान विकास निगम ने सीमा-शुल्क चुकाने के उपरान्त 31.8 करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा अर्जित की है।

श्री रंगा: आपने उस भोज में कितना धन व्यय किया?

डा० त्रिगुन सेन: राष्ट्रीय खान विकास निगम राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में एक बड़ा योगदान दे रही है। अतएव इसकी समीक्षा उस दृष्टि से की जानी चाहिए।

श्री ए० श्रीधरन: मैं इस बड़े भारी भोज के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, जिसमें कि प्रति व्यक्ति 47 रुपए व्यय आया जब कि देश में 25 लाख कोढ़ी भी बसते हैं। परन्तु मंत्री महोदय का उत्तर सरकारी उपक्रम समिति की टिप्पणियों तथा सिफारिशों के संदर्भ में भ्रामक है। मंत्री महोदय ने कहा है कि यह हानि विभिन्न कारणों से हुई है। परन्तु सरकारी उपक्रम समिति इस पर यही कहना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय: उनकी टिप्पणियाँ वहाँ है। आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इतना ही पूछिये कि क्या मंत्री महोदय को इसके बारे में पता है।

श्री ए० श्रीधरन: मैं संक्षेप में कुछ नहीं कह सकता : मैं जो प्रश्न पूछना चाहता हूँ उसकी पृष्ठभूमि कहना चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदय: मैं भूमिका कहने की अनुमति नहीं दूंगा। (**व्यवधान**) कृपया धैर्य रखिए। आप टिप्पणी पढ़ने के बदले इस प्रकार प्रश्न पूछ सकते हैं कि "क्या उन्हें अमुक प्रतिवेदन में सरकारी उपक्रम समिति की टिप्पणियों के बारे में पता है" आदि। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री ए० श्रीधरन: समिति ने कहा है "सभी स्तरों में दोषपूर्ण आयोजन तथा अकुशल प्रबन्ध व्यवस्था का वास्तविक परिणाम यह निकला है कि राष्ट्रीय खान विकास निगम को केवल किरिबुरु परियोजना में ही 31-3-1967 तक 295.30 लाख रुपए की हानि हुई है। किरीबुरु और बेलाडिला परियोजनाओं में आगे जो हानि हुई है वह क्रमशः प्रतिवर्ष 285.60 लाख रुपए और 226.80 लाख रुपए वार्षिक है।" यहाँ सरकारी उपक्रमों की समिति का कहना है कि यह दोषपूर्ण आयोजना और अक्षम प्रबन्ध के कारण हुआ है और मंत्री महोदय को सभा में यह कहने का अभिमान है कि यह दोषपूर्ण प्रबन्ध और आयोजना के कारण नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय स्पष्ट उत्तर दें क्योंकि मैंने चार सिफारिशों अथवा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के बारे में पूछा है तो उन्होंने कहा है कि यद्यपि उन्होंने केवल चार ही सिफारिशें की हैं, परन्तु मेरे पास 67 प्रस्ताव आए हैं। उन्हें मेरे प्रश्न पर क्या कहना है, निगम अथवा सरकार ने राष्ट्रीय खान-विकास निगम से तीन बातों का उन्मूलन करने के लिए क्या कार्यवाही की अथवा उठाये जाने का विचार है यथा पहला, अपव्यय, दूसरा दोषपूर्ण आयोजना, तीसरा अक्षम प्रबन्ध?

श्री जगन्नाथराव: मैं ऐसी भाषा का प्रयोग करने का अभ्यस्त नहीं हूँ जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने के माननीय सदस्य अभ्यस्त हैं।

मैंने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की टिप्पणियों से सम्बन्धित प्रश्न का उत्तर दे दिया है। मैंने हानि के बारे में भी बता दिया है। मैं सभा से कुछ नहीं छिपा रहा। राष्ट्रीय खान-विकास निगम को हानि उठानी पड़ी है और यह हानि कई कारणों से होनी ही है।

प्रबन्ध, अपव्यय और आयोजन के बारे में मुझे यह कहना है कि अपव्यय कम किया जा रहा है, प्रबन्ध ठीक है और आयोजन पूर्णतया त्रुटिरहित है। हम प्रगति कर रहे हैं।

श्री ए० श्रीधरन: यह उत्तर देने का ढंग नहीं है।

श्री रंगा: हमारे प्रश्न पूछने का कोई अर्थ ही नहीं होगा यदि मंत्री महोदय को इस प्रकार अनुत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से उत्तर देने दिया जाये कि सब कुछ ठीक है। उन्होंने क्या किया है? सरकारी उपक्रम समिति ने पहिले ही वह सिफारिश की है। इसको काफी समय हो गया है। मंत्री महोदय से यह अपेक्षा थी कि वे यहाँ यह कहेंगे कि उन सिफारिशों को पूरा करने के लिये हमने अमुक कदम उठाये हैं। वे कोई उत्तर नहीं देते।

श्री जगन्नाथ राव: सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए जो कार्यवाही की गई है उसके बारे में प्रश्न का एक भाग पूछा गया था। जैसे कि मैंने कहा है कि हमने सिफारिशों को ध्यान में रखा है।

श्री रंगा: आपने क्या कार्यवाही की है? क्या आपको उस विषय के बारे में सूचना मिली है? यह सूचना आपके पास होनी चाहिए।

श्री जगन्नाथ राव: प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री रंगा: यह अध्यक्ष पीठ का मुख्य दायित्व है कि वह यह देखे कि क्या यह उत्तर सभा को संतुष्ट करता है या नहीं।

श्री ए० श्रीधरन: समिति का कहना है कि यह दोषपूर्ण आयोजन और खराब प्रबन्ध के कारण हानि हुई है। मंत्री महोदय यह कैसे कहते हैं कि यह उससे सम्बन्धित नहीं है? यह प्रश्न उन सरकारी उपक्रमों से सम्बन्धित है जिसके भारत के लोग अंशधारी तथा करदाता हैं। अतएव मंत्री महोदय को ऐसा उत्तर नहीं देना चाहिए।

श्री जगन्नाथ राव: मैंने बताया है कि हानियाँ विभिन्न कारणों से हुई हैं। की गई कार्यवाही का जहाँ तक सम्बन्ध है, मैं आश्वासन देता हूँ कि मैं इसके बारे में सूचना एकत्रित करूँगा।

श्री रंगा: उन्हें सभा में गम्भीरता से बरताव करना चाहिये।

श्री जगन्नाथ राव: यह सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की सफिारिश है। मेरे पास पूरा ब्यौरा नहीं है।

Recuritment in Public Undertkings

*723. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to ban recruitment for at least five years in the new industries to be set up in the public sector except the recruitment of 5 or 7 per cent local persons with a view to make up the loss of public sector industries ;

(b) whether Government propose to absorb the surplus staff of present industries in new industries ; and

(c) if so, the details thereof ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी): (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र में जो नए उपक्रम स्थापित किए जा रहे हैं,वे देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं। फालतू कर्मचारी प्रायः अकुशल और अर्ध-कुशल किस्म के होते हैं, मुख्यतः ये कर्मचारी स्थानीय लोग होते हैं जो अपने घरों से दूर जाना नहीं चाहते। साथ ही नए उपक्रमों में कुशल कारीगरों के पदों पर इस प्रकार के अकुशल और अर्धकुशल कर्मचारियों को नियुक्त करना सम्भव नहीं है। इसलिए भर्ती के संबंध में नए उपक्रमों पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना व्यवहार्य नहीं होगा। जहाँ कहीं सम्भव होता है, वर्तमान उपक्रमों के फालतू कर्मचारियों को नये उपक्रमों में भेजने की कोशिश की जाती है और यह कोशिश आगे भी जारी रहेगी।

पर, सरकार कुछ एक उपक्रमों के फालतू कर्मचारियों की समस्या के बारे में जागरूक है। इस समस्या को हल करने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं, जैसे किसी उपक्रम के विस्तार

के समय कम से कम संख्या में नए कर्मचारयों की भरती करना और फालतू कर्मचारयों में से कुछ प्रतिशत कर्मचारियों को विस्तार एककों में काम पर लगाना, ऐसे उपक्रमों में जहाँ तक हो सके, खास तौर पर, खाली पदों को और अर्ध-कुशल तथा अकुशल खाली पदों को न भरना। सरकार ने स्वैच्छिक निवृत्ति योजनाएँ आदि तैयार करने के बारे में भी कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्त बताए हैं। इन पहलुओं के बारे में अनुदेश और प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की रिपोर्ट में बताए गए अनुदेश सरकारी उपक्रमों को अमल करने के लिए भेज दिए गए हैं ताकि इन उपक्रमों में फालतू कर्मचारियों की समस्या को एक निश्चित अवधि में कम करते-करते अंततोगत्वा पूरी तरह हल किया जा सके।

Shri Ram Swarup Vidyarthi : Almost all the Public undertakings are running in losses. It is said that these losses are due to over-staffing, purchasing of excess machinery and under-utilization of the installed capacity. In the case of certain undertakings no less than 50 percent. of their capacity is being utilised, for example less than 25 percent. of capacity of Durgapur is being utilised. I want to know the particulars of the officials who are responsible for wrong planning and excess recruitment wilhout assessing the exact requirements. Would the Government institute an enquiry and take action in the matter ?

Shri P. C. Sethi : The assessment of the hon. Member, that all the Public undertakings are running in losses is not correct. Out of 82 undertakings, 15 undertaking are still under construction and out of the remaining 67, 39 are yielding profits, and 28 are no doubt, running in losses. Every effort is being made to reduce their losses. It is not possible to give detailed reasons for these losses and the reasons are different in respect of each undertaking.

Shri Ram Swarup Vidyarthi : Government admits surplus staff, and I want to know who were responsible for recruiting excess staff ?

Shri P. C. Sethi : One of the main reasons for staff being surplus is that work was being done by construction labour, which had to be engaged under compulsion. Efforts are now being made either to absorb them on works which are expanding or to provide them with alternative employment.

Shri Ram Swarup Vidyarthi : I would like to know of out the labour engaged for construction work, how many labourers, skilled and semi-skilled are surplus. Will the Government impart training to the unskilled workers to absorb them in other public undertakings ?

Shri P. C. Sethi : According to the reports of the public undertakings, there are fifteen thousand surplus hands. A complete work-study is being conducted for the purpose. After its completion and after assessing the exact number of surplus hands, atempts would be made to train the unskilled and semi-skilled workers in order to absorb them elsewhere. This type of training work started in Ranchi.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैंने अभी हाल में भी अपने राज्य में कई निगमों, यथा जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक आफ इण्डिया और टूरिस्ट डेवलेपमेंट कारपोरेशन में देखा है कि उनमें उड़ीसा निवासी एक भी व्यक्ति को नहीं रखा गया यद्यपि बाहर के व्यक्तियों को ही नौकरी में रखा जाता है। क्या सरकार इस कारण बढ़ रहे असंतोष को ध्यान में रखते हुए सरकारी प्रति-

ष्ठानों एवं निगमों में भरती के नियमों में ऐसा परिवर्तन करेगी जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता मिल सके ? सरकारी उद्योगों में सरकारी स्थानीय लोगों को काम पर अधिक बल दिया जाना चाहिये। क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : गृह-कार्य मंत्रालय के परिपत्र में पहले ही ऐसा निर्देश दिया गया है। स्थानीय भरती स्थानीय रोजगार-दिलाऊ दफ्तरों के माध्यम से की जाती है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : स्टेट बैंक आफ इण्डिया और जीवन बीमा निगम अपनी भरती कलकत्ता में करते हैं न कि उड़ीसा में। मंत्री महोदय कैसे यह कहते हैं कि भरती उड़ीसा में ही होती है ? उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने सरकारी प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में उत्तर दिया है। स्टेट बैंक और जीवन बीमा निगम के बारे में मैं ध्यान दूँगा।

श्री ई० के० नायनार : मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि श्रमिकों की भरती स्थानीय रोजगार-दिलाऊ दफ्तरों के माध्यम से की जाती है। पिछले वर्ष गृह–मंत्री ने बताया था कि केरल सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए पुलिस जाँच समाप्त किए जाने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने अपने प्रतिष्ठानों में केरल के कर्मचारियों को लेते समय नई जाँच पद्धति लागू की है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री द्वारा उठाई गई प्रगतिशील कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुए सरकार केरल के लोगों को सरकारी उपक्रमों में लेते समय उन पर लगाये गए विशेष राजनीतिक बन्धनों को समाप्त कर दिया जाएग तथा उन्हें रोजगार-दिलाऊ दफ्तर के माध्यम से भरती करते समय जाँच की प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा।

श्री प्र० चं० सेठी। ऐसे कोई राजनीतिक बन्धन नहीं हैं। सभी भरती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है .....

श्री ई० के० नायनार : पिछले वर्ष एक प्रश्न का उत्तर देते समय गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल ने बताया था कि केरल से कर्मचारियों को लेते समय विशेष जाँच व्यवस्था प्रारम्भ की गई है, क्योंकि केरल सरकार ने पुलिस जाँच को समाप्त कर दिया है। प्रधान मंत्री यहाँ बैठी हुई हैं। मैं उनसे इसका उत्तर चाहता हूँ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उनकी एक समानान्तर पुलिस जाँच व्यवस्था है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : सरकारी उपक्रम प्रायः अर्ध-स्वतंत्र निकाय है और भरती करने के अधिकार का वे जैसे चाहते हैं प्रयोग करते हैं। उनमें नियुक्तियों के बारे में बहुत भ्रष्टाचार होता है तथा पदोन्नति, छंटनी और छँटनी किए गए कर्मचारियों को काम पर लगाने के मामले में पक्षपात होता है। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने ऐसे कुछ मामलों की ओर निर्देश किया है परन्तु उपक्रमों के कर्मचारियों के मामले में समिति की विषय-सूची समिति में न होने के कारण अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें सरकारी उपक्रमों के पक्षपात एवं भाई-भतीजावाद के मामलों की जाँच करने का उन्हें अधिकार है। यदि वे उस पर ध्यान देंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कुछ व्यक्तियों को एक वर्ष का या दो वर्ष में दो बार पदोन्नत किया गया जबकि कुछ व्यक्ति वर्षों से उसी पद पर बने हुए हैं। नियुक्तियाँ

उम्मीदवारों की योग्यता एवं अर्हताओं के आधार पर नहीं की जातीं अपितु बहुधा योग्य उम्मीदवारों की उपेक्षा ही होती है; नियुक्तियाँ करते समय छंटनी किए गए कर्मचारियों का ध्यान नहीं रखा जाता तथा चयन स्वतंत्रतापूर्वक किया जाता है।

श्री प्र० चं० सेठी: यह सत्य है कि सरकारी उपक्रम स्वायत्त निकाय हैं। परन्तु यदि कुछ विशिष्ट शिकयतें, सम्बन्धित मंत्रालय को भेजी जाएँ तो वे निश्य ही उनपर ध्यान देंगे।

श्री रंगा: पहले वह सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सभापति थे और बाद में आप सभापति बने। समिति ने कई प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। उन पर आपको अवश्य कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री प्र० चं० सेठी: मुझे पूर्ण विवास है कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदनों पर सम्बन्धित मंत्रालयों में गम्भीर विचार किया जा रहा है।

Shri Suraj Bhan : There is no objection, if only construction staff is surplus. But I want an assurance from the hon. Minister as to what steps are being taken to abrorb the surplus staff other than those engaged on the construction works ?

Shri P. C. Sethi : Perhaps my statement has not been properly understood. One of the reasons given by me for the staff being surplus was that people engaged on construction jobs had to be employed . It would be known after investigations, as to how many labourers in regular employment are surplus. There is no question of retrenchment. They would be absorbed either in expansion programmes or in other undertakings. There is another scheme for retirement as well. It would be considered under that scheme as to what number of persons could be reduced by providing additional benefits.

Shri Nathu Ram Ahirwar : As has just been stated, the heads of the Public undertakings retain those officers when they like and turn out those when they do not want even though their work is quite good. About three months ago, services of Assistant Engineers with ten years service were terminated and persons junior to them were promoted. No decision has yet been taken in the matter. I want to know what steps the Government is taking in the matter ?

श्री प्र० चं० सेठी: माननीय सदस्य ने जो विशिष्ट प्रश्न पूछे हैं, मुझे उनके लिए पूर्व-सूचना की आवश्यकता है। सूचना मिलने पर हम इस ओर ध्यान देंगे।

श्री कार्तिक उरांव: यह खेद ही की बात है कि सरकार कहती तो कुछ है परन्तु करती कुछ और ही है। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार सरकारी उपक्रमों के स्थान चयन में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे क्षेत्रीय असंतुलन दूर हो सके। परन्तु व्यवहार में ठीक इससे विपरीत कार्य होता है। विशेषत: अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए मेरे पास पर्याप्त प्रमाण हैं। क्या सरकार को पता है कि सरकारी उपक्रमों में नियुक्तियाँ "कौन किसे जानता है" के आधार पर होती हैं न कि इस आधार पर कि "कौन व्यक्ति क्या जानता है।" फलस्वरूप पक्षपात, भाई-भतीजावाद और प्रान्तवाद पनप रहे हैं। सरकार इन घृणास्पद बुराइयों को रोकने में क्या कार्यवाही कर रही है? मैं जानना चाहता

हूँ कि क्या सरकर अनसूचित जातियों और आदिम जातियों को संरक्षण देने के लिये सरकारी उपक्रमों में उनके लिए पद आरक्षित करेगी? क्या सरकार सरकारी उपक्रमों के कार्य-संचालन की जाँच करने की व्यवस्था करेगी?

श्री प्र० चं० सेठी: मैंने पहले ही बता दिया है कि अकुशल कर्मचारियों की नियुक्ति स्थानीय रोजगार-दिलाऊ दफ्तरों के माध्यम से की जाती है और स्थानीय व्यक्तियों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। भरती ठीक ढंग से होने के सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से शिकायत आने पर सम्बद्ध मंत्रालय इस पर अवश्य ध्यान देगा। कई सरकारी उपक्रमों में नियुक्तियाँ करने की समितियाँ हैं जिनके द्वारा भरती की जाती है। किसी भी शिकायत आने पर निश्चय ही हम उस पर ध्यान देते हैं।

Shri George Fernandes : In the year 1964 the Ministry of Home-Affairs issued a circular whereby all the Ministeries were requested to ensure reservation of posts in class one to class four services for the Scheduled castes and scheduled Tribes candidates in all the Public Sector undertakings in proportion to their population. But, if you study the Report submitted by the Commissioner for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes you will come to know that class I and Class II Services are entirely devoid of the representation from Scheduled castes and Scheduled tribes. Representation in class III Service is negiligible while in class IV also these communities are fully not represented. . It is a fact that the Government could not achieve this goal during the last 22 years though it was due long ago. In this context, may I know whether the Government will take appropriate steps to implement the orders issued by the Ministry of Home Affairs in the year 1964 and frame such a scheme immediately whereby full representation to the scheduled castes and scheduled tribes could be given in Class I to class IV services during a specified period of, say one, two three or at the most five years ?

Shri P. C. Sethi : Is it a fact that these people could not get posts according to the proportion fixed for them. Actually, the Government are siezed of the matter and after the circular from the Ministry of Home Affairs has been issued, the Public Sector undertaking are constantly being approached to ensure that this proportion is adhered to in all the undertakings. We ourselves are deeply concerned about this problem and steps are being taken .....

Shri George Fernandes : My question was quite clear. May I know whether the Government are going to undertake any phased programme for the period of two, three or five years to come, so that 20 percent of the total representation in class one to class four services may be provided for the Scheduled castes and Scheduled tribes candidates ? Why should he not announce this here ? (**Interruption**) We are fully aware of the attempts being made by the Government. Actually no attempt is being made. (**Interruption**)

Shri P. C. Sethi : The hon. Member is entitled to assess the work actually done and he can say that the work is not upto the mark but what I have said is that attempts are being made in this direction. So far as the percentage of the posts for these persons is concerned, all the undertakings under the Public Sector are being asked to ensure the fulfilment of the objectives. (**Interruption**) . But it is difficult for us to fix any time limit in this matter. Only this much can be said here that strenous efforts are being made to achieve the proportion fixed for them.

Shri George Fernandes : This cannot be said to be the proper answer to my question. What has been stated by Shri Kartik Oraon is quite correct. (**Interruption**)

Shri Onkar Lal Bohra : The establishment of the Public Sector undetakings was anticipated to be a step towards socialism but it is our misfortune that certain persons con-

nected with these undertakings have no faith in the socialism or in the policy adopted in regard to these undertakings. All the undertakings in the Public Sector have been provided with unreasonable quantity of officers and generally all these undertakings have been suffering from over-employment resulting in heavy losses. I want to state that only 25-30 officers are required by the Hindustan Steel Ltd., for its proper functioning while the same has been burdened with 80 officers. May I know whether the Ministry does not exercise control over these undertakings

May I also know whether the Government propose to appoint any committee for looking into the matter of the over-employment in these undertakings and for having a check over this matter ?

श्री प्र० चं० सेठी। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की एक बैठक हुई थी जिसमें प्रधान मंत्री ने भी भाषण दिया था। प्रधान मंत्री इस बात पर बल देती आ रही हैं कि इन उपक्रमों के अधिकारियों को इस तथ्य से पूर्णतः अवगत होना चाहिये कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर ही सामाजिक–आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का उत्तरदायित्व है।

किसी विशिष्ट उपक्रम में अनावश्यक कर्मचारियों या अधिकारियों को होने का जहाँ तक प्रश्न है मुझे इस बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यदि माननीय सदस्य सरकार को इसकी सूचना देंगे तो सम्बद्ध मंत्रालय अवश्य ही उसकी जाँच करेगा।

श्री ओंकार लाल बोहरा: यह समस्या सभी उपक्रमों में है।

श्री प० गोपालन: सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सफलता या असफलता उनमें नियुक्त व्यक्तियों के ऊपर ही अधिकतर निर्भर रहती है। किन्तु देखा गया है कि सरकारी क्षेत्र के बहुतेरे उपक्रमों में सेवानिवृत्त आई० सी० एस० अधिकारियों को वहाँ के ऊँचे-ऊँचे पदों पर नियुक्त किया गया है, जबकि सभी जानते हैं कि ये व्यक्ति इन उपक्रमों का कितना विरोध करते हैं। इस संदर्भ में मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 44वें प्रतिवेदन में दिए गए प्रतिकूल टिप्पण का उल्लेख करना चाहता हूँ जिसमें कहा गया है कि फर्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिक्ल्स खनकों, अलवाये में बिना विज्ञापन दिए ही विभिन्न पदों पर सेवा-निवृत्त व्यक्तियों को नियुक्त कर लिया गया है। इससे पक्षपात की भारी आशंका होना स्वाभाविक है। मैं जानना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय ने इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या उपाय किए हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी: जहाँ तक उच्च स्तरीय प्रबन्ध अधिकारियों का प्रश्न है, उनके लिये सुयोग्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिनमें तकनीकी जानकारी रखने वाले व्यक्ति भी होते हैं तथा प्रशासन तथा प्रबन्धक भी। इसके साथ ही हमारा यह लक्ष्य भी है कि ये उपक्रम सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये निश्चित नीति का अनुसरण करें। (**व्यवधान**)

Shri Hukam Chand Kachwai : It has been stated by the hon. Minister that 15,000 employees are declared surplus and they will be provided with jobs after they are given some training. In this context may I know the time by which these persons will be imparted training and provided with employment and whether any preference will be given to the scheduled castes and scheduled tribes candidates in this respect ? The hon. Minister in reply to a question has stated that several undertakings have been runnings in loss.....

Shri P. C. Sethi : I have stated that according to the report the number of surplus employees is 15,000 but this assessment may vary according to the plan which is likely to be

changed. So far as the question of providing them with employment is concerned, they are already in employment. Therfore this quction does not arise. Our proposal, in this matter, is that they should be absorbed in the newly established plants but the point is that they are not rendered jobless even now.

किसानों को सस्ती दर पर बिजली की सप्लाई

*724. †श्री सूरज भान :
श्री रणजीत सिंह :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को सस्ती दर पर बिजली सप्लाई करने के लिये 1966-69 में क्या कार्यवाही की गई और उसके क्या परिणाम निकले;

(ख) इस कार्यवाही में हाल में क्या परिवर्तन किए गए हैं तथा भविष्य में क्या परिवर्तन करने का विचार है; और

(ग) किए गए परिवर्तनों के इस समय क्या परिणाम निकले हैं और भविष्य में संभावित परिणाम क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) 1966 में यह फैसला किया गया था कि कृषि उद्देश्यों के लिए बिजली की दरों पर उतना उपदान दिया जाए जितनी वे 12 पैसे प्रति यूनिट से अधिक हो, इस उपदान पर लगने वाली राशि को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में बाँटा जाना था। इस स्कीम को 1-4-66 से 31-3-1969 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया था। स्कीम को लागू करने के समय कृषि उद्देश्यों के लिए बिजली की दरें महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के राज्यों में 12 पैसे प्रति यूनिट से अधिक थीं। केवल गुजरात और उत्तर प्रदेश में ही आंशिक रूप से इस स्कीम का फायदा उठाया गया।

(ख) और (ग) इस उपदान स्कीम के लागू होने के समय से कृषि क्षेत्र में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएँ घट चुकी हैं। अधिक उपजाऊ किस्मों के सफलतापूर्वक लागू होने से उठाऊ सिंचाई स्कीम के आर्थिक पक्ष में बहुत सुधार आ गया है। इसके अतिरिक्त, किसानों के लिए कृषि संबंधी कीमतें अपेक्षतया अनुकूल हैं और मुख्य अनाज फसलों के मामले में ये उचित प्राप्ति कीमतों से प्रोत्साहित हो रही हैं। राज्यों को केन्द्रीय सहायता के ब्लाक आवंटन की संशोधित पद्धति से, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उपदान स्कीम के विस्तार के लिए अपेक्षित अतिरिक्त धन उपलब्ध नहीं होगा। अतः उपदान स्कीम को आगे बढ़ाना सम्भव नहीं हो सका है।

Shri Suraj Bhan : India is not self-sufficient in foodgrains and we have to import foograins worth crores of rupees from foreign countries. Reasoning demands that the agriculturists should have been benefited to the maximum extent possible and they should have been provided electricity at cheap rates but it is our misfortune that industrialist are being

provided electricity at cheap rates, instead of farmers. Not only this, of the rates electricity being suplied to the agriculturists are higher. The agriculturists were no doubt benefited with this minor facility and as a result of that the farmers of the two States gained but this facility remained effective for the period of three years and after that it was discontinued. In this context may I know whether the Government propose to appoint an Expert Committee to find out the desirability of maintaining this facility for the farmers and also the question of the extent to which this facility should be given to them ? Do they propose that this facility will not be discontinued unless the Report of the proposed Expert Committee is received, with a view to facilitate the farmers who in turn would be able to grow more food ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : 12 पैसे की राहत देने के प्रश्न पर खाद्य मंत्री तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था। किन्तु अधिकतर राज्यों ने बिजली की उचित दर निश्चित कर दी हैं अत: ऐसा कराने की आवश्यकता नहीं समझी गई। दक्षिण भारत के राज्यों में बिजली की दर 8 से 10 पैसे तक है तथा उत्तर भारत के राज्यों में 12 से 15 पैसे तक है और ये दरें उचित ही हैं।

सम्भवत: माननीय सदस्य को याद होगा कि बिजली बोर्डों को कुछ हानि की पूर्ति भी करनी है। इस समय सभी बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे हैं तथा उनमें से कुछ तो ब्याज चुकाने की स्थिति में भी नहीं हैं।

अत: इन वर्तमान दरों में और कमी करना सम्भव नहीं है।

Shri Suraj Bhan : The hon. Minister has stated that the Electricity Boards are running at losses. But is this not due to the fact tha electricity is provided to the industrialists at cheap rates ? When you are not prepared to extend this scheme to the farmers, may I know who are more important persons and producers whom the Government want to facilitate ?

डा० कु० ल० राव: मेरा निवेदन है कि उद्योग भी दो प्रकार के हैं, लघु उद्योग तथा बड़े उद्योग। कृषि के लिये दी गई बिजली की दरें लघु उद्योगों को दी जाने वाली बिजली की दरों से सदा कम रही हैं। बड़े उद्योगों के लिए बिजली की दरें अवश्य कम होती हैं तथा बड़े उद्योगों के सम्बन्ध में सभी देशों में यही नीति अपनाई जाती है। इसका कारण भी यही है कि बड़े उद्योग पूरे वर्ष चलते हैं तथा बहुत से उद्योग एक स्थान पर होते हैं, जिमें अधिक घाटा नहीं होता। किन्तु गाँवों में बिजली पहुँचाने के ऊपर घाटे की मात्रा अधिक होती है तथा बिजली का उपयोग भी कम होता है। इसके अतिरिक्त लघु उद्योग वर्ष भर में केवल कुछ हजार घंटों तक ही चल पाते हैं अत: इन कारणों से गाँवों में बिजली देने के ऊपर भारी लागत आती है। हमारा ध्येय यह होना चाहिए कि वहाँ कुओं की सुविधाओं को बढ़ाया जाये।

श्री रणजीत सिंह : बैंकों के राष्ट्रीयकरण से सरकार को भारी धन-राशि प्राप्त होगी। स्वयं सरचार ने यह बात मानी है तथा उनने इसका हिसाब भी लगाया है। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि उसका विचार इस धन को अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों तथा विशेषकर सिंचाई योजना पर व्यय करने का है। इस संदर्भ में मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस बात का भी विचार कर रही है कि जो केन्द्रीय सहायता स्थगित कर दी गई थी, उसको पुन: आरम्भ कर दिया जायेगा ? किसानों को सस्ती दरों पर बिजली देने के सम्बन्ध में कौन सी

अन्य योजनाएँ बनाई गई हैं? क्या सरकार अलीगढ़ के निकट अणु-शक्ति परियोजना के बारे में भी आगे विचार कर रही है? क्या समूचे भारत को बिजली को ग्रिड में लाया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के किसानों को किस-किस दर से बिजली दी जा रही है क्योंकि उत्तर भारत में यही तीन प्रमुख राज्य कृषि-प्रधान हैं?

डा० कु० ल० राव: परमाणु बिजली घर की स्थापना से लागत में कमी नहीं आयेगी। दूसरी ओर अणु-शक्ति से उत्पादित विद्युत् का मूल्य पन-विद्युत् तथा तापीय विद्युत् से उत्पादित विद्युत् से कहीं अधिक होता है, विशेषकर पन-विद्युत् से उत्पादित विद्युत् से तो बहुत ही अधिक होता है।

हसने अभी तक लगभग 70,000 गाँवों में विद्युत् पहुँचायी है तथा 10,88,000 पम्पों का विद्युतीकरण किया है। सरकार ने इस विषय को बहुत महत्व दिया है। चौथी योजना में हम लगभग 12,50,000 से 15 लाख तक पम्पों का विद्युतीकरण करेंगे।

बिजली की दर जो इस समय उत्तर भारत में है, वह 12 और 15 पैसे प्रति यूनिट के बीच है। हरयाणा में 16 पैसे यूनिट, पंजाब में 11 पैसे तथा उत्तर प्रदेश में 15 पैसे प्रति यूनिट है।

अल्प-सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

Damages Caused by Floods in Ganga in Tehsil Hasanpur of District Moradabad

9. **†Shri Prakash Vir Shastri : Shri Raghuvir Singh Shastri : Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the area adjoining the bank of river Ganga in Tehsil Hasanpur of District Moradabad in Uttar Pradesh has been inundated by the Ganga Water ;

(b) whether as a result thereof the entire crop has been damaged, a large number of houses are collapsing and cattle epidemic has broken out in the area ;

(c) whether it is a fact that almost every year the entire area is very badly affected by the floods in river Ganga ;

(d) whether it is also a fact that a larger area is devastated by this flood since Ganga has joined the river Bagad through a drain near Piplauti ; and

(e) if so, whether any immediate steps are being taken to see that the water of river Ganga does not fall in this drain ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) गंगा की बाढ़ों से तथा इसके बाद के पानी के महेवा नदी में जिसे निम्न पहुँचों में बागेड नदी कहा जाता है, उमड़ कर चले जाने ही से 60,000 हैक्टेयर क्षेत्र जलमग्न हो गया जिसमें 20,000 हैक्टेयर वह भूमि भी शामिल थी जहाँ फसलें उगी हुई थीं । इस बाढ़ से 80,000 की जनसंख्या के 240

ग्राम भी प्रभावित हुए। कुछ मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं किन्तु अभी तक इस क्षेत्र में पशुओं में कोई महामारी नहीं फैली हैं।

(ग) बाढ़ों से हर साल लगभग 52,000 हैक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हो जाता है।

(घ) पिपलौटी के निकट, गंगा के बाढ़ के पानी के उमड़ कर बागड में गिरने से यह क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाता है।

(ङ) राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि वे गंगा के उभड़ने को रोकने के लिए गंगा के बाएँ किनारे पर तटबंध बनाने के प्रस्तावों की जाँच करें। इससे पानी उमड़ कर बागड नदी में भी नहीं जा सकेगा। अनुसंधान तथा सर्वेक्षण-कार्य किया जा रहा है।

Shri Prakash Vir Shastri : About 300 villages of this area are inundated and the hon. Minister has stated that an area of 60,000 hectares including 52,000 hectares of cropped area has been inundated. He has also stated in his reply that about 25,000 hectares of area gets affected by floods every year which results in devastation to this entire area.

I want to know whether any survey work is being conducted in Roorkee for the proposed embankment which you are going to decide to construct.May I know whether your department has got any information regarding bank erosion on the other side of the river since the constuction of a bund in Naroda. If the bank-erosion has not taken place during the 60 years what are the reasons for the delay in the survey-work and also the reaons for not deciding to construct the embankment immediately because about 300 villages are inundated and the entire area adjoining Delhi gets affected by the devastating floods as a result of rains every year ?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि इस क्षेत्र विशेष में पानी जमा होने को रोकने के प्रश्न पर काफी समय से विचार हो रहा है। पिछले वर्ष मैंने स्वयं इस क्षेत्र का निरीक्षण किया था और मैंने देखा कि साधु बाँध के निर्माण-कार्य को चालू रखने से अधिकतम क्षेत्र को पानी से सुरक्षित करना सम्भव हो सकता है। यदि यह साधु बाँध बना कर तैयार कर दिया जाए तो एक लाख एकड़ से डेढ़ लाख एकड़ भूमि की रक्षा करना सम्भव हो सकता है। हम इस कार्य में संलग्न हैं, और मुझे आशा है कि निकट भविष्य में हम कोई निर्णय ले सकेंगे।

Shri Prakash Vir Shastri : Construction of embankment is being delayed due to the reason that Government is afraid of the fact that there may be erosion on the other side if one side is saved. I mean to say why Government has not taken any decision on the basis of the experience that Ganga has been flowing in this area for the last 60 years when the embankment was constructed ? This very reason should be enough in taking this decision.

Secondly, Dr. K. L. Rao is kind enough that he himself went to see that area. Even now he is due to go there but because of indisposition be could not go there and most probably he may now go there .Entire crop of the farmers is destroyed every year as a result of heavy floods and they can harvest only one crop in a year. No facility of any kind including electricity has been provided there at all. I want to know when the decision for constructing the embankment will be taken, and whether any other facility like electricity etc. will be given to the farmers so that they may harvest their full crops ?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि लगभग 60 अथवा 70 वर्ष से अंग्रेज इंजीनियरों ने भी तटबन्ध के निर्माण के प्रश्न पर बिचार किया है। प्रत्येक समय यही भय था कि दूसरा तट

अर्थात् गंगा का दक्षिण तट कट सकता है और यही प्रश्न बहुत अधिक तर्कसंगत था। माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि जब यह इतने वर्षों से नहीं कटा है तो अब कैसे कट सकता है ? यदि नदी स्वयं ही बायीं ओर हो जाए, जो सम्भव नहीं है, तो यह अपने ही मार्ग पर चलती रहेगी। परन्तु यदि हम नदी के बहाव और पानी के जमाव को रोकने के लिए तटबन्ध बनाएँ तो इससे दूसरे तट पर बहुत अधिक भार पड़ेगा। परन्तु फिर भी लोगों को मिलने वाली उस सम्पूर्ण सुविधा पर विचार करते हुए, मैंने यह अनुभव किया है कि चाहे यह प्रश्न दूसरे तट की रक्षा करने का है, फिर भी इसकी रक्षा एक प्रकार के परिवाल तथा अन्य प्रकार के उपायों से कर सकते हैं। मैंने सरकार से अनुरोध किया है कि इस प्रकार के प्रतिमान अध्ययन आदि करने में समय नष्ट न करें।

जहाँ तक नदी प्रभावित क्षेत्रों—जैसे कि बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में ऐसे क्षेत्र हैं—में बिजली पहुँचाने का प्रश्न है, ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश में खादर अथवा बिहार में दियारा के नाम से कहे जाते हैं और इन क्षेत्रों में बिजली नहीं पहुँचाई जाती है क्योंकि इन क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। परन्तु यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार करना आवश्यक है। मैं इस मामले को उठाने जा रहा हूँ यद्यपि इन क्षेत्रों में कुछ समय तक बाढ़ आयी रहती है जो कम से कम 9 मास तक रहती है। जब ये क्षेत्र बाढ़मुक्त हो जायेंगे तो इनमें कुछ सुविधाएँ पहुँचाई जा सकती हैं और मेरा इस मामले पर विचार करने का विचार है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर दो और सदस्यों के नाम हैं। हमने इस मास की 30 तारीख को बाढ़ तथा बाढ़ों से हुई क्षति से सम्बन्धित विषय पर वाद-विवाद निश्चित किया है। जिस समय हमने यह वाद-विवाद निश्चित किया था, उस समय हमारे सम्मुख यह अल्प सूचना प्रश्न नहीं आया था। यदि माननीय सदस्यों की सहमती हो तो उस समय अधिक अनुपूरक प्रश्न किये जा सकेंगे।.....

Shri Madhu Limaye : Two or three more question should also be dicussed ; because floods would not stay till the 30th instant.

श्री एस० एम० कृष्ण: सूखे की स्थिति पर भी विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर दो सदस्यों के और नाम हैं इनके साथ-साथ एक या दो और सदस्यों को प्रश्न करने की अनुमति दी जायेगी। मेरा अनुमान है कि वाद-विवाद के दौरान अधिकतम सदस्यों को विवाद में भाग लेने का अवसर मिलेगा। अतः उत्तर प्रदेश तथा बिहार से आए माननीय सदस्यों के लिए यथेष्ट समय है। यही कारण है कि हमने 30 तारीख को एक बैठक निश्चित करना आवश्यक समझा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सम्पूर्ण उत्तर बंगाल भी इससे बुरी तरह प्रभावित है।

Shri Raghuvir Singh Shastri : Despite repeated requests the hon. Minister did not state as to when the embankment is likely to be constructed and this will be completed ? I also want to know whether the canal, which is being drawn from the Ramganga Project will also be discharged into Ganga, and whether it would not create more danger of flood ?

डा० कु० ल० राव : रामगंगा परियोजना का कार्य प्रगति पर है और हमें आशा है कि

वह 1973 तक पूरा हो जायेगा। इस नहर में जो पानी आता है वह गंगा नदी के पानी की तुलना में बहुत ही कम है। गंगा में लाखों क्युसेक पानी आता है जब कि इस नहर में केवल 5,000 क्युसेक के लगभग पानी आता है। अतः इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Shri Shiv Kumar Shastri : The Canal discharged from the Naroda Dam has created an obstacle in the flow of water which has resulted in the accumulation of silt in the Ganga river increasing the level of the canal and as such water that flows into the canal spreads all over. In case the delay is anticipated in constructing the embankment, the silt should be dredged out from the canal in order to prevent spilling. May I know whether the hon. Minister proposes to consider this aspect also ?

डा० कु० ल० राव : यह बात सही है कि जब भी किसी नदी पर बाँध बनाया जाता है तो ऊपर की ओर गाद जमा हो जाती है और नदी के तल का स्तर ऊँचा हो जाता है। परन्तु बड़ी नदियों में से गाद को हटाना असंभव होता है। इस मामले में भी इसे नहीं अपना सकते।

Shri Madhu Limaye : About four or five years back the problem of erosion of Ganga was placed before the hon.Mnister. He has stated at that time that if the States of U.P., Bihar and West Bengal took interest in it, he was prepared to formulate a comprehensive scheme for this. I want to know about that scheme.The people of areas of Monghyr, Jamalpur, Begusarai and Khagaria are experiencing great difficulty due to floods in Ganga. I want to know the immediate steps being taken by the hon. Minister to provide boats, clothes and foodgrains to the affected people ?

डा० कु० ल० राव : यह सही है कि इन राज्यों में इस नदी के समीपवर्ती इलाकों में बहुत लोग रहते हैं और यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं राज्य सरकारों और संसद् सदस्यों से पूछने की सोच रहा हूँ कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है। यह एक बड़ी जटिल समस्या है। समूचे क्षेत्र बाढ़ के पानी से घिर जाते हैं और भूमि वर्ष में केवल नौ महीनों तक खेती के काम में आती है। हमें बड़े ध्यान से समस्या का समाधान करना है। मैं इस पर विचार करने के लिए एक बैठक बुलाने पर विचार कर रहा हूँ। जहाँ तक सहायता-कार्यों की बात है हमने सम्बन्धित राज्यों को सचेत कर दिया है, वे इस बारे में कार्य कर रही हैं।

Shri Sita Ram Kesri : Large-scale devastation has taken place as a result of floods in Ganga in Monghyr and Bhagalpur, Purnea Districts and in areas of North Bihar very dangerous erosion is taking place in Barari police station area of Purnea District. The affected people have no land. I want to know what steps are being taken to provide land to those whose land has been eroded and for their rehabilitation ?

डा० कु० ल० राव : गंगा जैसी नदियों में कटाव की एक बड़ी समस्या है। ब्रह्मपुत्र नदी की यह समस्या तो और भी जटिल है। उसमें आरंभ से ही कटाव शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश में यह बलिया से है और बिहार में मुंगेर और खगरिया से। इस पूरे कार्य के लिए बहुत धनराशि की आवश्यकता होगी। हम इसका स्थानीय रूप में ही प्रबन्ध कर सकते हैं। यह पूरी नदी पर नहीं किया जा सकता।

Shri Sita Ram Kesri : I wanted to know the measures taken to rehabilitate them who lose their land as a result of erosion

डा० कु० ल० राव : जैसा कि मैंने कहा है, कि राहत तथा पुनर्वास का कार्य राज्य सरकारों का काम है, केन्द्रीय सरकार उनकी प्रार्थना पर राहत कार्यों के लिए वित्तीय सहायता दे सकती है।

Shri Jharkhande Rai : There were thick forests all along the major rivers of North India. These rivers are Ganga, Yamuna, Ghagra, Rapti and Narayani. Now the jungles have been cleared and there cultivation has been started. As a result the beds of rivers are silted and it causes widespread floods during rainy season. I want to know whether Gorernment will prepare a scheme for afforestation and deepening of rivers ?

डा० कु० ल० राव : यह बात ठीक है कि जंगलों के काट देने से नदियों के बहाव में अन्तर हो जाता है। सभी नदियों को गहरा करना असंभव कार्य है, हाँ, कुछ स्थानों पर ऐसा किया जा सकता है।

Shri Randhir Singh : Where poor farmers have to suffer on account of Government's indifferent policy, Government should pay damages and thereby the affected farmers should be compensated. Will some such scheme be considered by the hon. Minister ?

डा० कु० ल० राव : वर्षा होती है और नदियों में बाढ़ आती है। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। कटाव उसी के कारण होता है। कोई भी सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती।

Mr. Speaker : It is not a regular discussion. Flood situation will be discussed on the 30th instant. We can go into detail at that time.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अवश्यकतानुसार वेतन

*725. **श्री कुंवर लाल गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार वेतन देने का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसे किस प्रकार क्रियान्वित करने का सरकार का विचार है; और

(ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आवश्यकता पर आधारित वेतन की मूल धारणा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) से (ग) सरकार आवश्यकता पर आधारित वेतन के प्रश्न को अपनी समाजवादी आर्थिक नीति का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य मानती है। सदन को पता ही है कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने की गति कई विभिन्न तत्वों पर निर्भर करती है जैसे अर्थ-व्यवस्था की एक-दर प्रगति,

शहरी और देहाती क्षेत्रों में समाज के सबसे अधिक गरीब वर्गों को आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक प्राथमिकताएँ, और हमरे साधनों पर सुरक्षा जैसी अन्य अनिवार्य आवश्यकताएँ । वैसे इस प्रश्न पर राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा भी विचार किया जा रहा है ।

नौवहन अभिकर्त्ताओं की फर्म द्वारा विदेशी मुद्रा की ठगी

*726. **श्री मधु लिमये :** **श्री के० एम० अब्राहम :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री उमा नाथ :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक संसद्-सदस्य ने नौवहन अभिकर्ताओं की एक फर्म के विरुद्ध सरकार को एक पत्र लिखा था कि उस फर्म ने किराये के रूप में मिले अपने पूरे कमीशन को सरकार को न बता कर उसे विदेशी मुद्रा के मामले में ठगने का प्रयत्न किया ।

(ख) क्या यह सच है कि इन आरोपों के सम्बन्ध में जाँच करने का आदेश दिया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी):

(क) से (घ) 28 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7839 के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है कि एक संसद्-सदस्य से 18 मार्च, 1969 को एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें आरोप था कि भारतीय नौवहन अभिकर्ता और दलाल जहाजों के किराये के रूप में अर्जित अपनी पूरी विदेशी मुद्रा को स्वदेश नहीं ला रहे हैं । उस पत्र में दो फर्मों के विरुद्ध विशिष्ट आरोप थे । संसद्-सदस्य का उक्त पत्र मिलने से पहले ही प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने एक पूर्ववर्ती सूचना के आधार पर 4 दिसम्बर, 1968 को इन दोनों फर्मों के स्थानों की तलाशी ली थी और बहुत से दस्तावेज पकड़े थे । पकड़े गये दस्तावेजों की छान-बीन के आधार पर इनमें से एक फर्म और उसके दो भागीदारों को नोटिस जारी किया गया है कि वे कारण बताएँ कि उनके विरुद्ध , विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम 1947 के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों नहीं की जाय । उनकी प्रार्थना पर कारण बताओ ज्ञापन का उत्तर देने का समय 31 अगस्त 1969 तक बढ़ा दिया गया है । इस मामले में आगे जाँच की जा रही है ।

थीन बाँध परियोजना

*727. **श्री प० मु० सईद :** **श्री झा० सुन्दर लाल :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा : **श्री मोहन सिंह ओबराय :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थीन बाँध का शीघ्र निर्माण न होने से रावी नदी का बहुत सा पानी वर्ष 1971 के बाद भी पाकिस्तान में जाता रहेगा जब कि उस समय भारत को उसके समस्त पानी का पूरा उपयोग करने का अधिकार होगा; और

(ख) यदि हाँ, तो थीन बाँध परियोजना का कार्य शीघ्र आरम्भ करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) रावी पर जल संचय न होने के कारण, मार्च, 1970 के पश्चात् जुलाई, अगस्त और सितम्बर के शुरू के बाढ़ महीनों के दौरान कुछ पानी पाकिस्तान में बह कर जा सकता है ।

(ख) थीन बाँध परियोजना 69.93 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पंजाब सरकार द्वारा 1964 में प्रस्तुत की गई थी और इसकी केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा जाँच की गई जिसने अपनी टिप्पणियाँ राज्य सरकर को भेज दी थीं । तदनन्तर राज्य सरकार द्वारा संशोधित 90.87 करोड़ रुपये की लागत का परियोजना प्राक्कलन मई, 1969 में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग से प्राप्त हुआ है और उसकी जाँच हो रही है ।

हल्दीया तेल शोधक कारखाना

*728. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दिया तेल शोधक कारखाने के बारे में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व उचित भू-भौतिक सर्वेक्षण नहीं किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उसके लिये उपयुक्त नींव के निर्माण पर अधिक खर्च आयेगा; और

(ग) उस पर कितना अतिरिक्त खर्च आने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण):

(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Drinking Water for Urban and Rural Population of India

*729. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri N. R. Deoghare :**
Shri Meetha Lal Meena :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it a fact that there are no arrangements for drinking water for 40 per cent population of the Urban areas and 90 per cent population of the scattered rural areas in the country ; and

(b) if so, the time by which arrangements for drinking water would be made for all the citizens of India ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) :

(a) According to the National Water Supply and Sanitation Programme Assessment

Committee Report, out of the total urban population of India, based on the 1961 census, about 40% were not served by any water supply system. Similarly, based on 1961 census, about 70 percent of population in the villages located in easy areas and about 10% of population in scarcity areas, has been rovided with minimum water supply.

(b) It is for the State Governments to provide funds and arrange priorities for the implementation of water supply schemes. Central assistance is given to the State by way of block loans and block grants for all plan schemes. Consequently it is not possible to indicate as to when the entire population will be provided with pure drinking water.

गोआ के मुख्य मंत्री की विदेश यात्रा

*730. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री जयसिंह :

क्या **वित्त** मंत्री गोआ के मुख्य मंत्री की विदेश यात्रा से सम्बन्धित दिनांक 12 मई, 969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9235 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ के मुख्य मंत्री से रिजर्व बैंक आफ इंडिया की पूर्व-अनुमति लिये बिना यूगोस्लाविया, टोकियो तथा हांगकांग की यात्रा करने के कारण बताने को कहा गया है;

(ख) इस बारे में हुए पत्र-व्यवहार का ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) ऐसे ही मामलों से सम्बन्धित अन्य गणमान्य व्यक्तियों, संसद्-सदस्यों तथा भारत सरकार अथवा रिजर्व बैंक के उच्च अधिकारियों के बारे में ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) और (ख) गोआ के मुख्य मंत्री का ध्यान इस अनियमितता की ओर दिलाया गया था । उनका पत्र अभी प्राप्त हुआ है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) यदि व्यक्तियों के नाम दिये जायंगे तो जाँच की जायगी ।

दिल्ली तथा नई दिल्ली में सरकारी अस्पतालों की स्वच्छता की स्थिति में सुधार

*731. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों में स्वच्छता की स्थिति को सुधारने के लिए और कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) जी हाँ ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

अच्छी देखरेख की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती और अधुनिक उपकरणों की खरीद करके दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सफाई के कामों में सुधार के लिये निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं जिसका विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :—

i. **विलिंग्डन अस्पताल :**

(i) सफाई निरीक्षक की देख-रेख में एक विशेष सफाई दल बनाया गया है ।

(ii) विशेष प्रकार की सिमेंट की कचरा-पट्टियाँ, जो कि सरलता से साफ की जा सकती हैं, की व्यवस्था सभी विभागों/वार्डों में की जा रही है ।

(iii) जहाँ कहीं आवश्यक हो खुली नालियों को ढका जा रहा है ।

(iv) अनावश्यक झाड़ियों और बाड़ हटा दी गई हैं ।

(v) मलेरिया निरोधी छिड़काव-कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है ।

ii. **इर्विन एवं गोविन्द वल्लभ पन्त अस्पताल :**

(i) सफाई निरीक्षक का एक पद बनाया गया है ।

(ii) कूड़े-करकट के निपटान के लिए दो भस्मक लगाये गये हैं ।

(iii) विभिन्न स्थानों पर कचरा-पट्टियों की व्यवस्था की गई है और कचरे को एकत्र करने के लिए बड़े-बड़े ड्राम रखे गए हैं ।

(iv) रोगाणुनाशक रेढ़ियाँ और कूचियाँ इत्यादि पर्याप्त मात्रा में दी गई हैं ।

(v) सफाई कर्मचारियों और वार्ड अरदलियों के काम की देख-भाल करने के लिए 6 सफाई गाइड और 7 वरिष्ठ अरदली नियुक्त किये गये हैं ।

(vi) प्रति वर्ष एक सफाई अभियान चलाया जाता है और सबसे अधिक साफ विभाग को एक शील्ड दी जाती है ।

(vii) ठीक ढंग से सफाई की व्यवस्था करने के लिए अस्पताल का निरीक्षक स्टाफ अस्पताल में देख-भाल नियमित रूप से करता रहता है ।

iii. **हिन्दू राव अस्पताल :**

(i) अधिक सफाई-कर्मचारी काम पर लगाये जा रहे हैं ।

(ii) कचरा-पट्टियाँ, डण्डे वाले झाड़ू और रेढ़ियाँ पर्याप्त मात्रा में दिये जा रहे हैं ।

(iii) कचरे के निपटान के लिए अस्पताल में भस्मकों की व्यवस्था करने के लिए कार्य-वाही की जा रही है ।

(iv) सफाई-कर्मचारियों की वैध माँगों पर शीघ्र एवं सहानुभूतिपूर्वक ध्यान दिया जाता है ।

iv. **अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान :**

(i) सफाई निरीक्षक का एक पद बनाया गया है ।

(ii) सफाई के यान्त्रिक तरीके अपना लिये गये हैं ।

(iii) ठीक ढँग से सफाई रखवाने के लिए प्रशासकीय एवं निरीक्षक नर्सिंग स्टाफ अस्पताल में चक्कर लगाता रहता है ।

v. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं अस्पताल :

(i) अस्पताल में सफाई का काम देखने के लिए एक सफाई दल और एक सफाई निरीक्षक की व्यवस्था की जा रही है ।

(ii) स्वास्थ्य अधिकारियों एवं अस्पताल स्टाफ के बीच निकट सम्पर्क रखा जा रहा है।

(iii) कचरे के निपटान के लिए एक भस्मक की व्यवस्था करने का निर्णय किया गया है । इस काम के लिए ठेका दिया जा चुका है ।

सरकारी उपक्रमों में पड़ी बेकार क्षमता

*732. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों को इस बात के लिए क्या निदेश दिये गये हैं कि वे अप्रयुक्त क्षमता का उत्पादन में विविधिकरण लाने अथवा निर्यात में वृद्धि करने हेतु प्रयोग करें; और

(ख) जिन दस बड़े सरकारी उपक्रमों ने अपनी फालतू क्षमता का उपयोग किया है उनके नाम क्या हैं और अपने उत्पादन में विविधिकरण लाने के लिए इन उपक्रमों द्वारा की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) सरकारी उपक्रमों की क्षमता के पूरे इस्तेमाल के लिये किये गये उपायों का विवरण "सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-ज्ञापन" नाम की पुस्तिका में दिया गया है जो 28 फरवरी, 1969 को बजट पत्रों के साथ प्रचारित की गयी थी ।

(ख) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है जिसमें 1968–69 के दौरान दस मुख्य सरकारी उपक्रमों की स्थापित क्षमता, वास्तविक उत्पादन और प्रतिशत उपयोग का ब्यौरा दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1805/69] जो उपक्रम, क्षमता का पूरा उपयोग न होने की समस्या का सामना कर रहे हैं वे यथासंभव निम्नलिखित दिशाओं में कदम उठा रहे हैं—(क) उत्पादन में विविधता लाना, (ख) निर्यात को बढ़ावा देना और (ग) अन्य सरकारी उपक्रमों की आवश्यकताओं के साथ समन्वय स्थापित करना ।

Extraction of Minerals from Sea-Bottom

*733. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that various types of minerals in the shape of modules can easily be extracted from the sea-bottom and they are found in abundance in the Bay of Bengal and Arabian Seas ;

(b) whether it is also a fact that a motor car that can ply on the sea-bottom has also been invented in foreign countries ; and

(c) if so, the progress made so far in India in regard to the extracting of minerals from the sea-bottom ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) :

(a) It is understood that present minerals from ocean beds are being dredged from a maximum depth of about 50 m. Occurrances of phosphatic modules of the east coast of the North Andamans and of phosphate, barium and manganese modules in some localities in the Arabian sea, have been reported.

(b) First prototype of a short range submersible vehicle capable of operation at shallow depth is reported to have been tested in U.S. A.

(c) The Geological Survey of India have taken up a programme of exploration of certain lagoons and shallow off-shore areas. Preliminary results of the survey carried out in Kavaratti and Kalpeni lagoons in Laccadive Islands indicate reserves of 12 million tonnes of calcareous sediments. The Geological Survey of India also proposes to undertake exploration for phosphates along the Eastern and Western Coasts of the Country.

सहकारी गृह-निर्माण समितियों की भूमि का आवंटन

*734 **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सभा में इस बात का आश्वासन दिया था कि सहकारी गृह-निर्माण समितियों को अप्रैल, 1969 तक भूमि आवंटित कर दी जायेगी;

(ख) क्या यह भी सच है कि समितियों को अभी तक भूमि का आवंटन नहीं किया गया है जब कि उन्होंने भूमि का पूरा मूल्य जमा कर दिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ गृह-निर्माण समितियों को पहिले प्रस्तावित उस स्थान से जिसके आधार पर उन्होंने सरकार को पूरा रुपया दे दिया था, अन्यत्र भूमि देने का प्रस्ताव रखा जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो उक्त समितियों को भूमि आवंटित करने के बारे में कोई अन्तिम तिथि निर्धारित की है और क्या उनके लिए पहले निर्धारित भूमि का उन्हें आवंटन किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क) 1 अप्रैल, 1968 को उत्तर दिये गए, अतारांकित प्रश्न संख्या 5976 के लिखित उत्तर में यह बता दिया गया था कि शाहदरा में कोआप्रेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटियों को भूमि के आवंटन को 8 से 9 मास के अन्दर अन्तिम रूप दे दिया जायगा ।

(ख) 147 कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटियों में से, जिन्होंने भूमि के आवंटन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, 131 सोसाइटियों ने भूमि का प्रीमियम अब तक अदा कर दिया

है, और उनमें 74 ने पहले ही भूमि का वास्तविक (फिजीकल) दखल ले लिया है। शेष 57 मामलों में भूमि का कब्जा कुछ इस कारण से नहीं दिया जा सका कि कुछ सोसाइटियों ने उन्हें आवंटित किए गए स्थानों को बदलने का अभ्यावेदन दिया है और कुछ अर्जन कार्यवाहीं में देरी के कारण ।

(ग) और (घ) सोसाइटियों को आरम्भ में पेश किए गए स्थान, क्षेत्रीय प्लान की आवश्यकताओं और क्षेत्र के मार्गों के स्वरूप आदि के कारण किए जाने वाले कुछ समायोजनों को छोड़कर, सामान्यता वही रखे जाते हैं। तथापि, भूमि के आवंटन के लिए कोई अन्तिम तिथि निश्चित करना संभव नहीं है क्योंकि अर्जन की कार्यवाही को अन्तिम रूप देने के लिए लगने वाले समय का सही अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता ।

दिल्ली विकास अधिकरण के विरुद्ध शिकायतें

*735 **श्री प्रेम चन्द वर्मा**: क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास अधिकरण ने जनता को उचित दर पर भूमि बेचने के अपने वायदे को पूरा नहीं किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसने 2 रुपये से लेकर 4 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से भूमि खरीदी थी तथा इसने प्लाटों को 100 रुपये या इससे अधिक रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से बेचा है जब कि इसने कालोनियों में अपेक्षित सुविधायें नहीं दी हैं और न ही उप-नियमों के अनुसार विकास-कार्य किया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास अधिकरण के बीच कोई झगड़ा है जिसके परिणामस्वरूप प्लाट-धारियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या दिल्ली विकास अधिकरण के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है; और

(ङ) क्या सरकार दिल्ली विकास अधिकरण के अनाचार के सम्बन्ध में जाँच करवायेगी और इस प्रकार जनता की शिकायतों को दूर करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) और (ख) जी, नहीं । नीलाम में बेचे गए कुछ प्लाटों को छोड़ कर, निम्न आय तथा मध्यम आय वर्गों को बेचे जाने वाले प्लाटों का निश्चित किया गया औसत मूल्य 'बिना लाभ बिना हानि' के आधार पर लगाया गया है ।

(ग) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम के बीच दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों में "ट्रंक सर्विसिज" की व्यवस्था करने तथा बिजली लगाने के बारे में कुछ मतभेद है । तथापि, मामले को सुलझाया जा रहा है । ऐसी परिस्थितियों में कोई उपाय करने का प्रश्न ही नहीं है ।

भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे उर्वरक कारखान द्वारा किये गये दोषपूर्ण करार

*736. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे उर्वरक कारखाने द्वारा किये करारों की सरकारी उपक्रम समिति ने आलोचना की है;

(ख) यदि हाँ, तो त्रुटिपूर्ण करार करने के उत्तरादायी अधिकारियों, जो कि बाद में उन कम्पनियों में नियुक्त हो गये जिनके साथ उन्होंने ये त्रुटिपूर्ण करार किये थे, के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) सरकार इसका निश्चय करने के लिए क्या उपाय कर रही है कि भविष्य में सरकारी उपक्रमों द्वारा त्रुटिपूर्ण करार नहीं किये जायें ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) और (ख) जी हाँ । समिति ने 12-3-1969 को संसद् में पेश की गई अपनी 26वीं रिपोर्ट में ट्राम्बे स्थित कारखाने के लिए कुछ संयंत्रों की सप्लाई के लिए भारतीय उर्वरक निगम द्वारा दो विदेशी कम्पनियों से किये गये करारों की और बातों के साथ-साथ आलोचना की है । इस बारे में समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, कमीशन ऑफ इंक्वारी एक्ट 1952 के अन्तर्गत, इन मामलों की जाँच तथा त्रुटियों, यदि कोई हों, के लिए उत्तरदायित्व ठहराने के लिए सरकार ने 5 अगस्त, 1969 को एक एकाकी सदस्य आयोग की नियुक्ति की है । किसी अधिकारी या अधिकारियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही, यदि कोई हो, आयोग की सिफारिशों पर निर्भर होगी ।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार उपक्रम दोषपूर्ण करार न करें, हर प्रकार से सावधानी बर्ती जा रही है ।

चोरी किये करों की सूचना देने वालों को भुगतान

*737. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों को जो ऐसी जानकारी देते हैं जिससे करों की चोरी करते आ रहे व्यक्तियों द्वारा कर अपवंचन का पता चलता है किस आधार पर भुगतान किया जाता है;

(ख) क्या सूचना देने वाले व्यक्तियों के बारे में कोई गोपनीयता रखी जाती है अथवा उनकी प्रत्यक्ष रूप से सहायता ली जाती है ;

(ग) क्या सूचना देने वाले व्यक्तियों को भुगतान करने के बारे में कोई विवाद है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी):

(क) सूचना देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार दिये जाते हैं जो कर की अतिरिक्त वसूल हुई रकम के कम से कम 7½ प्रतिशत और अधिक से अधिक 10 प्रतिशत के बीच हो सकते

हैं । ऐसा अतिरिक्त कर मुखबिर द्वारा दी गयी सूचना और / अथवा सहायता के कारण वसूल हुआ होना चाहिए ।

(ख) सूचना देने वाले व्यक्तियों के बारे में गोपनीयता रखी जाती है और उनकी सहायता केवल तभी ली जाती है जब उसकी आवश्यकता समझी जाती है, और सूचना देने वाला व्यक्ति ऐसी सहायता देने को तैयार हो । उसकी खुली सहायता तभी ली जाती है जब वह स्वेच्छा से ऐसा करे ।

(ग) सूचना देने वाले व्यक्तियों को दिये गये पुरस्कार अनुग्रह रूप में की गई अदायगियाँ होती हैं और इस बारे में सरकार का निर्णय अन्तिम होता है। इसलिए विवाद का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सूचना देने वाले व्यक्ति कभी-कभी बढ़ा-चढ़ा कर दावे करते हैं और ऐसे दावों को अस्वीकार करना पड़ता है क्योंकि पुरस्कार सम्बन्धी नियमों के अधीन ऐसे भुगतान नहीं किये जा सकते ।

(घ) सदन इस बात से अवश्य सहमत होगा कि जाँच-पड़ताल के तथा सूचना देने वाले व्यक्ति की सुरक्षा के हित में, इस प्रकार के ब्यौरे देना संभव नहीं है ।

दिल्ली परिचारिका संघ का ज्ञापन

*738. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिचारिका संघ का एक प्रतिनिधिमंडल 16 मई, 1969 को उनसे मिला था और उन्होंने दिल्ली के अस्पतालों में काम करने वाली परिचारिकाओं की कठिनाइयों तथा कुछ अन्य माँगों से उन्हें अवगत कराया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क) जी हाँ ।

(ख) सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों में काम करने वाली नर्सों की सेवा-शर्तों में सुधार करने के लिए समय-समय पर कदम उठाये हैं। 1967 में नर्सों के काम करने के घण्टे विनियमित किये और प्रति सप्ताह 48 घंटे निश्चित कर दिये गये। मँहगाई-भत्ते, नगर प्रतिकर भत्ते तथा भोजन-भत्ते की दरें 1 अप्रैल, 1969 से संशोधित की गई ताकि उनकी कुल परिलब्धियाँ बढ़ जाँय। नर्सों के एक वर्ग नामतः स्टाफ नर्सों के सम्बन्ध में संघ ने इन आदेशों की पुनः व्याख्या करने की माँग की है और यह मामला विचाराधीन है ।

Increasing of Facilities in Delhi Hospitals

*739. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the progress made so far in regard to the proposal of opening new hospitals in Delhi or increasing the facilities in the existing ones so that the present over-crowding of patients at the hospitals of Delhi could be reduced and the patients properly attended to ;

(b) the results of the facilities extended so far ; and

(c) whether it is proposed to increase these facilities during the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) :

(a) During the Third Five Year Plan period, the Delhi Administration set up 3 new hospitals with 986 beds.

The All India Institute of Medical Sciences achieved the target of 750 beds at the end of the Third Five Year Plan period.

In the Safdarjang Hospital 391 beds were added, bringing the total number of beds to the target of 1142 beds at the end of the Third Plan period. 302 beds were added in the Willingdon Hospital during the Third Plan period. During this period the bed strength of the Kalavati Saran Children's Hospital was increased from 68 to 229.

The number of hospitals beds in major hospitals (Government and Municipal) in Delhi in 1968 was as follows :

1.	Safdarjang Hospital	1,207 beds.
2.	All India Institute of Medical Sciences ..	750 ,,
3.	Willingdon Hospital	679 ,,
4.	Irwin Hospital	1,068 ,,
5.	G. B. Pant Hospital	258 ,,
6.	Lady Harding Medical College and Hospital ..	567 ,,
7.	Kalavati Saran Children's Hospital ..	228 ,,
8.	Bara Hindu Rao Hospital ..	306 ,,
	Total No. of beds	5,063

(b) Delhi has one bed for a population of 400 as against the national average of 1 bed for a population of 2,000.

(c) The Delhi Administration has a proposal for opening 500-bed hospital each in West Delhi and in Shahadara during the Fourth Five Year Plan.The Delhi Administration have also under consideration an alternative proposal of adding 1,100 beds to the hospitals under the Municipal Corporation of Delhi.

Additional beds are proposed to be added in the Kalavati Saran Children's Hospital, Hindu Rao Hospital, Willingdon Hospital and the Safdarjang Hospital in the Fourth Five Year Plan.

It is also proposed to improve the existing conditions of Civil Hospitals in Delhi in the light of the recommendations made by the Hospital Review committee which was set up by the Government to examine the working of the Government Hospitals in Delhi. A statement relating to the main recommendations of the Committee and the action taken so far by the Government on those recommendations was laid on the Table of the Sabha on the 4th August, 1969.

Export of Aluminium

740*. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that international price of aluminium is much higher than its price in India ; and

(b) if so, the action taken by Government for utilization of surplus aluminium in the country and for its export ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) :

(a) The international f.o.b price of aluminium is currently more or less at par with Indian price though the landed cost of imported aluminium, *i.e.* including freight, insurance etc. is higher.

(b) There is at present no exportable surplus of aluminium and the producers have been requested not to enter into further export commitments in the current year.

बोलफ्राम

*741. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में राजस्थान ही केवल एक ऐसा राज्य है जो प्रतिरक्षा संगठनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक बोलफ्राम का उत्पादन करता है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस खनिज को उपयोग में लाने के लिए इसे निकालने हेतु क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) क्या केन्द्र ने इस खनिज को निकालने के लिए राज्य सरकार को कोई स्वीकृति दी है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) जी, नहीं। वोलफ्राम का खनन राजस्थान के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल के बाँकुरा जिले में भी होता है।

(ख) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने देगाना (राजस्थान) में टंगस्टेन (वोलफ्राम) की समन्वेषी खनन प्रायोजना के सम्बन्ध में कार्य पूरा कर लिया है और राजस्थान सरकार प्रायोजना को चला रही है। पश्चिम बंगाल के बाँकुरा जिले में थेनन्दापत्थर स्थान के टंगस्टेन युक्त क्षेत्रों में मेसर्स गौरीपुर उद्योग, कलकत्ता नाम की एक गैर-सरकारी कम्पनी द्वारा खनन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल के टंगस्टेन अयस्क युक्त क्षेत्रों का समन्वेषण कर रही है।

(ग) चूंकि देगाना, राजस्थान के वोलफ्राम के निक्षेपों के पूर्वेक्षण का कार्य भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने पूरा कर लिया है और उसी के आधार पर राज्य सरकार खान को चला रही है अतः प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सरकारी उपक्रमों के लिये लोक-सेवा आयोग

*742. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि (1) भर्ती तथा पदोन्नति नीति (2) अवकाश, बोनस, उपदान, अनुशासनात्मक कार्यवाहियों तथा सेवा-निवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में सभी सरकारी उपक्रमों द्वारा समान नीति का पालन नहीं किया जाता;

(ख) यदि हाँ, तो इस असमानता के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या विभिन्न सरकारी उपक्रमों के बीच अच्छा समन्वय स्थापित करने के लिए एक सरकारी क्षेत्र सेवा आयोग का गठन करने का सरकार का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) और (ख) इन मामलों के सम्बन्ध में प्रत्येक स्वायत्त-शासी उपक्रम, अपनी-अपनी विशेष आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति के अनुसार काम करता है। फिर भी, सरकार विभिन्न मामलों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उपयुक्त सामान्य मार्ग-दर्शक अनुदेश देती रहती है।

(ग) जी, नहीं।

राजधानी में गाडगिल आश्वासन के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्तियों को क्वाटरों का आवंटन

*743. **श्री बलराज मधोक :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में बड़ी संख्या में विस्थापित व्यक्ति गाडगिल आश्वासन के अन्तर्गत आते हैं जिनको अब तक वैकल्पिक आवास नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, उनका व्यवसाय-वार तथा बस्ती-वार ब्यौरा क्या है और गाडगिल आश्वासनों के अनुसार उन्हें वैकल्पिक आवास कब तक दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) :

(क) और (ख) प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों अथवा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, गाडगिल आश्वासन के अधीन 3819 रिहायशी अनधिवासी (रेन्जीडेन्शल स्केट्टर) तथा 1099 व्यापारी अनधिवासियों ने सहायता की माँग की है। उनकी पात्रता का प्रश्न जाँचाधीन है और आश्वासन के अनुसार पुनर्वास सहायता उन (लोगों) को दी जायगी जो पात्र समझे जायेंगे। इस अवस्था में, माँगे गए विवरण को दे सकना संभव नहीं है।

ब्रह्मपुत्र आयोग

*744. **श्री वेदव्रत बरुआ :** **श्री विश्वनाथ शास्त्री :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र आयोग नियुक्त करने के प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस आयोग का गठन कब तक किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) से (ग) ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के आयोजन एवं क्रियान्वयन के लिए "ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड" नामक एक स्वायत्तशासी संस्था स्थापित करने के प्रस्ताव पर असम सरकार के साथ विचार-विमर्श हो रहा है ।

Bank Loans to States

*745. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at the meeting of the high officials of the prominent banks of the country held in Bombay in the last week of May, 1969, the Governor of the Reserve Bank of India emphasised that more loans should be given by the banks in those States, where banks find their credit-deposit ratio to be lower than the national average so as to remove the regioal imbalance in the industrial and economic development ;

(b) whether it is also a fact that he has suggested that the various banks should apprise the Reserve Bank about their respective problems with regard to the credit policy by the end of June ; and

(c) if so, the reaction of the banks in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) :

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Reserve Bank had individual meetings with the major commercial banks between June 13th and July 5th, 1969 when the banks gave details of their estimated deposits mobilisation and credit extension during the slack season of 1969 and expressed their ability and willingness to invest in securities of the Central and State Governments as well as in the securities of the State bodies, such as Electricity Boards, Land Mortgage banks ,Finance Corporations etc.

Schemes for Filtering Polluted Water of Tapti River for Drinking Purposes

*746. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a scheme for filtering the drinking water of Tapti River meant for Burhanpur, which is being polluted by the Nepa Mills, Nepa Nagar, is still under consideration in spite of repeated requests and assurances given by Government ;

(b) whether it is also a fact that the Nepa Mills have prepared a draft of three schemes, if so, the salient features thereof ;

(c) whether Government propose to take any action to implement them, if so ,when; and

(d) the original estimated amount allocated for the completion of this work and the reasons for delay in this regard ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development : (Shri K. K. Shah):

(a) and (d) For augmenting the water supply to Burhanpur town a scheme was pre-

pared by the Government of Madhya Pradesh in the year 1956 at an estimated cost of Rs.27.54 lakhs with river Tapti as source. This scheme could not be undertaken for execution due to pollution of the river waters. Alternative sources of water supply are being examined by the Government of Madhya Pradesh.

(b) The Government of Madhaya Pradesh have not so far received any scheme from Nepa Mills.

(c) Does not arise.

घाटे वाले राज्यों को केन्द्रीय सहायता

*747. **श्री हेम बरुआ :** **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि घाटे वाले राज्यों को वित्तीय सहायता देने का केन्द्रीय सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो घाटे वाले राज्य कौन से हैं और उन्हें कितनी-कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) और (ख) असम, जम्मू और काश्मीर, नागालैण्ड, उड़ीसा और राजस्थान सहित, जिनका उल्लेख चौथी पंचवर्षीय आयोजना के प्रारूप में घाटे वाले राज्यों के रूप में किया गया है, सभी राज्यों के राजस्व लेखों पर पाँचवें वित्त आयोग द्वारा पहले से ही विचार किया जा चुका है। जहाँ तक इस घाटे वाले राज्यों के पूँजी खातों का संबंध है, भारत सरकार इनकी समस्याओं पर, उनके गुण-दोषों के आधार पर, उपलब्ध साधनों की सीमा के अन्तर्गत विचार करने को तैयार है।

Setting up of Industries during Fourth Plan

*748. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the number of new industries proposed to be set up in the Public Sector by Government during the Fourth Five-Year Plan and the estimated capital proposed to be invested thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sehi) :

A detailed list of the industrial and mineral projects included in the Central sector during the Fourth Five Year Plan is given in the draft Fourth Five Year Plan (1969-74) Report on pp. 253 to 260. The programmes of the Central sector are estimated to involve an outlay of Rs.2,910 crores. In addition, a provision of Rs. 180 crores has also been made in the Plan for the programmes in the States and Union Territories.

Thermal Power Station at Barauni

*749. **Shri Valmiki Choudhary :** **Shri K. M. Madhukar :**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the population of North Bihar is 25 million which is equal in area to that of Poland and Yugoslavia but only one Thermal Power Station at Barauni ha

been provided and it hs been kept as a separate unit and it has no links with other power houses of the State ;

(b) if so, the outlines of the schemes formulated to supply more power during the Fourth Five Year Plan with a view to make industrial and green revolution a success in this vast area ;

(c) in case there is no other scheme to supply additional power to the area, whether the said thermal power plant would be adequate and the extent to which the area would remain backward even after the Fourth Five Year Plan ; and

(d) whether Nexalites have made strong-holds in the area as a reult of this backwardness ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :

(a) Yes, Sir. There is one major thermal power station at Barauni in North-Bihar at present. A 132 KV transmision link between the North and South has recently been completed and the power station has been connected with the South Bihar grid.

(b) and (c) A scheme for the extension of Barauni thermal power station has been sanctioned and is under implementation.It involves the installation of two generating units of 50 MW each. The first unit is expected to be commissioned during August/September, 1969 and the second unit by March, 1970, when the toal instaled capacity of Barauni power station would be raised from its present level of 45 MW to 145MW. Besides, it would be possible to supply additional 50 MW to North Bihar through the 132 KV transmission link. The power requirements in North Bihar during the Fourth Plan period are thus expeced to be met to some extent. Further steps will be taken to augment the power as load develops.

(d) Attention is invited to the reply given to Unstarred Question no. 726 on 21-2-1969 by the Minister in the Ministry of Home Affairs.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की वेतन-वृद्धि पर रोक

*750. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुनः यह निर्णय किया है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन-मानों में वृद्धि आदि पर रोक एक वर्ष तक के लिये और जारी रहे;

(ख) यदि हाँ, तो बढ़ते हुए मूल्यों के संदर्भ में ऐसा निर्णय करने के क्या कारण हैं;

(ग) जिस समय वेतन में वृद्धि पर रोक पहली बार लगाई गई थी, तब से अब तक अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है? और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के जीवन-निर्वाह व्यय में हुई वृद्धि को उन्हें मंहगाई भत्ता देकर किस हद तक कम किया गया है और उसका कितना भाग कर्मचरियों को स्वयं अपने जीवन स्तर को नीचे गिरा कर पूरा करना पड़ता है; और

(घ) क्या इस निर्णय का अभिप्राय यह है कि अगले वर्ष तीसरा वेतन आयोग नहीं बैठाया जायगा, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) से (ग) व्यापक तौर पर बचत करने की दृष्टि से सरकार ने किसी भी स्तर पर वेतन-ढाँचे में संशोधन पर लगे प्रतिबन्ध को आगे एक वर्ष तक, अर्थात् 30-6-1970 तक चालू रखने का निर्णय किया है। लेकिन, सदन को पता ही है कि मूल्य स्तर को ध्यान में रखते हुए, समय-

समय पर मँहगाई-भत्ते को बढ़ाने के संशोधन किए गए हैं। अखिल भारतीय श्रमजीवी वर्ग औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या (सामान्य) (1949=100) के बारह महीनों की जो औसत सितम्बर 1966, में 179.08 थी, वह जून 1969 में बढ़ कर 211.75 हो गयी। सूचकांक के बारह महीनों के औसत में प्रति 10 अंक की वृद्धि पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मँहगाई भत्ते में वृद्धि की जाती है। तदनुसार उपर्युक्त अवधि में, सूचकांक के बारह महीनों की औसत 185, 195, 205 और 215 पर 1-2-37, 1-6-67, 1-11-67 और 1-9-68 से मँहगाई-भत्ते में वृद्धियाँ की गयी हैं। निम्नतम वेतन खण्ड के कर्मचारियों को, वेतनतर लाभों को छोड़ कर, जीवन निर्वाह मूल्य में हुई वृद्धि का लगभग 90 प्रतिशत के अनुपात में निराकरण हो जाता है।

(घ) जी, नहीं।

Name of Road after Sawami Ram Tirath in New Delhi

4699. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government propose to name a road after Swami Ram Tirath whose commemorative stamp was issued on the 11th November, 1966 on the Diwali day and whose birth centenary is proposed to be celebrated by the Delhi Branch of the Ram Tirath Mission at a proper place in New Delhi ; and

(b) if so the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) The New Delhi Municipal Committee has reported that there is no such proposal under their consideration at present.

(b) Does not arise.

बम्बई के टैक्सीचालक संघ की ओर से अभ्यावेदन

4700. **श्री जार्ज फरनेंडीज :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स मैकबरिया ट्रेड एंड इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 203 कालबादेवी रोड, बम्बई-2, द्वारा वित्तीय कदाचारों के बारे में बम्बई के टैक्सीचालक संघ की ओर से उन्हें कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस मामले की कोई जाँच की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) जी नहीं, सम्मानीय सदस्य से एक पत्र अवश्य प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग) जाँच आरम्भ कर दी गई है। यदि प्रमाण मिल सके तो कानून के मुताबिक कार्यवाही की जायगी।

(घ) यह सवाल नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम के अधिकारियों को मकान बनाने के लिए ऋण

4701. **श्री जार्ज फरनेंडीज :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जीवन बीमा निगम के प्रथम श्रेणी के उन अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या-क्या हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों में जीवन बीमा निगम से मकान बनाने के लिये ऋण लिया तथा ऐसे प्रत्येक अधिकारी को कितना-कितना ऋण दिया गया ;

(ख) ये ऋण किस ब्याज-दर पर दिए गए; और

(ग) ऐसे ऋण देने की नीति/नियमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) :

(क) से (ग) ऐसी दो योजनायें हैं जिनके अन्तर्गत जीवन बीमा निगम द्वारा अपने कर्मचारियों को ऋण दिए जाते हैं। एक योजना के अन्तर्गत, कर्मचारी, सहकारी आवास समिति की सदस्यता हासिल करके, उसकी मार्फत ऋण ले सकते हैं और दूसरी योजना के अन्तर्गत, वे घर बनाने के लिये सीधे ही ऋण ले सकते हैं। दोनों योजनाओं में कर्मचारियों (तथा अधिकारियों) की विभिन्न श्रेणियों के लिये ऋण की अधिकतम सीमा निश्चित है। कर्मचारियों की सहकारी समितियों को ऋण देने की योजना के अन्तर्गत ब्याज की दर 5½ प्रतिशत है जबकि अलग-अलग कर्मचारी को ऋण देने की योजना के अन्तर्गत ब्याज की दर 6 प्रतिशत है; दोनों योजनाओं में ठीक समय पर अदायगी के लिए एक प्रतिशत की छूट दी जाती है। श्रेणी–1 के अधिकारियों को भी ऋण इन्हीं दोनों योजनाओं की शर्तों का कठोरता से पालन करते हुए ही दिया जाता है और उन्हें किसी प्रकार की तरजीह नहीं दी जाती। श्रेणी–1 के अधिकारियों को ऋण समसामान्य नियमों के अनुसार ही दिए गए हैं तथा जिन श्रेणी–1 के अधिकारियों को ऋण दिए गए हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है, इसलिए उनकी सूची तैयार करने में लगने वाला समय और श्रम उससे प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की निम्न आयवर्ग सम्बन्धी गृह-निर्माण योजना

4702. **श्री अदिचन :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सभी निम्न आय वर्ग सम्बन्धी गृह-निर्माण योजना का लाभ अधिकांशत: मध्य आय वर्ग के लोगों को जाता है तथा जिन लोगों के लिये यह आयोजना बनाई जाती है उन्हें उसका लाभ नहीं मिलता है क्योंकि ऐसी किसी योजना के अन्तर्गत फ्लैट अथवा प्लाट लेने के लिये आरम्भ में तथा किश्तों में भारी राशि देनी पड़ती है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके लिए क्या विशिष्ट कार्यवाही करने का विचार है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की निम्न आय वर्ग सम्बन्धी गृह-निर्माण योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिल सके जिनके लिये वह बनाई गई हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) और (ख) इस मंत्रालय की सामाजिक आवास योजनाओं के उद्देश्य के लिए "निम्न आय

वर्ग" में वे व्यक्ति आते हैं जिनकी आय 600 रुपए प्रतिमास से अधिक नहीं होती है। परिणामस्वरूप, निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए निर्मित किए गए मकानों का लाभ मध्य आय वर्ग के व्यक्तियों को, (जिसमें वे व्यक्ति आते हैं जिनकी आय 601 रुपए प्रतिमास से 1,250 रुपए प्रतिमास के बीच है) नहीं हो सकता। तथापि, ये ठीक हो सकता है कि 'निम्न आय वर्ग के निचले आय श्रेणी के लोग, आरंभिक रकम, तथा मासिक किस्त जो मकान/ भूमि की कुल लागत पर निर्भर करती है, जमा कराने में कठिनाई अनुभव कर रहे हों। ऐसे व्यक्तियों को सहायता देने के लिये, डी० डी० ए० ने 30 वर्ग गज़ प्लाटों पर थोड़ी कीमत के मकानों का निर्माण आरम्भ कर दिया है।

केन्द्रीय ऋण तथा लोक ऋण

4703. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों के पास 31 मार्च, 1969 को, राज्यवार, पृथक-पृथक कितना केन्द्रीय ऋण तथा लोक ऋण था;

(ख) दोनों के सम्बन्ध में पृथक-पृथक तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य द्वारा कितना वार्षिक ब्याज दिया गया;

(ग) पिछले आय-व्ययक के अनुसार राज्यों का राज्यवार, वार्षिक राजस्व तथा व्यय क्या है तथा राज्यों ने, राज्यवार, 31 मार्च, 1969 को कितने ओवरड्राफ्ट लिये;

(घ) अपने ऋण का भुगतान करने के लिये राज्य क्या व्यवस्था कर रहे हैं तथा गत तीन वर्षों से, राज्यवार कितना वार्षिक पुर्नभुगतान किया जा रहा है;

(ङ) कुछ राज्यों के बढ़ते हुए दिवालियेपन को रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या व्यावहारिक कदम उठाये गए; और

(च) क्या यह सच है कि कुछ राज्य यह चाहते हैं कि केन्द्रीय ऋण बट्टे खाते में डाल दिया जाय; यदि हाँ, तो वे राज्य कौन से हैं तथा प्रत्येक कितनी राशि बट्टे-खाते में डालना चाहता है और केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी):

(क) से (घ) सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1806/69]

(ङ) राज्य सरकारों से अपनी वित्तीय स्थिति का ध्यान रखने की अपेक्षा की जाती है। जहाँ तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, वह राज्य सरकारों को यह सलाह देती रही है कि उन्हें अतिरिक्त साधन जुटा कर और अपने आयोजना-भिन्न व्यय में किफायत करके घाटे की वित्त-व्यवस्था और ओवरड्राफ्ट से बचना चाहिए।

(च) ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए ट्रांसिस्ट्रों की खरीद

4704. **श्री बाबूराव पटेल**: क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों तथा अन्य संस्थाओं को परिवार नियोजन के क्षेत्र में प्रयोगार्थ राज्यवार तथा संस्थावार अब तक कितने ट्रांसिस्टर सप्लाई किए गए;

(ख) उन ट्रांसिस्टरों की कुल लागत कितनी है;

(ग) उन ट्रांसिस्टरों का मार्का क्या है, प्रत्येक की औसत लागत कितनी है तथा उनके संभरणदाताओं के नाम क्या हैं;

(घ) क्या ये ट्रांसिस्टर टेंडर माँग कर खरीदे गए थे और यदि नहीं, तो वे कैसे खरीदे गए थे; और

(ङ) उनके मंत्रालय के क्रयाधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर):

(क) 8301 सेट सप्लाई किए थे जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 6,56,337 रुपए 50 पैसे।

(ग) घरेलू रेडियो रिसीवर 'अलाप' आकार 18 × 9.5 × 4.5 सेंटीमीटर, बैटरी से चलने वाला और पूरी तरह से ट्रांसिस्टरों से युक्त, बैटरी समेत, (3 सैल) और चमड़े के केस के साथ, आई एस–615/1966 (ट्रांसिस्टर रिसीवर के 'टाइप' के मानक के अनुसार ये ट्रांसिस्टर मैसर्स प्रीति इलैक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड एफ–21, जंगपुरा एक्सटेन्शन, नयी दिल्ली से खरीदे गए थे। 5000 सैट 79 रुपए 90 पैसे प्रत्येक के हिसाब से, 3,301 सैट 72 रुपए प्रत्येक के हिसाब से खरीदे गए थे। टैक्स इसके अलावा थे।

(घ) और (ङ) जी हाँ। इस मंत्रालय ने संभरण तथा निपटान महानिदेशालय के माध्यम से, जिन्होंने टेंडर माँगे थे, ये सैट खरीदे थे।

विवरण

राज्य	सेटों की संख्या
महाराष्ट्र	1821
पंजाब	926
हरियाणा	514
राजस्थान	846
उत्तर प्रदेश	884
आन्ध्र प्रदेश	400
असम	154
बिहार	201
गुजरात	730
केरल	610
मध्य प्रदेश	500

मद्रास	500
जम्मू और काश्मीर	56
उड़ीसा	159 (इनमें रेलवे बोर्ड को सप्लाई किए गए 9 ट्रांसिस्टर भी शामिल हैं।)
योग	8301

भारत में शिशु-मृत्यु

4705. **श्री बाबू राव पटेल**: क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में पैदा होने वाले 25 प्रतिशत बच्चे पाँच वर्ष की आयु होने से पहले ही मर जाते हैं;

(ख) इतनी अधिक संख्या में बच्चों के मरने के क्या कारण हैं तथा क्या इस प्रश्न का कभी वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किया गया है, और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) बच्चों की इतनी अधिक संख्या में मृत्यु न होने पाये इसके लिये क्या व्यावहारिक कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस समस्या को परिवार नियोजन पर दबाव डालने तथा जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के डर के कारण जानबूझ कर अवहेलना की जा रही है, जिसके फलस्वरूप शिशु-मृत्यु को अप्रत्यक्ष रूप से वरदान माना जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो माताओं तथा उनके बच्चों का पोषाहार सुधारने के लिए ठोस कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर):

(क) 1951-61 की अवधि में भारतीय जीवन सारिणियों में दिए गए आयु संबंधी मृत्यु दरों से यह परिणाम निकलता है कि देश में पैदा हुए बच्चों में से 25 प्रतिशत बच्चे पाँच वर्ष की आयु से पहले ही मर जाते हैं।

(ख) इस मृत्यु दर के अधिक होने का मुख्य कारण वह गन्दा वातावरण है, जिसमें बच्चे पैदा होते हैं और रहते हैं, और मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य की देख-रेख सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाओं की कमी है। इस समस्या का वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किया गया है। इससे यह पता चला है कि मृत्यु के कारणों को मोटे-मोटे दो वर्गों में विभाजित करना उपयुक्त होगा:—

(1) अन्तर्जनित कारण—गर्भापात। भ्रूण का विकास और जन्म-प्रक्रिया से सम्बन्धित।

(2) बहिर्जनित कारण—छूतछात के रोग, पोषणिक कमियाँ आदि जो बाह्य वातावरण से सम्बन्धित हैं।

(ग) (1) प्रसूति देख-रेख, माताओं के लिए प्रसव (परिवार नियोजन) प्राक प्रसव और प्रसवोत्तर सेवाओं में सुधार करना।

(2) बाल-अस्पतालों, बाल-कल्याण क्लीनिकों, रोग बचाव के कार्यक्रमों, पोषण पूरक कार्यक्रमों और अपाहिज बच्चों की सेवाओं के कार्यक्रमों द्वारा बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना।

(3) राष्ट्रीय कार्यक्रमों के जरिये छूतछात के रोगों का नियंत्रण करने के लिये उपाय करना।

(4) **कर्मचारियो का प्रशिक्षण**—प्रसूति विशेषज्ञ, बालरोग विशेषज्ञ, महिला स्वास्थ्य-चरों, लोक स्वास्थ्य उपचारिकाएँ, अपर उपचारिकाएँ, धात्रियाँ आदि का प्रशिक्षण।

(5) पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था करना और पर्यावरिक स्वच्छता में सुधार करने के लिए उपाय करना।

(घ) जी नहीं।

(ङ) भाग (ख) में दिए गए उपाय के अलावा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बच्चों और माताओं के रक्त-क्षीणता और स्वच्छ मण्डल मृदुता (कैराटोमालेशिया) जैसे पोषण-क्षीणता के रोगों को दूर करने सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वित किए जायेंगे।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

4706. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1965 से लेकर 1968 तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों सम्बन्धी मूल नियमों तथा अनुपूरक अनियमों में कितनी बार संशोधन किया गया था;

(ख) इन नियमों ने कितनी बार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर बुरा प्रभाव डाला है तथा वे कितने अवसरें पर कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध थे;

(ग) क्या इन नियमों को व्यापक बनाने तथा इस प्रकार संशोधनों के अवसरों को कम करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) इक्यावन।

(ख) संभव है कि कुछ संशोधनों के कारण कुछ कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो लेकिन ये संशोधन किसी भी तरह केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की पूरी श्रेणी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।

(ग) प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के कारण, इन नियमों की विस्तृत समीक्षा के सुझाव पर विचार किया जा रहा है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

डूबडा बेसिन जल निस्सरण योजना

4707. **श्री समर गुह :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के कंटाई सब-डिवीजन में बड़े पैमाने पर यह आन्दोलन किया जा रहा है कि डुवडा बेसिन जल निस्सारण योजना तथा केलेगाई नदी के बाँध की

रक्षा करने के बारे में ताकि इन क्षेत्रों में पुनः बाढ़ न आ सके सरकार द्वारा दिये गये वचन को पूरा किया जाये;

(ख) क्या इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के बारे में एक विशेष कोष बनाने का सरकार का विचार है;

(ग) क्या राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना में अनेक बाढ़ नियंत्रण योजनायें शामिल की गई हैं ताकि पश्चिम बंगाल के कंटाई सब-डिवीजन में पुनः बाढ़ आने पर रक्षा की जा सके; और

(घ) यदि हाँ, तो इन योजनाओं का व्यौरा क्या है?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय म उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि 26 जून, 1969 को कंटाई में एक प्रदर्शन हुआ था जिसमें दूब्दा बेशिन जल-निकास स्कीम की तत्काल कार्यान्विति के लिये माँग की गई थी। इस सम्बन्ध में 22 जुलाई को एगार में एक हड़ताल भी की गई थी।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राज्य सरकार को चौथी योजना के लिये अपने कुल परव्यय के अन्तर्गत विभिन्न स्कीमों के लिये संसाधन आवंटित करने पड़ेंगे।

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने कंटाई सबडिवीजन के लिये निम्नलिखित जल-निकास स्कीमें तैयार की हैं:—

(1) कंटाई बेसिन जल-निकास स्कीम-चरण 2

(2) दूब्दा बेसन जल-निकास स्कीम

(3) कालियाघई नदी और इसकी सहायक नदियों का पुनरुज्जीवन

(4) बल्याघई जल-विकास स्कीम

राज्य सरकार सुवर्णरेखा तटबंध स्कीम नामक एक अन्य स्कीम तैयार कर रही है। किन्तु पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि संसाधनों की तंगी के कारण राज्य की प्रस्तावित चौथी पंचवर्षीय योजना में ऊपर उल्लिखित किसी भी स्कीम को शामिल करना उनके लिये सम्भव नहीं हुआ है।

अब भारत सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को कल्याघई नदी की गाद निकालने के लिये चालू वर्ष के दौरान 94 लाख रुपए की ऋण सहायता देने के लिये राजी हो गई है।

सरोजनी नगर, नई दिल्ली में टाइप दो के क्वार्टरों की सीढ़ियों की दीवारों में रंग करना

4708. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 21 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7026 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरोजनी नगर, नई दिल्ली के टाइप दो के क्वाटरों की शेष सीढ़ियों की दीवारों पर रंग करने का काम अब पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस काम के कब तक पूरा होने की आशा है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है क्योंकि पुराने ठेके को बन्द करना पड़ा। तथापि, प्लास्टर की आवश्यक मरम्मत करने के बाद, जो कि खराब है, 6 फुट की ऊँचाई तक दिवारों को पुनः पेंट करने का प्रस्ताव है और कार्य के मार्च, 1970 तक पूरा होने की आशा है।

गुजरात में मेडीकल कालेज

4709. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय गुजरात में राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के कितने मेडिकल कालेज हैं तथा वे कहाँ स्थित हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में उन मेडिकल कालेजों को कितनी वित्तीय सहययता दी गई तथा चालू वर्ष में और अगले वर्ष में कितनी सहायता दिए जाने का विचार है;

(ग) क्या राज्य की शिक्षित जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए गुजरात में मेडिकल कालेजों की वर्तमान संख्या पर्याप्त है; और

(घ) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य में कुछ और अधिक मेडिकल कालेज खोलने का विचार है और यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी है और उनको कहाँ स्थापित किया जायेगा?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) गुजरात में पाँच मेडिकल कालेज हैं जो दो अहमदाबाद में और एक एक जामनगर बड़ौदा और सूरत में है। अहमदाबाद के एक मेडिकल कालेज को छोड़ कर, जिसका प्रबन्ध नगर निगम के जिम्मे है, शेष चार राज्य सरकार के कालेज हैं । राज्य में कोई केन्द्रीय सरकारी मेडिकल कालेज नहीं है।

(ख) 1-4-1969, जब से चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हुई है, से पूर्व राज्यों को उपस्नातक चिकित्सा शिक्षा के लिये दो योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता दी गई थी; नामतः मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिए केन्द्र सहाय्यित योजना और मेडिकल कालेजों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाने के लिए केन्द्र पुरोनिधानित पहली योजना के अन्तर्गत समस्त केन्द्र सहाय्यित योजनाओं के लिये सहायता इकट्ठी दी गई थी और मेडिकल कालेजों पर अलग से कितनी धनराशि खर्च की गई यह बतलाना सम्भव नहीं है। दूसरी योजना के अन्तर्गत गुजरात को गत तीन वर्षों में कोई सहायता नहीं दी गई।

मेडिकल कालेजों की प्रवेश क्षमता बढ़ाने की केन्द्र पुरोनिधानित योजना चालू वर्ष से बन्द कर दी गई है और नए कालेज खोलने की योजना को राज्य योजनाओं में सम्मिलित कर

लिया गया है ; चौथी पंचवर्षीय योजना में सारी स्टेट प्लान स्कीमों के लिये केन्द्रीय सहायता, समेकित ऋण और अनुदानों के रूप में दी जायेगी।

(ग) 50 लाख जनसंख्या के पीछे एक मेडिकल कालेज के सिद्धान्त के अनुसार गुजरात में इस समय मेडिकल कालेजों की कमी नहीं है।

(घ) गुजरात की चौथी पंचवर्षीय योजना में किसी नए मेडिकल कालेज को खोलने की काई व्यवस्था नहीं है।

गुजरात में गाँवों को दे दी गई बिजली

4710. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा:** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1967–68 में गुजरात में जिला-वार कितने गाँवों में बिजली लगाई गई;

(ख) वर्ष 1967–68 में कितने नलकूपों में बिजली के कनेक्शन लगाये गए;

(ग) गाँवों तथा नलकूपों को बिजली सप्लाई करने में कुल कितना खर्च हुआ; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप सरकार की वार्षिक आय में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) से (ग) जैसा कि लोक-सभा में 7–4–69 को अतारांकित प्रश्न संख्या 5431 के उत्तर में पहले बताया जा चुका है, 1967–68 के दौरान गुजरात में 348 ग्रामों को बिजली दी गई थी और 171 नलकूपों समेत 9206 सिंचाई पम्पों को उर्जित किया गया था। गुजरात में ग्राम विद्युतीकरण पर 1967–68 में 625.10 लाख रुपए व्यय किए गए थे। 1967–68 के दौरान गुजरात में जिलावार बिजली दिए गए ग्रामों की सूची सभा-पटल पर रखी जाती है।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1807/69]

(घ) बिजली बोर्ड के वार्षिक राजस्व में अनुमानित वृद्धि लगभग 40 लाख रुपए है।

गुजरात सरकार द्वारा माँगी गई केन्द्रीय सहायता

4711. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात सरकार ने चौथी योजना तथा 1969–70 के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में कितने न्यूनतम साधनों की माँग की; और

(ख) केन्द्रीय सरकार उनके इस निवेदन को किस सीमा तक स्वीकार करने के लिये राजी हो गई है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) :

(क) गुजरात सरकार ने अपनी चौथी पंचवर्षीय आयोजना के लिए 116 करोड़ रुपए की और 1969–70 की वार्षिक आयोजना के लिए 30 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया था।

(ख) गुजरात राज्य की चौथी पंचवर्षीय आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में

फिलहाल 158 करोड़ रुपया दिए जाने का फैसला किया गया है। 1969–70 की वार्षिक आयोजना के लिए 28.20 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है।

गुजरात में बाढ़ पीड़ितों को फिर से बसाना

4712. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के विभिन्न राज्यों में 1968 की बाढ़ से जो व्यक्ति बेघर हो गए थे उनको फिर से बसाने के लिए अब तक कुल कितनी केन्द्रीय सहायता मंजूर हुई है तथा बाँट दी गयी है;

(ख) ऐसे कितने परिवार हैं जिनको नए घरों में पुनः बसाया गया है तथा कृषि के लिये भूमि दी गयी है; और

(ग) ऐसे कितने परिवार हैं जो अभी भी बाँध पर रह रहे हैं जहाँ उन्होंने पहले शरण ले ली थी?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया):

(क) 1968 की बाढ़ के संबंध में सहायता-कार्यों के लिए गुजरात सरकार को 9 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गयी थी। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बाढ़ के कारण बेघर हुए लोगों को फिर से बसाने पर उसने 4.73 करोड़ रुपया खर्च किया है।

(ख) बाढ़ के कारण बेघर हुए 18198 परिवारों को फिर से बसा दिया गया है। इन परिवारों में से किसी को भी कृषि-भूमि देने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

(ग) कोई भी परिवार अब बाँध पर नहीं रह रहा है।

मध्य प्रदेश द्वारा जमा-राशि से अधिक राशि निकालना

4713. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उस राज्य द्वारा जमा राशि से अधिक राशि निकालने की समस्या का "वास्तविक तरीके" से हल निकालने के लिये हाल में पाँचवें वित्त आयोग, योजना आयोग तथा सरकार से अनुरोध किया था और यदि हाँ, तो इस सरकार ने सही-सही क्या प्रार्थना की थी; और

(ख) वित्त आयोग, योजना आयोग तथा सरकार की इस बारे में क्या प्रदिक्रिया है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० च० सेठी) :

(क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता

4714. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस तथ्य के बावजूद कि मध्य प्रदेश में 4500 मैगावाट पन-बिजली की क्षमता है तथा वहाँ तापीय-बिजली के विकास की भी पर्याप्त गुंजाइश है उस राज्य में बिजली की उपलब्धता सबसे कम है;

(ख) मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता के तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में उस राज्य में आरम्भ की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है उन पर कितनी लागत आयेगी तथा इस योजना के अन्त तक मध्य प्रदेश अखिल भारतीय स्तर पर किस सीमा तक आ जायेगा; और

(घ) प्रत्येक परियोजना के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में पन-बिजली शक्यता और कोयला के संसाधन हैं। परन्तु इस राज्य की प्रति व्यक्ति बिजली की खपत अपेक्षतया कम है।

(ख) 1968–69 के दौरान प्रति व्यक्ति बिजली की खपत का राज्यवार ब्यौरा समापटल पर रखे गए विवरण में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1808/69]

(ग) राज्य सरकार ने चौथी योजना के अधीन क्रियान्विवित के लिये बिजली उत्पादन की नई स्कीमों के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में पुनासा और बार्गी परियोजनायें

4715. **श्री दे० वी० सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री 12 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9182 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बार्गी परियोजना को इस बीच स्वीकार कर लिया है और यदि हाँ, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है; उस पर कितना व्यय होगा तथा यदि उसे किन्हीं संशोधनों के साथ स्वीकृत किया गया है तो वे संशोधन क्या हैं; और

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार से पुनासा परियोजना का परियोजना-प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है और यदि हाँ, तो परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) बारगी परियोजना रिपोर्ट की अभी तक केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में जाँच की जा रही है।

(ख) जी, हाँ। पुनासा परियोजना में 2416 फुट लम्बे और 274 फुट ऊँचे ग्रेविटी बाँध, बाँध के नीचे 1000 मैगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता के एक-एक बिजली घर तथा 3 लाख एकड़ के कृष्य कमान क्षेत्र में सिंचाई के लिए नहर प्रणालियों का निर्माण परिकल्पित है। इस परियोजना पर 111.33 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है।

परियोजना रिपोर्ट मई, 1969 में प्राप्त हुई थी और इसकी केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में जाँच की जा रही है।

'मूवर' उर्वरक कारखाने

4716. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एक औसत उर्वरक कारखाना स्थापित करने में क्या लगात आती है; और

(ख) उर्वरकों की सप्लाई में आत्मनिर्भर होने के लिये देश में 'मूवर' उर्वरक कारखाने स्थापित करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डा० चव्हाण) :

(क) नेफथा पर आधारित तथा प्रतिवर्ष 330,000 मीटरी टन यूरिया की क्षमता को उर्वरक संयंत्र पर लगभग 45.0 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है।

(ख) दुर्गापुर, कोचीन, मद्रास, बरौनी तथा कानपुर में नई उर्वरक परियोजनाओं के निर्माण-कार्य में प्रगति हो रही है। नामरूप तथा उद्योगमण्डल के कारखानों की विस्तार योजनाओं का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त गोआ में एक उर्वरक परियोजना के निर्माण-कार्य के शीघ्र शुरू हो जाने की आशा है। इसके अलावा काँडला, शेवा-नहोवा, मंगलौर, मिर्जापुर, शिखापत्तनम, काम्पटी में तथा उत्तर प्रदेश / पंजाब में किसी स्थान पर उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना के लिए सिद्धान्त रूप में अनुमति दे दी गई है। विशाखापत्तनम तथा ट्राम्बे उर्वरक कारखानों का विस्तार करने के लिये भी सिद्धान्त रूप में अनुमति दे दी गई है। रामगुंडम, तालचर, हल्दिया, परादीय, मिठापुर, तूतीकोरण, कोरवा में उर्वरक कारखाने लगाने तथा नंगल एवं कोचीन स्थित परियोजनाओं के विस्तार के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

तेल कम्पनियों द्वारा पैट्रोलियम उत्पादकों का आयात

4717. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में चार बड़ी तेल कम्पनियों ने वर्षवार किस अनुपात से पैट्रोलियम उत्पादों का आयात किया; और

(ख) प्रतिशतता अनुपात में वृद्धि और कमी के क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) गत तीन वर्षों (प्रत्येक) में चार बड़ी तेल कम्पनियों द्वारा पैट्रोलियम उत्पादों (लुब्रीकैन्ट्स को शामिल करते हुए) का किया गया आयात निम्न प्रकार है:—

	'000' मीटरी टनों में		
	1966	1967	1968
बर्मा शैल	159	129	121

एस्सो	94	79	102
कालटैक्स	40	32	48
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन	1852	698	640

(ख) विभिन्न तेल कम्पनियों द्वारा पैट्रोलियम उत्पादों का आयात किसी निर्धारित दर पर नहीं किया जाता है। किन्तु निगम के आयात के शेयर में गिरावट का कारण यह है कि कई उत्पादों के, जिनका केवल भारतीय तेल निगम आयात किया करता था, आयात में 1966 के बाद कमी आ गई क्योंकि देशीय उत्पाद में वृद्धि हुई।

मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनाएं

4718. **श्री दे० वि० सिंह :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री 12 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9252 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई तथा विद्युत् कार्यक्रम में शामिल करने के लिये राज्य सरकार ने कौन-कौन सी मुख्य परियोजनाओं को चौथी पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित करने के लिए प्रस्तुत किया है; तथा प्रत्येक के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

अपने चौथी योजना प्रस्तावों के प्रारूप में मध्य प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित नई स्कीमें प्रस्तावित कीं:

सिंचाई परियोजनाएं

1. हलाली
2. बागी
3. सतियारा
4. बनसागर

बिजली परियोजनाएं

1. अमरकण्टक का विस्तार
2. बनसागर अथवा जलसिंधी।

योजना आयोग, पाँचवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के संदर्भ में राज्य के संसाधनों का पुनर्मूल्यांकन करेगा। नई स्कीमों के लिए परिव्ययों की उपलब्धता के प्रश्न पर इसके बाद विचार किया जाएगा।

लेखा बाह्य धन के सम्बन्ध में गुजरात में पकड़ा गया जालसाजी गुट

4719. **श्री अदिचन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग (गुजरात मंडल) ने हाल में एक बड़ी जालसाजी की योजना का पता लगाया है जिसमें जाली शब्द पहली प्रतियोगिताओं के माध्यम से बड़ी मात्रा में लेखा बाह्य धन को वैध राशि में बदला गया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी और जालसाजी का पता लगाने के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) जी, हाँ।

(ख) जाँच-पड़ताल अभी चल रही है, इसलिए इस समय ब्यौरे देना सम्भव नहीं है।

(ग) आयकर विभाग का गुप्त सूचना पक्ष ऐसे जालचक्रों का पता लगाने के काम में लगातार लगा हुआ है।

संसद सदस्यों और सरकारी कर्मचारियों के वेतनों पर कर

4720. **श्री अदिचन :** क्या **वित्त** मंत्री 21 जुलाई 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 51 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक विशेष अधिसूचना के अन्तर्गत संसद सदस्यों के वेतन की अन्य साधनों से आय माना गया है तथा उस पर सरकारी कर्मचारी तथा वेतन पाने वाले अन्य व्यक्तियों की आय की तरह कर नहीं लगाया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बात को देखते हुए कि जन साधारण की आय वास्तविक मूल्य अथवा क्रय शक्ति में नहीं तो धन के रूप में बढ़ गई है, क्या सरकार कर-योग्य आय की न्यूनतम सीमा को बढ़ाने की बूथलिंगम समिति की सिफारिश पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी):

(क) जी, नहीं। शीर्ष "वेतनों" के रूप आय का कर-निर्धारण होने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत एक आवश्यक शर्त यह है कि वेतन प्राप्त करने वाला व्यक्ति वेतन देने वाले का कर्मचारी होना चाहिये। यद्यपि संसद्-सदस्य "संसद सदस्य-वेतन तथा भत्ते अधिनियम 1954" के अन्तर्गत 500 रुपए प्रतिमाह वेतन प्राप्त करते हैं, तथापि संसद सदस्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। तदनुसार, संसद्-सदस्यों द्वारा प्राप्त वेतन धारा 15 के अन्तर्गत 'वेतन' से आय के रूप में कर-निर्धारण योग्य नहीं है, उसका कर-निर्धारण धारा 56 के अन्तर्गत "अन्य स्रोतों" से प्राप्त आय के रूप में होना होता है।

कानून के मुताबिक स्थिति ऊपर कहे अनुसार होने से संसद सदस्यों को मिलने वाले वेतन में से स्रोत पर कर की कोई कटौती नहीं की जाती है क्योंकि आयकर अधिनियम के अध्याय XVII-ख में स्रोत पर की जाने वाली कर की कटौती के संबंध में दिए गए उपबंध ऐसी अदायगियों पर लागू नहीं होते जिनका कर-निर्धारण "अन्य स्रोत" शीर्ष के अन्तर्गत होना है।

(ख) ऊपर भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए यह सवाल नहीं उठता।

(ग) आयकर से छूट की सीमा को बढ़ाने के सवाल पर वित्त विधेयक 1968 के समय और फिर अप्रैल 1969 में विचार किया गया था। 4,000 रुपए की वर्तमान छूट-सीमा हमारे देश की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय औसत-आय की लगभग सात गुना है। इसको देखते हुए तथा हमारे

विकास संबंधी कार्यक्रमों के लिए साधनों की आवश्यकताओं को देखते हुए, सरकार ने फैसला किया कि छूट-सीमा को बढ़ाना संभव नहीं है।

मँहगाई भत्ते को वेतन में मिलाना

4721. **श्री अदिचन :** **श्री शारदानन्द :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने मँहगाई भत्ते तथा मकान किरायों के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में मँहगाई भत्ते के एक भाग को मिलाने के पश्चात् यथापूर्व स्थिति को लाने के लिये 1 अगस्त 1969 को अथवा बाद में समयोपरि भत्ता तथा मकान किराया भत्ता के भुगतान के लिये तथा मँहगाई वेतन सहित बिना रसीद प्रस्तुत किए 625 रुपए तक किराया देने के लिये अधिकतम वेतन सीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में लिये गए निर्णय का ठीक-ठीक ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में यथापूर्व स्थिति न लाने के क्या कारण हैं ;

वित्त मंत्रालय मे राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) और (ख) सरकारी आदेश जारी कर दिए गए हैं जिनके अनुसार 1 अगस्त 1969 से अतिरिक्त समय का भत्ता पाने योग्य-सीमा को मँहगाई, वेतन मिलाकर, 499 रु० से बढ़ा कर 619 रु० कर दिया गया है। परन्तु, किराया अदा करने की रसीद पेश किए बिना मकान किराया भत्ता पाने योग्य वेतन-सीमा को नहीं बढ़ाया गया है।

(ग) मँहगाई भत्ते के एक अंश को वेतन के रूप में मान लेने के निर्णय से, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता पाने के हक में कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि मकान किराया भत्ते की देयता पहले जसी दरों पर जारी है। अब केवल 391–500 रु० के वेतन-खण्ड के कर्मचारियों को उच्चतर वेतन-खण्डों के कर्मचारियों के समान रसीद पेश करनी होगी। मकान किराया भत्ता राज-सहायता के रूप में होता है इसलिये उसको दरअसल अदा किए गए किराये से सम्बद्ध करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

"सोहामिन-जी" औषिधी

4722. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान "हिन्दू" के 24 जलाई 1969 के अंक में "लाल फीताशाही के कारण जीवन बचाने वाली औषधियाँ सप्लाई करने में देरी"-"(रेड टेपइज्म डिलेज सप्लाई ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग)" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि 8 महीने की अत्यधिक देरी के कारण आन्तों की बीमारी से पीड़ित एक 17 वर्षीय रोगी को आगे उपचार कराने के लिये अमरीका जाना पड़ा;

(ग) इस बीमारी के लिए आवश्यक विशेष रूप से तैयार किए जाने वाला अपनी किस्म का एक ही नाड़ी में लगाये जाने वाला "सोहामिन-जी" इंजेक्शन भारत में उपलब्ध नहीं है; और

(घ) यदि उपर्युक्त बात सही है तो प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है तकि जहाँ जीवन और मृत्यु का प्रश्न हो तो लालफीताशाही को कम से कम कर दिया जाये ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी हाँ।

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। औषधि देने में केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठन की ओर से कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

(ग) "सोहामिन–जी" पर कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है। यह वस्तु भारत में उपलब्ध नहीं है।

(घ) केन्द्रीय औषध नियंत्रण विभाग ने बन्दरगाहों पर लगे अपने अधिकारियों को अनुदेश दे दिए हैं कि वे व्यक्तिगत प्रयोग के लिये आयात की गई औषधियों को शीघ्र छोड़ दें। आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति इन विनियमों के अधीन एक बार में 200 रुपए तक के मूल्य की औषधियाँ बिना लाइसेंस के आयात कर सकता है।

खेतरी ताँबा परियोजना

4723. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खेतरी ताँबा परियोजना के लिए अब तक कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नहीं बनाई गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसकी तकनीकी व्यवहार्यता का संभव अध्ययन केवल इस परियोजना के अमरीकी परामर्शदाता द्वारा ही किया गया और वह भी अब पुराना पड़ गया है;

(ग) क्या हिन्दुस्तान कॉपर कारपोरेशन ने उपर्युक्त व्यवहार्यता रिपोर्ट पर विश्वास करके विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के बिना ही व्यापक लागत प्राक्कलन तथा लाभ विश्लेषण तैयार कर दिया;

(घ) क्या ऊपर तैयार किए गए लागत प्राक्कलन के हिसाब से परियोजना का लागत 1965 के 21 करोड़ रुपए अनुमानित लागत के विरुद्ध 85 करोड़ रुपए बैठती है तथा लागत प्राक्कलन सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा नहीं जाँचे गए लेकिन उनका वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है; और

(ङ) क्या सरकार अब निगम की सबसे ऊपरी प्रबन्ध व्यवस्था में परिवर्तन करने के बारे में विचार कर रही है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव):

(क) से (ग) खेतड़ी ताँबा प्रायोजना जिस रूप में मूलता सोची गई थी उसके लिये परामर्शदाताओं—मैसर्स वैस्टर्न नेप इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा एक प्रायोजना सम्भाव्यता रिपोर्ट

तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट खेतड़ी खानों से प्रतिवर्ष 21,000 मैट्रिक टन ताँबा धातु का उत्पादन करने के लिये थी। इसके पश्चात्, प्रति वर्ष 31,000 मैट्रिक टन इलैक्ट्रोलाइटिक श्रेणी के ताँबे तथा लगभग 600 मैट्रिक टन सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन करने के लिये स्फुरण प्रद्रावण प्रक्रिया अपना कर अयस्क में से गन्धक गुणों को प्राप्त करने के विचार से निकट पड़ने वाले कोलिहान के ताँबा निक्षेपों का भी विकास सम्मिलित करने के लिये प्रायोजना के उद्देश्य में वृद्धि की गई। एसिड का उपयोग ट्रिपल सुपरफास्फेट उर्वरक के उत्पादन के लिये किया जाना है।

प्रायोजना का संवर्धित उद्देश्य सरकार द्वारा 1966 में अनुमोदित किया गया था और प्रायोजना के लिये विस्तृत लागत अनुमानों के तैयार किए जाने तक खर्चे की अलग-अलग मदों के लिये उचित संवीक्षा के पश्चात् मंजूरी दी जा रही थी। इंजीनियरिंग सेवाओं के संबंध में एक नए संविदा के लिये भी बातचीत की गई तथा फ्रांसीसी कम्पनियों के एक समूह के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए। फ्रांसीसी समूह आयातित उपकरण सप्लाई करेगा तथा उनकी निष्पन्नता की प्रत्याभूतियाँ देगा। तथापि, खेतड़ी ताँबा क्षेत्र के लिये विस्तृत लागत अनुमान कोलिहान खान के विकास को सम्मिलित कर अब सरकार द्वारा अनुमोदित हो चुके हैं। एसिड तथा उर्वरक संयंत्र के लिये विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

हालाँकि, प्रायोजना के उद्देश्य से सम्वर्धन करने के अमरीकी परामर्शदाताओं द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पुरानी हो गई, फिर भी प्रक्रिया-प्रवाह पत्र, उपकरणों के ब्यौरे आदि के लिये यह अभी भी एक उपयोगी दस्तावेज है। फ्रांसीसी समूह ने भी एक विस्तृत तकनीकी तथा सामान्य रिपोर्ट तैयार की है।

अनुमानों तथा लाभप्रदता का आधार अब तक प्राप्त अनुभव तथा फ्रांसीसी समूह से प्राप्त तकनीकी आधार सामग्री तथा निवेदित दरें हैं।

(घ) केवल 21,000 मैट्रिक टन ताँबे के उत्पादन के लिये मूलत: सोची गई खेतड़ी ताँबा प्रायोजना के लिये 25 करोड़ रुपए के अनुमान की तुलना से संवर्धित उद्योग समूह के लिये परिशोधित लागत अनुमान 89 करोड़ रुपए है। परिशोधित अनुमानों की प्रशासकीय मंत्रालय में और फिर वित्त मंत्रालय में संवीक्षा की गई थी। इसके पश्चात् मंत्री ने अनुमानों को अनुमोदित किया और जब मंत्रीमण्डल की मूल्यों, उत्पादन तथा निर्यात विषयक समिति का भी अनुमोदन प्राप्त किया गया।

(ङ) इस सूचना को प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं है।

महाराष्ट्र में बिजली की भारी कमी

4724. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सूचित कर दिया है कि आगामी पाँच वर्षों में महाराष्ट्र में बिजली की भारी कमी होगी और इसका उद्योग तथा कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में विद्युत् परियोजनाओं के निर्माण तथा विकास के लिए और अधिक धन माँगा है; और

(ग) यदि हाँ तो उस संबंध में सरकार का क्या निर्णय है?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद):

(क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम द्वारा बसन्त प्रतियोगिता का आयोजन

4725. **श्री तुलसी दास यादव:** क्या **वित्त** मंत्री 5 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8455 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बसन्त प्रतियोगिता तथा अन्तिम अवधि (लॉस्ट लैप) प्रतियोगिता के विजेताओं की सूचियाँ इस बीच तैयार कर ली गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनकी एक-एक प्रतिलिपि, जिसमें विजेताओं के शाखावार तथा डिवीजनवार नाम दिए हुए हों, सभा-पटल पर रखी जायेगी;

(ग) क्या डिवीजन शाखा ने सम्बन्धित व्यक्तियों को बता दिया है कि उपर्युक्त प्रतियोगिताओं में उनकी क्या स्थिति है; और

(घ) यदि नहीं, तो सम्बन्धित व्यक्तियों की उनकी स्थिति की सूचना देने में कितना समय लगने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया):

(क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और इकट्ठी होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

भारतीय तेल निगम द्वारा ग्राहकों के विरुद्ध दायर किये गये मुकदमे

4726. **श्री अब्दुल गनी दार:** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 15 जून, 1969 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में भारतीय तेल निगम ने अपनी लेय बकाया राशियों के लिये किन्हीं गैर सरकारी ग्राहकों के विरुद्ध कोई मुकदमे दिए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इन ग्राहकों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध कितनी-कितनी राशि के दावे किए गए थे और इसके क्या परिणाम निकले और उन पर कितना खर्च हुआ है और इस तरह कितनी राशि प्राप्त हुई है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण):

(क) और (ख) यह प्रश्न निगम के दैनिक कार्यकरण की सीमा के अन्तर्गत है।

सम्पदा-निदेशक, दिल्ली के विरुद्ध शिकायतें

4727. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सम्पदा निदेशक, नई दिल्ली के विरुद्ध 1966 से लेकर 31 जुलाई, 1969 तक (एक), दिल्ली में सरकारी स्थानों पर वैध तथा अवैध रूप से कब्जा जमाये हुए व्यक्तियों को वैकल्पिक स्थान न देने (दो), चल सम्पत्ति न लौटाने (तीन), सम्पदा निदेशक, नई दिल्ली के कब्जे में चल-सम्पत्ति की चोरी तथा (चार), मालिकों को न लौटाई गई चल-सम्पत्ति के मुआवजे के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) इस मामले में यदि कोई कार्यवाही की गई हैं तो वह क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) (i) जब सामान्य मूल के निवास स्थान को गिराने अथवा किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता होती है तो सरकारी क्वार्टरों के प्राधिकृत दखलकारों को वैकल्पिक वास दे दिया जाता है तथा उन सरकारी कर्मचारियों के द्वारा शिकायत का प्रश्न ही नहीं उठता।

अनिधकृत दखलकारों को आवंटन का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ऐसे दखलकार चूककर्ता (डिफाल्टर्स) समझे जाते हैं।

(क) (ii) तथा (iii)

सम्पदा निदेशालय की सुपुर्दगी में चल संपत्ति के पुर्नस्थापन तथा चोरी के विषय में दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं। एक मामले में शिकायतकर्ता को यह सूचित कर दिया गया था कि पुलिस तथा पदस्थ साक्षी की उपस्थिति में हटाये गए सामान की फेहरिस्त बनाते समय तथा कथित गुम हुआ सामान परिसर में नहीं मिला था। परिसर में प्राप्त हुआ सारा सामान उन्हें लौटाया जा चुका है तथा उसकी वैध रसीद ले ली गयी है।

दूसरे मामले में शिकायत-कर्ता से कहा गया है कि संपदा-निदेशालय के नियंत्रण के अंतर्गत परिसर से उसकी, बेदखली के फलस्वरूप संपदा-निदेशालय के द्वारा जब्त की जा चुकी संपत्ति के तथाकथित हानि के लिये मध्यस्थ की नियुक्ति कर ली जाये। इस मामले में बार बार नोटिस दिए जाने पर भी शिकायतकर्ता ने संपत्ति नहीं ली तथा उस संपत्ति को पुलिस एक्ट, 1861 के उपबन्धों के अनुसार समाचारपत्र में अधिसूचना (नोटिस) प्रकाशित कर देने के बाद लावारिस घोषित कर दी गयी थी तथा पुलिस को सौंप दी गयी। उनके अभ्यावेदनों पर विचार किया गया तथा उन्हें निरर्थक एवं झूठ पाया गया और उन्हें अस्वीकार कर दिया गया।

(क) iv

संपदा निदेशालय की सुपुर्दगी में चल-संपत्ति की कोई चोरी नहीं हुई तथा उसके स्वामी को मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर में स्थिति बताई जा चुकी है।

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम

4728. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में ऐसे मामलों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है जिनमें मालिक मकानों का उद्देश्य अपने किरायेदारों को परेशान करना, यहाँ तक कि उनको मारपीट कर अपने घरों को खाली कराने का है;

(ख) क्या किरायेदारों से अधिक किराया लेने के लिये मकान मालिकों द्वारा ऐसा किया जाता है;

(ग) क्या वर्तमान दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम मालिक मकानों के ऐसे कृत्यों के विरुद्ध किरायेदारों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा करता है; और

(घ) मालिक मकानों द्वारा जानबूझ कर परेशान किए जाने के विरुद्ध किरायेदारों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, (श्री ब० सु० मूर्ति) :

(क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट की एक व्यापक समीक्षा सरकार के द्वारा की जा रही है।

लिफ्ट चालकों (ड्राइवरों) के वेतन-मानों का पुनरीक्षण

4729. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के लिफ्ट चालकों (ड्राइवरों) के वेतन-मानों में कब पुनरीक्षण किया गया था;

(ख) क्या उनके वेतन-मानों को आगे और पुनरीक्षित करने के बारे में उनके कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या समय-समय पर उनको दिए गए अभ्यावेदनों में वर्णित लिफ्ट ड्राइवरों की शिकायतों को दूर करने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) कार्यप्रभारित सिब्बन्दी के लिफ्ट एटेंडेन्टों (लिफ्ट आपरेटर्स/ड्राइवर्स) को वेतनमान 1 अप्रैल, 1962 से पुनरीक्षित करके 75-1-85 ई० बी०-2-95 रुपए से 75-1-85-ई० बी 2-95-3 101-ई० बी० 3-110 दिया था। नियमित स्थापना में इस पद के वेतनमान को भी 1 जुलाई, 1964 से 75-1-85 ई० बी०-2-95 रुपए से 75-1-85 ई० बी०-2-95-3-101-ई० बी०-3-110 रुपए पुनरीक्षित कर दिया था।

(ख) जी, हाँ।

(ग) जी नहीं। क्योंकि लिफ्ट आपरेटर्स का पद केवल अर्ध-कुशल श्रेणी का है, अतएव 75–110 रुपयों के वेतनमान को पर्याप्त समझा जाता है।

संसद तथा मंत्रालयों के प्रकाशनों की गैर-सरकारी छापाखाना में छपाई

4730. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संसद् तथा दूसरे मंत्रालयों का कितना काम गैर-सरकारी छापाखानों में छापा जाता है;

(ख) यह काम गैर-सरकारी छापाखानों में क्यों छापा जाता है;

(ग) क्या संसद का काम गैर-सरकारी छापाखानों में पहले भी छापा जाता था अथवा यह काम हाल ही में आरम्भ हुआ है; यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) गत पाँच वर्षों में भारत सरकार के मुद्रणालय में लाइनो/मोनो चालकों ने कितना काम किया;

(ङ) यदि काम कम किया गया है, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) 1964–65 में गैर-सरकारी छापाखानों में 122 लाख रुपए की लागत से (परीक्षित आँकड़ों के अनुसार) सरकारी काम की छपाई कराई गई। यह कुल काम का लगभग 28 प्रतिशत है ।

(ख) और (ग) संसद् सम्बन्धी कार्य की छपाई 1968 से गैर-सरकारी छापाखानों द्वारा आरम्भ की गई है। इसका कारण यह है कि सरकारी छापाखानों में उपलब्ध छपाई की क्षमता उच्च प्राथमिकता पर किए जाने वाले अपेक्षित कार्य की बढ़ती हुई कम मात्रा को करने के लिए अपर्याप्त है।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(च) नेशनल प्रोडक्टिविटी कौंसिल ने भारत सरकार के एक मुद्रणालय में उत्पादन प्रतिमान का एक पुनरीक्षण किया है। कौंसिल की रिपोर्ट जाँच अधीन है।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में रोगियों से दुर्व्यवहार

4731. **श्री अ० दीपा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के नेत्र विज्ञान सम्बन्धी आर० पी० केन्द्र में आने वाले रोगियों से राष्ट्रीय फोरम के लिए, जो कि एक वरिष्ठ प्रोफेसर द्वारा चलाया जा रहा है, बलात् चन्दा लिया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रोगियों को इस फोरम का जबरदस्ती सदस्य बनाया जाता है और जो अस्वीकार करते हैं, उनका उचित इलाज नहीं होता है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस प्रोफेसर का नाम क्या है जो कि इसका अध्यक्ष है और सरकार का उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय फोरम, सोसाइटी अधियिम, 1860, के अन्तर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी है और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसी कोई घटना ध्यान में नहीं आई है जिसमें राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र में आने वाले किसी रोगी को फोरम का सदस्य बनने के लिए अथवा इसका चन्दा देने के लिए बाध्य किया गया हो।

(ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नेत्र विज्ञान के प्रोफेसर डा० एल० पी० अग्रवाल, भारतीय राष्ट्रीय फोरम के महासचिव हैं। संस्थान का कर्मचारी होने के नाते उपयुक्त प्रमाण मिलने पर संस्थान द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार किया जा सकता है।

चौथी योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

4732. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्यक्रमों को पूरा करने में विलम्ब मूल विनियोजन, अनुमानों में भारी वृद्धि, अधिष्ठापित क्षमता से कम उत्पादन तथा नकद घाटे को पूरा करने के लिए सरकार के बजट से सहायता पर निर्भरता के बारे में चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की उपपत्तियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किये जायेंगे;

(ख) यदि इसके लिए अधिकार दिया जाना आवश्यक था तो हाल ही में क्या अधिकार दिये गये हैं;

(ग) क्या व्यावसायिक प्रबन्धकों ने अच्छे परिणाम दिखाये हैं; और यदि हाँ, तो इससे पहले उच्चाधिकारियों की यदि प्रबन्ध व्यवस्था ठीक नहीं थी, तो किस स्तर पर; और

(घ) क्या सरकारी उपक्रमों की गैर-सरकारी उपक्रमों के साथ बिक्री में प्रतियोगिता न होने से, मूल्य कम नहीं होंगे तथा लागत बढ़ेगी, जो पहले ही बहुत अधिक है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) सरकार ने प्रायोजना-लागत को नियन्त्रित करने के लिए और सरकारी उपक्रमों के कार्य में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(i) योजना आयोग द्वारा प्रायोजनाओं का उपयुक्त सम्भाव्यता-अध्ययन करने के प्रयोजन के लिए विशेष रूप से तैयार की गयी पुस्तिका में जो मार्गदर्शक सिद्धान्त दिये गये हैं उनके आधार पर ऐसा अध्ययन करने की जरूरत के सम्बन्ध में हिदायतें जारी की गयी हैं। इसके लिए माँग के स्वरूप, प्रतियोगितात्मक स्थिति, तकनीकी आधारभूत सामग्री, प्रायोजना-स्थल सम्बन्धी लाभ, पूंजीगत लागत, अनुमान, विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं, संचालन लागत और लाभकारिता तथा निवेश से होने वाले लाभ के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है।

(ii) उपक्रमों को अपने उत्पादन में विविधता लाने और अपने निर्यात-प्रयत्नों में वृद्धि करने के लिए कहा गया है ताकि स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग हो सके।

(iii) जिन मामलों में, आय-व्यय लेखे का घाटा सरकार को पूरा करना हो, उनमें उपक्रमों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने आय-व्यय के बजट सरकार को प्रस्तुत करें ताकि सरकार अपनी मंजूरी देने से पहले उनकी विस्तृत जाँच कर ले।

(ख) उपक्रमों की शक्तियों में निम्नलिखित रूप से वृद्धि की गयी है :—

(i) विशिष्ट सीमाओं के अन्दर, पूंजीगत व्यय की मंजूरी उपक्रम के बोर्ड द्वारा, सरकार को पूछे बिना दी जा सकती है। जिन मामलों में विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट सरकार द्वारा मंजूर की जा चुकी हों, उसमें पंजीगत लागत के अनुमानों में 10 प्रतिशत तक फेरबदल करने की मंजूरी सीधे बोर्ड द्वारा दी जा सकती है।

(ii) उन मामलों को छोड़ कर, जिनमें सरकार के लिए आय-व्यय लेखे के घाटे की पूर्ति करना जरूरी है, उपक्रमों के लिए यह जरूरी नहीं है कि वे अपने आय-व्यय के बजट सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने के लिए पेश करें।

(iii) यदि उपक्रमों के पास पर्याप्त आन्तरिक साधन हों तो वे अपने विस्तार कार्यक्रमों के लिए वित्तीय संस्थाओं से धन प्राप्त करने के लिए सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

(iv) उपक्रमों को बोर्ड के स्तर से नीचे के स्तर के पदों का निर्माण करने और उन पदों पर नियुक्तियाँ करने का अधिकार दिया गया है, चाहे उन पदों का वेतन कितना ही क्यों न हो? इसी प्रकार, वित्तीय सलाहकारों की नियुक्ति भी बोर्डों द्वारा की जा सकती है।

(v) सेवा की शर्तों, जैसे वेतन भत्तों आदि का निर्धारण करने में अधिक उदारता बरती जाती है।

(ग) सरकार उच्च प्रबन्धक के पदों पर सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के उचित निपुणता वाले तथा अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति करती है जो उद्यमों के कार्य के लिए पूरी तौर से उत्तरदायी हैं और सरकार "व्यावसायिक" और "अन्य" प्रबन्धकों में भेद नहीं करती।

(घ) सरकार का इस दिशा में प्रयास अधिक से अधिक क्षमता का प्रयोग करने का होता है जिससे कार्यक्षमता में वृद्धि हो और लागत में कमी हो। इससे प्रतियोगिता पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

श्री मूंदड़ा का विदेशी बैंकों में रुपया

4733. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक के लेखे के हिसाब से श्री हरिदास मूंदड़ा का विदेशी बैंकों में कुल कितना रुपया है;

(ख) क्या सरकार को श्री हरिदास मूंदड़ा तथा ब्रिटेन में स्थित उनकी कम्पनियों के बीच विदेशी मुद्रा के आदान-प्रदान की कोई जानकारी प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) श्री हरिदास डी० मूंदड़ा ने भारतीय रिजर्व बैंक को विदेशी बैंकों में अपने किसी खाते की सूचना नहीं दी है।

(ख) और (ग) विदेशी मुद्रा सम्बन्धी लेन-देनों के बारे में कुछ सूचना मिली है और इस सम्बन्ध में प्रवर्तन निदेशालय छान-बीन कर रहा है ।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय फिल्में

4734. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** **श्री जय सिंह :**
श्री हरदयाल देवगुण : **श्री हेम बरुआ :***
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापारिक सम्बन्ध नहीं है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि कुछ भारतीय फिल्में दक्षिण अफ्रीका पहुँच गई हैं, यदि हाँ, तो सरकार को तस्करी के कारण कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई;

(ग) क्या इस मामले की जाँच की गई है कि ये फिल्में, वहाँ पर कैसे पहुँची और क्या फिल्मी लोगों ने अपने खातों में इस आय को दिखाया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) से (घ) भारत से दक्षिण अफ्रीका को भारतीय फिल्मों के सीधे निर्यात के किसी मामले का पता नहीं चला है । ऐसी सूचना मिली है कि तृतीय देशों को निर्यात की गयी कुछ भारतीय फिल्में दक्षिण अफ्रीका को भेजी जाती हैं परन्तु ऐसे मामलों में कार्यवाही केवल तब की जा सकती है जब यह सिद्ध किया जा सके कि इस प्रकार भेजी गयी फिल्मों से कोई भारतीय निर्यात-कर्ता सम्बन्धित था । तृतीय देशों को निर्यात की गयी फिल्मों का दक्षिण अफ्रीका भेजे जाने का कोई मामला अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है ।

दिल्ली में विदेशी स्वयं सेवक

4735. **श्री क० लकप्पा :** **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन और / अथवा केन्द्रीय सरकार की अनुमति से दिल्ली में काम करने वाले विदेशों के स्वयंसेवियों के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) सरकार की जानकारी और अनुमति के बिना काम करने वाले स्वयंसेवियों के नाम क्या हैं; और

(ग) बैंकों के माध्यम से इनके द्वारा उपयोग में लाई गई धनराशियों का ब्यौरा क्या है और 1968-69 (अप्रैल से मार्च) में कितनी राशि का उपयोग किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) दस एक विवरण संलग्न है, जिसमें उन स्वयंसेविकों के नाम और उनके देशों के नाम दिये गये हैं ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) इन स्वयंसेवकों में से नौ स्वयंसेवक अपने मूल संगठनों के स्थानीय कार्यालयों में काम कर रहे हैं । दसवाँ स्वयं सेवक परिवार नियोजन विभाग में सांख्यिक (स्टेस्टीशियन) के रूप में काम कर रहा है । इन स्वयंसेवकों द्वारा किसी धनराशि के उपयोग का सवाल पैदा ही नहीं होता। उनकी अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा का खर्च और उनके स्थानीय रहन-सहन का भत्ता मूल संगठनों द्वारा दिया जाता है ।

विवरण

दिल्ली में काम कर रहे विदेशी स्वयं-सेवक

क्रम-संख्या	नाम	देश
1.	कुमारी एस. एल. टेरिहसा	अमेरिका
2.	श्री एच. आर. स्वीट	"
3.	" तदाशी वाटनावे	जापान
4.	" के. क्यूजी ताकाहाशी	"
5.	" हिदेयूकी अयूजावा	"
6.	कुमारी एन. एन. ए. मेरी ल्यूस	जर्मनी
7.	" एम. बी. नाहेरदीन	"
8.	" एन. थेरेसिया	"
9.	श्रीमती एरिका सिह	"
10.	श्री चार्ल्स डेनियल जार्ज	कनाडा

ट्राम्बे उर्वरक कारखाने की कमियों के बारे में जाँच

4736. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केमिकल कन्सट्रक्शन कम्पनी, जिसने ट्राम्बे में एमोनिया का कारखाना स्थापित किया है, के उपाध्यक्ष मि० कार्ल पेटरसन ने सरकार से अनुरोध किया है कि ट्राम्बे उर्वरक कारखाने की कमियों के बारे में पूरी तरह जाँच कराई जाये;

(ख) क्या इस कारखाने की वर्तमान कमियों के बारे में मि० पेटरसन ने पता लगाया है;

(ग) क्या उन्होंने इस कारखाने में संरचनात्मक डिजायन सम्बन्धी कुछ खराबी बताई है जिनके कारण सरकार को घाटा हो रहा है; और

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त सुझाव को क्रियान्वित करने का है और यदि हाँ,तो इसमें कब और किसके द्वारा जाँच की जायेगी ?

पैट्रौलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) :

(क) से (घ) सरकारी उपक्रमों (1968–69) (चौथी लोक-सभा) की समिति ने अपनी छब्बीसवीं रिपोर्ट में, जो संसद् में 12 मार्च, 1969 को पेश की गयी थी, ट्राम्बे उर्वरक कारखाने के कार्यकरण तथा भारतीय उर्वरक निगम और मेसर्स केमीकल कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन के बीच हुए करार की जाँच तथा साथ-साथ आलोचना की।

अमरीका के केमीकल कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन के उप-प्रधान, मिस्टर कर्ल पेटर्सन, 8 मई, 1969 को पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री को मिले थे तथा वह उन्हें कुछ कागजात सौंपे गये थे, जिसमें ट्राम्बे उर्वरक कारखाने के कार्यकरण और भारतीय उर्वरक निगम तथा केमीकल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के बीच हुए करार पर हुई टिप्पणी के बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये थे ।

सरकारी उपक्रमों की समिति द्वारा सिफारिश किये गये कुछ मामलों पर जाँच करने के लिए सरकार ने कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट, 1952 के अन्तर्गत एक एकाकी सदस्य आयोग की स्थापना की है जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त जज हैं ।

Civic Amenities for Jhuggi/Pavement Dwellers in Delhi

4737. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Sri Om Prakash Tyagi :**
Shri J. Sundar Lal : **Shri Narain Swarup Sharma :**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the number of Jhuggi-dwellers and of those persons who sleep on the pavements in Delhi ;

(b) if so, their number, separately ;

(c) the number of lavatories constructed by Government for the use of the aforesaid persons keeping in view of their number ;

(d) whether Government are satisfied with the arrangements made by them in this regard ; and

(e) if not, the improvments proposed to be made by Government in regard, thereeto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) and (b) According to an estimate made by a Study Group in June, 1967, there were about 100,000 families of Jhuggi-dwellers squatting on public lands in Delhi. Of these about 22,000 families had been rehabilitated under the Jhuggi and Jhopri Removal Scheme upto 28th February, 1969, leaving a balance ofabout 78,000 families.

According to a survey conducted by Delhi Administration in January, 1966, about 5,000 persons were found sleeping on pavements in Delhi.

(c) to (e) The Municipal Corporation of Delhi and the New Municipal Committee have provided a number of latrine seats in the bigger jhuggis jhopris clusters. Efforts are also being made by them to improve the facilities to the extent possible within the financial recources available.

Remittance of Money by Indians Settled Abroad

4738. **Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Om Prkash Tyagi :**
Shri J. Sunder Lal : Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Pakistan has provided certain facilities to Pakistani citizens in foreign countries for remitting money through legal channels instead of adopting irregular means because of which Pakistan is getting large amount of foreign exchange ;

(b) if so, whether Government of India would also consider the question of providing similar facilities to the Indians settled in foreign countries ; and

(c) if so, the nature thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) :

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) Government consider tha thet adoption of such a scheme will not be of advantage in the Indian context.

Hospitals for Rural Areas

4739. **Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri J. Sunder Lal : Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to open big hospitals in rural areas like those in towns and cities ;

(b) If so, the number of such hospitals opened so far ; and

(c) the number of new hospitals proposed to be opened in the rual areas during the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Uraban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) to (c) A scheme for the establishment of two rural hospitals during the Fourth Five Year Plan is under consideration.

Resarch Laboratories for Ayurveda

4740. **Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Om Prkash Tyagi :**
Shri J. Sundar Lal : Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state ;

(a) whether Government have provided an opportunity to the Ayurveda system of medicine like the Allopathic system of medicine for carrying out experiments and research on chronic diseases ;

(b) if so, the location of such laboratories ; and

(c) the expenditure being incurred thereon per annum ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) Clinical Research and Drugs Research in the Ayurveda System of Mecicine is undertaken in a number of Institutes. These researches cover not only chronic diseases but also various aspects of Ayurveda.

(b) and (c) A statement is laid on the Table of the House. **[Pleaced in Library. See No. LT—1809/69].**

Accounts Maintained Abroad :

4741. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Suraj Bhan :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Jaggannath Rao Joshi :**
Shri Ranjeet Singh : **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of money deposited by Indian citizens and institutions in foreign countries ; and

(b) the names of the persons and institutions who have deposited Rs. 10,000 or more in the foreign country and the sources from where and the manner in which they got the amount ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) :

(a) and (b) Necessary informtion as at the end of December, 1968 is being collected and a statement will be laid on the Table of the House. These generally relate to earnings or approved borrowings abroad as no remittance is allowed from India for merely opening accounts abroad or for feeding them.

Pending Pension Cases

4742. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Suraj Bhan :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Jagnnath Rao Joshi :**
Shri Ranjeet Singh : **Shri Brij Bhushan Lal :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that more than 2325 pension cases were lying uptil May, 1969 for more than one year ;

(b) if so, when these are likely to be decided ;

(c) whether Government propose to take some steps to ensure disposal of pension cases within one year ; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) :

(a) The up-to-date information is not readily available and as such it is not possible to confirm or deny the figure.

(b) Since the pension sanctioning authorities are spread all over the country, it is not possible to lay down any time schedule for settlement of the pending pension cases.

(c) and (d The question of removal of procedural and other difficulties in the way of sanctioning pensions is constantly under review and improvements have been and are being carrid out from time to time.

Construction of Two-Room Quarters for Central Government Employees in Delhi

4743. **Shi Ram Gopal Shalwale :** **Shri Suraj Bhan :**
Shi Atal Bihari Vajpayee : **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Ranjeet Singh : **Shri Brij Bhushan Lal :**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question no. 1532 on the 3rd March, 1969 and state the number of two-room quarters proposed to be constructed and actually constructed during the said three years respectively for Central Government employees in Delhi with their localities ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

No sanction for the construction of two-roomed quarters was accorded during the three years, 1965-66, 1966-67 and 1967-68.

The following two-room quarters were, however, constructed/completed during the three years under reference against sanctions of previous years :—

Year		Type		Locality
1965-66	..	720 Type I	..	DIZ Area.
1966-67	..	1156 Type II (old type)	..	Ramakrishnapuram
1967-68	..	796 Type II (old type)	..	Ramakrishnapuram.
		172 Type III (old type)	..	Ramakrishapuram.

विदेशों के बैंकों में भारतीयों के खाते

4744. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :** **श्री जय सिंह :**

क्या **वित्त** मंत्री 10 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2301 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीयों द्वारा विदेशों के बैंकों में 1220 खातों में जमा कराई गई कुल राशि के बारे में इस बीच सूचना एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) और (ख) यह सूचना इकट्ठी करना सम्भव नहीं हो सका है क्योंकि कई पार्टियों ने आवश्यक सूचना नहीं दी है । इस मामले में आगे कार्यवाही की जा रही है । एक विवरण, जिसमें 31 दिसम्बर, 1968 तक की सूचना दी जायगी, सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

राष्ट्रीय आय के वितरण के बारे में महलनवीस समिति का प्रतिवेदन

4745. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :** **श्री जय सिंह :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल : **श्री प्र० रं० ठाकुर :**

क्या **वित्त** मंत्री 3 मार्च, 1969 के तारांकित प्रश्न सं० 257 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आय के वितरण के बारे में नियुक्त महलनवीस समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) ये सिफारिशें, आँकड़े इकट्ठे करने और उन्हें तैयार करने की व्यवस्था में सुधार करने के बारे में हैं और वर्तमान आँकड़ों में जो अन्तर हैं उनके सम्बन्ध में समिति द्वारा किये गये विचार-विमर्श के सन्दर्भ में इन सिफारिशों पर अभी विचार किया जाना है। समिति की रिपोर्ट छप रही है और उसे संसद् के अगले सत्र में सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

सरकारी उपक्रमों में अधिक वेतन वाले नये पद बनाना

4746. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :** **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री जय सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री 3 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1656 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1964 से अब तक केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मंत्रालयवार 3000 रुपये से अधिक वेतन वाले बनाये गये नये पदों के बारे में जानकारी एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और यह जानकारी कब तक एकत्रित कर ली जायेगी; और

(घ) प्रशासनिक व्यय में कमी करने और वेतन-मानों में संशोधन करने पर लगाये गये प्रतिबन्धों, जो सामान्यतः निम्न पदावलि पर लागू होते हैं, के बारे में सरकार की इच्छा को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा अधिक वेतन वाले नये पदों के बनाने पर रोक न लगाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालव में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) से (ग) सूचना सभी मंत्रालयों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में इकट्ठी की जानी थी । अपेक्षित सूचना कुछ मंत्रालयों / विभागों से अभी भी आनी है । सम्पूर्ण सूचना शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

(घ) वेतन ढाँचे के संशोधन पर रोक सभी स्तरों पर लागू होती है । नवीन पदों के निर्माण पर कोई रोक नहीं है क्योंकि यह व्यवहार्य नहीं है ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञापन संस्था नई दिल्ली का कार्य

4747. **श्री मा० ल सोंधी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के कार्य को मजबूत करने और उसमें सुधार करने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव का स्वरूप और ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) :

(क) और (ख) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था ने अपने कार्य को सुदृढ़ बनाने और उसमें सुधार करने के बारे में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रस्ताव भेजे हैं :—

(एक) नियम तथा विनियम बनाने के मामले में संस्था को अधिक शक्तियाँ देने, शैक्षिक कर्मचारियों को शासी निकाय के साथ सहयोजित करने और अध्यक्ष, निदेशक तथा सांविधिक समितियों को और अधिक वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियाँ देने के विचार से संस्था सम्बन्धी अधिनियम, नियमों तथा विनियमों में संशोधन । इन संशोधनों पर सरकार इस समय विचार कर रही है; और

(दो) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में संस्था के क्रियाकलापों का विकास तथा विस्तार । इस संस्था के लिए योजना में 300 लाख रुपये की व्यवस्था करने की मंजूरी दी गई है ।

किदवई नगर, नई दिल्ली के निवासियों की दुर्दशा

4748. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किदवई नगर, नई दिल्ली के निवासियों ने शिकायत की है कि वर्षा ऋतु में उनकी बस्ती की बहुत दुर्दशा रहती है;

(ख) क्या उक्त बस्ती की बागवानी विभाग द्वारा उपेक्षा की गई है और इस बस्ती के क्षेत्राविकास के बारे में नई दिल्ली नगरपालिका में विवाद है; और

(ग) किदवई नगर में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को उपयुक्त सुविधाएँ देने के बारे में तैयार की जाने वाली योजना का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) :

(क) जी हाँ ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) रसोई से कूड़ा-कचरा निकालने के लिए भूमि-गत अतिरिक्त नालियों की व्यवस्था का कार्य अभी हाल ही में पूरा हुआ है ।

घास के मैदानों के चारों ओर बरसाती नालियों की व्यवस्था का कार्य लगभग पूरा होने वाला है ।

पाइराइट्स एण्ड केमिकल्स डवलपमैन्ट कम्पनी लिमिटेड

4749. **श्री क० लक्कप्पा :** **श्री ए० श्रीधरन :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाइराइट्स एण्ड कैमीकल्स डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड की अधिकृत और प्रदत्त पूंजी स्थापना के समय कितनी थी और 31 मार्च, 1969 को यह पूंजी कितनी थी;

(ख) 31 मार्च, 1969 तक कम्पनी को ऋण के रूप में कितनी धनराशि सरकार, बैंकों या अन्य पार्टियों से अलग-अलग प्राप्त हुई ;

(ग) कम्पनी ने गत तीन वर्षों से ब्याज के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया;

(घ) गत तीन वर्षों में कम्पनी के काम के क्या परिणाम निकले और यदि उसे कोई लाभ या हानि हुई, तो कितनी; और

(ङ) उसके क्या कारण थे और वर्ष 1969–70 के लिए इसके क्या अनुमान हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) पाइराइट्स एण्ड कैमिकल्स डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (अब पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड) की अधिकृत तथा चुकता पूंजी के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

	अधिकृत पूंजी (रुपये में)	चुकता पूंजी (रुपये में)
1. मार्च 1960 में कम्पनी की स्थापना के समय	5 करोड़	1 लाख
2. 31 मार्च, 1969 के दिन	15 करोड़	5.26 करोड़

(ख) कम्पनी द्वारा 31 मार्च, 1969 तक सरकार से लिए गये ऋणों की राशि 1.09 करोड़ रुपये है । कम्पनी द्वारा बैंकों या अन्य दलों से कोई ऋण नहीं लिया गया है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया गया ।

(घ) और (ङ) कम्पनी ने 1966–67, 1967–68 और 1968–69 वर्षों के दौरान क्रमशः 1,084, 2,506 और 3,862 मीटर खानों का विकास किया । पाइराइट अयस्क का उत्पादन 1968–69 वर्ष में प्रारम्भ हुआ और उस वर्ष के दौरान 19,310 मैट्रिक टन पाइराइट अयस्क का उत्पादन किया गया । चूंकि खानें विकासात्मक अवस्था में थीं और कम्पनी का सारा खर्चा पूंजी में परिणत किया गया था अतः 1966–67 और 1967–68 वर्षों के दौरान लाभ अथवा हानि का प्रश्न नहीं उठता । चूंकि 1968–69 वर्ष के सम्बन्ध में कम्पनी के लेखे अभी तैयार नहीं है अतः इस वर्ष के दौरान लाभ अथवा हानियों के बारे में बताना संभव नहीं है ।

पाइराइट अयस्क का भारतीय उर्वरक निगम के लिये विक्रय मूल्य अभी निश्चित नहीं किया गया है अतः 1969–70 वर्ष में होने वाले संभावित लाभ अथवा हानि के बारे में इस अवस्था में कुछ अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

4750. **श्री क० लकप्पा :** **श्री क० श्रीधरन :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रसेयानी की आरम्भ के समय तथा 31 मार्च, 1969 को अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी क्या थी;

(ख) इस कम्पनी द्वारा 31 मार्च, 1969 तक सरकार, बैंकों तथा अन्य व्यक्तियों इत्यादि से अलग-अलग कितनी धनराशि का ऋण प्राप्त किया गया;

(ग) इस कम्पनी ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज के रूप में कुल कितनी धनराशि अदा की;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कम्पनी का कार्य कैसा रहा तथा इसको कितना लाभ अथवा हानि हुई; और

(ङ) यदि कोई हानि हुई तो उसके क्या कारण हैं; तथा वर्ष 1969-70 के लिए इसके अनुमान क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण):

(क) जब से कम्पनी निगमित हुई है इसकी अधिकृत पूंजी 12 करोड़ रुपये है। 31 मार्च, 1969 को कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 744.19 लाख रुपये थी।

(ख) शून्य।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) परियोजना अभी तक निर्माणावस्था में है। केमिकल्स तथा यूटिलिटीज के अधिकांश संयंत्रों तथा सिविल कार्य के लिये ठेके दे दिये गये हैं और एसेटेनिलाइड प्लांट का निर्माण 31 मार्च, 1969 को पूरा हो गया था। एनिलिन मेटाएमिनोफिनोल तथा बेंजीन हेक्साकलोराइड संयंत्रों से सम्बन्धित संयंत्र तथा उपकरण का मुख्य भाग 31 मार्च, 1969 तक प्राप्त हो गया था।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आयोजना के अन्तर्गत योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के उपयोग में अनियमितताएँ

4751. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में आयोजना के अन्तर्गत योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के उपयोग में कितनी संस्थाओं में राज्यवार अनियमितताएँ पायी गईं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजना के अन्तर्गत योजनाओं के लिए नियत धन का राज्य सरकारों द्वारा गैर-परियोजना कार्यों पर व्यय किये जाने की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) :

(क) और (ख) राज्यों की आयोजनागत योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार सीधे किसी संस्था को सहायता नहीं देती है। राज्यों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहा-

यता की रकम केवल राज्य सरकारों को दी जाती है। चूंकि सहायता की रकम की अन्तिम अदायगी या उसका अन्तिम समायोजन, विकास के विभिन्न शीर्षकों / उपशीर्षकों के अन्तर्गत स्वीकृत परिव्ययों के अनुसार खर्च के परीक्षित आँकड़ों के आधार पर किया जाता है इसलिए आयोजना की रकमों का आयोजना भिन्न उद्देश्यों के लिए खर्च किये जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

विचाराधीन कर-निर्धारण और पुनः निर्धारण सम्बन्धी मामले

4752. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जून, 1969 को कर-निर्धारण और पुनः निर्धारण के कितने ऐसे मामले विचाराधीन थे जिनके बारे में सरकार ने तलाशियाँ लीं और माल जब्त किया;

(ख) क्या यह सच है कि 31 अगस्त, 1968 को 365 ऐसे मामलों पर, जिनके बारे में अप्रैल, 1964 और अगस्त, 1967 के बीच, तलाशियाँ ली गई थीं, अन्तिम निर्णय लेना बाकी था;

(ग) यदि हाँ, तो निर्धारण अधिकारियों द्वारा सामान्य विलम्ब करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या कर-निर्धारण के मामलों पर 3–4 वर्ष तक निर्णय न लेने के कारण निर्धारण अधिकारियों को कोई दण्ड दिया है; और

(ङ) इस असामान्य विलम्ब के लिए वर्ष 1964 से कितने अधिकारियों को दण्डित किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० च० सेठी) :

(क) पाँच सौ तेरह।

(ख) जी हाँ।

(ग) कर-निर्धारणों के पूरा होने में देरी इसलिए हो जाती है कि: न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश दे दिये जाते हैं, कर-निर्धारिती देरी करने और असहयोग के तरीके अपना लेते हैं, बहुत सारे कागजों और हिसाबों की तथा बहुत से गवाहों से जाँच-पड़ताल करने की जरूरत होती है। तलाशी वाले मामलों में कर-निर्धारितियों द्वारा दी गई समझौते की दरख्वास्तों के कारण भी कर-निर्धारणों में देरी हो जाती है। कभी-कभी अन्य जाँच-पड़ताल एजेंसियों द्वारा एक साथ की जाने वाली जाँच के कारण भी कर निर्धारणों के पूरा होने में देरी हो जाती है।

(घ) और (ङ) आय-कर अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कर-निर्धारण की कार्यवाही पूरी नहीं होने की हालत में, कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई दण्ड लगाया जाना चाहिए, इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता। जहाँ अभी तक अधिनियम की व्यवस्था यह थी कि कर-निर्धारण चार वर्ष के भीतर पूरा कर दिया जाना चाहिए, दर-असल वहाँ अब कर-निर्धारण पूरा करने के लिए, अधिनियम केवल दो वर्ष की अवधि देता है। यदि माननीय सदस्य के प्रश्न का सम्बन्ध, कर-निर्धारण के मामलों में कर-निर्धारण की कार्यवाही को समय पर पूरी नहीं करने की हालत में कर-निर्धारण अधिकारियों पर दण्ड लगाये जाने से है तो उत्तर यह है कि यदि ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में आता है तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध नियमों की व्यवस्था

के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार की जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कच्चे माल की नियमित सप्लाई

4753. **श्री नरेन्द्र कुमार सालवें** : : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसी जानकारी मिली है जहाँ कि सरकारी उपक्रमों को अपने स्वयं के निर्माण-कार्यक्रम के लिए कल-पुर्जे बनाने हेतु सरकारी अथवा गैर-सरकारी कलपुर्जे-निर्माताओं को पाने में कठिनाई हुई हो और इसके लिए उन्हें विदेशों में इन वस्तुओं के निर्माताओं की खोज करनी पड़ी हो जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा का भारी खर्च बढ़ा हो; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने सरकारी उपक्रमों के उत्पादन और निर्माण कार्यक्रम को डबल चूल करने के लिए कोई मार्गदर्शक नियम बनाये हैं ताकि प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को आवश्यक कच्चे माल की नियमित सप्लाई की जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपने निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए देश में मशीनों के हिस्से तथा सामान हासिल करने में जो कठिनाइयाँ आई हैं उनसे सम्बन्धित कुछ मामलों की सूचना सरकार को मिली है। सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत ही उपक्रमों से संलग्न अनुसंधान तथा विकास संगठनों में और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में इस बात की बराबर कोशिशें की जा रही हैं कि जो सामान आयात किया जाता है उसके स्थान पर काम आने वाले सामान देश में ही बनाये जाँय। तकनीकी विकास के महानिदेशक भी, आयात किये जाने वाले मशीनी हिस्सों और सामान को देश में ही सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में देश में ही तैयार कराने के काम को बढ़ावा देने के उपाय कर रहे हैं। आयात करने से पहले, सरकारी क्षेत्र के उद्यम, तकनीकी विकास के महानिदेशक, छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास आयुक्त, पूर्ति निदेशक से परामर्श करके और अखबारों में विज्ञापन निकलवा कर, इन वस्तुओं के देशी पूर्तिकर्ताओं का पता लगाने की संभावनाओं की पूरी-पूरी खोज करते हैं, ताकि आयात की मात्रा कम से कम रहे।

(ख) सरकारी उपक्रमों ने, सरकारी उद्यमों समेत दूसरे सरकारी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने की यथासंभव कोशिश की है। जहाँ संभव हुआ है, रेल और डाक-तार विभागों तथा सरकारी उपक्रमों जैसे सरकारी उपभोक्ताओं द्वारा खास माँग करने पर, विशेष वस्तुओं के निर्माण का काम किया गया है। सरकार ने सरकारी उपक्रमों से यह आग्रह किया है कि वे अपने काम में विभिन्नता लाने की गुंजाइश की जाँच करें, जिससे सरकारी क्षेत्र की कुछ आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें। दो सहयोग संघ यानी पहला बिजली प्रायोजनाओं के लिए और दूसरा औद्योगिक प्रायोजनाओं के लिए, स्थापित करने का भी यही उद्देश्य है कि सरकारी क्षेत्र के उत्पादन-कार्यक्रमों को परस्पर और अधिक पूरक बनाया जाय।

फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड में मशीनों का अनुरक्षण

4754. **श्री पी० विश्वम्भरन** : **श्री मंगलाथुमाडोम** :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में मशीनों के अनुरक्षण में सुधार करने के लिए कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में मशीनों की देख-भाल में सुधार के लिए, 1968 में सिन्दरी फर्टिलाइजर फैक्टरी के महाप्रबन्धक श्री के० सी० शर्मा की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति ने कई उपाय सुझाये थे । उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है ।

Foreign Exchange Violations by Companies

4755. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names and addresses of the firms or companies which were detected by the C. B.I. during the last two years for irregularities in respect of foreign exchange to the tune of Rs. 1 lakh or more ;

(b) the total amount involved in such irregularities committed by each firm or company and the action taken by Government against them ; and

(c) the names and addresses of such firms and comanies in respect of which the C.B.I. had recommended that they should be prosecuted but Government did not file any suit against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) :

(a) and (b) During the period Ist August, 1967 to 31st July, 1969, the Central Bureau of Investigation registered 4 cases against 8 firms and 1 case against 4 persons who were alleged to have entered into a conspiracy and remitted foreign exchange by floating a number of bogus firms.

Investigation in one of the 5 cases referred to above, has been completed by the Central Bureau of Investigation and the investigation report is under their legal scrutiny. The Central Bureau of Investigation has reported that in another case, involving 5 firms, the matter regarding violation of the provisions of the Foreign Exchange Regulation Act is being referred by them to the Enforcement Directorate for suitable action. The investigatons in the remaining 3 cases are in progress. It will not be appropriate to disclose the names of the firms involved and other details of the cases, at this stage.

(c) In cases of contravention of the Foreign Exchange Regulation Act, 1947, where the evidence collected during invesigation jusifies launching of prosecution, the complaint in a Court of law is filed by the Director of Enforcement as required under the law. As far as the cases referred to in (a) and (b) above are concerned, the stage of prosecution has not reached and, therefore, the question of compaints not being filed does not arise.

Bank of China

4756. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names and addresses of the persons who have Rs. 5,000 or more at their credit in their accounts with the Bank of China ;

(b) the names of the persons to whom Government returned the money from their respective accounts as also the amount of money returned to each depositor

(c) the extent of property of the Bank of China seized by Government ; and

(d) whether Government have conducted any enquiry to find out the sources of the money deposited by the persons concerned with the Bank and if so ,the outcome thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) :

(a) to (c) The licence to the Bank of China to carry on banking business was cancelled on 2nd November, 1962 and the High Court, Calcutta, passed on order for the liquidation of the bank on 10th Decmber 1962 on an application filed in that behalf by the Reserve Bank. The Official Liquidator appointed by the High Court took over all the assets of the bank in India and declared a cent per cent dividend to its ordinary creditors and depositors. Particulars of individual accounts are not available with Government.

(d) The books and records of the Bank of China (in liquidation) were investigated by an officer of the Intelligence Bureau. A statement regarding the enquiry and its findings was laid on the Table of the House by the Minister of Finance on 11th August, 1967.

Construction of Multi-stroeyed Buildings in New Delhi

4757. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has beeen drawn to the construction of multi-storeyed buildings in New Delhi ;

(b) if so, the reaction of Government thereto in view of the expriences gained on such multi-storeyed buildings in Bombay and Calcutta and ancient history, beauty and glory of Delhi and India's climate ; and

(c) the action taken by Government for proper guidance in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) Yes, Sir ; Government are aware of the position.

(b) and (c) Government had approved of the Master Plan of Delhi in 1962, which was prepared after taking into consideration all relevant factors, including those mentioned in the qeuestion. The Master Plan lays down the densities of population to be achieved in different areas. In some areas, it is necessary to resort to multi-storeyed bulidings to achieve the prescribed density. Government are not averse to such construction.

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों को जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण दिया जाना

4758. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम द्वारा 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों को ऋण अथवा अग्रिम धनराशि के रूप में कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) उन दस फर्मों के क्या नाम हैं जिन्हें अधिकतम ऋण तथा अग्रिम धनराशि प्राप्त हुई है तथा क्या ये कम्पनियाँ उन कम्पनियों में से हैं जिनका जिक्र एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन में विशेष रूप से किया है;

(ग) लाभ, हानि, कुल व्यापार तथा निर्धारित लक्ष्यों के हिसाब से पिछले तीन वर्षों के कार्य की तुलना में इस वर्ष के कार्य के क्या परिणाम हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस निगम के सर्वोच्च कार्यकारी पदों में क्या परिवर्तन हुए तथा इस समय इसके अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा सचिव कौन हैं तथा वे वहाँ कितने समय से कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) इस कम्पनी की मान-मर्यादा स्थापित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) :

(क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और इकट्ठी होते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड

4759. **श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड द्वारा 21 मार्च 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान किये गये कार्य के परिणामों की जाँच कर ली है तथा इस सम्बन्ध में किसी प्रगति अथवा अवनति की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई है;

(ख) क्या इस कम्पनी का कार्य गत वर्षों के कार्य की अपेक्षा अच्छा रहा है अथवा नहीं; इसका कुल लाभ और हानि, उत्पादन बिक्री, निर्यात तथा सामान-सूची सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान यह कम्पनी उन्हीं अधिकारियों द्वारा चलाई जाती रही या नहीं, और इस कम्पनी के अध्यक्ष, प्रबन्ध-निदेशक तथा सचिव के नाम क्या हैं, वे अपने पदों पर कितने समय से हैं, उनके वेतन, भत्ते आदि क्या हैं तथा इस कम्पनी में वे कहाँ से आये थे; और

(घ) इस कम्पनी की पिछली त्रुटियों को दूर करने के लिए गत वर्ष क्या विशिष्ट उपाय किये गये तथा क्या इस कम्पनी की जनता में प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) और (ख) 31-3-1969 को समाप्त हुए वर्ष के लिए फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के लाभ और हानि लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) जी हाँ । श्री पी० अचुत्यया मैनन, आई० सी० एस० (सेवानिवृत्त) 24-11-1965 को वैतनिक चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए । वह केवल बैठकों में उपस्थित होने की फीस तथा दैनिक भत्ता (जो बोर्ड के सदस्यों को लागू है) प्राप्त करते हैं । श्री एम० के० के० नायर 13-8-1960 से प्रबन्ध निदेशक हैं तथा प्रतिमास 2,800 रुपये वेतन ले रहे हैं । वह आई० ए० एस० केडर के हैं तथा कम्पनी में प्रतिनियुक्ति पर हैं । कम्पनी ने 17-4-1967 से श्री ओ० टी०

जी० नाम्बीयार को सचिव के रूप में नियुक्त किया था । वह प्रतिमास 800 रुपये वेतन तथा 120 रुपये प्रतिमास महंगाई भत्ते के रूप में ले रहे हैं ।

(घ) कम्पनी के कार्यकरण तथा प्रतिष्ठा में सुधार करने के लिए लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड

4760. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** **श्री मंगलाथुमाडोम :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के कार्य के 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के परिणामों की जानकारी है और क्या इसके कार्य में किसी प्रगति या कमी का पता लगा है;

(ख) क्या कम्पनी का कार्य गत वर्ष की तुलना में अच्छा रहा है, लाभ और हानि, उत्पादन, बिक्री, निर्यात और स्टाक-सूची आदि की तुलनात्मक जानकारी क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों से कम्पनी का कार्य उन्हीं अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा है और कम्पनी के अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेश, सचिव के नाम क्या है और वे इन पदों पर कब से काम कर रहे हैं, और उनके वेतन, भत्ते आदि क्या है और वे इस कम्पनी में कहाँ से आये हैं; और

(घ) कम्पनी की कमियों को दूर करने के लिए पिछले वर्ष क्या विशेष कार्यवाही की गयी और क्या कम्पनी की साख बनाये रखने और जनता में विश्वास उत्पन्न करने के लिए क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) :

(क) निरोध उत्पादन के लिए हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड द्वारा त्रिवेन्द्रम में स्थापित की गई निरोध फैक्टरी ने केवल अप्रल, 1969 से ही उत्पादन शुरू किया है। फैक्टरी के कार्य के बारे में इतनी जल्दी कुछ निर्णय नहीं किया जा सकता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कम्पनी मार्च 1969 में निगमित हुई । स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण आवास और नगर-विकास मंत्रालय के तात्कालिक संयुक्त सचिव श्री के० एन० श्रीवास्तव कम्पनी के अंशकालिक प्रधान बनाए गए थे और वे 24 जुलाई, 1969 तक इस पद पर बने रहे। इसके लिए उन्हें कम्पनी की ओर से कोई वेतन या भत्ता नहीं दिया गया। श्री डी० जे० मदान, जो महाराष्ट्र केडर के आई० ए० एस० अफसर हैं, 2500–100–3000 रुपए वेतन-मान में 25 जुलाई, 1969 से हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के प्रधान नियुक्त किए गए।

श्री आर० के० वैश, जो उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस के एक अफसर हैं, 18 मई, 1966 से 1100–50–1400 वेतन-मान में कम्पनी के सचिव हैं। 15 मई, 1969 से उन्हें तरक्की

देकर 1300-60-1600 रुपए के वेतन-मान में कम्पनी में मुख्य प्रशासन अधिकारी बनाया गया। वह सचिव का कार्यभार भी संभाले हुए हैं। उन्हें वे सामान्य भत्ते मिलते हैं जो उनके समान पद के केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों को मिलते हैं।

(घ) प्रश्न के (क) और (ख) भाग के सम्बन्ध में स्पष्ट की गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

4761. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए कार्य के परिणामों की जाँच कर ली है तथा क्या उन्हें किसी प्रकार की प्रगति अथवा अवनति की जानकारी मिली है;

(ख) इस कम्पनी का कार्य गत वर्षों की अपेक्षा अच्छा है कि नहीं–इस सम्बन्ध में लाभ व हानि, उत्पादन, बिक्री, निर्यात, सामान-सूची आदि की तुलनात्मक जानकारी दी जाये;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कम्पनी को वही अधिकारी चला रहे हैं, या नहीं, इस कम्पनी के अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा सचिव के नाम क्या हैं, तथा वे कब से उन पदों पर कार्य कर रहे हैं और उनके वेतन व भत्ते आदि क्या हैं तथा वे लोग इस कम्पनी में कहाँ से आये हैं; और

(घ) पिछली त्रुटियों को दूर करने के लिये इस वर्ष क्या उपाय किए गए हैं तथा जनता में इस कम्पनी की मान-मर्यादा स्थापित करने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) और (ख) कम्पनी की परियोजायें निर्माणावस्था में हैं और इसलिये, इतनी जल्दी कार्य-परिणामों का मूल्यांकन तथा कोई तुलना नहीं की जा सकती। निर्माण-कार्य में संतोष-जनक प्रगति हो रही है तथा समय-समय पर परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद मिश्र तथा निर्माण कार्यक्रम में आवश्यक समायोजन किए जा रहे हैं।

(ग) जी नहीं। अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है:—

नाम	अवधि जिसके दौरान पद पर नियुक्त रहे।	वेतन तथा भत्ते आदि	विभाग, जहाँ से कम्पनी में आये
चेयरचैन			
1. डा० आत्मा राम	1964–67	अंशकालिक कोई वेतन नहीं।	डायरेक्टर जनरल, सी० एस० आई० आर०।
2. डा० वी० डी० तिलक	15–11–67 से आज तक	वही	निदेशक, राष्ट्रीय रसायन, प्रयोगशाला, पूना

प्रबन्ध निदेशक :

1. डा० जी० एस० कासबेकर (जिनकी अब मृत्यु हो गई है)	1–4–65 से 25–6–68 तक	वेतनमान 2250–125–2500	इंडियन आर्डिनेन्स फैक्टरीज़ सर्विस से थे।

महा-निदेशक :

1. श्री डी० एस० शास्त्री	25–6–68 से आज तक	श्री डी० एस० शास्त्री, फैक्टरी मैनेजर ने डा० जी० एस० कास-बेकर, प्रबन्ध निदेशक की मृत्यु के पश्चात् महानिदेशक का कार्य-भार संभाला। महा-निदेशक के पद के लिये अभी तक कोई वेतनमान निर्धारित नहीं किया गया है। फैक्टरी मैनेजर के रूप में उनका वेतन-मान रुपये 2,000–125–2250 है।	इंडियन आर्डिनेन्स फैक्टरीज़ सर्विस से हैं।

सचिव :

1. श्री मी० जे० किशनचन्दानी	16–8–68 से आज तक	वेतन 1, 300 रुपए (1,100–50–1400 के वेतन में।) भत्तेः कम्पनी के नियमों अनुसार	वित्त मंत्रालय त्यागपत्र देकर वह कम्पनी में आये।

(घ) निदेशकों के बोर्ड पर सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा कम्पनी के कार्यकरणों की निगरानी की जाती है और कम्पनी से आवधिक रिपोर्ट तथा विवरण प्राप्त होते हैं। कम्पनी की सफलताओं का मूल्यांकन तथा इसकी जनता में प्रतिष्ठा के बारे में इतनी जल्दी कुछ नहीं कहा जा सकता।

दक्षिण कनारा जिले के गुरुपुर एनिकट में अनवरुद्ध जल की सप्लाई

4762. **श्री लोबो प्रभु**: क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण कनारा जिले के गुरुपुर एनिकट में एकत्रित जल इस एनिकट के केवल एक भाग के उपयोग के लिये ही पर्याप्त है और वह भी दूसरी फसल से पहले;

(ख) क्योंकि केवल 64,000 रुपए की छोटी-सी धनराशि ही बाँध के निर्माण पर खर्च की गयी है तथा नहरों पर 15 लाख रुपए से अधिक खर्च किया गया है, फिर क्या कारण है कि बाँध को न तो ऊँचा किया गया है और न ही नदी को पूरी चौड़ाई तक बढ़ाया गया है तथा इसके बदले रिजर्वियर के रूप में एक दूसरा बाँध भी नहीं बनाया गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस बाँध की क्षमता को सुधारने के बारे में उच्चतम स्तर पर विचार करने तथा वर्तमान सफलता को देख कर अपने विशेषज्ञों की सेवा उपलब्ध कराने का है?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पेंशन निधि

4763. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल, 1969 तक पेंशन निधि खाते की किताब में कितनी धनराशि जमा थी;

(ख) गत पाँच वर्षों में उक्त निधि से कितनी वार्षिक धनराशि निकाली गई;

(ग) गत पाँच वर्षों में उक्त निधि में कितनी धनराशि जमा की गई;

(घ) क्या उक्त जानकारी भारत सरकार के किसी प्रकाशन में नियमित रूप से प्रकाशित की जाती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) असैनिक विभागों, रक्षा विभाग और डाक तथा तार विभाग की कोई पेंशन-निधि नहीं है और पेंशनों सम्बन्धी अदायगियाँ चालू राजस्व से की जाती हैं। लेकिन रेल विभाग की अपनी पेंशन-निधि है और 31 मार्च, 1969 को उस निधि में लगभग 68 करोड़ रुपए की रकम जमा थी।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों में रेल पेंशन निधि में हर साल जमा (ब्याज सहित) की गयी रकमों और नामे डाली गयी रकमों का ब्योरा नीचे दिया गया है:—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	जमा रकमें	नामे डाली गयी रकमें
1966–67	21.52	3.77
1967–68	12.84	5.34
1968–69 (अनन्तिम)	17.68	6.37

(घ) जी, हाँ—यह सूचना रेल विभाग के वार्षिक बजट पत्रों में और केन्द्रीय सरकार के वार्षिक वित्तीय लेखों में प्रकाशित की जाती है।

Imports of Oil and Oil Products

4764. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether oil imports have gone down following discovery of certain oil-resources in India;

(b) whether there is any possibility of India becoming self-sufficient in oil ; and

(c) the amount of foreign exchange sbent annually on the import of oil and oil-products

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) :

(a) No. The crude oil imports have not gone down as indigenous demand for oil products has increased.

(b) India will not be self-sufficient in oil during the 4th Plan period.

(c) An amount of Rs. 134.61 crores was spent on the import of crude oil and oil products during 1968.

Survey Report on Foreign Collaboration in Indian Industry

4765. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to unstarred Question no. 7197 on the 22nd April, 1969 and state :

(a) whether a copy of the Hindi version of the Survey Report of foreign collaboration in Indian industry by the Reserve Bank of India would be laid on the Table so that non-English knowing members could benefit from it ;

(b) if so, the time by which it would be laid on the Table ; and

(c) if not the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) :

(a) to (c) An abridged Hindi version of the Survey Report on Foreign collaboration in Indian Industry will be published by the Reserve Bank of India, Bombay. Its publication will depend upon the time taken in preparing the manuscript and getting it printed. Copies of the abridged Hindi version of the Survey Report, when printed, will be sent to the Parliament-Library, as usual.

Single Grid for the Entire Country

4766. **Shri Maharaj Singh Bharati : Shri Mangalathumadam :**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state.

(a) whether it is a fact that even during the Fourth Plan period, it will not be possible to have a single grid for the entire country ; and

(b) if so, the amount which would fall short of the requirement ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad):

(a) and (b) Several inter-State and inter-Regional transmission lines have been completed and several others are in progress.The progress of these works was indicated in reply to the Unstarred question No. 1602 on the 3rd March, 1969. During the Fourth Five Year Plan, all these works in progress are scheduled to be completed. It is, therefore, expected that the Northern, Western, Southern and Eastern Regional Grids would be established by end of the Fourth Plan.

It has been proposed to construct additional inter-State, inter-Regional transmission lines and Regional Load Despatching Stations to enable integrated operation of the various power systems. It is expeced that an all-India grid will be substantially in operation by the end of the Fifth Plan.

Invention of a Plastic Conductor of Electricity to Replace Metal

4767. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that to replace metal, a particulr type of plastic has been invented which is a good conductor of electricity, can be moulded into any shape and is cheap and strong ; and

(b) if so, the efforts heing made to utilise it in India ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) :

(a) Certain plastics-metal and plastics-carbon combination (generally called conductive polymers) have been synthesised overseas which are under investigation in these countries in the hope that they will replace metals in the conduction of electricity.

(b) One type of such product is under test in this country. It may be noted that such products have not attained commercial or popular application in other countries so far.

श्रीनगर के निकट गाँवों का बसना

4768. **श्री प० मु० सईद :** **श्री मणिभाई जे० पटेल ।**
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर में श्रीनगर के निकट चार गाँवों के जमीन में धंसने के समाचार मिले हैं;

(ख) क्या उनके धंसने के कारणों का पता लगाया गया है; और

(ग) क्या काश्मीर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कुछ वित्तीय सहायता माँगी है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव):

(क) श्रीनगर तथा बारामूला जिलों में 50 गाँवों के आसपास चहुँओर 70 किलोमीटर के फैलाव में कई स्थानों पर भूमि के स्खलन तथा धँसाव हुए हैं। इन्हें स्थानीय सतही घटनाओं के साथ सम्बद्ध किया जाता है और यह भूमि का पातालीय गति से सम्बन्धित किसी भी रूप में क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर धँसाव नहीं है।

(ख) बहुत मात्रा में इकट्ठी हुई बरफ के अप्रैल, 1969 में तेजी के साथ पिघलाव से संतृप्ति हुई तथा नीचे की मिट्टियों और रेग (सिल्ट) से होकर पानी का बड़े पैमाने पर आश्च्यवन हुआ जिसके परिणामस्वरूप बड़े विस्तर के "प्रवाह स्खलन" हुए। कोस्वास की अपेक्षाकृत शिथिल तथा असंपिंड़ित रेतीली मिट्टियों के बीच में से आसान रास्ता पाने पर रिसने वाली पानी के नीचे जाने की गति में जब शुद्ध मिट्टी के अपारगम्य संस्तर ने रुकावट डाली तो उसने मिट्टी के संस्तर को चिपचिपा तथा चिकने स्थूल की तरह बना दिया जिससे समतल–बहाव होने लगा, जिसके साथ चट्टानों के उपरिशायी स्थूल, विशेषतया नीति-ढलानों या स्थलाकृति–ढलानों के समानान्तर, नीचे स्खलित हुए। कोरवास की सीधी ढलानों की बड़े पैमाने पर बन–कटाई और उनकी गहन जुताई से स्खलन की इस प्रक्रिया को बल मिला।

(ग) जी, नहीं।

दिल्ली में रेलवे स्टेशनों का पुनर्निरूपण तथा नवीनकरण

4769. **श्री देवकीनन्दन पटोदिया** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह भी सच है कि योजना आयोग ने नगर तथा ग्राम आयोजन संगठन को दिल्ली के रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण तथा नवीनकरण करने के लिये विस्तृत योजना तैयार करने को कहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या वाह्य संगठन इस प्रकार की कोई परियोजना पेश कर सका है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shortage of Drinking Water in Sawai Madhopur District of Rajasthan

4770. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that people are dying for want of drinking water in many parts of Rajasthan ;

(b) whether it is also a fact that the amount granted by the Central Government to the State Government for making arrangements for drinking water in certain villages of Nadoti Tehsil of Sawai Madhopur District is being misused and the scheme is not being implemented; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) to (c) Information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha when received.

आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, जामनगर (गुजरात) को केन्द्रीय अनुदान

4771. **श्री द० रा० परमार** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जामनगर (गुजरात राज्य) स्थित आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सम्बद्ध नहीं है और इसलिये इसको उससे अनुदान नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जामनगर स्थित आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सीधे केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कोई वित्तीय सहायता प्राप्त करता है; और

(घ) यदि हाँ, तो कितनी और किस स्रोत से ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) जी हाँ।

(ख) स्वदेशी चिकित्सा पद्धति में स्नातकोत्तर शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए धन भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जाता है।

(ग) जी हाँ।

(घ) 1968–69 में इस विश्वविद्यालय को भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग के बजट में से 10.00 लाख रुपए का अनुदान दिया गया था।

Development of Cities with Less than Fifty Thousand Population

4772. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works , Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that conditions of drains, roads, electricity and water supply in the cities with a population of less than fifty thousand persons in the country is very pitiable ; and

(b) if so, Government's proposals for the development of these cities ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development Shri B. S. Murthy) :

(a) and (b) This is too sweeping a statement. General development of such cities is in progress consistent with the availability of resources for the various sectors.

अमेरिका में कार्य कर रहे भारतीय डाक्टर

4773. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंस्टीट्यूट आफ एप्लाईड मैन-पावर रिसर्च द्वारा अमेरिका में कार्य कर रहे भारतीय डाक्टरों के बारे में अभी हाल में एक अध्ययन किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) जी हाँ।

(ख) रिपोर्ट के निष्कर्ष इस प्रकार हैं:—

(1) 1967 के मध्य में अमरीका में 1877 भारतीय चिकित्सा स्नातक थे।

(2) उपयुक्त चिकित्सा स्नातकों में से 1472 प्रशिक्षण संबंधी कार्य कर रहे थे। उनमें से अधिकांश के पास एक्सचेंज विजिटर्स वीजा हैं जो अधिकतम पाँच साल की अवधि के लिए दिए

जाते हैं। साधारणतया कोई एक्सचेंज विजिटर स्थायी निवासी अथवा अप्रवासी का दर्जा पाने के लिये आवेदन नहीं कर सकता है। इस तरह के समंजनों की अनुमति केवल आपवादिक परिस्थितियों में ही दी जाती हैं। इस प्रकार अधिकांश प्रशिक्षणार्थियों को उनके निर्धारित अवधि के समाप्त हो जाने पर अमरीका छोड़ देना पड़ता है।

(3) 405 गैर प्रशिक्षणार्थियों में से एक चौथाई लोग प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। काफी लोग किसी न किसी प्रकार का सवेतन काम कर रहे हैं, अधिकांश वे नान-फेडरल अस्पतालों में नौकरी कर रहे हैं। गैर प्रशिक्षणार्थियों में से 117 को अमरीका की नागरिकता प्राप्त है।

गुजरात के डांगेज जिले के कोढ़ पीड़ितों द्वारा डांग सेना का गठन

4774. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के डांगेज जिला में घाघरा के सभी निवासी कोढ़ रोग से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसके परिणामस्वरूप वहाँ डांठ सेना का गठन हो गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी नहीं। मार्च, 1968 से मार्च, 1969 तक की अवधि के दौरान गुजरात राज्य के डाँगेज जिले के घाघरा गाँव में सभी व्यक्तियों की जाँच की गई और केवल 9 कुष्ठ रोगियों का पता लगा। उनका उपचार किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

Cases Registered under Indian Penal Code

4775. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the number of cases registered in each of the Offices/Departments under his Ministry, separately, during 1967-68, 1968-69 and 1969-70 under sections 409, 420, 468, 477A and 120 of Indian Penal Code and the number of such cases resulting in conviction ; and

(b) the full details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) :

(a) and (b) So far as the Departments of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals are concerned, no case was registered. The information in regard to the offices under the Department of Mines and Metals is being collected and will be placed on the Table of the House.

Cases Registered under Indian Penal Code

4776. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of cases registered in each of the Offices/Departments under his Ministry separately during 1967-68, 1968-69 and 1969-70 so far under sections 409, 420, 467, 468, 477A and 120 of the Indian Penal Code and the number of such cases resulting in conviction ; and

(b) the full details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) :

(a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Primary Rural Health Centres

4777. **Shri Raghuvir Singh Shastri: Shri Nitiraj Singh Choudhury** :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the total number of Primary Rural Health Centres State-wise in the country and the number of those Health Centres where there are no doctors ;

(b) the number of villages where there are no Primary Health Centres ; and

(c) the measures proposed to be taken by Government for providing proper medical facilities in the villages

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development : ((**Shri B. S. Murthy**) :

(a) A statement is laid on the Table of the House. [**Placed in Library. See No. LT—1810/69**].

(b) 508 Blocks, each comprising nearly 100 villages, are without Primary Health Centres.

(c) It is proposed to complete the establishment of Primary Health Centres in the Community Development Blocks during the Fourth Plan period, priority being given to Blocks which have entered into malaria maintenance phase. The expenditure on the existing Primary Health Centres and opening of new ones is to be met from State Sector. Central assistance will be provided for strengthening the basic health Service saff at the Primary Health Centres.

The following steps are being taken or are proposed to be taken by the Governments of the States/Union Territories to overcome the shortage of doctors in rural areas :

1. Formation of unified cadres for Doctors working in rural as well as urban areas.
2. Provision of a total package of incentives such as grant of rural allowance, transport facilities, free furnished quarters, protected water supply etc.
3. Improvement of physical facilities of the Primary Health Centres, particularly in respect of buildings, residential quarters, essential diagonstic facilities including the provision of laboratory services and medical stores,
4. Re-employment of medical officers after retirement.

Some States have also offered scholarships/stipends to the medical students for binding them for service in rural areas for a certain number of years. The medical colleges are also being brought in close relationship with the rural health services.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कच्चा माल-प्रबन्ध व्यवस्था

4778. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में कच्चा माल-प्रबन्ध व्यवस्था के वर्तमान प्रशासनिक ढाँचे का पुनर्गठन करने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ख) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में एक ऐसा संगठन स्थापित करने का है जिसके अन्तर्गत कच्चा माल, बिक्री तथा संबंधित चीजों का संयोजन हो सके तथा उसे एक ही व्यक्ति के सम्पूर्ण नियंत्रण में रखा जा सके?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) जी, हाँ। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की 40वीं रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के अनुसार, सरकार ने सभी सरकारी उपक्रमों को हिदायतें दी हैं कि वे सामग्री-प्रबन्ध संबंधी अपने संगठनात्मक ढाँचों का पुनरीक्षण करें ताकि पहले से अच्छे परिणाम हासिल करने के लिये उन्हें दोषरहित बनाया जा सके।

(ख) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने अपनी 40वीं रिपोर्ट में एक ऐसे एकीकृत सामग्री प्रबन्ध विभाग (इन्टेग्रेटेड मेटीरियल मैनेजमैन्ट डिपार्टमैन्ट) की स्थापना करने की भी सिफारिश की है, जो बिक्री, सामान की प्राप्ति, निरीक्षण और संग्रहण के संबंध में योजना और कार्यक्रम बनाने, कारखाने के अन्दर सामान को उठने-धरने और तालिकागत सामान पर कारगर नियंत्रण रखने आदि जैसे विभिन्न काम करे। समिति ने यह बात मानी है कि यह जरूरी है कि प्रत्येक उपक्रम की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर ही, संगठनात्मक ढाँचे के बारे में फैसला किया जाय। कुछ मुख्य सरकारी उपक्रमों से अभी पुनरीक्षण-रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं और इनके प्राप्त होने के बाद सरकार नमूने के रूप में एक एकीकृत योजना बनायेगी और सरकारी उपक्रमों से इसे अपनाने के लिए कहेगी। लेकिन इस समय स्थिति यह है कि अधिकतर मुख्य उपक्रमों में पहले से ही संयुक्त सामान-व-बिक्री संगठनों की स्थापना की जा चुकी है।

Allocation of Diesel Oil to Madhya Pradesh

4779. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Petroleum and Cehmicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the quota of diesel oil allotted to Madhya Pradesh during the period from January to March, 1969 and the quantity actually supplied during the same period ;

(b) whether it is a fact that diesel oil is in short supply in the said State and it was not available in cities during the above period ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) :

(a) Except for kerosene for which State-wise allocations have been prescribed, for all other petroleum products, including diseal oils, full supplies are made in accordance with the requirements without any quota limitations.

(b) No, Sir.

तिलक नगर, दिल्ली में हरिजनों के लिये बहुमंजिले मकान

4780. **श्री बलराज मधोक** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हरिजनों के लिए दिल्ली में तिलक नगर के निकट नजफगढ़ रोड पर बहुत समय पूर्व लगभग 250 बहुमंजिले मकानों का निर्माण किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि आवश्यक सफाई उपकरणों, बिजली की व्यवस्था और उसके आसपास भूमि के समतल न होने और अन्य नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था न होने के कारण वे मकान अभी भी खाली पड़े हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त क्षेत्र का विकास करने और इन क्वाटरों को रहने योग्य बनाने में कितना समय लगेगा?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) से (ग) तिलक नगर में दिल्ली नगर निगम को मेहतरों तथा फर्राशों के लिए गंदी बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत 256 दो-मंजिले टेनमन्टों का निर्माण कभी 1966 में आरम्भ किया गया था। ठेकेदार के द्वारा कार्य रोक देने का कारण, 80 प्रतिशत कार्य हो चुकने के बाद, लगभग एक वर्ष तक कार्य निलम्बित रहा। कार्य अभी हाल ही में आरम्भ हुआ है। आन्तरिक सफाई संस्थापन (इन्टर्नल सेनेटरी इन्सटालेशन), आन्तरिक बिजली संस्थापन (इन्टरनल इलैक्ट्रिक इन्सटालेशन) तथा बाहरी सीवर का डालन/स्थान को समतल तथा सुधारने का कार्य चल रहा है। जब समतल करने तथा सुधारने का कार्य पूरा हो जायेगा, सड़क को बनाने तथा सड़क की बिजली (रोशनी) की व्यवस्था करने का कार्य आरम्भ किया जायेगा। आशा की जाती है कि सभी निर्माण-कार्य और छः महीने के समय में पूरा हो जायेगा।

दिल्ली विकास अधिकरण के बारे में दिल्ली के उप-राज्यपाल को प्रत्यायोजित शक्तियाँ वापस लेना

4781. **श्री बलराज मधोक**: क्या **स्वाथ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास अधिकरण के सम्बन्ध में दिल्ली के उप-राज्यपाल को दिए गए अधिकार वापस ले लिये गए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली के लिये एकीकृत प्रशासन की स्थापना की प्रक्रिया को उलट देने के मामले में यह एक पश्चगामी कदम सिद्ध हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में अपने निर्णय पर फिर से विचार करने जा रही है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) और (ख) 1 मई, 1967 को उप-राज्यपाल को प्रत्यायोजित की गई कुछ शक्तियाँ फरवरी, 1969 में वापस ले ली गईं। तथापि, वापस ली गई शक्तियाँ ऐसी थीं जो संभवतः वे प्रयोग में नहीं ला सकते थे (अर्थात् दिल्ली विकास प्राधिकरण का गठन तथा भंग करने की;

संसद् के सदनों के सम्मुख कुछ प्रलेख रखने, अपने निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने की शक्तियाँ आदि) और जिनका केन्द्रीय सरकार के लिए सुरक्षित रखना समुचित है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दरभंगा में भूमि पर कथित कब्जा

4782. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिहार के दरभंगा जिले में जयनगर अधिसूचित क्षेत्र समिति एक मस्जिद तथा एक मदरसे की भूमि पर कब्जा करने का प्रयत्न करती रही है;

(ख) क्या मधुबनी के एस० आई० ओ० की अध्यक्षता में अधिसूचित क्षेत्र समिति बल प्रयोग करती रही है, लगभग 36 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और अब भी उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने का विचार है कि मस्जिद तथा मदरसे के कब्जे में तथा उनके लिए आवश्यक भूमि को न छेड़ा जाये तथा मुकदमें शीघ्र वापिस लिये जायें; और

(घ) यदि सरकार का विचार कोई कार्यवाही करने का नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी नहीं।

(ख) से (घ) राज्य सरकार ने बतलाया है कि 11 नवम्बर, 1966 को जयनगर अधिसूचित क्षेत्र समिति को कुछ भूमि पर जबरन कब्जा करने के लिये कुछ लोग जमा हो गए। गड़बड़ी का अन्देशा होने पर स्थानीय कानून और व्यवस्था के अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143/447 के अधीन 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। आपराधिन दण्ड संहिता को धारा 107/117 के अधीन भी कार्यवाही की गई। जब और आगे गड़बड़ी की आशंका हुई तो 12-11-1966 को 9 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। मस्जिद और मदरसे की भूमि को नहीं छेड़ा गया है। यह भूमि अधिसूचित क्षेत्र समिति की है इसलिए उनके लिए और भूमि उपलब्ध करना कठिन है। यह मामला गम्भीर था और उसे वापिस लेने से अव्यवस्था और गुण्डागर्दी ही बढ़ेगी इसलिए राज्य सरकार इस आपराधिक मामले और कार्यवाही को वापिस लेने के पक्ष में नहीं है।

इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड में भारतीय तथा प्रत्यावर्तित स्टाफ डायरेक्टर

4783. **श्री तुकाराम गंविट** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन एक्सप्लोसिव्ज लिमिटेड के बोर्ड में भारतीय और प्रत्यावर्तित स्टाफ डायरेक्टरों की संख्या कितनी-कितनी है और भारतीय डायरेक्टरों के वेतन और परिलब्धियाँ उनके

पूर्वाधिकारियों और वर्तमान प्रत्यावर्तित डायरेक्टरों के वेतन और परिलब्धियों की तुलना में कितने कम या अधिक हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस कम्पनी में भारतीयों और प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के बीच योजनाबद्ध तरीके से भेदभाव किया जाता है;

(ग) क्या उनके वेतनों और कार्यों को देखते हुए कर-मुक्त और आय प्रत्यावर्तित कर्मचारियों को दी गई परिलब्धियों और अन्य सुविधाओं पर अत्यधिक व्यय होता है और इसीलिये उन पर आय-कर लगना चाहिये;

(घ) क्या यह भी सच है कि कम्पनी द्वारा कानपुर में रखे गए अधिकांश कर्मचारी और मजदूर अभी तक अस्थायी/नैमित्तिक हैं यद्यपि उनका सेवाकाल 12 से 18 महीने तक का हो चुका है और गोमिया फैक्टरी अथवा कलकत्ता में उनके समकक्ष कर्मचारियों की तुलना में उनके वेतन और वेतनक्रम बहुत कम हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड में 11 निदेशक हैं, उनमें से केवल चार (तीन प्रत्यावर्तित और एक भारतीय) कम्पनी से निम्न वेतन प्राप्त करते हैं:—

निदेशक	प्रतिमास वेतन रुपये में	मँहगाई भत्ता
1. भारतीय	4,250	वेतन का 37 प्रतिशत
2. प्रत्यावर्तित	7,674	वेतन का 44½ प्रतिशत
3. प्रत्यावर्तित	10,334	वेतन का 44½ प्रतिशत
4. प्रत्यावर्तित	11,610	,, ,, 44½ प्रतिशत

उपर्युक्त निदेशक, जो परिलब्धियाँ प्राप्त करते हैं, उसके ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।]

(ख) योजनाबद्ध तरीके से भेद-भाव का उदाहरण सरकार के नोटिस में नहीं आया है।

(ग) जैसा कि भाग (क) के उत्तर में पहले ही बताया गया है ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) कम्पनी के कानपुर उर्वरक परियोजना का अभी निर्माण हो रहा है। कम्पनी ने सूचित किया है कि निर्माण-स्थल पर अधिकांश कर्मचारी विभिन्न ठेकेदार फर्मों के हैं। भर्ती के बारे में कम्पनी की यह नीति रही है कि उन क्षेत्रों में जहाँ विशेष किस्म के नियमित परिचालन लगभग शुरू होने वाले हैं या शुरू हो गए हैं वहाँ नियमित आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए। इण्डिस्ट्रियल अम्पलायमेण्ट स्टैंडिंग आर्डर्ज एक्ट के अनुसार नैमित्तिक कार्य के लिए नैमित्तिक मजदूर लगाये गए थे।

नौकरी की शर्तें "रीजन-कम-इण्डस्ट्री प्रैकटीज" के डिक्टम के अनुसार हैं तथा उनकी कानपुर में अन्य तुलनात्मक उद्योगों में अपनाई गई शर्तों से भली भाँति तुलना की जा सकती है।

Gherao of Industries

4784. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the locations of the industries run and aided by Government which were gheraoed from the Ist January, 1968 upto date and the number of gheraos that took place there; and

(b) the steps Government propose to take to check the gheraos in the industries run by the Government ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) :

(a) According to the Central Government records, gheraos occurred in the following Central Government undertakings during the period of Ist January, 1968 to date :

	Numher of Gheraos
(1) National Projects Construction Corporation, Central Workship Agra (U.P.).	3
(2) Hindustan Cables, Rupnarainpur, West Bengal	9
(3) Indian Oil Corporation Marketing Division, Calcutta.	4
Refineries and pipelines Division, Barauni, Bihar.	2
(4) Oil and Natural Gas Commission, Dehra Dun, U.P.	1
(5) Alloy Steel Project, Durgapur West Bengal	2
(6) Durgapur Steel Plant, Durgapur, West Bengal ..	6
(7) State Trading Corporation, Wig Factory, Madras	3
(8) Central Inland Water Transport Corporation, Calcutta	2
(9) National Buildings Construction Corporation (Calcutta Unit)	1
(10) Hindustan Housing Factory, New Delhi ..	2
(11) Indian Airlines, Calcutta	3
(12) Fertiliser and Chemicals, Udyog Mandal, Kerala	1
(13) National Small Industries Corporation, Okhla, New Delhi and Howrah, Calcutta.	2

(b) The causes of gheraos are complex in nature. The respective enterprises do look into the grievances of labour and try to meet their legitimate demands ; demands not settled in this manner go before the machinery envisaged therefor under the labour laws.

Increased Beds and Doctors in Government Hospitals at Indore and Ujjain

4785. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme for increasing the number of beds and doctors in Government Hospitals at Indore and Ujjain and M. Y. Hospital at Indore keeping in view the population of those cities ; and

(b) if not, whether Government would try to improve the efficiency and consider the increase in the number of beds and hospitals ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development : (Shri B. S. Murthy) :

(a) and (b) In the Draft Fourth Plan of the Madhya Pradesh State, no provision has been kept for increase of beds and additional posts of doctors in the Government Hospitals

and the M.Y. Hospital, Indore. For the District Hospital in Ujjain, there is a tentative provision to increase 40 beds. Recently the State Government have accepted the offer of donation of Rs. 3.5 lakhs from the Indore Corporation for the construction of a 50 bedded Children Hospital and a 50 bedded Infectious Diseases Hospital. Both of these hospitals will be in the campus of M. Y. Hospital, Indore.

Smuggling of Goods

4786. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the quantity and value of the smuggled goods other than the gold seized during the last three years as also the names of the articles including therein ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : The quired information is given in the annexure, laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT—1811/69].**

मंगलौर हवाई अड्डे पर निर्माण-कार्य

4787. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ठेके पर दिया गया कार्य पूरा हुए बिना मंगलौर हवाई अड्डे को मानसून में चालू रखा जायेगा;

(ख) क्या सी० ए० जल्लेल को दिया गया ठेका इसलिए रद्द कर दिया गया था क्योंकि कार्य 9 महीनों में पूरा नहीं हुआ था;

(ग) पुनः टेंडर मंगाने पर ठेका राधाकृष्ण कन्स्ट्रक्शन को दिए जाने के क्या कारण थे जबकि उनके कार्य की गति उनकी तुलना में केवल आधी थी और इन दो ठेकेदारों ने कितने समय में कितने-कितने प्रतिशत कार्य किया;

(घ) राधाकृष्ण कन्स्ट्रक्शन के ठेके को रद्द क्यों नहीं किया गया जबकि करार निश्चित समय-सीमा से कई महीने पहले ही ऊपर हो चुके हैं, और कार्य को पूरा करने के लिये अब क्या तारीख निश्चित की गई है; और

(ङ) विलम्ब, कर्मचारियों पर व्यय तथा 10 लाख रुपये से अधिक लागत के उपकरण के बेकार पड़े रहने के कारण कितनी हानि हुई और यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी कि केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के अन्य ठेकों में कर्मचारी तथा उपकरण इस प्रकार बेकार न रहें ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ। ठेकेदार ने विभाग को भी सूचित कर दिया था कि वह आर्थिक कठिनाइयों के कारण कार्य को पूरा करने की स्थिति में नहीं थ।

(ग) श्री सी० ए० जलेल के द्वारा अधूरा छोड़ा गया कार्य नए टेंडर के फलस्वरूप मैसर्स

राधाकृष्ण कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को दे दिया गया था। उनके द्वारा किया गया अन्य कार्य, जो कि संतोषजनक पाया गया था, को भी ध्यान में रखा गया था।

पहिले चार महीनों में मैसर्स राधाकृष्ण कन्स्ट्रक्शन के द्वारा की गयी प्रगति भी जलेल के 15 महीने से अधिक था।

(घ) मैसर्स राधाकृष्ण कन्स्ट्रक्शन का ठेका इसलिए रद्द नहीं किया गया क्योंकि मंगलौर हवाई अड्डे पर कार्य करने की परिस्थितियाँ अत्यन्त कठिन थीं तथा कार्य के शेष भाग को उचित दर पर शीघ्रता से करने के लिए दूसरा ठेकेदार प्राप्त करने की संभावना कम समझी गयी थी।

कार्य को पूरा करने के लिए पुनरीक्षित लक्ष्य मार्च 1970 है।

(ङ) यद्यपि कार्य की गति धीमी थी किन्तु कर्मचारी और साज-सामान-बेकार नहीं रहे थे क्योंकि कार्य एकदम बन्द नहीं हुआ था। और फिर परियोजना के अन्य कार्य इसके साथ-साथ चल रहे थे जिसके लिए कर्मचारियां की आवश्यकता थी तथा नौकरी पर रखे गए थे।

स्थानीय लोक-निर्माण विभाग से किराये पर लिए गए सभी उपस्करों (इक्विपमेंट) से संबंधित खर्चा ठेकेदार से वसूल किया जायेगा। सरकार को कोई हानि नहीं होगी। केन्द्रीय लोक प्रर्माण विभाग के सेन्य ठेकों पर भी आवश्यक सावधानी बरती जाती है कि कर्मचारी तथा उपस्कर (इक्विपमेंट) बेकार न रहें।

Fertilizer and Chemicals Travancore Limited

4788. **Shri Ram Singh Ayarwal :** **Shri Sharda Nand :**
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri Bharat Singh Chauhan :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some officials of the Fertilizer and Chemicals Travancore Ltd. had also participated in a function organised in honour of certain representatives to the UNCTAD;

(b) whether it is also a fact that the said officials were specially invited to take part in the function ;

(c) the total expenditure incurred by Government in the form of Travelling Allowance and Daily Allowance including the expenditure for their stay at Delhi in respect of these officials ;

(d) whether Government would inquire into the causes of incurring such wasteful and unnecessary expenditure ; and

(e) the steps that Government propose to take to check incidents of such wasteful expenditure ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D.R. Chavan) :

(a) Some of the officials of the FACT participated in a function arranged by F.A.C.T. during the UNCTAD conference.

(b) It has been reported that officials of FACT available on duty in Delhi participated in the function.

(c) The above function was not arranged by the Government and therefore the question of incurring any expenditure by Government on that account does not arise.

(d) and (e) The need to economise expenditure on such matters has been brought to the notice of the Company.

डाक्टरी शिक्षा तथा अनुसंधान की स्नातकोत्तर संस्था, चंडीगढ़ के एक डाक्टर की पदावनति

4789. **श्री मधु लिमये :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान डाक्टरी शिक्षा तथा अनुसंधान की स्नातकोत्तर संस्था चंडीगढ़ के सहायक प्रोफेसर डाक्टर बरार के मुकदमे में पंजाब उच्च-न्यायालय के निर्णय की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उपर्युक्त सहायक प्रोफेसर को पदावनत करने वाले आदेश को न्यायालय ने रद्द कर दिया है;

(ग) ऐसा करने के क्या कारण हैं;

(घ) यह मुकदमा लड़ने के लिये इस संस्था ने कितनी धनराशि खर्च की;

(ङ) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श किए बिना निदेशक ने उपर्युक्त आदेश पास किया था; और

(च) यदि हाँ, तो सरकार में अथवा सरकार द्वारा प्रायोजित और धन प्राप्त करने वाली संस्थाओं में अधिकारियों द्वारा इस प्रकार के मनमाने व्यवहार को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) उच्च न्याायालय ने निर्णय दिया है कि डा० बरार की लेक्चरर के पद पर पदावनति करना गैर-कानूनी था क्योंकि यह कार्यवाही डाक्टरी शिक्षा तथा अनुसंधान की स्नातकोत्तर संस्था, चंडीगढ़, अधिनियम 1966 (1966 का 51) की धारा 28 के उपबन्धों के प्रतिकूल है और इससे उन मूलभूत अधिकारों का भी उल्लंघन होता है जिनकी संविधान में गारंटी दी गई है।

(घ) 1829.10 रुपए।

(ङ) जी, हाँ।

(च) संस्था ने न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अधिकार-लेख अपील (लेटर्स पेटेंट अपील) दायर की है और उस अपील पर न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। अपील पर निर्णय के बाद इस मामले पर विचार किया जायेगा।

धातु तथा खनिज व्यापार निगम का वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय को हस्तान्तरण

4790, **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया:** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय को धातु तथा खनिज व्यापार निगम का हस्तान्तरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है क्योंकि एकीकृत प्रशासन के कारण, जो अब नहीं है, खनिजों के अन्तिम निर्यात मूल्यों को कम करने में सहायता मिलेगी;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले पर विचार के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में विपरीत निर्णय किया गया है तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) सम्भवतया सदस्य भारत के खनिज तथा धातु व्यापार निगम की ओर निर्देश कर रहे हैं। यह संस्था पहिले ही से विदेश व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय के अधीन है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी क्षेत्र में गैर-तकनीकी व्यक्तियों के स्थान पर तकनीकी व्यक्तियों की नियुक्ति

4791. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में गैर-तकनीकी व्यक्तियों के स्थान पर तकनीकी व्यक्ति नियुक्त करने के संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के उन कारखानों की संख्या कितनी है जहाँ गैर-तकनीकी व्यक्तियों के स्थान पर तकनीकी व्यक्ति रखे गए हैं और वे कारखाने कौन-से हैं जहाँ यह योजना अभी क्रियान्वित नहीं की गयी है और इस मामले में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) और (ख) सरकार की नीति यह रही है कि सरकारी उद्यमों के उच्च पदों पर सबसे उपयुक्त व्यक्ति ही नियुक्त किए जायँ, चाहे वे व्यक्ति प्रौद्योग तंत्रवादी (टैक्नोक्रेट) हों, प्रबन्ध विशेषज्ञ हों या प्रशासक हों। सरकार ने ऐसी कोई नीति नहीं बनायी है, जिसके अनुसार सरकारी उद्यमों के अध्यक्ष केवल प्रोद्योगतंत्रवादी ही होंगे।

सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास की कमी

4792. **श्री तुलसीदास दासप्पा :** **श्री अब्दुल गनी दार :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आवास की कमी के कारण केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब और भूतपूर्व सैनिकों के आ जाने और देश के अन्य भागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के आ जाने के कारण "जनरल पूल" से आवास नहीं मिल रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो प्राथमिकता सूची में, वर्गवार, कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और ऐसे नए क्वार्टरों/फ्लैटों की संख्या कितनी है जिनका आवंटन किया जाना है तथा वे कहाँ पर स्थित हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी, हाँ।

(ख) सामान्य पूल वास के आवंटन के उद्देश्य के लिए, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार इत्तर सेवा आदि के अधीन कहीं भी की गई सेवा को मान लिया जाता है। दिल्ली में पात्र कार्यालयों को स्थानान्तरित किए गए सरकारी कर्मचारियों को सामन्य पूल वास के आवंटन के लिए उनकी बारी पर विचार किया जाता है। पात्र कार्यालयों में काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या को वास का आवंटन न करने का मुख्य कारण सामान्य पूल में वास की कमी का होना है।

(ग) पात्र कार्यालयों में काम कर रहे, तथा विभिन्न टाइप के पात्र कर्मचारियों की कुल संख्या के बारे में कोई प्राथमिकता सूची इस प्रकार से तैयार नहीं की गई है। पात्र सरकारी कर्मचारियों की प्राथमिकता की तारीखों के आधार पर प्रत्येक टाइप के बारे में एक प्रतीक्षा-सूची प्रति मास तैयार की जाती है, जिसमें कर्मचारियों की एक सीमित संख्या शामिल की जाती है, जिनको वास का आवंटन उस महीने के दौरान किया जा सकता है। अगस्त, 1969 मास की प्रतीक्षा-सूची के अनुसार, दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल वास के आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे, कर्मचारियों की कुल संख्या, प्रत्येक टाइप में, निम्न प्रकार से है:—

टाइप	प्रतीक्षा-सूची पर व्यक्तियों की संख्या
I	165
II	132
III	185
IV	192
V	80
VI	67
VII	16
VIII	26

सम्पदा निदेशालय को आवंटन के लिए कोई नए बनाए गए मकान नहीं दिए गए हैं।

आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर में किसानों को बैंकों द्वारा ऋण

4793. **श्री तुलसीदास दासप्पा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर राज्यों के नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण देने वाले बैंकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) ऋण दिए जाने की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या किसानों की माँगों को पूरा करने के लिये राज्यों की माँगें अधिक हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) 30 मई, 1969 को आन्ध्र प्रदेश और मैसूर राज्यों में इस तरह के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या क्रमश: 18 और 23 थी।

(ख) बैंक, ऋणों की शर्तें तय करते समय आम तौर पर ऐसी विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हैं, जैसे–ऋण का प्रयोजन, ऋण की राशि, प्रतिभूति का स्वरूप तथा उसकी विक्रेयता, ऋण लेने वाले का वर्ग, ऋण की अवधि, हिसाब-किताब से संबंधित कार्य और ऋण देने की लागत आदि। रिज़र्व बैंक द्वारा इकट्ठे किए गए आँकड़ों से मालूम होता है कि बैंक आम तौर पर $8\frac{1}{2}$ प्रतिशत से लेकर $9\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक की दर से ब्याज लेते हैं।

(ग) और (घ) कृषि-क्षेत्र की बढ़ती हुई ऋण की जरूतों तथा कृषि-क्षेत्र के लिये अधिकाधिक ऋण देने के अपने उत्तरदायित्व को बैंक अच्छी तरह समझते हैं।

जीवन बीमा निगम के पालिसी-होल्डरों की शिकायतें

4794. **श्री तुलसीदास दासप्पा :** **श्री गाडिलिंगन गौड :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1 जनवरी, 1969 से 1 जून, 1969 तक की अवधि में भारतीय जीवन बीमा निगम के पालिसी-होल्डरों की कोई शिकायतें सरकार को मिली हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो पालिसी-होल्डरों की शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) :

(क) जी, हाँ।

(ख) कोई शिकायत मिलने पर, सरकार उसको दूर करने के लिए, भारत के जीवन बीमा निगम के साथ उस पर विचार करती है।

कोककर कोयला विकास निधि

4795. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री सी० के० चक्रपाणि : **श्री गणेश घोष :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक कोककर कोयला विकास निधि बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो कैसे और किस प्राधिकार द्वारा उसे चलाया जायेगा; और

(ग) इस प्रकार की निधि बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) से (ग) 14 अक्टूबर, 1968 से कोकिंग कोयले पर प्रति मैट्रिक टन 75 पैसे का उत्पादन-शुल्क लगाया जा रहा है। इससे प्राप्त होने वाली राशियों को वैज्ञानिक उपयोग/

विकास तथा हमारे धातुकर्मीय उद्योगों के लिये आवश्यक कोकिंग कोयले के संरक्षण के लिये ही खर्च किया जाना है। कोयला उद्योग को सहायता देने की योजना के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया से राज्यों द्वारा नियत राशि से अधिक धन निकलवाना

4796. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुत से राज्यों ने भारत के रिज़र्व बैंक से नियत राशि से अधिक धन निकलवाया है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में इस बारे में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ग) क्या कुछ राज्यों ने स्थिति पर काबू पाने के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता देने के लिये अनुरोध किया है और यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है और उनके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) और (ख) इस समय आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु की सरकारों ने रिज़र्व बैंक से जमा से अधिक रकम ले रखी है। 16 अगस्त, 1969 को उन्होंने जमा से अधिक जितनी रकम ले रखी थी उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	रकम (लाख रुपयों में)
आन्ध्र प्रदेश	95
राजस्थान	1894
तमिलनाडु	33

(ग) उपर्युक्त राज्य सरकारों ने जब से जमा से अधिक रकमें निकालनी शुरू की हैं तब से अब तक भारत सरकार को ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री का कथित अनादर

4797. **श्री स० मो० बनर्जी : श्री हेम राज :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने उनके परिवहन मंत्री का कथित अनादर किए जाने के कारण भाखड़ा बाँध, पोंग बाँध तथा व्यास-सतलज सम्पर्क परियोजना के संबंध में किए जाने वाले किसी भी समारोह में भाग न लेने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) और (ख) इस खेदजनक मामले को हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ परामर्श करके आगे बढ़ने से रोक दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये नई विज्ञापन एजेंसी

4798. **श्री जुगल मण्डल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी सरकारी उपक्रमों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सरकारी उद्यम ब्यूरो का सरकारी क्षेत्र में एक नई विज्ञापन एजेंसी स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या सरकारी उद्यम सम्बन्धी ब्यूरो ने और हाल ही में हुए सरकारी उपक्रम संबंधी जन सम्पर्क अधिकारी सम्मेलन ने अधिक लोगों को पढ़ने के लिये अधिक समानता के आधार पर अपने विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय के श्रव्य-दृश्य तथा प्रचार निदेशालय के उपयोग करने की सिफारिश पर विचार किया है;

(ग) क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने सरकारी क्षेत्र के विज्ञापन प्रकाशित करने के लिये श्रव्य-दृश्य एवं प्रचार निदेशालय का उपयोग करने के बारे में उनके मंत्रालय को लिखा है; और

(घ) व्यक्तिगत उपक्रमों द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों को छोड़ने और श्रव्य-दृश्य तथा प्रचार निदेशालय के उपयोग करने के क्या आधार हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चे० सेठी) :

(क) जी, नहीं।

(ख) जून 1969 में सरकारी उपक्रमों में जन-सम्पर्क के सम्बन्ध में हुए सम्मेलन में जिन विषयों पर विचार किया गया था उनमें विज्ञापन देने का प्रश्न शामिल नहीं था।

(ग) और (घ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विज्ञापन एजेंसियों के चुनाव और सरकारी उपक्रमों द्वारा भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों के अधिक उपयोग के बारे में, सामान्य मार्गदर्शक सिद्धान्त बताये हैं। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों की सूचना उन सभी मंत्रालयों को भेज दी गई है जिनका सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर नियंत्रण है ताकि वे मंत्रालय, अपने नियंत्रणाधीन उपक्रमों को उन सिद्धान्तों के मुताबिक काम करने के लिये सूचित कर सकें।

जन्म निरोध पर व्यय

4799. **श्री अब्दुल गनी दार** : **श्री वेणी शंकर शर्मा** :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में सरकार ने जन्म निरोध योजना पर प्रतिवर्ष कितना धन खर्च किया तथा प्रत्येक वर्ष कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई और प्रत्येक वर्ष में कुल कितने जन्म हुए?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चन्द्र शेखर) :

(क) गत तीन वर्षों में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर भारत सरकार ने निम्नलिखित धनराशि खर्च की:—

वर्ष	खर्च की गई राशि (लाख रुपये)	पिछले वर्ष की अपेक्षा खर्च में हुई वृद्धि की प्रतिशतता
1966–67	1342.61	107.8
1967–68	2553.47 (अनुमानित)	90.2
1968–69	3550.49 (अनुमानित)	39.0

स्तरों पर संगठनात्मक व्यवस्था के लिए आर्थिक बाधाएं दूर कर दी गई हैं। अतिरिक्त वाहनों के जरिये कार्यक्रम में और गतिशीलता लाई जा रही है। क्षेत्रीय एकाँशों के माध्यम से की गई व्यवस्था के अलावा कर्मचारियों को शीघ्र प्रशिक्षण देने के लिये 48 केन्द्रीय और राज्य प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं। सेवाओं के विस्तार के लिये और अधिक परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र और उप-केन्द्र खोले जा रहे हैं। प्रचलित गर्भनिरोधकों की पर्याप्त सप्लाई का आश्वासन दिया गया है और देश में सार्वजनिक क्षेत्र में एक कारखाना खोला गया है ताकि गर्भनिरोधकों के आयात पर निर्भर न रहना पड़े। राज्यों में जनविद्या और मूल्यांकन प्रभागों की स्थापना करके मूल्यांकन व्यवस्था को बढ़ाया जा रहा है। नई योजनायें जो चालू की गई हैं वे इस प्रकार हैं:—गहन जिला और चुने गए क्षेत्र कार्यक्रम, प्रसवोत्तर कार्यक्रम, होम्योपैथी के चिकित्सकों और हकीमों एवं वैद्यों का प्रशिक्षण, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम को परिवार नियोजन में मिला कर रक्षण और पोषण की व्यवस्था करना और व्यापक प्रचार के माध्यम से परिवार नियोजन के संदेश का प्रसार करना।

मंत्रियों का डाक्टरी खर्च

4800. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1958, 1963 और 1968 में प्रत्येक वर्ष में तत्कालीन मंत्रियों को डाक्टरी सहायता देने पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई और प्रत्येक वर्ष में मंत्रिमण्डल के मंत्रियों की, राज्यमंत्रियों की तथा उप-मंत्रियों की कुल संख्या कितनी थी?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीयय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या० एल० टी० 1812/69]**

कोयले, ताँबे और मैंगनीज का उत्पादन

श्री अब्दुल गनी दार : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कोयले, ताँबे और मैंगनीज का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं; और

(ग) हमने प्रतिवर्ष विदेशों को आयात में कितनी वृद्धि की और प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) 1966, 1967 और 1968 वर्षों के दौरान भारत में कोयले, ताँबे धातु तथा मैंगनीज अयस्क का कुल उत्पादन निम्न प्रकार से हुआ;

(मात्रा मैट्रिक टनों में)

खनिज का नाम	1966	1967	1968
कोयला	67,970,000	68,210,000	71,108,000
ताँबा	9,333	1,8,718	9,183
मैंगनीज अयस्क	1,710,480	1,616,992	1,602,315

(ख) इन तीन वर्षों के दौरान, कोयले के संबंध में लक्ष्यों की तुलना में उत्पादन में 20 से 60 लाख मेट्रिक टनों की कमी थी। इसका कारण यह था कि कोयले की माँग उतनी नहीं बढ़ी जितनी संभावना थी और उत्पादन को माँग के अनुरूप सीमित करना पड़ा। ताँबे के विषय में, देश में केवल एक प्रद्रावक है जिसकी क्षमता 9600 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष है। 1968 के दौरान उत्पादन 9281 मैट्रिक टन था। मैंगनीज के लिये वार्षिक आयोजनाओं में कोई लक्ष्य नहीं थे।

(ग) 1966–67, 1967–68, 1968–69 वर्षों के दौरान कोयले, ताँबा अयस्क संकेन्द्रकों तथा सम्मिश्रणों आदि के, मैंगनीज अयस्क तथा मैंगनीज के संकेन्द्रकों के निर्यात निम्न प्रकार से थे :—

(मूल्य लाख रुपयों में)

खनिज का नाम	**मात्रा का एकक**	1966–67		1967–68		1968–69	
		मात्रा	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**
कोयला (कोक को छोड़ कर)	'000 मै० टन	359	221	283	167	425	230
ताँबा अयस्क तथा ताँबे के संकेन्द्रक, सम्मिश्रण (चाहे परिशोधित हो या न हों), अपरिष्कृत और ताँबे के सम्मिश्रण	मैट्रिक टनों में	559	44	312	31	2942	315
मैंगनीज अयस्क तथा मैंगनीज के संकेन्द्रक	000 मै० टन	1186	1437	1047	110	1314	1346

1966–67 वर्ष की तुलना में निर्यात 1967–68 वर्ष में गिर गए परन्तु 1968–69 वर्ष में ये फिर अधिक हो गए।

मंत्रियों तथा अधिकारियों की विदेश यात्रायें

4802. **श्री एन० शिवप्पा :** **श्री पन्नालाल बारूपाल :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1968 से 1 जून, 1969 की अवधि में कुल कितने मंत्री, उप-मंत्री और अन्य अधिकारी विदेशों में गए; और

(ख) मंत्रालय-वार कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और इकट्ठी होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

दिल्ली में विद्युत् प्रणाली का कार्यकरण

4803. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने भाखड़ा-नांगल इलक्ट्रीसिटी-सिस्टम और दिल्ली की थरमल पावर सिस्टम को समेकित रूप में कार्यकरण की एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों राज्यों को इस समेकित कार्यकरण से क्या लाभ होने की आशा है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) से (ग) भाखड़ा नांगल बिजली प्रणाली का दिल्ली ताप केन्द्र के साथ अन्तः सम्पर्क का प्रश्न पहले से ही अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करता रहा है और नरेला से दिल्ली बिजली घर तक 220 के० वी० लाइन का निर्माण चल रहा है। एक सीमित मात्रा तक तत्काल लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से भी रोहतक रोड से वल्लभगढ तक एक 66 के० वी० लाइन का निर्माण किया गया था और इससे भाखड़ा-नांगल और दिल्ली बिजली प्रणालियों दोनों का साथ-साथ चलाना संभव हो सका। जबकि इस लिंक का निर्माण चल रहा था, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने इसके शीघ्र कार्यान्वयन का सुझाव दिया।

66 के० वी० लिंक के द्वारा इन दोनों प्रणालियों के साथ-साथ प्रचालन से पंजाब प्रणाली को, जिसको बिजली की जरूरत थी, 30 मैगावाट बिजली मिलने लगी। 220 के० वी० अन्तः सम्पर्क के पूर्ण हो जाने पर निम्नलिखित लाभों के और अधिक मात्रा में प्राप्त होने की सम्भावना है;

(1) उच्चतम वार्षिक माँगों में वैविध्य होने के कारण उच्चतर भार माँगों को इस क्षेत्र में पहले से ही आयोजित उत्पादन से पूरा किया जा सकता है;

(2) आयोजित तंग अप्रत्याशित आउटेज की पूर्ति के लिए दोनों प्रणालियों में कम आपत्कालीन क्षमता की आवश्यकता होगी; और

(3) दिल्ली क्षेत्र में तापीय उत्पादन में कमी की जा सकेगी जिसके परिणामस्वरूप कोयले की खपत में बचत होगी। इससे भागीदार राज्यों, अर्थात् पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को भी लाभ होगा क्योंकि पन-बिजली की कोटि में आने वाली गौण पावर का लाभकारी उपयोग हो सकेगा।

दिल्ली/नई दिल्ली में कार्य करने वाले रेलवे कर्मचारियों को जनरल पूल में से क्वार्टरों का नियतन

4804. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस बात का पता है कि दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को रेलवे क्वार्टर उपलब्ध न होने के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि वे जनरल पूल से क्वार्टरों के नियतन के लिये भी पात्र नहीं हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या रेलवे बोर्ड में रेलवे कर्मचारियों की सहकारी आवास समिति की माँग को पूरा नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इन कर्मचारियों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए समिति की माँग पर फिर से विचार किया जायेगा?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) और (ख) जिन पात्र कार्यालयों में अपने विभागीय पूल नहीं हैं, उनमें काम कर रहे सरकारी कर्मचारी, दिल्ली/ नई दिल्ली में सामान्य पूल से वास के आवंटन के पात्र हैं। रेल मंत्रालय में काम कर रहे कर्मचारी केवल सामान्य पूल वास के आवंटन के पात्र हैं, और रेलवे के अन्य कर्मचारी, जिनके अपने विभागीय पूल हैं, सामान्य पूल वास के आवंटन के पात्र नहीं हैं, क्योंकि सरकार की यह नीति है कि सरकारी कर्मचारियों को केवल एक पूल से वास आवंटित किया जाना चाहिए। रेलवे पूल तथा सामान्य पूल में कमी है।

(ग) और (घ) रेलवे बोर्ड एम्पलाइज़ कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी को शाहदरा क्षेत्र में 91 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय किया गया है। भूमि का कब्जा आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद किया जायेगा।

वित्तीय संस्थानों द्वारा कुछ राज्यों के उद्यमकर्त्ताओं को सहायता

4805. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में औद्योगिक वित्त निगम और भारत का औद्योगिक विकास बैंक तथा राज्य वित्तीय निगम उद्यमकर्ताओं को नए कारखाने लगाने, वर्तमान कारखानों का विस्तार, आधुनिकीकरण करने के लिये सहायता देते रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1968 और 1 जनवरी 1969 से 30 जून, 1969 तक की अवधि में राज्यवार, उन राज्यों में उन संस्थानों के माध्यम से कितनी वित्तीय सहायता की पेशकश की गयी है; और

(ग) इस प्रकार के ऋण दिए जाने की शर्तें क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी।

औद्योगिक विकास बैंक

4806. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के औद्योगिक विकास बैंक के कार्यालय किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) प्रत्येक कार्यालय में श्रेणीवार कितने व्यक्ति काम करते हैं और उनके वेतन पर प्रतिवर्ष कुल कितना व्यय होता है; और

(ग) ये कार्यालय किन-किन स्थानों पर किराये की इमारतों में हैं और प्रत्येक इमारत का प्रतिवर्ष कुल कितना किराया दिया जाता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी):

(क) इस समय औद्योगिक विकास बैंक का कार्यालय केवल बम्बई में है। परन्तु, निकट भविष्य में बैंक का बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और नयी दिल्ली में चार प्रादेशिक कार्यालय खोलने का विचार है।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

अधिकारियों को अध्ययन छुट्टी पर विदेशों में जाने की अनुमति

4807. **श्री गाडिलिंगन गौड़:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन अधिकारियों के श्रेणीवार, तथा मंत्रालयवार नाम क्या हैं, जिन्हें गत तीन वर्षों में अध्ययन छुट्टी पर विदेशों में जाने की अनुमति दी गई;

(ख) उन्होंने किस-किस विषय पर अध्ययन किया तथा मंत्रालय में वे क्या काम कर रहे हैं;

(ग) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं, जो गत तीन वर्षों में वापिस नहीं आये तथा विदेशों में ही बस गए; और

(घ) उनके मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)

(क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा इकट्ठी होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

World Bank Loan

4808. **Shri Valmiki Choudhary** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the World Bank has agreed to advance a loan of 5.5 crore dollars to India ;

(b) if so, the terms and conditions thereof ;

(c) the nature and quantity of material and raw material proposed to be imported with the help of that loan and the specific projects for which the requisite foreign exchange would be made available out of this loan ;

(d) whether the amount of foreign exchange required for the construction of bridge over the Ganga at Patna would also be provided out of this loan ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) :

(a) Yes, Sir.

The World Bank and the International Development Association have given assistance of US $ 55 million, shared equally by the two institutions, for telecommunications development in India.

(b) and (c) The details are given in the annexure. **[Placed in Library. See No. LT—1813/69].**

(d) and (e) Since the above assistance is meant for development of telecommunications facilities, it does not cover such items as construction of bridges.

क्लोरोटेट्रा साइक्लीन का उत्पादन और आयात

4809. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खनिज तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर–सरकारी क्षेत्र में क्लोरोटेट्रा साइक्लीन का कुल आयात अथवा उत्पादन क्या है तथा इसका कितना भाग मानव के उपयोग तथा पशुओं के भोजन के लिये प्रयोग किया जाता है ;

(ख) क्या यह ठीक है कि एक ब्रिटिश मैडिकल पत्रिका ने अपनी अन्तिम जाँच के बाद कहा है कि प्रति जीवाणु पदार्थों का यह ग्रुप मानव उपयोग के सर्वथा योग्य है;

(ग) देश में गायों, भैसों तथा बैलों के बहुत ही कमजोर स्वास्थ्य को देखते हुए, क्या सार्वजनिक उपयोग व पशु भोजन के लिये इस प्रति जीवाणु पदार्थ के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) पशुओं की और भारी संख्या में गरीब रोगियों की अत्यधिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्या ऋषिकेश प्रतिजीवाणु पदार्थ कारखाने में इस वर्ष से क्लोरोटेट्रा साइक्लीन का उत्पादन करने का निर्णय किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० र० चव्हाण) :

(क) गत दो वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र में क्लोरोटेट्रा साइक्लीन का उत्पादन निम्न प्रकार था:—

1967	934 किलोग्राम
1968	982.4

1968-69 को समाप्त हुए गत 4 वर्षों में इस सामग्री का कोई आयात नहीं हुआ है।

मानव के उपयोग तथा पशुओं के भोजन के लिए प्रयुक्त मात्रा के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) ब्रिटिश मेडिकल पत्रिका में जून 1968 में प्रकाशित एक लेख का यह निष्कर्ष था कि एक ब्राड स्पैक्ट्रम एण्टीबायोटिक्स उतना ही अच्छा है जितना की दूसरा।

(ग) कोई नियमित सर्वेक्षण नहीं किया गया है; लेकिन उपलब्ध सूचना के अनुसार लगभग 95 लाख रुपए मूल्य के ब्राड स्पैक्ट्रम एण्टी बायोटिक्स, पशु-अनुपूरक भोजन तथा पशु-चिकित्सा प्रयोग के लिये अन्य डौज़िज़ (खुराक) के रूप में बेचे जाते हैं।

(घ) मानव और पशु-चिकित्सा दोनों के उपयोग तथा पशु-अनुपूरक भोजन के लिए, ऋषिकेश कारखाने में क्लोरोटेट्रा साइक्लीन के निर्माण का प्रश्न विचाराधीन है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती कस्तूरबा गाँधी के नाम पर कर्जन रोड का नया नाम रखना

4810. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह तबताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने गाँधी शताब्दी वर्ष समारोह के अंग के रूप में स्वर्गीय श्रीमती कस्तूरबा गाँधी की याद में कर्जन रोड का नाम कस्तूरबा रोड रखने का निर्णय किया है;

(ख) क्या राजधानी में सड़कों तथा गलियों के नाम और पुनः नए नाम रखने के बारे में कोई सिद्धान्त बनाये गये हैं; और

(ग) क्या भारतीय इतिहास अध्यायों को लुप्त किए बिना उन्हें सम्मान दिए जाने के बारे में जनमत प्राप्त किया गया था?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी हाँ।

(ख) विशिष्ट सुझाव तथा प्रस्ताव प्राप्त होने पर नई दिल्ली नगरपालिका गुण तथा अवगुण के आधार पर उन पर विचार करती है

(ग) जी नहीं।

पश्चिम तथा पूर्व जर्मनी से ऋण

4811. **श्री हरदयाल देवगुण** : **श्री रामचन्द्र बीरप्पा** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) (एक) जर्मन संघीय गणराज्य तथा (दो) पूर्व जर्मनी की सरकारों द्वारा अब तक भारत सरकार को ऋण के रूप में कुल कितनी-धन राशि दी गयी है; और

(ख) क्या यह सच है कि ये ऋण पश्चिम तथा पूर्व जर्मनी सरकार द्वारा भारत को द्विपक्षीय पूंजी सहायता के अन्तर्गत दिए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) जर्मन संघीय गणराज्य ने भारत को कुल मिला कर 823.67 करोड़ रुपए का ऋण दिया है।

जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ कोई ऋण-करार नहीं किया गया है।

(ख) जर्मन संघीय गणराज्य ने, जो वित्तीय सहायता दी है वह भारत सरकार और जर्मन संघीय गणराज्य सरकार के बीच हुए द्विपक्षीय करारों के आधार पर दी गयी है।

भारत में गैर सरकारी उद्योगों के विकास के लिये पूर्व और पश्चिम जर्मनी से प्रस्ताव

4812. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में भारत में गैर-सरकारी उपक्रमों के विकास के लिये पश्चिम जर्मनी और पूर्व जर्मनी की सरकारों अथवा गैर-सरकारी अभिकरणों से भारत को कोई प्रस्ताव मिले हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो पश्चिम जर्मनी और पूर्व जर्मनी द्वारा किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी):

(क) और (ख) जी, नहीं। ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर भी, जो पूंजीगत सहायता प्रतिवर्ष हमें जर्मन संघीय गणराज्य से मिलती है उसमें एक व्यवस्था है जिसके अनुसार सहायता का एक भाग औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को दिया जाता है ताकि वे गैर-सरकारी क्षेत्र के छोटे और मध्यम पैमाने के उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आगे अपनी ओर से ऋण और/या किराया-खरीद की सुविधाएँ दे सकें।

ट्राम्बे उर्वरक कारखाने के विस्तार के लिए अमरीकी सहायता

4813. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ने ट्राम्बे उर्वरक कारखाने के विस्तार कार्यक्रम के लिये विदेशी मुद्रा में 360 लाख डालर का ऋण देने का प्रस्ताव वापस ले लिया है;

(ख) ट्राम्बे में ईरानी अमोनिया के प्रस्तावित प्रयोग को ध्यान में रखते हुए अब कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी; और

(ग) ट्राम्बे के विस्तार का क्या कार्यक्रम है और विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण):

(क) जी नहीं।

(ख) आयातित अमोनिया पर आधारित ट्राम्बे विस्तार की पूंजी लागत में विदेशी मुद्रा के अंश के 9.78 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ग) मामलों पर विचार किया जा रहा है।

फरक्का बांध

4814. **श्री दी० चं० शर्मा :** **डा० रानेन सेन :**

क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फरक्का बाँध के निर्माण में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या नदी तल प्रक्रम को निर्धारित समय से पहले इसे पूरा कर लिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस बाँध के निर्धारित समय से पहले पूरा हो जाने की आशा है?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) बराज की 109 खाड़ियों में से बाँये किनारे की 57 खाड़ियों और दायें किनारे की 12 खाड़ियों पर निर्माण-कार्य पूरे हो चुके हैं। शेष 40 खाड़ियाँ भी पूर्ण हो चुकी हैं और उनके पाये आर० एल० 59 अथवा उसके लगभग ऊँचे बन चुके हैं। बायें किनारे पर 50 खाड़ियों के लिए फाटक और फाटक-पुल भी पूरे हो चुके हैं। बायें किनारे की ओर से 49 खाड़ियों के लिए बराज के लिए सड़क-पुल पूरा हो चुका है।

(ख) और (ग) जी हाँ।

डा० भगवानदास मैमोरियल ट्रस्ट तथा ऑल इन्डिया बलाइंड रिलीफ सोसाइटी

4815. **श्री रामावतार शास्त्री**: क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डा० भगवानदास मेमोरियल ट्रस्ट और ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी के विरुद्ध सरकार को प्राप्त हुई शिकायतें लोक-कल्याण सभा नामक एक संस्था तथा इसके द्वारा गठित लाजपत नगर की भ्रष्टाचार-निरोध समिति द्वारा, जिसके महासचिव डा० ए० पी० आर० छिब्बर को आल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी की सेवा से निकाल दिया गया था, भेजी गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि लोक-कल्याण सभा का कार्यालय डा० छिब्बर के निवास स्थान पर है और इस सभा द्वारा समाज-सेवा का कोई कार्य नहीं किया जाता है;

(ग) यदि हाँ, तो संसद सदस्यों, मंत्रियों, पुलिस तथा भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति तक से कथित झूठी शिकायत करने के कारण इस संस्था तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि कोई अनियमितता अथवा शिकायत सही प्रमाणित नहीं हुई है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम द्वारा रोके गए अनुदान पुनः दिलाने के लिये क्या कार्यवाही करने का मंत्रालय का विचार है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) उपलब्ध सूचना के अनुसार डा० पी० आर० छिब्बर आल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी के एक भूतपूर्व चिकित्सा अधिकारी हैं। उन्हें जनवरी, 1966 में सेवा से निकाल दिया गया था।

(ख) और (ग) भारत सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है और दिल्ली प्रशासन से इस प्रसंग में जानकारी देने का अनुरोध किया गया है। दिल्ली प्रशासन से सूचना प्राप्त हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) जो शिकायतें प्राप्त हुई थीं वे दिल्ली प्रशासन को भेज दी गई हैं और विभिन्न मुद्दों पर जब तक उनका उत्तर प्राप्त नहीं हो जाता तब तक भारत सरकार के लिए इस मामले पर कोई भी कार्यवाही कर सकना संभव नहीं है।

कोयले के मूल्यों में वृद्धि

4816. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कई उद्योगों ने कोयले के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि के बारे में कोयला उत्पादन संघ तथा केन्द्र सरकार से विरोध प्रकट किया है;

(ख) कोयले तथा कोक के अनियंत्रण के पश्चात् इनके मूल्यों में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उद्योगों के लिए कोयलों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं।

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव):

(क) जी, हाँ। सरकार को कोयला उद्योग द्वारा कोयला मूल्यों में वृद्धि के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) 24 जुलाई, 1967 से कोयला मूल्यों पर से नियंत्रण हटा लिये जाने के परिणामस्वरूप कोयला मूल्यों को तय करना अब क्रेताओं और विक्रेताओं की आपस की बात है। रेलवे बोर्ड तथा इस्पात संयंत्रों ने 1 सितम्बर, 1967 से बंगाल-बिहार कोयले के लिये 5 रुपए प्रति मैट्रिक टन और मध्य प्रदेश तथा दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले कोयलों के लिये 4 रुपए प्रति मैट्रिक टन तथा आँध्र प्रदेश के कोयले के लिये 5.23 रुपए प्रति मैट्रिक टन की मूल्य वृद्धियाँ स्वीकार कर ली। जुलाई 1968 से रेलवे विभाग तथा कोयला उद्योग ने चुनी हुई श्रेणी के कोयलों के लिये 2 रुपए प्रति मैट्रिक टन तथा बंगाल–बिहार तथा दूरस्थ क्षेत्रों के श्रेणी–I के कोयलों के लिये 1 रुपया प्रति मैट्रिक टन और आँध्र प्रदेश के कोयलों के लिये 1.15 रुपए प्रति मैट्रिक टन की वृद्धियाँ मान लीं। 1 जुलाई, 1968 से 1.75 रुपए प्रति मैट्रिक टन की वृद्धि भी इस्पात संयंत्रों तथा कोयला उद्योग ने स्वीकार कर ली है।

Gold-Smuggling

4817. **Shri Ram Singh Ayarwal : Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it a fact that officers of the Central Excise Department had searched a car belonging to a Minister of the Mahdya Pradesh Government on Sagar-Bhopal Road between Ist April and 27th May, 1969 and recovered large quantity of gold from it ; and

(b) if so, the details of the gold recovered ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) :

(a) On the 21st May, 1969, an officer of the Narcotics Department accompained by the officers of Central Excise Collectorate, Nagpur, was checking the vehicular traffic for opium smuggling at Lehadra Naka checkpost situated on the outskirits of Sagar town on Bhopal-Sagar Road. The Central Excise sepoy stopped a car. Then the officers came to know that the car belonged to a Minister of the Madhya Pradesh Government, they allowed it to proceed.

(b) Does not arise.

श्री महेश योगी द्वारा 'रोल्स रायस' मोटरकार का खरीदा जाना

4819. **श्री मधु लिमये : श्री यमुना प्रसाद मण्डल :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान महेश योगी द्वारा 14,000 पौण्ड की एक पीली "रौल्स रायस" मोटरकार खरीदे जाने के बारे में लन्दन के "इवनिंग स्टैण्डर्ड" में प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें इतने पौण्ड कहाँ से मिले तथा क्या उन्हें विदेशी बैंक में खाता रखने की अनुमति दी गई थी; और

(ग) क्या इस संबंध में उन्होंने देश का कोई कानून भंग किया है और यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार जाँच कराने, उनका पासपोर्ट जब्त करने तथा उन पर अभियोग चलाने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) जिस खबर के बारे में कहा जाता है कि लन्दन के "इवनिंग स्टैण्डर्ड" समाचार-पत्र के 14 जून, 1969 के अंक में प्रकाशित हुई है, उसकी एक फोटो-प्रति संसद् सदस्य, श्री मधु लिमये ने सरकार को भेजी है। इस खबर के अनुसार "महर्षि महेश योगी ने 14,000 पौण्ड की एक पीली रोल्स रॉयस (गाड़ी) खरीदी है।"

(ख) और (ग) महर्षि महेश योगी द्वारा विदेशों में बैंक खाते रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से कोई अनुमति नहीं ली गयी है। इस बात की जाँच की जा रही है कि क्या जैसा समाचार में कहा गया है, महेश योगी ने उक्त कार खरीदी है, और यदि खरीदी है तो उसके लिए रुपयों का प्रबन्ध कैसे किया गया? इस जाँच के पूरी हो जाने पर ही यह बताना संभव हो सकेगा कि विदेशी मुद्रा विनिमय विनयमन अधिनियम 1947 के उपबन्धों का कोई उल्लंघन हुआ

है अथवा नहीं। उनका पासपोर्ट जब्त कर लेने अथवा उनके विरुद्ध इस्तगासे की कार्यवाही करने का प्रश्न अभी पैदा नहीं होता।

ओरियनन्टल फायर एण्ड जनरल इंशोरेंस कम्पनी के कानपुर स्थित कार्यालय में गबन

4820. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ओरियंटल फायर एण्ड जनरल इंशोरेंस के, जो जीवन बीमा निगम की एक सहायक कम्पनी है, कानपुर स्थित कार्यालय में लगभग 35,000 रुपए का गबन किया गया था;

(ख) क्या इस कम्पनी के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय के मामलों में कोई जाँच की गई थी; और

(ग) क्या कानपुर के क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय प्रबन्धकों की तथा दिल्ली के क्षेत्रीय प्रबन्धक की इस बीच पदोन्नति की जा चुकी है;

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार जीवन बीमा निगम कम्पनी द्वारा इस संबंध में जाँच आदेश दिया जा रहा है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) :

(क) जी नहीं। केवल इतनी बात हुई कि कम्पनी के एक कर्मचारी द्वारा 35,000 रुपए के एक धारक चैक को भुनाने की कोशिश की गयी थी जो नाकामयाब रही।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) अधिकारियों तथा कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने का प्रश्न कम्पनी का अपना आन्तरिक मामला है और सरकार उसमें दखल नहीं देती। अधिकारियों के, हाल ही में, किए गए स्थानान्तरण हस्ब मामूल किए गए थे।

(ङ) जिस कर्मचारी ने चैक को भुनाने की कोशिश की थी, कम्पनी ने उसे मुअत्तल कर दिया है तथा इस बारे में आगे कार्यवाही की जा रही है।

Pecuniary Benefits to Government Employees

4821. **Shri Valmiki Choudhary** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether some additional pecuniary benefits are given to Government Servants whose places of duty are far away from their families or where modern amenities of life are not available and who have to work in uncongenial conditions such as scorching heat near furnaces and if not, the reasons therfor ; and

(b) whether some additional facilities are proposed to be provided under such circumstances and if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) :

(a) Additional pecuniary benefits by way of Remote Locality Allowance are given to Government Servants whose places of duty are in difficult terrain, remote and isolated areas. Bad Climate Allowance is given to Government Servants posted at unhealthy localities and Govern-

ment Servants posted in Project areas are given Project Allowance to compensate them for difficult living conditions.

(b) The existing concessions are considered adequate and there is no proposal to provide additional facilities.

प्रधान मंत्री के लिए नया निवास-स्थान

4822. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री के नये निवास-स्थान पर कितनी राशि खर्च की जायेगी और यह कब बन कर पूरा हो जायेगा; और

(ख) क्या प्रधान मंत्री का नया भवन 10, डाउनिंग स्ट्रीट, लन्दन की तरह एक स्थायी सरकारी निवास स्थान होगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) और (ख) प्रधान मंत्री के नये सरकारी निवास स्थान, जिसके द्वारा एक स्थायी प्रबन्ध की व्यवस्था करना अभीष्ट है, के बारे में काम अभी आयोजना की अवस्था में है। निर्माण पर खर्च की जाने वाली राशि, अन्तिम रूप से स्वीकृत डिजाइन और विशिष्टियों पर निर्भर करेगी। इस अवस्था में यह कहना संभव नहीं है कि यह कब पूरा हो जायेगा।

राजस्थान में बिजली की दरों का पुनरीक्षण

4823. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में बिजली की दरों का पुनरीक्षण करने के लिए, जो वहाँ पर देश में सबसे अधिक हैं, राज्य सरकार द्वारा स्थापित की जाने वाली प्रशुल्क समिति में केन्द्रीय सरकार को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार अथवा राजस्थान सरकार ने ऐसे लोगों को, जिनमें सबसे अधिक दर वसूल की गई है और विशेष रूप से अकालग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रतिकर देने हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) रोशनी तथा उपयोग के लिए बिजली की राज्य दर लाग करने में, जैसा कि पंजाब में किया गया है, राजस्थान को कितना समय लगेगा; और

(घ) अकालग्रस्त क्षेत्रों में और विशेष रूप में बीकानेर डिवीजन में अब तक कितने नलकूपों के लिये बिजली की व्यवस्था की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद):

(क) बिजली (सप्लाई) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को यह अधिकार है कि वह समय-समय पर टैरिफ की दरों का समंजन कर सके ताकि बोर्ड को अपने कार्यों में हानि न हो। बिजली बोर्ड ने एक टैरिफ समिति बनाई है; इस समिति में केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों का होना आवश्यक नहीं है।

(ख) राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड सभी उपभोक्ताओं से सब जगह सामान्य टैरिफ के अनुसार शुल्क ले रहा है, इसलिए मुआवजे का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) घरेलू रोशनी, पंखे और घरेलू पावर के लिए एकमात्र दर का टैरिफ लागू करने का प्रश्न टैरिफ समिति के विचाराधीन है ।

(घ) 31-3-1969 तक, 18,795 कुएं ऊर्जित हो गए जिनमें से 2,843 बीकानेर मंडल में हैं और ;2169 जोधपुर मंडल में । ये दोनों मंडल अधिकतर दुर्भिक्षग्रस्त रहते हैं ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की सैक्शनल अफसर एसोशिएशन द्वारा दिया गया मांग पत्र

4824. **श्री सोमसुन्दरम** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की सेक्शनल अफसर एसोसियेशन द्वारा एक वर्ष पहले एक माँग-पत्र दिया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्रियान्विति के लिए सिद्धान्त रूप में स्वीकार की गई माँगों का ब्यौरा क्या है, विचाराधीन माँगों का ब्यौरा क्या है तथा क्रियान्वित की गई माँगों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सभी उचित माँगों को स्वीकार करने तथा स्वीकार की गई माँगों को क्रियान्वित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) से (घ) माँगों का ब्यौरा तथा इन माँगों पर की गई कार्यवाई या की जा रही कार्यवाई का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1814/69]**

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को हानि

4825. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को वर्ष 1967-68 में 233 लाख रुपये की हानि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसी क्षेत्र में गैर-सरकारी निर्माताओं को बहुत लाभ हो रहा है; हानि होने के क्या कारण हैं;

(ग) कितने मूल्य का अनबिका माल स्टाक में जमा है और इन उत्पादों की कोई माँग न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) कितने अनबिके शल्य क्रिया उपक्रम स्टाक में हैं और उनका मूल्य कितना है तथा उनके सरकारी अस्पतालों तक को न बेचे जाने के क्या विशिष्ट कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण):

(क) जी हाँ। इसमें ह्रास तथा ब्याज भी शामिल है।

(ख) हानि के निम्न कारण हैं :—

(1) यह औद्योगिक उत्पादन के लिए एंटीबायोटिक्स तथा सिन्थैटिक्स ड्रग्स संयंत्रों के निर्माण-कार्य, आरम्भ, चालू तथा उनमें परीक्षण उत्पादन करने का वर्ष था;

(2) माँग में कमी होने के कारण सर्जिकल इंस्ट्रमेंट्स प्लाँट में कम उत्पादन;

(3) मूल औषधियों का निर्माण जो उन औषधियों से भिन्न हैं जिन पर ब्रांड के नाम होते हैं तथा लाभ की अधिक गुंजाइश होती है।

(ग) 31 मार्च, 1969 को स्टाक में पड़ी तैयार वस्तुओं का मूल्य 2.16 करोड़ रुपये था। सामान्य रूप से यह कहना ठीक नहीं है कि कम्पनी के उत्पादों की कोई माँग नहीं है। कुछ औषधियों की तुरन्त बिक्री नहीं हो सकी, क्योंकि बाजार में आयातित औषधियाँ सस्ते दामों पर उपलब्ध थीं।

(घ) मार्च, 1969 के अन्त में स्टाक में 2,38,195 औजार थे जिनकी कीमत 17.31 लाख रुपये थी। यह मुख्यत: वे औजार थे जो 1967–68 से पहले बनाये गये थे और मेडिकल संस्थानों तथा सरकारी अस्पतालों से माँग न होने के कारण नहीं बेचे जा सके थे। तब से उत्पादन प्राप्त आदेशों तक ही सीमित कर दिया गया है। वर्ष 1968–69 के दौरान बनाये गये सर्जिकल औजारों की, जो मुख्यत: परिवार नियोजन के औजार हैं, बाजार में तुरत बिक्री हुई है।

कांगो में हीरे निकालने के कार्य में भारत द्वारा पूंजी लगाये जाने के लिये कांगो सरकार की प्रार्थना

4826. श्री जनार्दन। श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगो सरकार द्वारा संचालित एक कम्पनी 'ग्रेमिको' ने काँगो में हीरे और अन्य अलोह धातुएँ निकालने में भारत द्वारा पूंजी लगाये जाने तथा तकनीकी सहायता दिये जाने के लिये एक प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव):

(क) से (ग) इस सूचना को प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं है।

विशाखापत्तनम में जस्ता पिघलाने का कारखाना (जिंक स्पेल्टर प्लांट)

4827. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशाखापत्तनम में सरकारी क्षेत्र में जस्ता पिघलाने का एक कारखाना स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव):

(क) और (ख) जी, नहीं। इस समय विशाखापत्तनम स्थान पर जस्ता प्रद्रावक की स्थापना के लिए पोलैंड के अभिकरण द्वारा एक विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। प्रायोजना रिपोर्ट के मिल जाने पर यदि प्रायोजना की आर्थिक उपादेयता तथा सम्भाव्यता सिद्ध हुई तथा साथ ही संसाधनों की उपलब्ध होने की स्थिति में प्रायोजना के कार्यान्वयन के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

Review of Rent of Various Types of Government Residences

4828. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that review of rent of various types of quarters was made in 1969 ;

(b) whether it is also a fact that the rent of Type I to Type IV Quarters has been increased but no orders for the increase of other types of Quarters allotted to officers has been issued so far and if so, the reasons therefor ;

(c) whether the Estate Office has recovered rent on compensatory city allowance with effect from December, 1968 and the merger of Dearness Allowance with effect from February, 1968 and if so, the reasons thereof ; and

(d) the reasons for not providing special facilities in Type IV Quarters of Gole Market area and such as call-bell, wash basin and pucca verandahs due to increase in house rent and upgrading of these quarters ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) and (b) Review of rents of various types of quarters has been considered and while orders in respect of Types II to IV quarters were issued on the 5th April, 1969, the Orders in respect of residences in Types V to VIII have to be issued yet. However, it has been decided that the increase in respect of residences in all the types would take effect not from Ist March, 1969 but from a subsequent date which is being decided.

(c) Rent on merged Dearness Allowance has been recovered with effect from 1st February, 1969 as orders merging the dearness allowance were issued on the 18th January, 1969 and it was decided not to recover rent thereon with retrospective effect. However, as the merging of dearness allowance took effect from the Ist December, 1968 and the employees got increased city compensatory allowance from that date, rent was recovered on the increased city compensatory allowance from that date.

(d) Type IV Quarters in Gole Market area are old and have to be demolished at a not distant date. As such it is not considered advisable to spend much amount on providing pucca verandhas and other facilities to these quarters. Call-bell is not within the sanctioned scale of electric fittings for Type IV quarters. Wash basins were not provided at the time of original construction. These are provided on the specific requests of the allottees on payment of additional rent.

दिल्ली के लोगों के प्रयोग के लिए गंगा का पानी

4829. **श्री निहाल सिंह :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी की जनता का स्वास्थ्य सुधारने के लिए सरकार का विचार पाइप-लाइन के जरिये राजघाट (अलीगढ़) से गंगा नदी का पानी दिल्ली लाने का है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति)

(क) से (ग) अलीगढ़ से पाइपलाइनों के जरिये गंगा का पानी दिल्ली लाने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है फिर भी, अपर गंगा नहर से हिण्डन कट के माध्यम से 200 कुसेक पानी लेकर दिल्ली की जल पूर्ति को बढ़ाने के लिए सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली नगर निगम के बीच एक करार ठीक करने में सहायता कर रही है। यह पानी राम गंगा परि-योजना के पूरा हो जाने के पश्चात् मिलने लगेगा । इस कार्य के 1972–73 में पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 'एस्सो', 'बर्मा-शेल' और 'कालटैक्स' को 'रोस्तम' अशोधित तेल की सप्लाई

4830. **श्री विरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 'एस्सो', 'बर्मा-शेल' और 'कालटैक्स" को 'रोस्तम' अशोधित तेल देना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 'रोस्तम' अशोधित तेल में गंधक का अंश अधिक होता है और केवल मद्रास तेल शोधन कारखाने में ही गंधक निकालने का संयंत्र है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार का विचार विदेशी तेल कम्पनियों को 'रोस्तम' अशोधित तेल प्रयोग करने के लिए सहमत कराने का है यद्यपि कानूनी तौर पर वे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण):

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने एस्सो, बर्मा-शेल और कालटैक्स को 'रोस्तम' कच्चे तेल की मात्राओं का, जिन्हें उक्त आयोग अगस्त 1969 से सितम्बर, 1970 की अवधि में उठाने का विचार रखता है, बेचने की पेशकश भेजी है ।

(ख) जी नहीं । रोस्तम कच्चे तेल में वजन में लगभग 1.6 प्रतिशत मीडियम सल्फर (मध्यम गंधक) अंश है । मद्रास शोधन-शाला में गंधक निकालने का संयंत्र है । कोचीन शोधन-शाला के अतिरिक्त किसी तटीय शोधनशाला में डीजल तेल में से गंधक निकालने की सुविधाएँ

नहीं हैं । कोचीन शोधनशाला का गंधक निकालने वाला संयंत्र प्राथमिक रूप में मिट्टी के तेल के लिए है और इसकी क्षमता का थोड़ा अंश डीजल तेल के उत्पादन के लिए इस्तेमाल हो सकता है । यद्यपि बर्मा-शेल, एस्सो और कालटैक्स में रोस्तम कच्चे तेल को साफ करने में कुछ कठिनाइयाँ उपस्थित हो सकती हैं परन्तु उन पर काबू पाया जा सकता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Charter of Demands Presented by Amjhore Mine Workers' Union, Shahabad District, Bihar

4831. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it a fact that a charter of demands was approved at the general meeting of the workers organised on the 7th July, 1969 under the auspices of the Amjhore Mine Workes' Union in Shahabad District, Bihar ;

(b) whether it is also a fact that the Union has forwarded the said chater to the officers of the Mine run by Pyrites and Phosphate Chemicals Limited, Amjhore; and if so, the details thereof ; and

(c) whether Government have considered the aid charter; and if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannth Rao) :

(a) and (b) It has been reported by the management of Pyrites, Phosphates & Chemicals Ltd. that about 50 workers gathered near the Project site at Amjhore on the 7th July 1969. A statement of demands received from the Amjhore Khan Mazdoor Union (a non-recognized Union) by the Management, is laid a on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT—1815/69].**

(c) These matters fall within the jurisdiction of the Company. The Pyrites, Phosphates & Chemicals Ltd., have reported that most of the demands made by the Amjhore Khan Mazdoor Union have been raised from time to time by the recognised Union—Rastriya Pyrites Mazdoor Sangh—and dicussed by the management with them. In many cases settlement has been arrived at and in some cases discussions/negotiations with the said recongised union are going on.

Insanitary Conditions in Patna City

4832. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is fear of epidemic breaking out in the Patna City, Bihar due to total absence of sanitary arrangements and consequent insanitation there ;

(b) whether it is also a fact that all the roads in Patna City are in bad condition and have not been repaired for many years ; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government to clean the City and repair the roads and streets there ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) to (c) The State Government has reported that necessary arrangement for sanitation for Patna Corporation has been made. A sanitation drive has been launched and lifting of garbage, cleaning of drains and other measures are being taken. Necessary action against epidemic like cholera has also been taken. It is also reported that roads in Patna city are in bad condition and require immediate repairs. The State Government has sanctioned Rs. 2 lakhs for urgent repairs of roads during 1969-70. A sum of Rs.3 lakhs had been sanctioned last year for taking up improvement of some important roads.

Patna Water Board

4833. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing ad Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of employees working in the Patna Water Board ;

(b) whether it a fact that the Government of Bihar had given an award in regard to pay scale of employees which was to be implemented from April, 1964, whether the officers of the Water Board have not implemented the said award so far ; if so, the reasons therefor ;

(c) the time by which Government intend to implement the said award ;

(d) whether it is also a fact that the Water Board have not implemented the Orders issued by Government regarding regularising the annual increments to the employees, if so, the reasons therefor ; and

(e) the action proposed to be taken by the Government to implement them ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B S. Murthy) :

(a) 292.

(b) No such award has been given by the Government of Bihar.

(c) Does not arise.

(d) No such orders are reported to have been issued by the State Government.

(e) Does not arise.

सिन्धु नदी के जल में कच्छ का हिस्सा

4834. **श्री यशपाल सिंह**: क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्छ के लोगों ने सिन्धु नदी के जल में हिस्सा माँगा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) और (ख) कच्छ की जनता के कुछ सदस्यों से दो अभ्यावेदन आये हैं जिनमें माँग की गई है कि कच्छ को सिन्धु नदी से पानी दिलाया जाए और कच्छ के दावे को शामिल करने के लिए सिन्धु जल सन्धि का संशोधन किया जाए और इस प्रश्न को फिर से उठाया जाय।

इस प्रकार के अभ्यावेदन पहले भी मिले थे और अभ्यावेदकों को सूचित कर दिया गया था कि सिन्धु जल सन्धि, 1960 के अधीन जिसमें सिन्धु नदी प्रणाली के पानी के उपयोग के

सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण और परिसीमन किया गया है, सन्धि में विशिष्ट रूप से उल्लिखित कुछ उपयोगों को छोड़ कर, पश्चिमी नदियों (चिनाब, झेलम और सिन्धु) का सारा पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया है ।

डी० डी० टी० मिश्रणों का मानवों पर प्रभाव

4835. **श्री अदिचन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वीडन के एक वैज्ञानिक डा० एल-ओयेफ्रोथ ने हाल में कहा है कि इस बात के पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि निरन्तर डी० डी० टी० मिश्रणों के प्रभाव में रहने से मानवों पर अज्ञात परिणाम हो सकते हैं;

(ख) क्या कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने भी यही मत व्यक्त किया है;

(ग) क्या कुछ देशों ने, जैसे स्वीडन और डेनमार्क, पहले ही डी० डी० टी० मिश्रणों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या भारत में डी० डी० टी० मिश्रणों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने अथवा उसे सीमित करने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी हाँ ।

(ख) काफी समय तक डी० डी० टी० के प्रभाव में रहने से क्या परिणाम हो सकते हैं इस बात के निर्धारण के लिए अनेक देशों में अनुसंधान किये जा रहे हैं मनुष्यों पर होने वाले संभाव्य परिणामों के बारे में अभी तक कोई मैतक्य नहीं है ।

(ग) डी० डी० टी० के उपयोग पर जनवरी 1970 से प्रतिबन्ध लगाने के स्वीडन के विचार की सूचनाएँ मिली हैं । डेनमार्क के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(घ) बहुत वर्षों से सारे विश्व में कृषि के काम में डी० डी० टी० का कीटनाशक तथा जन्तु-नाशक के तौर पर व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है । डी० डी० टी० के छिड़काव से खतरा नाममात्र का है । गत 1) वर्षों में भारत में डी० डी० टी० के उपयोग से विषाक्तता की घटनाएँ होने की कोई सूचना नहीं है । प्रभावित क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण के लिए डी० डी० टी० का छिड़काव नियमित रूप से करना पड़ता है और इसके उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई विचार नहीं है ।

बम्बई में सोना तथा घड़ियां पकड़ी जाना

4836. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टरी के उड़न दस्ते एवं निवारक विभाग के अधिकारियों ने 11 जुलाई, 1969 को बम्बई नगर से पाँच मील तक पीछा करके अवैध माल से लदी एक कार से 16 लाख रुपये का सोना तथा 17 लाख रुपये के मूल्य की घड़ियां बरामद की थीं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) और (ख) 11 जुलाई, 1969 की रात को बम्बई के केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समाहर्त्ता-कार्यालय के अधिकारियों ने तीन मील तक पीछा करने के पश्चात् एक कार को रोका उसमें से 9 जेकटें बरामद कीं जिनमें विदेशी मार्के का अर्थात् फ्रांस तथा स्विटजरलैंड के मार्के का 9,000 तोले (लगभग 105 किलोग्राम) सोना था, जिसका अन्तर्राष्ट्रीय दर पर मूल्य कोई 8.86 लाख रुपये तथा बाजार दर पर मूल्य 16 लाख रुपये होता है। साथ ही कार में से 22 कनस्तर भी बरामद किये जिनमें लगभग 14 लाख रुपये मूल्य की 14479 कलाई घड़ियाँ थीं। लगभग 12,000 रुपये कीमत की कार और सोना तथा घड़ियाँ पकड़ ली गई हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी है। कार में अकेला ड्राइवर ही था जो अंधेरे में भाग गया। माल का किसी ने दावा नहीं किया है। आगे जाँच-पड़ताल चल रही है।

राज्यों में शान्ति सेना (पीस कोर) के कार्यकर्ता

4837. **डा० रानेन सेन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में शाँति सेना के कार्यकर्ता भारत में विभिन्न राज्यों में काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार उनके कार्य तथा पूर्ववृत का कोई अभिलेख रखती है; और

(ग) यदि हाँ, तो उनके कार्य का स्वरूप क्या है और इस बारे में विभिन्न राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) 1 अगस्त, 1969 को अमरीकी शान्ति सेना के 532 स्वयंसेवक काम कर रहे थे।

(ख) और (ग) स्वयंसेवकों की सेवाएँ राज्य सरकारों के अनुरोध पर ही प्राप्त की जाती हैं और उनको प्रवेश के लिए मंजूरी देने से पहले, सामान्य तरीके के अनुसार, उनके पूर्व-वृत्त की जाँच की जाती है। ये स्वयंसेवक कृषि विस्तार, स्वास्थ्य और पोषाहार, ग्रामीण जनशक्ति और परिवार-नियोजन आदि विभिन्न विकास-सम्बन्धी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। राज्य सरकारों के सम्बद्ध अभिकरण उनके काम पर नजर रखते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं। इसके अलावा, विदेशी पंजीयन अधिनियम के उपबन्ध उन पर लागू होते हैं और इन उपबन्धों को स्थानीय पुलिस अमल में लाती है।

अमरीकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा दी गई भारतीय वैज्ञानिकों को अधि-छात्रवृत्तियाँ

4838. **श्री वे० कृ० दासचौधरी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या अमरीकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाओं ने तीन युवा भारतीय वैज्ञानिकों को अधि-छात्रवृत्तियाँ दी हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन लोगों को ये अधि-छात्रवृत्तियाँ दी गई हैं और उनके अनुसंधान-कार्य के लिए क्या विस्तृत कार्यक्रम निर्धारित किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब०सू० मूर्ति) :

(क) जी हाँ ।

(ख) जिन कर्मचारियो को शिक्षावृत्तियाँ दी गई हैं उनके नाम तथा उनके अनुसंधान-कार्य के लिए निर्धारित विस्तृत कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :—

1.	डा० जे० एस० बवेजा, औषधविज्ञान के व्याख्याता, एस० एम० एस० मेडिकल कालेज, जयपुर ।	साइक्लोट्पिक की कार्य-प्रणाली में न्यूरोहारमोन्स की भूमिका ।
2.	डा० (श्रीमती) उषा नायर, क्रिया विज्ञान की सहायक प्राध्यापक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।	(i) गैस्ट्रिक वेगस नर्व के केन्द्रीय प्रोजेक्शन्स (ii) हाइपोथेलेमिक आहार केन्द्रों की विद्युतकीय क्रिया; फैनफ्लूरेमिन (भूख मन्द करने वाला) का प्रभाव
3.	डा० एन० सी० पाण्डेय, जीव-रसायन शास्त्र के प्राध्यापक, एस० सी० बी० मेडिकल कालेज कटक ।	(i) न्यूक्लिक एसिड का पृथक्करण और अध्ययन एव मधुमेह वाले जानवरों के अग्नयाशय का अध्ययन (ii) डाइबिटीज मैलीट्स में अग्न्य कोशाशयी के मूल प्रोटीनों का अध्ययन एवं पृथक्करण ।

आसाम के पैट्रो-रसायन उद्योगों में जीवन बीमा निगम का अंशदान

4839. **श्री बे० कु० दासचौधरी :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम हाल ही में आसाम में स्थापित किये जाने वाले पेट्रो-रसायन उद्योग में भागीदार होगा;

(ख) भागीदार का विस्तृत व्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अन्य राज्यों में ऐसी भागीदारी का विचार किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दो० रा० चव्हाण) :

(क) राज्य सरकार जीवन बीमा निगम के साथ मामले पर अभी तक बातचीत कर रही है ।

(ङ) इस स्थिति में प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) गुजरात में सरकारी क्षेत्र में केवल दूसरा पेट्रो-रसायन उद्योग-समूह एक केन्द्रीय आयोजन परियोजना है और इसके लिए वित्त व्यवस्था केन्द्रीय सरकार की योजना संसाधनों तथा पश्चिमी जर्मनी सरकार के ऋण से की गई है । राज्य सरकार की परियोजनाओं के बारे में, सम्बद्ध राज्य सरकारों को मामले पर विचार करना तथा उचित कार्यवाही करनी होती है ।

नई दिल्ली में 37 मंजिल के भवन का निर्माण

4840. **श्री कृ० गु० देशमुख :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका ने नई दिल्ली में नगर पालिका के कार्यालयों आदि के लिए 450 फुट ऊँचे 37 मंजिल के भवन के निर्माण का एक प्रस्ताव सरकार को भेजा है;

(ख) योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस विशाल परियोजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है ;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने के बारे में अनुमति दे दी है; और

(घ) यदि हाँ, तो निर्माण-कार्य कब तक आरम्भ होने की आशा है और इसके पूरा होने में अनुमानतः कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी नहीं ।

(ख) नई दिल्ली नगरपालिका ने बतलाया है कि यह परियोजना अभी तक योजना अवस्था में है ।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

नई दिल्ली नगरपालिका के अध्यक्ष तथा अधिकारियों के आचरण की जाँच

4841. **श्री सीताराम केसरी:** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली में वृहद् योजना, क्षेत्रीय योजना तथा निर्माण उपनियमों के नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा किये गये कथित उल्लंघन के बारे में जाँच कराने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय जाँच विभाग को जाँच-कार्य सौंपा जायगा; और

(ग) सरकार ने नई दिल्ली नगरपालिका के अध्यक्ष तथा कुछ अन्य अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जाँच विभाग द्वारा लगाये गये आरोपों के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) कथित उल्लंघन के मामले (मामलों) के ब्यौरे के अभाव में स्थिति का पता लगाना सम्भव नहीं है ।

(ख) ऊपर स्पष्ट की गई स्थिति को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

पैट्रोलियम कोक

4842. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में 50,000 मीटरी टन पैट्रोलियम कोक फालतू है और इसके निर्यात की अनुमति नहीं दी जा रही;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसका स्टाक जमा करना और इस प्रकार विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक अच्छा साधन खोना वांछनीय है;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में केवल एक निस्तापन (कैलसीनेशन) संयंत्र है और देश में उपलब्ध पैट्रोलियम कोक का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए उसकी क्षमता पर्याप्त है;

(घ) क्या निस्तापित कोक के उत्पादन की किन्हीं परियोजनाओं को इस समय कार्यान्वित किया जा रहा है और यदि हाँ, तो वे कब चालू हो जायेंगी; और

(ङ) क्या भविष्य में पैट्रोलियम कोक की संभाव्य उपलब्धता तथा निस्तापित कोक के उत्पादन के लिए स्थापित की जाने वाली क्षमता के बारे में कोई अध्ययन किया गया था जिससे यह पता चला है कि पैट्रोलियम कोक के निर्यात की कोई सम्भावना नहीं है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण):

(क) और (ख) देश में पैट्रोलियम कोक का सारा उत्पादन निस्तापन उद्योग, एल्युमिनियम तथा सम्बद्ध उद्योगों के लिए रख दिया है । उपभोक्ता समय-समय पर इसे ले जाते हैं, और ऐसा हो जाता है कि किसी तारीख को शोधक कारखानों में कुछ स्टाक पड़ा हो। क्योंकि सारा कोक, देश के उद्योगों के प्रयोजन के लिए रख दिया है, निर्यात बन्द कर दी गई है ।

(ग) और (घ) जी हाँ । गौहाटी में एक निस्तापन संयंत्र है जो देश में उत्पादित सारे कच्चे पैट्रोलियम कोक के निस्तापन के लिए पर्याप्त नहीं है । किन्तु भारतीय तेल निगम ने एक दूसरी परियोजना बना ली है, जिसके 1970 के मध्य तक चालू हो जाने की आशा है । इन दो परियोजनाओं में सारा पैट्रोलियम कच्चा कोक निस्तापित किया जायेगा ।

(ङ) इस अध्ययन से पता चला है कि आने वाले वर्षों में माँग में वृद्धि होगी हालाँकि पैट्रोलियम कोक के उत्पादन में वृद्धि की कोई तत्काल संभावना नहीं है, अतः निर्यात की कोई संभावना नहीं है ।

विशाखापत्तनम में जस्ता पिघलाने का संयंत्र

4843. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोलैंड के तकनीकी सहयोग से विशाखापत्तनम में जस्ता पिघलाने की परियोजना को 1966 में आरम्भ किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ आरम्भिक कार्य करने के बाद चौथी योजना के प्रारूप में शामिल न किये जाने के परिणामस्वरूप इस परियोजना को हाल ही में त्याग दिया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने अब इस परियोजना का कार्य आरम्भ करने का निर्णय किया है और इस प्रयोजना के लिए शायद नया व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करना पड़ेगा; और

(घ) पहले इस परियोजना को आरम्भ करने के बाद में इसे छोड़ देने और फिर आरम्भ करने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, हाँ । प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रायोजना को कार्यान्वित करने के लिए संसाधनों की सीमितता के कारण 23 सितम्बर, 1966 से निलम्बित कर दिया गया था ।

(ग) और (घ) जस्ते धातु की माँग तथा इसकी स्वदेशी उपलब्धता के बीच बहुत अधिक अन्तर के सन्दर्भ में मार्च, 1968 में अतिरिक्त जस्ता प्रद्रावक की स्थापना के प्रश्न पर विचार हुआ और अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने की आवश्यकता को महसूस किया गया । तदनुसार, पोलैंड के अभिकरण, मेसर्स सेन्ट्रोजेप को जस्ता प्रद्रावक के निर्माण में भारतीय कारीगरी तथा उपलब्ध स्वदेशी संयंत्र तथा मशीनरी के अधिकतम उपयोग की शर्त के साथ प्रायोजना रिपोर्ट के बाकी बचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए कहा गया । विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट के मिलने पर यदि उससे प्रायोजना की आर्थिक उपादेयता सिद्ध हुई और यदि संसाधनों की स्थिति अनुकूल हुई तो प्रायोजना के कार्यान्वयन पर विचार किया जायगा ।

Irrigational Opportunities

4844. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the amount of money earmarked by the Central Government for various States in 1969-70 budget and the names of the States in which Government propose to implement their separate scheme with a view to make available more irrigational opportunities ; and

(b) the amount of shares of the Central Government and the State Governments concerned separately in aforesaid scheme ?

The Deputy Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) and (b) Irrigation projects form part of the developmental plans of the States and provision for them is made in the budgets of the respective Governments. During the Fourth Plan, Central assistance to the States for implementing their Plans will be in the form of block grants / loans and will not be tied to individual projects or Heads of Development. However, the outlays for specified continuing major irrigation projects are earmarked by the Planning Commission, A State-wise list of the irrigation projects for which outlays have been earmarked is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. 1816/69].**

Setting Up of a Medical College in Ujjain, M. P.

4845. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of years for which a demand for the setting up of a medical college in the prominent city of Ujjain, Madhya Pradesh has been made ;

(b) whether Central Government have agreed to the said demand and whether the University Grants Commission and the Planning Commission have also agreed that steps should be taken in this regard ; and

(c) the time by which medical college is likely to be set up in Ujjain ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c) Some representations for the establihment of a medical college at Ujjain were received by the Central Government in the year 1967. The location of new medical colleges is, however, determined by the State Governments. The Government of Madhya Pradesh have informed that they do not propose to start a new medical college at Ujjain.

दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

4846. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने 21 जुलाई, 1969 को हड़ताल की थी;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें तथा शिकायतें क्या हैं;

(ग) क्या उन्होंने सरकार को कोई ज्ञापन दिया है; और

(घ) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) :

(क) जी हाँ । दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के एक वर्ग ने 21 जुलाई, 1969 से हड़ताल की थी ।

(ख) दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की माँगों तथा शिकायतों की एक सूचि

सभा-पटल पर रखी जाती है। (परिशिष्ट 'क') **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1817/69]**

(ग) और (घ) दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने इस मंत्रालय को कोई लिखित ज्ञापन नहीं दिया है। तथापि 21-6-69 को हुई एक बैठक में स्वास्थ्य, निर्माण तथा आवास मंत्री ने दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों और दिल्ली प्रदेश वाल्मीकि मजदूर संघ के प्रतिनिधियों के साथ सफाई कर्मचारियों की कुछ शिकायतों के बारे में विचार-विमर्श किया था। दिल्ली नगर निगम ने बतलाया है कि दिल्ली प्रदेश वाल्मीकि मजदूर संघ तथा निगम के बीच समझौता हो गया है जिसके अनुसार निगम ने कुछ माँगें स्वीकार कर ली हैं, कुछ माँगों को संघ ने छोड़ दिया है, कुछ पर समझौता बोर्ड द्वारा विचार किया जाना है, तथा कुछ माँगों के बारे में संघ सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क करेगा।

पटना चिकित्सा महाविद्यालय

4847. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना चिकित्सा महाविद्यालय के छात्रों ने जुलाई, 1969 में प्रधानाचार्य को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर दिया और अपनी माँगें मनवाने के लिए हिंसात्मक कार्य भी किये; और

(ख) यदि हाँ, तो स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)

(क) और (ख) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि 6 जुलाई, 1969 से पटना मेडिकल कालेज के तृतीय वर्ष के छात्रों के एक वर्ग ने अपनी कुछ शिकायतें दूर करवाने के लिये आन्दोलन शुरू किया। 7 जुलाई को उपकुलपति ने छात्रों के उपद्रव के बारे में पुलिस को सूचना दी और कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए तुरन्त ही पुलिस की सहायता उपलब्ध की गई। तथापि 9 जुलाई को आन्दोलन अधिक तीव्र हो गया। 10 जुलाई को कुछ छात्रों ने प्रिंसिपल का घेराव कर लिया और उन्हें त्याग-पत्र देने के लिए विवश किया। पुनः 11 जुलाई को लगभग 200 छात्रों ने उपकुलपति का घेराव किया और उन्हें त्याग-पत्र देने के लिए कहा। उससे अगले दिन 12 जुलाई को वह सीनेट हाल में जहाँ कि एम० बी० बी० एस० की अन्तिम वर्ष की परीक्षा हो रही थी, घुस गये और परीक्षार्थियों के काम में विघ्न डाला जिसके कारण परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। तत्पश्चात्, 14 जुलाई को छात्रों का एक समूह विश्वविद्यालय के कार्यालय में घुस गया और कार्यालय की सम्पत्ति को हानि पहुँचाई। तथापि पुलिस के हस्तक्षेप करने पर वे तितर-बितर हो गये। पुलिस ने इस घटना की जाँच-पड़ताल करने के लिए एक मामला दर्ज किया। विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं छात्रों में एक समझौता हो गया और तत्पश्चात् छात्रों ने अपना आन्दोलन समाप्त कर दिया।

श्रेणी 1 के निवारक अधिकारी नियुक्त करने के लिये कोचीन सीमा-शुल्क कार्यालय द्वारा ली गई परीक्षा

4848. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री सी० के० चक्रपाणि : **श्री अ० कु० गोपालन**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रेणी–1 के निवारक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए कोचीन सीमा-शुल्क कार्यालय में, जब श्री वंद्योपाध्याय सीमा-शुल्क कलक्टर थे, एक परीक्षा ली गई थी;

(ख) क्या सफल अभ्यर्थियों के नामों की घोषणा करने के बाद परीक्षा परिणाम इस आधार पर रद्द कर दिये गये थे कि तलाशी तथा आसूचना निरीक्षक ने, जिसने प्रश्न-पत्र बनाए थे और उत्तर पत्रों को जाँचा था, प्रश्न-पत्र बता दिया था और रिश्तेदारी के नाते एक अभ्यर्थी के उत्तर पत्र में फेर-बदल कर दी थी; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस आरोप की जाँच की गई है, और उसका क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) जी, हाँ।

(ख) परीक्षा के परिणाम रद्द कर दिए गए थे परन्तु परिणाम प्रश्न में उल्लिखित कारणों से रद्द नहीं किए गए थे।

(ग) जाँच की गई थी, किन्तु आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी। इस मामले में, केन्द्रीय सतर्कता आयोग की राय भी प्राप्त की गई थी। उन्होंने सलाह दी कि आगे कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

आय-कर विभाग में श्रेणी II के अधिकारियों की श्रेणी I में पदोन्नति

4849. **श्री घोरेश्वर कलिता :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों से आय-कर विभाग में श्रेणी–I सेवा के लिए कोई पदोन्नति नहीं हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि श्रेणी II के अनेक अधिकारियों को, जो इस सेवा के लिए अर्हता प्राप्त हैं, और अन्यथा भी पदोन्नति के पात्र हैं, पदोन्नति नहीं की गई;

(ग) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि पदोन्नति न मिलने से ऐसे अधिकारी दक्षता के साथ काम करने में रुचि खो बैठेंगे और इससे आयकर विभाग को हानि होगी; और

(घ) इन पात्र अधिकारियों को समुचित पदोन्नतियाँ देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) श्रेणी– II के आयकर अधिकारियों की श्रेणी–I में पिछली बार पदोन्नति 1–1–1966 से की गयी थी।

(ख) ऐसे बहुत से श्रेणी–II के आय-कर अधिकारी हैं जो श्रेणी–I में पदोन्नति पाने के लिए विचार किए जाने योग्य हैं लेकिन पदोन्नति के लिए निश्चित संख्या में रिक्त पदों की कमी के कारण भविष्य में कुछ समय तक कोई पदोन्नतियाँ नहीं की जा सकीं। श्रेणी–I के लगभग 140 (पदोन्नत किए गए) आय-कर अधिकारियों को अभी तक श्रेणी–I संवर्ग में खपाया नहीं जा सकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कारण उनको तथा अन्य पदोन्नति–प्राप्त (कुल मिलाकर 154) अधिकारियों को पदोन्नति के लिए निश्चित संख्या से अतिरिक्त घोषित कर दिया गया है।

(ग) इस प्रसंग में सम्बन्धित श्रेणी–II के अधिकांश आय-कर अधिकारी विभाग में ही तरक्की पा कर नियुक्त हुए अधिकारी हैं, जो एक अथवा दो पदोन्नतियाँ पहले ही पा चुके हैं। फिर भी, सरकार को उनकी उम्मीदों का ध्यान है।

(घ) उचित पदोन्नतियाँ देने से मना नहीं किया गया है और सरकार अपने कर्मचारियों को पदोन्नति के उचित अवसर देने की सदैव ही कोशिश करती है। अब भी श्रेणी–I में पदोन्नति के लिए कुछ अतिरिक्त अवसर देने के मामले पर विचार किया जा रहा है।

पश्चिम कोसी नहर योजना

4850. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री 31 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 148 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम कोसी नहर योजना के लिए नेपाल सरकार की स्वीकृति इस बीच प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस बारे में शीघ्र कार्यवाही करवाने के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या पश्चिम कोसी नहर के व्यय को पूरा करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में धन की कोई व्यवस्था की जा रही है; और

(घ) उसका ब्यौरा तथा कारण क्या हैं?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) नेपाल सरकार की स्वीकृति की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। इस मामले पर उच्चतम स्तर पर कार्यवाही हो रही है।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने इस परियोजना के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

लंकरणसर, बीकानेर में उठाऊ-सिंचाई योजना

4851. **श्री नवल किशोर शर्मा :** **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान में लंकरणसर, बीकानेर उठाऊ-सिंचाई योजना के लिए

जो इस मरुक्षेत्र के लिए पानी की व्यवस्था करने की एक महत्त्वपूर्ण परियोजना है, धन की व्यवस्था करने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस परियोजना को चौथी योजना में शामिल करेगी, ताकि राजस्थान नहर को शीघ्र पूरा करने में राज्य सरकार को और कोई परेशानी न हो सके ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद):

(क) से (ग) लंकरणसर, बीकानेर उठाऊ-सिंचाई योजना को राजस्थान सरकार ने राजस्थान नहर परियोजना के एक अंग के रूप में प्रस्तावित किया है। संशोधित प्राक्कलनों की केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा तकनीकी जाँच हो जाने के पश्चात् उन्हें योजना आयोग को भेज दिया जाएगा।

नन्दीद्रुग खानों के श्रमिकों द्वारा त्यागपत्र

4852. **श्री चेंगलराया नायडू:**
श्री नि० रं० लास्कर:
श्री रा० बरुआ:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नन्दीद्रुग खानों के 400 भूमि के नीचे काम करने वाले मशीन-मैनों तथा मशीन मिस्त्रियों में से 377 व्यक्तियों ने 9 और 10 जुलाई, 1969 को कोलार स्वर्ण खान उपक्रम को अपने त्यागपत्र दिए थे;

(ख) यदि हां, तो उनके ऐसा करने के क्या कारण थे; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) नन्दीद्रुग खान के लगभग 430 मशीन मिस्त्रियों और मशीनमैनों में से 345 व्यक्तियों ने 7 जुलाई और 10 जुलाई, 1969 के बीच विभिन्न तारीखों को अपने त्यागपत्र दे दिये थे।

(ख) भू-छेदन और विस्फोटन दोनों प्रकार का काम करने वाले मशीन एवं विस्फोटन मिस्त्रियों का एक वर्ग (नन्दीद्रुग खान श्रमिक संघ के साथ हुए एक समझौते के परिणामस्वरूप) 1953 से नन्दीद्रुग खान में विद्यमान है। कामगारों के इस वर्ग को, अन्य खानों में इन कामों में से केवल एक ही काम करने वाले मशीन मिस्त्रियों और विस्फोटन-मिस्त्रियों से अधिक मजदूरी दी जाती है। इसके अतिरिक्त, जनवरी 1966 से मशीन-एवं विस्फोटन मिस्त्रियों और उसके दो सहायकों यानी मशीनमैनों में बाँटने के लिए 50 पैसे प्रति पारी के हिसाब से एक विशेष भत्ता मंजूर किया गया था। 15 वर्ष से इस व्यवस्था के चलते रहने के बावजूद भी, मशीन-एवं-विस्फोटन मिस्त्रियों और मशीनमैनों ने पहली जुलाई 1969 से हड़ताल कर दी और उनकी माँग यह थी कि उनके काम को जिसमें भू-छेदन और विस्फोटन कार्य दोनों थे, अलग-अलग दो हिस्सों में बाँट दिया जाय। बंगलौर स्थित सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) ने और मान्यताप्राप्त श्रमिक संघों के पदाधिकारियों तथा मैसूर विधान सभा के स्थानीय सदस्य ने कामगारों को काम पर आने के

लिए तथा बाद में अपनी माँग के सम्बन्ध में प्रबन्धकों से बातचीत करने के लिए बहुत समझाया-बुझाया। लेकिन कामगारों ने उनकी सलाह को ठुकरा दिया और अपने त्यागपत्र दे दिये।

(ग) उपक्रम के प्रबन्धक यह समझते हैं कि यह माँग न्यायोचित नहीं है। 8 जुलाई, 1969 को उन्होंने हड़ताली मशीन-एवं-विस्फोटन मिस्त्रियों और मशीनमैनों के नाम काम पर तत्काल लौट आने की अपील की। खान में दूसरे कामगार खाली न बैठें, इसके लिए अन्य कामगारों में से, जो स्वयंसेवक अस्थायी तौर पर मशीन-एवं-विस्फोटन मिस्त्रियों का काम कर सकते थे, उन्हें बुला लिया गया। कुछ स्वयंसेवक इस काम को करने के लिये आगे आये। कुछ और प्रयत्नों के परिणामस्वरूप, जिसमें बंगलौर स्थित सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) और विधान सभा के स्थानीय सदस्य के प्रयत्न भी शामिल हैं, हड़ताली कामगारों ने 11 जुलाई, 1969 को देर से हड़ताल खत्म करने का निश्चय किया और प्रबन्धकों ने भी अपनी तरफ से यह निश्चय किया कि सारे त्यागपत्रों को वापस लिया हुआ समझ लिया जाय। 12 जुलाई, 1969 को सभी लोग काम पर आ गए। सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) ने समझौते की कार्यवाही शुरू कर दी है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से विकास-ऋण

4853. **श्री चेंगलराया नायडू**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ने राजकोषीय वर्ष 1969–70 और 1970–71 में भारत को दिए जाने वाले कुल विकास ऋणों के बारे में भारत को सूचित किया है;

(ख) क्या भारत ने गत वर्ष से अधिक धनराशि माँगी है;

(ग) यह संस्था 1969–70 और 1970–71 में भारत को कुल कितना ऋण देने के लिये सहमत हुई है; और

(घ) भारत इस ऋण को कैसे उपयोग करेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) से (घ) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की रकमों का पुनर्भरण हो जाने पर अब संघ भारत को 1969–70 में 2,000 लख डालर तक का ऋण दे सकता है। इस ऋण का इस्तेमाल प्रायोजनाओं, कार्यक्रमों और दूसरे उत्पादक प्रयोजनों के लिये किया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने 1969–70 में दूर-संचार विकास के लिये पहले ही 275 लाख डालर की सहायता दे दी है और इस समय संघ रेलों, कृषि और सिंचाई की तथा औद्योगिक उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सहायता देने के संबंध में विचार कर रहा है। अगर उपर्युक्त सारी सहायता के लिये ऋण करार हो जाँय तो इस प्रकार मिलने वाली सहायता की रकम पिछले वर्ष किए गए ऋण-करारों की रकम के मुकाबले बढ़ जायगी। 1970–71 के लिये मिलने वाली सहायता के बारे में अभी से कुछ भी कहना संभव नहीं है।

अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से विकास-ऋण

4854. **श्री रा० बरुआ**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास-अभिकरण ने राजकोषीय वर्ष 1970 में भारत को दिए जाने वाले कुल विकास-ऋण की सूचना दी है;

(ख) क्या भारत ने गत वर्ष अधिक सहायता दी जाने के लिये अनुरोध किया है; और

(ग) भारत इस ऋण का उपयोग कैसे करेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) जी, नहीं। पर, मई 1969 में भारत सहायता संघ की जो बैठक हुई थी, उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने यह संकेत दिया था कि उसने अमरीकी काँग्रेस के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि चालू वर्ष में भारत को सहायता के रूप में 3,850 लाख डालर की रकम दी जाय। सहायता के रूप में निर्धारित की जाने वाली वास्तविक रकम, अमरीकी काँग्रेस द्वारा पारित अन्तिम विनियोग की रकम पर निर्भर करती है।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त होने वाली 3,850 लाख डालर की उपर्युक्त प्रस्तावित सहायता की रकम का संबंध, भारत के लिये, 1969–70 के लिये आँकी गयी 7,000 लाख डालर की प्रायोजना-भिन्न सहायता से है । अमेरिका से प्राप्त होने वाली प्रस्तावित सहायता की यह राशि, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत को 1968–69 में दी गयी 2,390 लाख डालर की सहायता की रकम से अधिक है।

(ग) आशा है कि यह ऋण, मुख्यत: उर्वरकों तथा सामान, मशीन के हिस्सों और फालतू पुर्जों जसी औद्योगिक वस्तुओं का आयात करने के लिये इस्तेमाल किया जायगा।

Issue of Certificates to Persons by Income-Tax Department, Patna who have paid Income-Tax,

4855. **Shri Bhogendra Jha:**
Shri Cahndra Shekhar Singh:
Shri Ramavatar Shastri :
Shri Yogendra Sharma:
Shri K. M. Madhukar :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Patna Office of the Income-tax Department has issued certificates against those individuals also who had paid Income-tax one or two years ago :

(b) if so, the reasons for the same ;

(c) whether it is also a fact that Income-tax ledgers are not maintained properly ; and

(d) the action proposed to be taken by Government to redress such complaints of Income-tax payers ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) :

(a) and (b) Yes, Sir. It is only in a few cases where the counterfoils of challans from the Treasury were not available that certificates were issued in order to save limitation period.

(c) No, Sir.

(d) Instructions have been issued to the Income-tax Officers to verify the fact of payment of tax in consultation with the assessees before the recovery certificates are issued. However if in any case it is brought to the notice of the Income-tax Officer that any certificate has been wrongly issued, it is immediately withdrawn.

हरियाणा में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए केन्द्रीय धन

4856. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हरियाणा में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 7 करोड़ रुपयों का नियतन किया है;

(ख) क्या अन्य राज्यों को भी ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए धन का आवंटन किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो राज्यवार कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। परन्तु हरियाणा के वास्ते ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 7 करोड़ रुपए का परिव्यय सम्मिलित किया गया है।

(ख) और (ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में ग्राम विद्युतीकरण के लिये अन्य राज्यों के लिये निम्नलिखित परिव्यय सम्मिलित किए गए हैं :—

	करोड़ रुपये में
आन्ध्र प्रदेश	15.00
असम	6.00
बिहार	40.00
गुजरात	11.00
जम्मू व कश्मीर	1.00
केरल	4.50
मध्य प्रदेश	20.00
महाराष्ट्र	30.00
मैसूर	24.00
पंजाब	20.00
राजस्थान	9.00
तमिलनाडु	40.00
उत्तर प्रदेश	70.00
पश्चिमी बंगाल	10.00

उड़ीसा में खनिज उत्पादन

4857. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही**: क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में वर्ष 1967-68 और 1968-69 में कुल कितना खनिज उत्पादन हुआ;

(ख) चालू वर्ष में खनिजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उस राज्य को कोई वित्तीय सहायता दी गयी है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) उड़ीसा में 1967 और 1968 के दौरान नमक, छोटे खनिज तथा आणविक खनिजों को निकाल कर कुल खनिज उत्पादन क्रमश: 99.9 टन, जिसका मूल्य 1,550 लाख रुपए था तथा 110.1 लाख टन, जिसका मूल्य 1,820 लाख रुपए था, हुआ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्रतिरक्षा लेखा नियंत्रक, देहरादून के क्षेत्राधिकार में काम करने वाले सहायक लेखा अधिकारियों का एक स्थान पर काम करना

4858. **श्री हरि कृष्ण**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देहरादून स्थित प्रतिरक्षा लेखा नियंत्रक के नियंत्रणाधीन एक सहायक लेखा अधिकारी को एक स्थान पर काम करते रहने के लिए क्या कोई अवधि निश्चित की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे कितने अधिकारी हैं जो दिल्ली में 3 या 5 वर्षों से भी अधिक समय से ठहरे हुए हैं और उनके यहाँ बने रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे कितने कर्मचारियों के तबादले के आदेश जारी किए गए थे, उनमें से कितने मामलों में तबादले के आदेश रद्द किए गए और उनको रद्द किए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न के पहले भाग का उत्तर ऊपर (क) के उत्तर में निहित है। दूसरे भाग के सम्बन्ध में उत्तर यह है कि ऐसा करना प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक नहीं समझा गया है। जब कभी सक्षम अधिकारी आवश्यक समझता है, स्थानान्तरण के आदेश देने का उसे हमेशा अधिकार है।

(ग) तीन अधिकारियों को दिल्ली में काम करते तीन साल पूरे हो गए हैं, परन्तु किसी भी अधिकारी को रक्षा लेखा नियंत्रक (सशस्त्र सेना) के अधीन काम करते पाँच साल पूरे नहीं हुए हैं, हालाँकि रक्षा लेखा नियंत्रक (सशस्त्र सेना) देहरादून के दो अधिकारियों को दिल्ली में काम करते पाँच वर्ष से अधिक हो गया ह, परन्तु रक्षा लेखा नियंत्रक (सशस्त्र सेना) के अधीन तैनात किए जाने से पहले वे अन्य संगठनों में कार्य कर रहे थे और वे दिल्ली में रक्षा लेखा नियंत्रक (सशस्त्र सेना) के संगठन में केवल दो साल से हैं।

(घ) केवल एक मामले में स्थानान्तरण का आदेश रद्द किया गया था। दिल्ली में रक्षा लेखा नियंत्रक (सशस्त्र सेना) के अधीन कार्य कर रहे एक अधिकारी को शिलांग में तैनात किया गया था परन्तु एक दुर्घटना के कारण स्थानान्तरण उसका रद्द कर दिया गया था क्योंकि उसका अस्पताल में इलाज कराना आवश्यक हो गया था।

Refusal by N. D. M. C. to Accept Electricity Bills in Respect of Servant Quarters Attached to M. Ps.' Flats through State Bank of India, Parliament House

4859. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the New Delhi Municipal Committee has refused to receive payment of electricity bills in respect of servant quarters attached to the flats of Members of Parliament through the Pay Office of the Parliament Houe ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether it is also a fact that the Members of Parliament have to waste a lot of time and to face great difficulty in making payment of these bills in the New Delhi Municipal Committee Office ;

(d) if so, whether Government propose to restore the procedure of receiving the payment of these bills in the State Bank; and

(e) whether in view of the difficulty being experienced by the general public depositing electricity bills, Government are proposing to make arrangements for receiving the payment thereof in Banks and Post Offices ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) No.

(b) Does not arise.

(c) No.

(d) It has been intimated by the N.D. M. C. that payment of the bills pertaining to both M.Ps. and their servant's quarters are also accepted in the pay office of the State Bank of India located in Parliament House.

(e) N. D. M. C. have reported that they have not received any complaint from the public. In view of the existing faciities of cash collection centres provided by the Committee, it does not consider it proper to accept payments though post offices and banks.

उत्तर प्रदेश में कोयले की कमी के कारण ईंटों के भट्टों को हानि

4860. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री रा० कृ० सिंह :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान त ा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयले की कमी के कारण उत्तर प्रदेश के 5,700 ईंटों के भट्टों को हानि उठानी पड़ रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त उद्योग की सहायता के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) (क) और (ख) कमियों की कुछ शिकायतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से यह ज्ञात हुआ है कि उस राज्य में कोयले की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के विचार से मन्दी के मौसम के दौरान विश्वसनीय कोयला एजेन्टों तथा वास्तविक ईंट-भट्ठा मालिकों की सहायता से स्लेक कोल का

अधिकतम मात्रा में आयात करने तथा चुने हुए जिलों में कोयला जमा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मैसर्स मैसूर सीमेन्ट, मैसूर द्वारा स्वामिस्व का भुगतान

4861. **श्री एस० एम० कृष्ण :** **श्री क० लक्कप्पा :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला बन्धुओं से सम्बन्धित मैसर्स मैसूर सीमेन्ट, मैसूर नामक फर्म रेत और चूना-पत्थर तथा अन्य कच्चा माल उठाने के बदले में केन्द्रीय सरकार अथवा मैसूर राज्य सरकार को कोई स्वामित्व नहीं दे रही है;

(ख) क्या खान तथा भूतत्वीय विभाग ने ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ग) क्या सरकार मैसर्स मैसूर सीमेंट, मैसूर के कामकाज के बारे में जाँच करने के लिए कोई जाँच समिति नियुक्त करेगी, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव):

(क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) भारत सरकार का खान तथा धातु विभाग स्वामिस्व उगाहने के लिये उत्तरदायी नहीं है। यह राज्य सरकार को देय होता है।

(ग) प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

राजस्थान में ग्रामीण जल-प्रदाय योजनाएँ

4862. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य की ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

Scheme for Producing Hydro-Electricity at Cheaper Rates

4863. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state.

(a) whether Government have formulated a scheme for making use of the rivers having natural falls for producing electricity at lesser cost during the current financial year ; if so, the names of those rivers ;

(b) whether Government have also formulated a scheme for producing electricity from waters of the two rivers, namely Sharawati and Machkund, having natural falls ; if so, the details thereof ; and

(c) the time by which the above scheme is going to be implemented; and

(d) the reasons for delay, if any, in implementing the scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) It is the policy of the Government to develop hydro-electric potential for the gereration of power and for this purpose various schemes are being investigated and projects formulated throughout the country. During the current year, the following proposed schemes are under examination :

Name of projcct	Name of River
(1) Salal	.. Chenab
(2) Siul	.. Baira and Siul
(3) Loktak ..	.. Manipur
(4) Bansagar (Damba) ..	.. Tons
(5) Kalinadi ..	.. Kalinadi
(6) Punasa ..	.. Narmada

(b) Scheme for utilising Duduma falls on the Machkund river has been already impletmented and is in operation since 1955. The scheme which involved capital outlay of Rs. 21.56 crores comprises the Jalaput dam across the Machkund river, the water conductor system and a power station with a total installed capacity of 114 MW. It is located at the border of Andhra Pradesh and Orissa and the power generated is shared between Andhra Pradesh and Orissa in the ratio of 70:30.

The vast potential of the Sharavathy river which has a natural fall at Jog (Gerasoppa) is being developed in stages. In the initial stage, the Mahatma Gandhi Hydro-electric scheme with an installed capacity of 120 MW was executed in 1939. Under subsequent stages of development, a dam at Linganamakki has been built and a power station with 10 generating units of 89 MW each is under execution. The total cost of the project is estimated at Rs.100 crores.

(c) The Sharavathy Hydro-electric Scheme under which 6 generating units have already been installed is expected to be completed by 1973-74.

(d) The implementation of Sharavathy Hydro-electric Scheme was delayed due tc the designs and difficulties in finding financial and foreign exchange resources.

Grants for Gandak and Kosi Projects of Bihar

4864. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the extent to which the grants to be given by the Central Government for Gandak and Kosi Projects of Bihar are likely to be increased so as to make provisions for the utilisation of the funds taken over by Government from the nationalised banks ;

(b) whether the works regarding the irrigation and power would be given preference in the utilisation of the funds received consequent upon the nationlisation of banks ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Prasad) : (a) to (c) It is too early to state whether additional funds for specific irrigation and power projects can be raised though nationalised banks.

Family Planning Programme

4865. **Shri K. M. Madhukar**: Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether he has observed during the speech made by him in the Moti Lal Nehru Memorial Lecture Series that the problem of increasing population could not be solved through family plannnig only or incurring the expenditure in this regard but that this programme should be considered as a basic one and linked with all the progressive programmes ;

(b) if so, the scheme formulated by Government to implement the said observation ; and

(c) in case no scheme has been formulated, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar):

(a) No such observation was made during the speech referred to. The speech was made by me in the capacity of a demographer.

(b) and (c) Do not arise.

Family Planning Programme

4866. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he has observed during the speech made by him in the Moti-Lal Nehru Lecture Series that the family planning programme has not achieved uniform success in all the States due to the reasons that some States are nursing a fear that in case the population of these States is reduced the number of their representatives in Parliament would also reduce ;

(b) if so, whether the said observation is based on his personal opinion or that of the Government ;

(c) the names of the States in which the said fear prevails more as also the names of those where it prevails less ;

(d) in case the above fear is one of the main causes of the failure of the family planning programmes, the steps taken by Government to remove the same and the outcome thereof ; and

(e) in case no steps have been taken, the practical value of the said cobservation made by him ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development : (Dr. S. Chandrasekhar):

(a) and (b) Yes. The Minister made the speech in his personal capacity as demographer and he made this fact clear to the audience at the beginning of the speech.

(c) It is difficult to assess the degree of fear.

(d) and (e) There is no failure of family planning programme much less, therefore, the above fear can be called one of the main causes of the failure of family planning programme. Nevertheless, this aspect is under the observation of Government.

धागे पर उत्पादन शुल्क

4867. **श्री एस० के० सम्बन्धन**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1967-68 और 1968-69 में सूती गुंडी धागे पर उत्पादन-शुल्क से कितना धन प्राप्त होगा; और

(ख) सभी काउंटों के कोन धागे पर कितना शुल्क वसूल हुआ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) और (ख) आवश्यक सूचना का विवरण-पत्र सभा की मेज़ पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1818/69]**

Agreement with German Firm for Setting up a Coal-Gas Purification Factory

4868. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state whether Government have recently concluded an agreement with a German firm in regard to the setting up of a factory to purify coal-gas and if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : No. Fertilizer corporation of India have, however, entered into a contract subject to the approval of the Government of India, with M/s. Lurgi of West Germany for the purchase of licence and process know-how for their Rectisol Process meant for the purification of gases derived from coal. This process will be used in the setting up of coal-based fertilizer plants in the country. The total value of the contract is DM 1,227,000.

Satra Irrigation Scheme in Madhya Pradesh

4869. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government have urged upon the Central Government to include the Satara Irrigation Scheme in the Fourth Five Year Plan ; and

(b) whether the said request has been acceded to ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power : (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The Government of Madhya Pradesh had, in their draft Fourth Plan proposals, proposed the inclusion of Stage I of the Satara Project comprising the construction of the dam and the feeder canal to the Tandula reservoir.

(b) The Project report submitted by the State Government is under technical examination in the Central Water and Power Commission. An examination is also being made by the Ministry of Steel and Heavy Engineering of the Water requirements of the Bhilai Steel Plant for the different phases of its expansion, as the State Government have proposed that a part of the Storage would be earmarked to meet the reqirements of Bhilai Steel Plant.

परिवार नियोजन कार्यक्रम

4870. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उनके विचारानुसार परिवार नियोजन कार्यक्रम किसी आदर्श गर्भ-निरोधक के अभाव में असफल रहा है जैसा कि समय-समय पर समाचारपत्रों में छपता रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस दिशा में सक्रिय अभियान चलाये जाने के बावजूद भी अब तक कोई आदर्श गर्भ-निरोधक तैयार न किए जाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चन्द्रशेखर) :

(क) मैं इस तथ्य पर जोर देता रहा हूँ कि एक आदर्श गर्भ-निरोधक के अभाव में परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति में रुकावट रही है।

(ख) केवल भारत में ही नहीं बल्कि अनेक अन्य देशों में भी एक अधिक कारगर और आसान गर्भ-निरोधक प्राप्त करने के लिये, जिसके प्रयोग से किसी प्रकार की तकलीफ उत्पन्न न हो, अनुसंधान किया जा रहा है।

साउथ एवन्यू, नई दिल्ली में संसत्सदस्यों के फ्लैटों में रहने वाले क्षय रोगी

4871. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात का पता है कि साउथ एवैन्यू (नई दिल्ली) में संसद् सदस्यों के लिए निर्मित फ्लैट संख्या 30 में क्षय रोग के दो पुराने रोगी रहते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा बारबार सलाह दिए जाने के बाद भी उन्हें किसी आरोग्य स्थान में नहीं भेजा गया;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इन रोगियों का रिहायशी बस्ती में लगातार रहना उस क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकर नहीं है; और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) साउथ एवैन्यू, नई दिल्ली में संसद्-सदस्यों के लिए निर्मित फ्लैट संख्या 30 में रहने वाले एक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी की पत्नी और एक लड़की क्रमशः फेफड़े के क्षय रोग तथा पेट के क्षय रोग से पीड़ित हैं।

(ख) इस कर्मचारी की पत्नी को क्षय रोग अस्पताल, महरौली में दाखिला देने का प्रस्ताव किया गया था किन्तु उसने अपने निजी कारणों से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वैसे, वह महरौली अस्पताल से इलाज करवा रही है। लड़की का इलाज विलिंग्डन अस्पताल में हो रहा है और वह इस अस्पताल के शिशु वहिरंग विभाग में जा रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) ये रोगी अपना उपचार करा रहे हैं इसलिए कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग, दिल्ली के लिफ्ट चालकों की माँगों का ज्ञापन

4872. **श्री स० मो० बनर्जी** :क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण, विभाग, दिल्ली के लिफ्ट चालकों ने 26 मार्च, 1968 को तत्कालीन निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री को अपनी माँगों का ज्ञापन प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उनकी प्रत्येक माँग पर क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के लिफ्ट चालकों से ऐसा कोई ज्ञापन 26-3-1968 को प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि 4-4-1968 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। 4-6-1969 को उनसे, उसी अभ्यावेदन की एक प्रतिलिपि जिस पर 26-4-1968 की तारीख थी, एक अनुस्मारक सहित प्राप्त हुआ था।

(ख) लिफ्ट-चालकों ने अपने अभ्यावेदन में यह अनुरोध किया था कि उनके वेतन मान को पम्प ड्राइवरों को लागू किए गए वेतन मान के समान 75-1-85 ईबी-2-95-3-101-इबी-3-110 रुपए से बढ़ा कर 110-155 रुपये कर देना चाहिये।

(ग) लिफ्ट-चालकों के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि लिफ्ट-चालकों का वर्ग केवल अर्द्ध-कुशल वर्ग है, जिसके लिए 75-1-85-ईबी-2-95-3-110-ईबी-3-110 रुपए का वेतन मान समुचित है और इसकी तुलना पम्प ड्राइवर आदि जैसे कुशल वर्गों से की नहीं जा सकती।

Satiyara Project on the River Mahanadi

4873. **Shri G. C. Dixit : Shri Hukam Chand Kachwai ;**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government of Madhya Pradesh has urged the Central Government to include the proposed Satiyara project on the river Mahanadi in the Fourth Five Year Plan of the Central Ministry of Steel and Heavy Engineering ;

(b) whether it is also a fact that the aim of the 31 crore of repees Satiyara Project is to meet the increasing demands of the Bhilai Steel Plant and Subsidiary industries ;

(c) whether it is also a fact that the State Government have included the said project in their Fourth Five Year Plan and have agreed to make available Rs. 2.5 crores for the first phase thereof at the instance of the Central Ministry of Finance ; and

(d) if so, the reaction of Central Government thereto and whether they propose to complete the work of the said project ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Prasad) :

(a) Yes, Sir.

(b) The State Government propose to execute the Satiara project in two stages. In the first stage, which is estimated to cost Rs.21.17 crores, they propose the construction of Satiara dam and a feeder channel on the left bank to feed the existing Tandula reservoir. In the second stage, they propose to provide irrigation facilities from the project to an area of 1,00, 000 acres under the Mahanadi Canal system and 40,000 acres under the Tandula Canal system.

Out of the live capacity of 20 TMC, they propose that 8.8 TMC should be kept for Bhilai ; 3.6 TMC stabilising the existing irrigation of 3.5 lakh acres; and 7.7 TMC for irrigation of additional 1.40 lakh acres.

(c) In their draft Fourth Plan proposals, the State Government contemplated a provision of Rs.2.5 crores for this new project and suggested that the remaining amount might be provided by the Government of India.

(d) The Project report submitted by the State Government is under technical examination in the Central Water and Power Commission. An examination is also being made by the Ministry of Steel and Heavy Engineering of the water requirements of the Bhilai Steel Plant for the different phases of its expansion.

साउथ तथा नार्थ एवेन्यू के फ्लेटों में शीशे वाले दरवाजे और खिड़कियाँ

4874. **श्री भोलानाथ मास्टर :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने नार्थ और साउथ एवेन्यू में संसद्-सदस्यों के फ्लैटों के नए कमरों और बरांडों में लगे बड़े शीशे वाले दरवाजों का निरीक्षण किया है;

(ख) उनमें ऐसे फ्लैट कितने हैं, जिनमें लगे हुए शीशे 6 महीनों से अधिक नहीं चलते;

(ग) उनकी मरम्मत के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(घ) क्या इस अनुभव के कारण पुराने ढंग के दरवाजे और खिड़कियाँ लगाने की व्यवस्था की जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी नहीं।

(ख) अतिरिक्त शयन कमरों में शीशों के टूटने की कोई सूचना नहीं मिली है किन्तु 40 फ्लैटों के बरामदों के शीशे टूट गए हैं।

(ग) टूटे हुए शीशों को बदला जा रहा है।

(घ) मामला विचाराधीन है।

राज्य बिजली बोर्डों से ली जाने वाली ब्याज की दर

4875. **श्री ज्योतिमय बसु**: क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

राज्य बिजली बोर्डों से ग्रामीण बिजली परियोजनाओं को दिए गए ऋण पर ब्याज की दर कितनी ली जाती है?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद):

केन्द्रीय सरकार राज्य बिजली बोर्डों को उनकी ग्राम-विद्युतीकरण स्कीमों के लिये सीधे कोई ऋण नहीं देती। 1968–69 तक राज्य सरकारों को ऋण मंजूर किए जाते थे जो इनको आगे अपने राज्य बिजली बोर्डों को अनुमोदित ग्राम-विद्युतीकरण स्कीमों पर व्यय के लिये ऋण के रूप में दे देती थीं। 1969–70 से ग्राम-विद्युतीकरण के लिये ऋण सहायता पृथक रूप से रक्षित नहीं की जाएगी, अपितु राज्य की योजना में सम्मिलित स्कीमों के लिये उपलब्ध समग्र केन्द्रीय सहायता की ब्लाक राशि में शामिल की जायेंगी। राज्यों को 1968–69 में दिए गए ऋणों पर $5\frac{3}{4}\%$ प्रतिवर्ष ब्याज लगता है और वे ऋण 25 वर्षों की अवधि के लिये हैं। पहले पाँच वर्षों में प्रतिवर्ष केवल ब्याज देय होता है। ऋण ले लेने के बाद छठे वर्ष से मूल राशि बराबर की 20 वार्षिक किस्तों में देय होती है और साथ ही समय-समय पर अवशिष्ट मूल धन पर ब्याज देय होता है। राज्य सरकारें राज्य बिजली बोर्डों से जो ब्याज लेती हैं उसकी दरें प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न हैं।

कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जीवन बीमा निगम के स्वामित्वाधीन आवासीय भवन

4876. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** **श्री बदरुद्दजा :**
श्री भावान दास : **श्री गणेश घोष :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जीवन बीमा निगम के स्वामित्वाधीन कितने आवासीय भवन हैं;

(ख) उनमें से कितने भवन किराये पर दिए गए हैं या पट्टे पर दिए गए हैं;

(ग) उनसे कितनी वार्षिक आय होती है; और

(घ) उन्हें किराये या पट्टे पर देने के लिए कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जाती है?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा इकट्ठी होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

अस्वस्थता के आधार पर विदेश गई महिलाएँ

4877. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** **श्री सत्य नारायण सिंह :**
श्री बदरुद्दजा : **श्री गणेश घोष:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965–66, 1966–67 और 1967–68 में अस्वस्थता के आधार पर कितनी महिलाएँ विदेश गईं, प्रत्येक का नाम, पता तथा रोग का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन चिकित्सा अधिकारियों ने उनकी सिफारिश की थी और प्रत्येक को कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा की स्वीकृति दी गई; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में भ्रष्टाचार या विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग के कोई मामले सरकार के सामने आये हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी):(क) तथा (ख) विदेश में इलाज कराने के हेतु विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को प्रेज़ीडेन्सी सर्जन/सिविल सर्जन/स्टाफ सर्जन/जिला चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सक/सर्जन से इस बात की सिफारिश प्राप्त करनी होती है कि सम्बद्ध डाक्टर को यकीन हो गया है कि रोगी ऐसे रोग से पीड़ित है जिसके इलाज की सुविधाएँ भारत में उपलब्ध नहीं हैं अथवा भारत में उपलब्ध सर्वोत्तम इलाज के बावजूद रोगी की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है और विदेश में इलाज कराना रोगी के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इस प्रमाणपत्र पर राज्य के मुख्य प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहियें:—

"इस मामले सम्बन्धी तथ्यों पर ध्यान से विचार करने के बाद मैं सहमत हूँ कि इसका विदेश मे इलाज होना आवश्यक है और इसके लिये विदेशी मुद्रा दिए जाने की सिफारिश करता हूँ।"

उपर्युक्त प्रमाणपत्रों को पेश किए जाने पर रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा देता है। इस पर यह शर्त होती है कि वापिस आने पर रिज़र्व बैंक को यथासंभव, हिसाब देना होगा और वाउचर देने होंगे। यह नीति सभी रोगियों, चाहे वे पुरुष हों अथवा महिलाएँ हों, पर लागू होती है। विदेशों को जाने वाली महिला रोगियों को दी गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा इस प्रकार है:—

वर्ष	जारी किए गए परमिटों की संख्या	मूल्य (लाख रुपये में)
1965-66	207	19.1
1966-67	160	15.4
1967-68	173	19.3

ऊपर स्पष्ट की गई नीति को ध्यान में रखते हुए, नामों, पतों, रोग के ब्यौरे के बारे में जानकारी देने में जो प्रयत्न करने होंगे उनसे अधिक लाभ नहीं होगा।

(ग) आवेदनपत्रों पर रिज़र्व बैंक द्वारा विचार किया जाता है। जब विनियमों के उल्लघन के मामले नोटिस में आते हैं तो सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाती है।

भारत का भू-आकृतितत्व मानचित्र

4878. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री देवेन सेन :**
श्री के० एम० अब्राहम : **श्री बदरुद्दजा :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत का भू-आकृतितत्व मानचित्र प्रकाशित किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कोई विचार किया गया है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) जी नहीं:

(ख) विभिन्न अनुमापों के कई प्रकार के नक्शों को बनाने के लिये, जिनके लिए पर्याप्त कार्य अभी भी किया जाना है, अभ्रताएँ नियत की गई हैं।

(ग) भू-आकृति-वैज्ञानिक नक्शों को प्रकाशित करने के प्रश्न पर विचार भूवैज्ञानिक नक्शे तैयार करने के कार्य को पूरा कर लेने के पश्चात् किया जायेगा।

वित्त मन्त्रालय के अधिकारियों की विदेश यात्रा

4879. **श्री सी० के० चक्रपाणि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में उनके मंत्रालय के आर्थिक-कार्य विभाग के जो अधिकारी सरकारी कार्य के लिये जापान, बैंकाक तथा अन्य देशों की यात्रा के लिये भेजे गए, उनके नाम तथा पदनाम क्या हैं;

(ख) उनके मंत्रालय में वे लोग क्या काम करते थे और विदेशों में उनसे क्या कार्य करने की अपेक्षा की गई थी;

(क) प्रत्येक यात्रा के लिये प्रतिवर्ष उन्हें कितनी विदेशी मुद्रा दी गई; और

(घ) क्या यह सच है कि इनमें से कुछ अधिकारी लगातार एक ही प्रकार का कार्य कर रहे हैं और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) माँगी गयी सूचना सभा-पटल पर रखे गए विवरणों में दी गयी है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1819/69]

(घ) विभिन्न प्रकार के कामों के लिये विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति और नियुक्ति की अवधि का निर्धारण उनकी योग्यता, उनके अनुभव और पद की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। सरकारी दौरों पर विदेश यात्रा करने वाले कुछ अधिकारी कई वर्षों तक उसी तरह एक ही पद पर काम करते रहे हैं जिस प्रकार अन्य ऐसे अधिकारी करते हैं जिन्हें काम के सिलसिले में विदेश यात्रा नहीं करनी पड़ती। विदेशों से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का निश्चय काम की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है, न कि यात्रा के समान अवसर प्रदान किए जाने के आधार पर।

बरौनी तेल शोधनशालाओं के कर्मचारियों के लिए मकान

4880. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी तेल शोधनशाला के नगर में वहाँ के कर्मचारियों के लिये अधिक मकान बनाने के लिये पर्याप्त भूमि खाली पड़ी है;

(ख) क्या तेल शोधनशाला स्थापित करने के लिये विशेष रूप से जो भूमि अर्जित की गई क्या उस पर एक नए नगर का निर्माण किया जा रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं। किन्तु आग बुझाने, सुरक्षा और पाइपलाइन पर नियुक्त कर्मचारियों के आवास के लिए, शोधनशाला बैटरी सीमा के बाहर भूमि पर, अतिरिक्त क्वार्टरों तथा अन्य सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम की 'अपना मकान बनाओ' योजना को इम्फाल में लागू करना

4881. **श्री एम० मेघचन्द्र**: क्या **वित्त** मंत्री जीवन बीमा निगम की 'अपना मकान बनाओ' योजना को इम्फाल में लागू करने के बारे में 7 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5441 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उक्त योजना को इम्फाल पर शीघ्र ही लागू करने के बारे में कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया): (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा की मेज पर रख दी जायगी।

धातु तथा खनिज व्यापार निगम द्वारा मैंगनीज अयस्क का वस्तु विनिमय के आधार पर निर्यात

4882. **श्री रा० कृ० बिड़ला**: क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि धातु तथा खनिज व्यापार निगम को जहाजी कम्पनियों से इस आशय के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कि वे स्वीकृत वस्तुओं के आयात के बदले में उच्च श्रेणी के मैंगनीज अयस्क का निर्यात वस्तु-विनिमय आधार पर करने के इच्छुक हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि निगम का विचार गैर-सरकारी पक्षों द्वारा तय किए गए विदेश-व्यापार को अपने हाथ में लेने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु-मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) और (ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम को 38/40 प्रतिशत से 50/51 प्रतिशत मैंगनीज-युक्त अयस्क के वस्तु विनिमय के आधार पर निर्यात करने के कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आयात की जाने वाली प्रस्तावित मदों में यूरिया, औद्योगिक कच्चे माल तथा अग्रता-प्राप्त उद्योगों के लिये संघटक/फालतू पुर्जे सम्मिलित हैं।

(ग) और (घ) मैंगनीज अयस्क के निर्यात खनिज तथा धातु व्यापार निगम के द्वारा किए जाते हैं। तथापि, निगम प्रतिष्ठित पोतवाणिकों/खान मालिकों द्वारा उनके अपने सम्पर्कों का उपयोग करके निर्यात के लिये प्राप्त आदेशों का स्वागत करेगा, बशर्ते कि मूल्य और अन्य निबन्धनों तथा बिक्री की शर्तों के संबंध में विदेशी क्रेताओं के साथ मोल-तोल उसकी जानकारी के साथ तथा पूर्व अनुमति से किया जायेगा। बातचीत के सफलतापूर्वक समाप्त होने पर व्यापार

को खनिज तथा धातु व्यापार निगम मुख्य विक्रेता के रूप में अपने हाथ में ले लेता है। इस प्रकार के सीधे सौदे तय करने वालों को अयस्क की प्राप्ति के लिये अपने आप प्रबन्ध करने होते हैं।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में सिविल सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति

4883. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम**: क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 7 अप्रैल, 14 अप्रैल और 5 मई, 1969 के क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 5520, 6197 और 8497 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार के लिये विभागीय अधिकारियों को आयु-सीमा के सम्बन्ध में कोई छूट नहीं दी गई;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त विभाग में ऐसे बहुत से कुशल अधिकारी कार्य कर रहे हैं, जिनको यदि संघ लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार के लिये आयु के मामले में छूट मिल जाती, जैसा कि एम० ई० एस० और अन्य विभागों में होता है, तो वे संघ लोक सेवा आयोग की सीधी भरती में आ सकते थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस आशय के प्रस्ताव विचाराधीन हैं, जिसके अनुसार विभागीय अधिकारियों को सीधी भरती द्वारा चयन के लिये संघ लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार के लिये 45 वर्ष तक की आयु सीमा की छूट दी जायेगी;

(घ) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उस समय स्नातक ओवरसियरों को सहायक अभियन्ताओं की श्रेणी में पदोन्नति की कसौटी में दी गई छूट का ब्यौरा क्या है और कितने लोगों की पदोन्नति हुई है तथा उनमें से कितने लोगों की पदावनति हुई है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) जी नहीं, सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु से सम्बन्धित शर्त में छूट दे दी गई थी।

(ख) (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) जो भिागीय उम्मीदवार इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा की प्रतियोगिता में बैठते हैं उनकी आयु सीमा 30 वर्ष तक बढ़ा दी (रिलैक्सेबल) जाती है। निर्धारित आयु सीमा को और अधिक छूट देना वांछनीय नहीं समझा गया है क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए अर्थात् सेवा में युवा वर्ग (नया खून) को लाने के लिये सीधी भर्ती रखी गयी है वही असफल हो जायेगा।

(ङ) सहायक इंजीनियर के ग्रेड में स्नातक सैक्शनल आफीसरों को पदोन्नति के लिए सामान्यतः निर्धारित पात्रता की 5 वर्ष की अवधि को 31-12-1966 तक तीन वर्षों तक के लिए शिथिल कल दिया गया था। शिथिल किए गए माप, दण्ड के आधार पर 180 स्नातक सैक्शनल आफीसरों को सहायक इंजीनियर (सिविल) के रूप में पदोन्नत किया गया था। इनमें से किसी भी सैक्शनल आफीसर को प्रत्यावर्तित (रिवरटेड) नहीं किया गया है।

भारतीय इंजीनियर सेवा संवर्ग

4884. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम**: क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री, 24 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 776 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय भारतीय इंजीनियरी सेवा का एक संवर्ग बना रहा है जिसके अनुसार केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग तथा केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग की भवन-निर्माण शाखा में कार्य करने वाले एक-तिहाई इंजीनियर राज्यों में चले जायेंगे और एक-तिहाई इंजीनियर राज्यों से केन्द्र में आयेंगे, यद्यपि इंजीनियरों का कार्य विभिन्न विभागों में भिन्न-भिन्न है; और

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और अन्य विभागों में भरती के नियम समान बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है क्योंकि सभी इंजीनियरों को एक ही तरह का कार्य अर्थात् सिविल या इलेक्ट्रिकल काम करने, न कि दोनों प्रकार के कार्य करने, के लिये नियुक्त किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) आल इंडिया सर्विसेज़ एक्ट 1951 के उपबन्धों के अनुसार इन्डियन सर्विस आफ इंजीनियर्स के गठन के लिए गृह मंत्रालय आवश्यक कार्यवाही कर रहा है। सेवा में तीन अलग-अलग शाखायें होंगी, जिनके नाम हैं:—

(i) बिल्डिड एण्ड रोड्स (ii) इर्रीगेशन, तथा (iii) पावर। यह प्रस्ताव है कि अन्य अखिल भारतीय सेवाओं (आल इंडिया सर्विसेज) से भिन्न, केन्द्रीय सरकार की विशेष अवाश्यकताओं पर ध्यान देने के लिये इस सेवा की प्रत्येक शाखा में सेन्ट्रल केडर्स गठित किए जायें। तदनुसार, इस सेवा में बिल्डिग एण्ड रोड्स शाखा में एक सी० पी० डब्लू० डी० केडर होगा तथा सी० डब्लू० पी० सी० केडर में दो शाखायें होगी, नामत: एक इर्रीगेशन के लिए तथा दूसरी पावर के लिए, क्योंकि अखिल भारतीय सेवा में यह आवश्यक है कि केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच अधिकारियों के क्रमावर्तन (रोटेशन) की व्यवस्था की जाये, अतएव यह प्रस्तावित है कि जब सेवा अनुरक्षण की स्थिति में आ जाये तो सेन्ट्रल केडर की प्रत्येक शाखाओं में, नामत: सी० पी० डब्लू० डी० तथा सी० डब्लू० पी० सी० केडर में एक-तिहाई पद इन्डियन सर्विसेज़ आफ इंजीनियर्स के राज्य केडरों के अधिाकारियों के द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर रखे जायें। यह प्रस्तावित है कि इसे केन्द्र तथा राज्य सरकारों में अधिकारियों को किसी बड़े पैमाने पर तुरन्त विस्थापन (डिसप्लेसमेंट) किए बगैर धीरे-धीरे प्राप्त किया जाये। इस समय यह प्रस्तावित नहीं है कि इन्डियन सर्विस आफ इंजीनियर्स के बन जाने के साथ सी० डब्लू० पी० सी० के इर्रीगेशन शाखा अथवा सी० पी० डब्लू० डी० के बिल्डिमज़ एण्ड रोड्स शाखा में कार्य कर रहे एक-तिहाई इंजीनियरों को राज्यों में भेजा जाये।

(ख) प्रस्तावित इन्डियन सर्विस आफ इंजीनियर्स के सदस्यों की भर्ती नियमित करने के

नियम तथा अन्य शर्तों को गृह मंत्रालय के द्वारा संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है। जहाँ तक संभव होगा ये नियम सेवा की सभी तीनों शाखाओं के लिए एक समान होंगे।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक इंजीनियरों का कार्यकाल

4885. **श्री एस० डो० सोमसुन्दरम**: क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एक अधीक्षक इंजीनियर का एक स्थान पर एक सर्किल में कार्यकाल कितना होता है;

(ख) ऐसे कितने अधीक्षक इंजीनियर हैं जो अपने कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी एक ही स्थान पर उसी सर्किल में अभी भी कार्य कर रहे हैं; और

(ग) ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनके अधीन उन्हें कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी एक ही स्थान पर उसी सर्किल में कार्य करने दिया जाता है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में एक सर्किल के सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर की कोई पदावधि निर्धारित नहीं की गयी है। तथापि, एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों पर लागू चार वर्ष की पदावधि को परम्परा के रूप में सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियरों पर भी लागू किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम के उत्तरी क्षेत्र के श्रमिक संघ के कार्यकर्ताओं को तंग किए जाने के आरोप

4886. **श्री सूरज भान**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन बीमा निगम की कुछ शाखाओं से उनके मंत्रालय को एक आठ सूत्री ज्ञापन मिला है जिसमें जीवन बीमा निगम के उत्तरी क्षेत्र के श्रमिक-संघों के कार्यकर्ताओं को तंग किए जाने, निलम्बित किए जाने, उनका तबादला किए जाने या उन्हें अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किए जाने के बारे में शिकायतें की गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो जिन बातों का उल्लेख उस ज्ञापन में किया गया है उनके बारे में वास्तविक स्थिति क्या है; और

(ग) इन कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार का क्या-क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया): (क) से (ग) जी, हाँ। ज्ञापन में क्षेत्रीय मैनेजर के विरुद्ध कुछ आरोप थे। मामले की जाँच की जा चुकी है और सरकार को रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

जीवन बीमा निगम के उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय में अनुसूचित जातियों के अधिकारी

4887. **श्री सूरज भान**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जीवन बीमा निगम के उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों में कितने लोग अनुसूचित जातियों के हैं और उनका सेवाकाल कितना है;

(ख) उनमें से कितने लोग नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में कार्य कर रहे हैं;

(ग) कितने अधिकारी दिल्ली के मंडलीय कार्यालय में कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या नई दिल्ली से अनुसूचित जातियों के किसी अधिकारी अथवा अधिकारियों का दिल्ली से बाहर स्थानान्तरण हुआ है; और

(ङ) यदि हाँ, तो किस-किस आधार पर?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और इकट्ठी होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

इम्फाल नगरपालिका, मणिपुर को अनुदान

4888. **श्री एम० मेघचन्द्र** । क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1968–69 और 1969–70 में अधिसूचित क्षेत्रों में खर्च करने के लिये तथा नगरीय विकास के कार्यों के लिये इम्फाल नगरपालिका को कुल कितना धन ऋण तथा अनुदान के रूप में दिया गया है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने आगामी वर्ष 1970–71 में मणिपुर सरकार को अधिक धन देने का वचन दिया है;

(ग) क्या सरकार को अभी किसी ऋण की राशि का भुगतान करना शेष है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस राशि का सविस्तार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) इस मंत्रालय ने 1968–69 तथा 1969–70 के दौरान नगरीय विकास के लिये इम्फाल नगरपालिका को कोई ऋण नहीं दिया है। इम्फाल नगरपालिका के विकास कार्यों के लिये 1968–69 के दौरान मणिपुर सरकार को कुल 6,62,804.20 रुपए सहाय्यानुदान के रूप में मंजूर किये गए थे। 1969–70 के बजट में भी इस उद्देश्य के लिए सहाय्यानुदान देने के हेतु 3,70,000 रुपए की व्यवस्था की गई है। 1968–69 और 1969–70 में अधिसूचित क्षेत्रों में खर्च करने के लिए कोई ऋण नहीं दिया गया।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) 1957–58, 1958–59 तथा 1960–61 के दौरान इम्फाल नगरपालिका की विभिन्न योजनाओं के लिए मणिपुर सरकार को दिए गए ऋणों तथा उनकी चुकौती का ब्यौरा इस प्रकार है:—

क्रम सं०	धनराशि	संस्वीकृति का वर्ष	ऋण देने का उद्देश्य	चुकौती की अवधि	किश्त की राशि मय ब्याज	मार्च 69 में स्थिति
1.	40,000 रु०	1967–58	पीक होटल भवन की खरीद	मूलधन तथा ब्याज की समान अर्ध-वार्षिक किश्तों में तीस वर्षों में (मार्च और सितम्बर में)	1294.14 रु०	सितम्बर 1967 तक चुकता की गई
2.	96,500 रु०	1958–59	नगरपालिका की दुकानों का निर्माण	– तदैव –	3121.77 रु०	सितम्बर 1966 तक चुकता की गई।
3.	1,00,000 रु०	1958–59	टाउन हाल (गाँधी मेमो-रियल हाल) का निर्माण	– तदैव –	3225.34 रु०	सितम्बर 1966 तक चुकता की गई।
4.	54,000 रु०	1960–61	जलपूर्ति योजना के लिए नलों की खरीद	तीस वर्षों में समान वार्षिक किश्तों में (दिसम्बर में)	3315.14 रु०	दिसम्बर 1966 तक चुकता की गई।

पेंशनों में तदर्थ वृद्धि की माँग

4889. **श्री मेघ चन्द्र**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पेंशनभोगी लोग सरकार को इस आशय के अभ्यावेदन देते रहे हैं कि जीवन-निर्वाह व्यय में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उनकी पेंशन की राशि में तदर्थ वृद्धि की जाये;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार उनके अनुरोध पर विचार कर रही है;

(ग) क्या एकीकरण से पहले के मनीपुर के पेंशन भोगी लोगों को अपेक्षाकृत बहुत ही कम पेंशन दी जाती है जिससे उनका जीवन-निर्वाह ही नहीं हो पाता है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार उनके बारे में विशेष रूप से विचार करेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हाँ।

(ख) राज्य सरकारों के पेंशनभोगियों को यदि कोई राहत दी जानी है तो क्या राहत दी जानी है, इस बात पर विचार करना सम्बन्धित राज्य सरकारों का काम है। जहाँ तक केन्द्रीय सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों में पेंशनभोगियों का प्रश्न है, इन पेंशनभोगियों को

इस समय कोई राहत देना सम्भव नहीं हो सक रहा है। तथापि सरकार उपलब्ध साधनों के आधार पर इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक आगे विचार करेगी।

(ग) और (घ) उल्लिखित पेंशनभोगियों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है।

मिल के कपड़े पर उत्पादन-शुल्क का प्रभाव

4890. **श्री गा० शं० मिश्र**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) धागे और मिल के कपड़े पर उत्पादन-शुल्क लगाने के लिये सरकार ने क्या वर्गीकरण अपनाया है;

(ख) कुछ क्षेत्रों में दिए गए इन तर्कों की प्रामाणिकता क्या है कि उत्पादन-शुल्क के वर्तमान तरीके से धनिक वर्ग की तुलना मे निर्धन वर्ग को अपनी पसन्द के कपड़े के लिए अधिक कीमत देनी पड़ती है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) मिल के कपड़े का मध्य पूर्व के देशों में निर्यात व्यापार बढ़ाने में उत्पादन शुल्क का वर्तमान तरीका किस प्रकार लाभदायक है; और

(ङ) क्या सरकार कपड़े के निर्यात के लिए तथा तथाकथित संकटग्रस्त कपड़ा मिलों की सहायता के लिये उत्पादन शल्क के किसी नए तरीके पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) सूती धागे और मिल के बने सूती वस्त्रों पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए अपनाया गया वर्गीकरण निम्न प्रकार है:—

(i) सूती धागे की अगर कारखाने से निकासी धागे के रूप में की जाती है तो उस पर शुल्क की अलग-अलग दरें लागू होती हैं जो धागे के सूत्रांक तथा जिस रूप में उसकी निकासी की जाती है उस पर निर्भर करती हैं। लेकिन जब सूती धागे का प्रयोग एक संयुक्त मिल में वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है तो निर्माताओं द्वारा उस पर सम्मिलित दरों पर शुल्क अदा किया जाता है जो उस सूत से बने कपड़ों की विशेष महीन (सुपर फाइन), महीन (फाइन) मध्यम (मीडियम) अथवा मोटी (कोर्स) किस्म के अनसार अलग-अलग होती हैं।

(ii) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क टैरिफ की मद 19 की उप-मद 1 (1) के अधीन निर्दिष्ट सूती वस्त्रों की विशेष किस्मों पर शुल्क मूल्यानुसार लगता है। लेकिन टारिफ की उस मद 1 (2) के अधीन वर्गीकरण योग्य वस्त्रों पर शुल्क की विशिष्ट दरें लागू होती हैं जो वस्त्रों में इस्तेमाल किए गए धागे के औसत सूत्राक के अनुसार और बुनाई के बाद वस्त्रों पर की गयी प्रक्रियाओं के अनुसार अलग-अलग होती है।

उसी टारिफ मद की उपमद II तथा III के अन्तर्गत वर्गीकरण योग्य जिन वस्त्रों पर कशीदाकारी की जाती है अथवा जो सेल्यूलोज योगिक के विनिर्मित

पदार्थों से अथवा प्लास्टिक के अन्य कृत्रिम पदार्थों से युक्त/पुते होते हैं, उन पर आधार वस्त्रों पर अदा किए जाने वाले शुल्क के अतिरिक्त शुल्क की मूल्यानुसार दर लगती है।

(ख) और (ग) मूल्यानुसार दर से वस्त्रों पर शुल्क लगाने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कम कीमत के वस्त्रों पर शुल्क की दर अपेक्षाकृत हो तथा अधिक कीमत के वस्त्रों पर अपेक्षाकृत अधिक हो। इसके अतिरिक्त टारिफ मद 19 की उप-मद (2) के अन्तर्गत वर्गीकरण योग्य मोटे (कोर्स) कपड़े तथा मध्यम (मीडियम) ख श्रेणी के कपड़ों पर, जो आमतौर पर गरीब तबके लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, शुल्क का भार अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि वस्त्रों की इन किस्मों के कोरी होने की हालत में तथा माँड़ी लगाने/रंगने आदि की हालत में भी शुल्क से छूट मिली हुई है। इसलिये इस दलील में कोई सार नहीं है कि समाज के तबके को अमीर श्रेणी के लोगों की अपेक्षा अधिक शुल्क अदा करना पड़ता है।

(घ) निहित सूती धागे पर तथा सूती वस्त्रों के भार से बाहर निर्यात किए जाने की हालत में, उनपर अदा किए गए उत्पादन-शुल्क की वापसी दी जाती है। सूती धागों/वस्त्रों का मिल से सीधे ही बिना किसी उत्पादन-शुल्क की अदायगी के निर्यात करने की भी अनुमति है। मिल में बने कपड़ों के मध्यपूर्व देशों को निर्यात व्यापार पर उत्पादन-शुल्क लगने के कारण कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये।

(ङ) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

फारस की खाड़ी में दूसरे तेल भंडार का पता लगाना

4891. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को फारस की खाड़ी में दूसरा तेल भंडार मिला है;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें कितना तेल है;

(ग) इससे भारत को किस प्रकार लाभ होगा; और

(घ) क्या हमारी तेल शोधक व्यवस्था का विस्तार होने तक अशोधित तेल अन्य देशों को बेचा जायेगा?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण):

(क) और (ख) फारस की खाड़ी में रोस्तम क्षेत्र के निकट स्थित दूसरी संरचना पर हाल ही में व्यधित किए गए पहले कुएं का पूर्णतया परीक्षण नहीं हुआ है। पूर्ण परीक्षण परिणामों को जाने बिना यह कहना सम्भव नहीं है कि क्या संरचना व्यापारिक दृष्टि से तेल-युक्त है।

(ग) यदि संरचना व्यापारिक तौर पर तेल-युक्त पाई गई; तो विदेशी साझेदारों के साथ हुए करार के अनुसार भारत का हिस्सा कुल उत्पादन का $\frac{1}{6}$ होगा।

(घ) इस पर तब ही विचार किया जायेगा जब संरचना में व्यापारिक मात्रा में तेल प्राप्त होगा।

कृषि ग्राम्य ऋण बोर्ड

4892. **श्री यशपाल सिंह**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के रिज़र्व बैंक में एक कृषि ग्राम्य ऋण बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका कार्य क्या होगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) और (ख) अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति ने, जिसका गठन रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने किया था, अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि रिज़र्व बैंक के गवर्नर को बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के परामर्श से, एक साँविधिक कृषि ऋण बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए। समीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसार, कृषि ऋण बोर्ड, बैंक के केन्द्रीय बोर्ड की सामान्य देख-रेख के अधीन कृषि तथा सहकारी ऋण से सम्बन्धित बैंक के ऐसे कार्यों के बारे में मुख्य प्राधिकरण के रूप में काम करेगा, जो केन्द्रीय बोर्ड द्वारा इसे सौंपे जायेंगे। समीक्षा समिति की सिफारिश पर रिज़र्व बैंक विचार कर रहा है।

जापान और जकार्ता की यात्रा पर प्रधान मंत्री के साथ गए कर्मचारियों द्वारा लाया गया विदेशी माल

4893. **श्री सूरज भान**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान और जकार्ता की यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री के साथ उनके वैयक्तिक कर्मचारी और पत्रकार गए थे;

(ख) यदि हाँ, तो उस दल में कौन-कौन सदस्य थे;

(ग) क्या यह सच है कि उनके वैयक्तिक कर्मचारी विदेशों से काफी सामान लाये थे जिसका सीमाशुल्क अधिकारियों को कोई हिसाब नहीं दिया गया; और

(घ) क्या उनके यात्रा से भारत वापस आने पर सीमाशुल्क अधिकारियों ने इस माल की जाँच की थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) जी हाँ।

(ख) जापान और जकार्ता के दौरे पर प्रधान मंत्री के साथ गए व्यक्तियों के नाम सभा-पटल पर रखे गए विवरणपत्र में दिए गए हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1820/69]**

(ग) जी नहीं। साथ जाने वाली पार्टी के सामान की वस्तुओं की घोषणा सीमा-शुल्क अधिकारी के समक्ष बाकायदा की गई थी और वे छूट की स्वीकृत सीमा में थीं।

(घ) जी हाँ।

कोरबा-कोयना ऐल्यूमिनियम उद्योग समूह पर खर्च

4894. **श्री दे० दि० सिंह** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरबा-कोयना ऐल्यूमिनियम उद्योग समूह के निर्माण कार्य में अब तक

कितनी प्रगति हुई है; उस पर अब तक कितना खर्च हुआ है और उसमें कब तक उत्पादन आरम्भ हो जायेगा?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): कोरबा एल्यूमीनियम संयंत्र की पहली प्रावस्था अर्थात् प्रति वर्ष 200,000 मैट्रिक टन क्षमता के एल्यूमिना संयंत्र के निर्माण का कार्य चल रहा है। प्रति वर्ष 100,000 मैट्रिक टन एल्यूमिनियम धातु तथा बेल्लित तथा निष्कर्षित उत्पादों (प्रति वर्ष कुल 50,000 मैट्रिक टन) के उत्पादन के लिये कोरबा एल्यूमीनियम उद्योग समूह की दूसरी प्रावस्था अर्थात् प्रद्रावक तथा निर्माण एककों के लिये रूसी पार्टी तथा राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा एक विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

सरकार ने हंगरी के मैसर्स चैमोकाम्पलैक्स की सहायता के साथ रत्नगिरि स्थान पर प्रतिवर्ष 50,000 मैट्रिक टन क्षमता की स्थापना के प्रस्ताव के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है और उनके साथ जल्द ही एक करार दिए जाने की संभावना है। 30 जून, 1969 तक दोनों एल्यूमिनियम प्रायोजनाओं पर निम्नलिखित खर्चा किया गया है:—

कोरबा एल्यूमीनियम प्रायोजना	371.92 लाख रुपए
कोयना एल्यूमिनियम प्रायोजना	27.45 लाख रुपए

कोरबा एल्यूमियनयम संयंत्र का अक्टूबर 1971 तक चालू किया जाना नियत हैं तथा प्रद्रावक तथा निर्माण एककों के मई 1973 से मई 1975 तक अवस्थाओं में पूरा किए जाने तथा उत्पादन प्रारम्भ किए जाने की संभावना है। कोयना एल्यूमिनियम प्रायोजना के, कार्य प्रारम्भ किए जाने से लगभग चार वर्ष की अवधि में अर्थात् पचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ही उत्पादन अवस्था प्राप्त करने की संभावना है।

चौथी योजना में गंडक परियोजना के लिए धन

4895. **श्री रामावतार शर्मा**: क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में गंडक परियोजना के लिए कितना धन आवंटित किया गया है;

(ख) क्या संयुक्त गंडक नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष ने इस परियोजना के लिए धन की कमी की शिकायत की है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद):

(क): गंडक परियोजना के लिये चौथी योजना के प्रारूप में 77.62 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है (बिहार के, लिए 59.50 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश के लिये 12.62 करोड़ रुपए और नेपाल लाभ स्कीमों के लिए 5.50 करोड़ रुपये)।

(ख) और (ग) 28 जुलाई 1969 को हुई अपनी बैठक में गंडक नियंत्रण बोर्ड ने भारत सरकार और दो राज्य सरकारों से यह सिफारिश करने का निर्णय किया कि परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए जहां तक सम्भव हो सके चालू वर्ष के दौरान अतिरिक्त धन राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिये। इस सिफारिश पर विचार किया जा रहा है।

रक्त दान

4396. **श्री रामावतार शर्मा**: क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उन रोगियों के सम्बन्धियों को जिन्हें रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है अस्पतालों में विशेषत: दिल्ली में स्थित अस्पतालों में अपना कुछ खून देकर रक्त कोष की पूर्ति करने के लिये बाध्य किया जाता है चाहे वे उस रक्त के लिए मूल्य चुकाने को भी तैयार क्यों न हों;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके स्वास्थ्य की हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान योजना आयोग की पत्रिका 'योजना' में प्रकाशित एक घटना की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि एक बच्चे के, जिसमें खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़ी थी माता-पिता को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रक्त देने के लिय बाध्य किया गया था; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो इस निर्दयी प्रथा को बन्द करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) जी नहीं। रिश्तेदारों को रक्त दान के लिए बाध्य नहीं किया जाता अपितु यदि वे स्वस्थ हों तो उनसे इसके लिय आग्रह किया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा पत्रिका के संपादक से 'योजना' को लिखे गए इस पत्र के लेखक का पता माँगा गया और उन्हें पहले से ही इस मामले का ब्यौरा भेजने के लिए लिख दिया गया है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पदों का आरक्षण

4897. **श्री सोमचन्द सोलंकी**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पदों के आरक्षण की प्रतिशतता की कोई व्यस्था अपनायेगी;

(ख) यदि हाँ, तो यह कब चालू की जायेगी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) 31 जुलाई, 1969 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों में इन जातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) से (ग) सरकार ने खाली पदों के आरक्षण के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए जो नियम बनाये हैं और जिन पर भारतीय स्टेट बैंक में लिपिकों और अधीनस्थ संवर्ग की प्रत्यक्ष भर्ती के सम्बन्ध में अमल किया जा रहा है उन नियमों के राष्ट्रीयकृत बैंकों पर भी लागू किए जाने की आशा है।

(घ) इस समय सरकार के पास उन बैंकों में काम करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के प्रतिशत के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है जिनका हाल ही में राष्ट्रीयकरण किया गया है। सरकार सूचना इकट्ठी करने का यत्न करेगी और इसे यथाशीघ्र सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

दिल्ली की नारायणा रिहायशी योजना का क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के औषधालय खोलना

4898. **श्री बे० कु० दास चौधरी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री दिल्ली की नारायणा रिहायशी योजना क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के औषधालय खोलने के बारे में 14 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6256 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उक्त क्षेत्र बड़ी तेजी से विकसित होता जा रहा है और उस क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों के परिवारों की संख्या शीघ्र ही 2000 से अधिक हो जाने की संभावना है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में कोई सर्वेक्षण कराने और उस क्षेत्र में एक अलग औषधालय खोलने का है;

(ग) यदि हाँ, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) इस मान्यता के लिए इस क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों की संख्या शीघ्र ही 2,000 हो जाएगी कोई आधार नहीं बतलाया गया है।

(ख) फिलहाल नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) औषधालय के पात्र क्षेत्रों में नए औषधालय खन उपलब्ध हो जाने पर खोल दिए जायेंगे।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सरकार द्वारा टाइम्स ऑफ इण्डिया ग्रुप के पत्र-पत्रिकाओं को अपने हाथ में लेने की कथित व्यवस्था

Shri S. M. Joshi (Poona) : Sir, I draw the attention of the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Afiairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

"The reported impending arrangement for virtual take-over of the Times of India group of papers by Government in turn that the cases of mismanagement and misappropriation against Shri Shanti Prasad Jain and others will not be further proceeded with".

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : टाइम्स ऑफ इन्डिया-समूह के पत्रों के प्रकाशक, मैसर्स बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी से सम्बन्धित, निम्नलिखित विषय, बम्बई उच्च न्यायालय में अनिर्पीत है:—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 को धारा 388 के अन्तर्गत याचिका।

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 388-ख के अन्तर्गत याचिका।

(3) मसर्स बैनट कोलमन एण्ड कम्पनी लिमिटेड द्वारा, श्री एस० पी० जैन तथा अन्य व्यक्तियों से लगभग 36 लाख रुपयों की अदायगी के लिये मिसिल किया गया व्यवहार बाद। इस राशि की बाबत, उसके द्वारा अथवा उसके स्वयं के लाभ के लिये ब्याज सहित, अपहरण किया गया, कहा गया है।

(4) कम्पनी के पाँच वरिष्ठ कर्मचारियों के निलंवन के आदेश के विरुद्ध, समाप्तप्राय कम्पनी न्यायाधिकरण द्वारा दी गई निषेधाज्ञा के विरुद्ध कम्पनी द्वारा अपील।

(5) कम्पनी के एक वरिष्ठ कर्मचारी की पेंशन सुविधायें रोकने के विरुद्ध दो सरकारी निदेशकों द्वारा याचिका।

(6) पाँच वरिष्ठ कर्मचारियों को पदच्युत करने के प्रस्ताव पर, धारा 635—ख के अन्तर्गत कम्पनी विधि बोर्ड की निषेधाज्ञा के विरुद्ध कम्पनी द्वारा अपील।

2. अन्य अनिर्णीत विषय निम्नांकित हैं:—

(1) श्री एस० पी० जैन तथा श्री ए० पी० जैन द्वारा, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 388-ख के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यावाही को वैधता पर आपत्ति करते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय को समण्डल बैंच के समक्ष मिसिल की गई लिखित अपील।

(2) पुलिस स्थापना द्वारा श्री एस० पी० जैन तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध, भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख/409, 409/109 तथा 409 के अन्तर्गत अपराधों के लिये, अतिरिक्त मुख्य महाप्रान्तीय दंडाधिकारी बम्बई, के समक्ष मिसिल किए गए आरोप-पत्र ।

3—कम्पनी अधिनियम की धारा 388-ख के अन्तर्गत याचिका से संबंधित कार्यवाही, उत्तरवादियों की प्रेरणा पर, कलकत्ता उच्च-न्यायालय के आदेश से रोक दी गई है। अधिनियम की धारा 368 के अन्तर्गत बम्बई उच्च-न्यायालय में दिन प्रति दिन कार्यवाहियाँ की जा रही हैं। मसर्स बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के निदेशक मंडल के पुनर्गठन के लिये मुख्य उत्तरवादियों की ओर से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। निदेशक मंडल के पुनर्गठन, पुनर्गठित मंडल की समय-सीमा तथा उन कर्मचारियों की रक्षा, जिन्होंने जाँच-पड़ताल में सहायता की है, से सम्बन्धित यह सभी विषय, अभी तक न्यायालय के लिये उचित सामग्री प्रस्तुत करने के लिये, सरकार के विचाराधीन है। सरकार के दृष्टिकोण से, इस पुनर्गठित मंडल में, एक यथोचित अवधि के लिये, कम्पनी के हितार्थ हिस्से धारण न करने वाले निदेशकों का बहुमत होगा, एवं इससे संबंधित कर्मचारियों को सुरक्षा प्राप्त होगी।

4—श्री शान्ती प्रसाद जैन तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कुप्रबन्ध तथा अपहरण के मामलों पर आगे कार्यवाही न करने के बदले में, सरकार द्वारा टाइम्स आफ इन्डिया समूह के पत्रों को अधिकार में कर लेने का आभास बिल्कुल सही नहीं है। इस तथ्य से कि, कम्पनी अधिनियम की धारा 388-ख, के अन्तर्गत, याचिका यथापूर्व चल रही है, व कि एक आपराधिक अभियोग मिसिल किया जा चुका है, यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कार्यवाही स्पष्ट गुणावगुण के आधार पर की जा चुकी है व की जा रही है।

Shri S. M. Joshi : It is a very old and serious case.The case was filed in the Court of Law under Section 398 and 388-B of the Companies Act. I want to know the purpose of the Government for bringing this case in a Court of Law.There might be two or three purposes *i. e.* to eradicate corruption from the Company and to do justice to the employees of the Company. But none of the purposes has been served. Corruption is still there in the Company. So far as the employees of the company are concerned, they are still being subjected to injustice. There had been cases of lock-outs etc. The Company has not implemented the decisions of the Wage Board.

The position regarding this case has not been clarified by the Minister in his reply. According to clause 388-B no such person on whom allegations of corruption have been levelled should be appointed Director. It has come to my notice that the Government Pleader said in the Court that such persons on whom allegations of corruption had been levelled could continue as Directors if they were appointed on behalf of the Company. I want to know whether the insterests of the workers should not be safeguarded and if their interests should be safeguarded, what arrangements had been made for that purpose ? I want to know whether there would be a representative of the workers also among the four Directors, to be appointed and if not, how their interests would be safeguarded? May I know whether the case which has been filed under Section 398 will be treated as closed after the agreement is reached ? I want to

know whether the agreement will not result in weakening the criminal proceedings which are going on ?

The opinion of the former Attorney-General was sought on all these matters. It was stated once by the hon. Minister in Rajya Sabha that he had received the opinion of the Attorney-General but it could not be laid on the Table of the House unless action was taken on it . The action has since been taken on that opinion. So I want to know whether Government are prepared to lay a copy of that opinion on the Table of the House. I also want to know whether the opinion of he new Attroney-General had been taken and if so, whether a copy of that also would be laid on the Table of the House.

It has also come to my notice that the Chairman appointed by the Court has since resigned If it is so, will the Government let us know the reasons which have led to his resignation ?

श्री रघुनाथ रेड्डी: महोदय माननीय सदस्य ने कई प्रश्न उठाये हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे यह कहने की अनुमति देंगे कि यह समूचा मामला न्यायालय के समक्ष है। अतः यह एक न्यायाधीन मामला है। मैं आशा करता हूँ कि इस बात को देखते हुए माननीय सदस्य सहमत होंगे कि इस मामले पर सविस्तार विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एक न्यायाधीन मामला है।

श्री शिव नारायण (बस्ती): महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सरकार ने इस सभा में यह आश्वासन दिया था कि महान्यायवादी के प्रतिवेदन को हमें दिया जायेगा। यह प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है। इसलिये यह सभा की एक बहुत उचित माँग है तथा उस प्रतिवेदन को सभा के समक्ष अवश्य लाया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ने दो बातों पूछी हैं—एक यह—क्या इसमें श्रमिकों का प्रतिनिधि भी होगा और दूसरी यह—क्या नए महान्यायवादी की सलाह ली गई है अथवा नहीं। मैं समझता हूँ कि ये बातें न्यायाधीन नहीं हैं।

श्री रघुनाथ रेड्डी: माननीय सदस्य ने कम्पनी अधिनियम की धारा 338-बी और 398 के अन्तर्गत याचिकाओं के बारे में प्रश्न पूछे हैं। जहाँ तक धारा 388-बी के अन्तर्गत दी गई याचिका का सम्बन्ध है, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि वह कलकत्ता उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन है। उत्तरवादी द्वारा लेख-याचिका दायर की गई थी, जिसे एक न्यायाधीश ने रद्द कर दिया था। फिर उत्तरवादी द्वारा अपील के रूप में याचिका दी गई जो इस समय डिवीजन बैंच के समक्ष न्याय-निर्णयाधीन है। परन्तु जहाँ तक इसका सम्बन्ध है, इसका धारा 398 के अन्तर्गत समझौते के बारे में की जा रही बातचीत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धारा 398 के अन्तर्गत कार्यवाही जारी रहेगी, क्योंकि इस धारा 398 के अन्तर्गत समझौते की बातचीत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

जहाँ तक इस समय की जा रही आपराधिक कार्यवाइयों का सम्बन्ध है, उनका धारा 398 के अन्तर्गत बम्बई उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे से कोई सम्बन्ध नहीं है। आपराधिक मुकदमा चलाने का कार्यभार केन्द्रीय जाँच विभाग को सौंपा गया है, जो अपने कानूनी सलाहकारों की सलाह पर, जैसी चाहेगा, कार्यवाही करेगा।

अब हमारे समक्ष केवल एक प्रश्न रह जाता है और वह है, धारा 398 के अन्तर्गत चलाई जा रही कार्यवाही के बारे में। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कदाचार के मामलों में धारा 398 के अन्तर्गत उत्तरवादियों को हटाने के लिये याचिका दर्ज की गई है, ऐसे व्यक्ति निदेशक नहीं रह सकते हैं, जिनका याचिका में इस प्रकार उल्लेख किया गया है। यदि कोई समझौता होता है तो अवश्य ही ऐसे व्यक्तियों की जिनका याचिका में उत्तरवादियों के रूप में उल्लेख किया गया है, अवश्य ही बाहर रखा जायेगा।

फिर केवल एक ही प्रश्न शेष रह जाता है कि समझौता हो जाने पर मुकद्दमे को जारी रखा जाये अथवा नहीं। चूँकि धारा 398 के अन्तर्गत मुकद्दमे का उद्देश्य कम्पनी के लिये उचित प्रकार के प्रबन्धकों की व्यवस्था करना है और यदि यह उद्देश्य किसी और प्रकार से पूरा हो जाता है तो मुकद्दमे को खत्म करना ही अच्छा रहेगा। इससे सरकार का कुछ धन भी बच जायेगा। यदि ऐसा समझौता सहायक सिद्ध हुआ और यदि वह कम्पनी के, जनता के तथा कम्पनी के कर्मचारियों के हित में हुआ तो सरकार इस बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और वकीलों की सलाह ले कर उचित कार्यवाही करेगी।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) क्या चेयरमैन ने त्यागपत्र दे दिया है ?

श्री शिव नारायण (बस्ती) : महोदय, हमने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था, परन्तु मंत्री महोदय महान्यायवादी के प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने को तैयार नहीं हैं। यह क्या बात है ? महान्यायवादी के प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखा जाये। हमें इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया गया था।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं अपनी इस भूल के लिये कि मैंने भूतपूर्व महान्यायवादी की राय सम्बन्धी प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दिया है, माननीय सदस्य श्री शिव नारायण से माफी चाहता हूँ। सरकार को भूतपूर्व महान्यायवादी की राय को सभा-पटल पर रखने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। परन्तु मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि सरकार एक मुवक्किल की हैसियत से महान्यायवादी से सलाह लेती है और महान्यायवादी एक कानूनी सलाहकार की हैसियत से सरकार को सलाह देता है तथा समय-समय पर महान्यायवादी द्वारा सरकार को राय दी जाती है तथा एक बार दी गई राय दूसरी बार दी गई राय से भिन्न भी हो सकती है। अतः क्या महान्यायवादी द्वारा दी गई राय को सभा-पटल पर रखना उचित होगा ?

कई माननीय सदस्य : क्यों नहीं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : महोदय, यदि आप निदेश दें तो मैं महान्यायवादी की राय सभा-पटल पर रखने को तयार हूँ।

श्री कंवर लाल गुप्त : महोदय, आपको उन्हें अवश्य निदेश देना चाहिये।

श्री शिव नारायण : सभा में एक आश्वासन दिया गया था।

श्री रघुनाथ रेड्डी : जहाँ तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि क्या नए महान्यायवादी की सलाह ली गई थी, मैं नहीं समझता कि इस मामले को पुनः नए महान्यायवादी के पास भेजा गया था, क्योंकि इस विषय पर भूतपूर्व महान्यायवादी की सलाह पहले ही ली जा चुकी थी।

श्री रंगा: महोदय, मैंने तथा माननीय सदस्य श्री एस० एम० जोशी ने भी, यह प्रश्न उठाया था कि क्या चेयरमैन ने त्यागपत्र दे दिया है? मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि चेयरमन ने त्यागपत्र दे दिया है? महान्यायवादी की राय के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप आवश्यक समझें तो इस बात का अध्ययन करें कि इस मामले में न केवल भूतपूर्व महान्यायवादी ने, अपितु वर्तमान महान्यायवादी ने भी सरकार को क्या सलाह दी है और उसके बाद अपना विनिर्णय दें।

श्री रघुनाथ रेड्डी: यदि मैं श्री रंगा के प्रश्न को ठीक समझ सका हूँ तो वह यह जानना चाहते हैं कि क्या बैनट कौलमैन एण्ड कम्पनी के चेयरमैन ने त्यापगपत्र दे दिया है? जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Strong rumors are current for last few days that Government intends to curb the freedom of Press. (**Interruptions**) This decision is a step in that direction. If such a decision is taken, it will be a sad day and great misfortune for the country and the newspapers will also become Government spokesmen like All India Radio.

In case Shri Shanti Prasad Jain and his associates are not guilty of any charges, what is the need of Government trying to find a way out through negotiations about that organisation and in case they are guilty, why Government are having negotiations with them. Both those things are self contradictory. I want to ask two or three question from the hon. Minister which have nothing to do with the proceeding pending before the Court of Law.

My first question is whether persons having direct connection with **Jan Hit Nidhi**, are also a party to the settlement now underway. Three papers—National Herald etc.,—are published from Lucknow by the **Jan Hit Nidhi** Trust. The National Herald from Delhi is also published by this Trust. An amount of Rs.25 lakhs has been given to this Trust on behalf of Shri Shanti Prasad Jain. Shri K. K. Shah, a Cabinet Minister and a senior Member of Rajya Sabha are the Members of this Trust. So it was decided through them that number of Members from Jain Family would be raised to three, though a decision has been given by the Court that Jain Family should not have more than two members in the Board. There will be three Members on behalf of the Government in the Board. I want to know whether it is a fact that the advice of Shri Shanti Prasad Jain was taken by Government while appointing their representatives in the Board ?

I also want to know the decision taken by the Cabinet in regard to Bennett Coleman & Co. at their sitting held at the 20th of last month. Why Government is hesitant to disclose that decision ? The hon. Minister, if he so desires, may withhold that information, which may have any effect on the case pending in the Court of Law.

I also want to know the action taken by Government against other high officials of the Company who had been found guilty along with Shri Shanti Prasad Jain.

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): कम्पनी अधिनियम की धारा 398 के अधीन जब प्रतिकारियों पर उप-अपराध किए जाने के आरोपों के कारण उन्हें अयोग्य करार देने के लिये कोई याचिका दायर की जाती है तो यह स्वाभाविक है कि प्रार्थी न्यायालय से अनुरोध करेगा कि किसी उत्तरदायित्व के काम में उन्हें

शामिल न किया जाये। क्योंकि श्री शान्ति प्रसाद जैन तथा अन्य लोगों पर लगाये गए आरोप इस मामले से सम्बद्ध थे, सरकार ने याचिका दायर की थी कि प्रशासन के प्रयोजनार्थ लोक-हित में तथा कम्पनी-हित में गैर-अंशधारियों के प्रतिनिधियों को निदेशक मंडल में रखा जाये जिससे विगत इतिहास को ध्यान में रखते हुए कम्पनी का प्रबन्ध लोक-हित तथा कम्पनी के हित को ध्यान में रख कर चलाया जाये। प्रार्थी केवल अनुरोध कर सकता है परन्तु निर्णय तो न्यायालय को करना है। न्यायालय का निर्णय अन्तिम होगा।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : My questions were quite simple. I had asked whether they had given Rs.25 lakhs to **Jan Hit Nidhi** Trust and whether this agreement had been arrived at through **Jan Hit Nidhi** Trust . The second question was about the nature of decisions taken in the Cabinet meeting held on 20th instant. My third question was about the action being taken against the other high officials ? I also wanted to know whether any decision had been taken with regard to Sarvshri K. N. Modi and Kumarmangalam ?

श्री रघुनाथ रेड्डी: जन हित निधि के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। यदि माननीय सदस्य मुझे कुछ जानकारी देंगे तो मैं इसके बारे में पता लगाऊँगा। (**व्यवधान**) जहाँ तक 20 तारीख के मंत्रिमंडल का निर्णय का सम्बन्ध है, मंत्रिमंडल ने बोर्ड के पुनर्गठन और इस प्रकार का प्रबन्ध करने के लिये उचित अवधि निर्धारित करने के बारे में विचार-विमर्श किया था। इसका प्रयोजन बोर्ड के पुनर्गठन के बारे में वकीलों को अनुदेश देना था.....।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : मंत्रिमंडल की चर्चा के बारे में वह कैसे जानकारी दे सकते हैं ?

श्री म० ला० सोंधी। (नई दिल्ली) : यह माननीय सदस्य चाहते हैं कि सभा को कोई जानकारी न दी जाय। परन्तु इस सभा को पूरी जानकारी मिलनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न बिल्कुल सरल है। यदि आप समझते हैं कि यह प्रश्न असम्बद्ध है अथवा आपका उसको जानकारी नहीं है तो आप कह सकते हैं कि वह प्रश्न असम्बद्ध है। परन्तु स्पष्ट प्रश्न का उत्तर भी स्पष्ट दिया जाना चाहिये।

श्री रघुनाथ रेड्डी: बात यह है कि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है और मैं एक सीमा के आगे कुछ नहीं बता सकता। यही मेरी कठिनाई है।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मंत्रिमंडल के निर्णय के साथ न्यायालय का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रघुनाथ रेड्डी: मैंने पहले ही बता दिया है कि मंत्रिमंडल की बैठक में पुनर्गठन के प्रश्न पर तथा जाँच में सहायता करने वाले कर्मचारियों को संरक्षण देने के बारे में विचार किया गया था और इस सम्बन्ध में अनुदेश जारी करने के बारे में सरकार निर्णय करेगी।

Shri Prakash Vir Shastri : He has stated the things which were not relavant to my question. I want to know why he is taking the shelter of case being *sub-judice* if he does not want to give information ?

Mr. Speaker : He has tried to satisfy but if you are not satisfied or if he could not satisfy you what can I do ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : May I know whether it is a fact that Shri P. K. Roy of Times of India and others are involved in the cases of misappropriation of funds and 420 and if so the reason for not suspending them as it is done in similar cases ? It has been stated that Government wants to protect the interests of the employees but they have not disclosed the details of the scheme formulated for the purpose. Will the hon'ble Minister consider the proposal to include, four representatives, two each from working Journalists and other employees in the Board which is to be constituted ? The Chairman should also be selected from amongst the employees and it should be made compulsory that Sahu-Jain should sell the shares to its employees of Times of India in the first instance and then to those in this line and thereafter to the general public. Will the hon'ble Minister consider these suggestions ?

श्री रघुनाथ रेड्डी: श्री पी० के० राय प्रत्यर्थियों में से एक हैं और अन्य लोगों का भी इस मामले में हाथ है। अतः उनके विरुद्ध मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है । वह कम्पनी द्वारा कुछ राशि को वसूल करने के लिये दायर किए गए एक दीवानी मुकदमे में प्रतिवादी भी है। मैं इससे अधिक ब्यौरा नहीं दे सकता।

Shri Madhu Limaye : I had asked whether they had been suspended and how Court was standing in the way of taking action against them ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : श्री पी० के० राय तथा कुछ अन्य व्यक्ति इस मामले में सम्बद्ध हैं। मैं इस सम्बन्ध में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे इस मुकदमे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

Shri Sheo Narain (Basti) ; Government employees who participated in the strike were suspended, why don't you suspend these people ? If he says about suspension, it will not affect the case.

श्री रघुनाथ रेड्डी: मैं यह स्वीकार करता हूँ कि श्री मधु लिमये का तर्क जोरदार है। जब हम नामों का सुझाव देंगे तो हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। हम नामों का सुझाव दे सकते हैं, आदेश तो न्यायालय देगा।

Shri Madhu Limaye : May I know whether they would select directiors from amongst the Working Journalists and employees ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : श्री मधु लिमये का सुझाव बहुत अच्छा है और उचित समय पर इस पल विचार किया जायेगा।

Shri George Feranandes (Bombay-South) : The case of M/s Bennet Coleman and Co. is pending in the Court and the information which he is not prepared to give here, he is ready to submit the same in the Court of Law. This is contempt of Parliament.

Mr. Speaker : There is no question of contempt.

Shri George Fernandes : All the issues pertaining to Messrs. Bennet Coleman & Company were discussed in the Cabinet meeting. Shri F.A. Ahmed has informed Shri Shanti Prasad Jain that Cabinet have decided the case in their favour and Shri Ashok Jain will be appointed as Chairman, there will be four directors nominated by Government and two by the Company. The lawyer of Shri Shanti Prasad Jain has stated in the Court, what the hon'ble Minister is not prepared to state here. This should be explained.

It was suggested in 1964 that two representatives of the employees should be in the Board

but this suggestion was not accepted. What objection Government have to implement that suggestion now ?

The hon'ble Minister said in the statement that they had recived certain proposals regarding the reorganisation of the Board of Directors of M/s. Bennett Coleman and Co. Ltd. May I know the details of those proposals ?How far the non-official directors are connected with the Government? This should be classified. I also want to know the action taken to deal with the grievances of the employees ?

श्री रघुनाथ रेड्डी: मैं यह संदेह दूर कर देना चाहता हूँ कि इस कम्पनी को कोई समवाय विधि प्रशासक चला रहा है। पहले न्यायाधिकरण ने डा० कूपर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया था और उनके त्यागपत्र के बाद श्री डी० के० कुन्टे को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कम्पनी के न्यायाधिकरण ने कुछ निदेशक भी नियुक्त किए थे और सरकार को दो निदेशक नियुक्त करने के लिये कहा था। इस प्रकार से वर्तमान निदेशक-मंडल नियुक्त किया गया था।

मैंने सभा का कोई अपमान नहीं किया है। यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। सरकार प्रार्थी के रूप में है, निर्णय करने वाले प्राधिकार के रूप में नहीं। मुकदमे की स्थिति देख कर वकील को अनुदेश दिए जाते हैं। अतः मेरे लिये प्रत्येक कार्यवाही का ब्यौरा देना बहुत कठिन है।

Shri George Fernandes : I want to know whether Shri F. A. Ahmed had informed Shri Shanti Prasad Jain on 20th instant or not ? (**Interruptions**) :

श्री रघुनाथ रेड्डी: इस सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

Shri Madhu Limaye : Do not try to defend Shri F. A. Ahmed..(**Interruptions**)

श्री रघुनाथ रेड्डी। दोनों ओर से कई प्रस्ताव रखे जाते हैं। सरकार और वकील प्रस्ताव को देख कर उस पर विचार करते हैं। (**व्यवधान**)

श्री उमानाथ (पुदुकोटै) : श्री शान्ति प्रसाद जैन के वकील ने बोर्ड के पुनर्गठन के बारे में सरकार द्वारा प्रस्तावित नाम न्यायालय को बताये हैं। वह इस बात की पुष्टि करें अथवा इससे इंकार करें।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने सभा में विशेष रूप से बताया है कि श्री शान्ति प्रसाद जैन के वकील ने न्यायालय में ये दो बातें रखी थीं। यदि ये बातें ठीक हैं, तो उनकी सूचना दी जानी चाहिये थी। जब न्यायालय में यह बात कही गई तो इसमें गोपनीयता कहाँ रह गई ?

श्री मधु लिमये: श्री फखरुद्दीन अली अहमद को मत बचाइए।

श्री म० ला० सोंधी: (नई दिल्ली) : यदि वह सत्य कह रहे हैं तो उन्हें किसी बात का भय नहीं होना चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, on a point of order. Shri George Fernandes has just now asked the Minister whether the attorney of Shri Shanti Prasad Jain gave a statement in the Court regarding Shri Fakhruddin Ali Ahmed's telephone to him and promising him to appoint his son managing director. (**Interruptions**)

Shri Madhu Limaye : I would like the Minister to give assurance that no porposal of Shri Shanti Prasad Jain will be accepted without the concurrence of the House.

श्री रघुनाथ रेड्डी: मुझे सरकारी वकील से जानकारी प्राप्त करनी होगी। इसके बाद ही मैं सभा को जानकारी दे सकूंगा।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

मिट्टी का तेल (उच्चतम मूल्यों का निर्धारण) (चौथा संशोधन) आदेश

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन मिट्टी का तेल (उच्चतम मूल्यों का निर्धारण) चौथा संशोधन आदेश 1969 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। जो दिनांक 1 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1838 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1800/69]**

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड सरकार द्वारा समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

श्री द० रा० चव्हाण: मैं श्री जगन्नाथ राव की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूँ:—

(1) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 1967–68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर का 1967–68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1801/69]

बाढ़ की स्थिति के बारे में विवरण

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० क० ल० राव): मैं देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूँ । **[पुस्तकालय में रखा गया : देखिये संख्या एल० टी० 1802/69]**

अधिनियम सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों के अंतर्गत अधिसूचनाएँ

श्री जगन्नाथ पहाड़िया: मैं श्री प्र० चं० सेठी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ।

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) जी० एस० आर० 1909 (हिन्दी संस्करण)जो दिनांक 9 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 1908 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 9 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) जी० एस० आर० 1910 जो दिनांक 9 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) जी० एस० आर० 1911 जो दिनांक 9 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पाँच) जी० एस० आर० 1916 जो दिनांक 11 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1803/69)**।

(2) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1828 और 1829 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 2 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 1972 जो दिनांक 16 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1804/69]**

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 104 के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3210 जो दिनाँक 8 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1804/4]**

राज्य-सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव: मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त इस संदेश की सूचना सभा को देनी है कि राज्य-सभा ने स्वर्ण (नियंत्रण) संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है।

समिति का चुनाव

ELECTION TO COMMITTEE

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

संसद-कार्य और नौवाहन तथा परिवहन मंत्री (श्री कोत्ता रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 312-ख के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री जी एस० ढिल्लन के स्थान पर, जिन्होंने समिति से त्यागपत्र दे दिया है, समिति की शेष कार्यावधि के लिए सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभी के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बंधी नियमों के नियम 312-ख के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम

(3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री जी० एस० ढिल्लन के स्थान पर, जिन्होंने समिति से त्यागपत्र दे दिया है, समिति की शेष कार्यावधि के लिए सरकारी उपक्रमों सम्बंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में
RE : PRESIDENTIAL ELECTION

श्री फ० गो० सेन (पूर्णिया): श्रीमान, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। कलकत्ता के 25 अगस्त के हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड में एक समाचार छपा है।

अध्यक्ष महोदय: इस बात का सभा में हुई किसी बात से सम्बन्ध नहीं है। अतः मैं इस की अनुमति नहीं दे सकता।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बज कर 15 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fifteen Minutes Past Fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बज कर 18 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Eighteen Minutes Past Fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**
Mr. Deputy Speaker in the Chair.]

उपाध्यक्ष महोदय: गले के रोग के कारण डाक्टर की सलाह पर मैंने कुछ आराम किया था। कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि मैं अध्यक्ष महोदय के प्रति अशिष्टता दिखा रहा हूँ। इसके बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिये। अध्यक्ष का पद महत्त्वपूर्ण पद है और सभी को उनका सम्मान करना चाहिये।

श्री म० ल० सोंधी (नई दिल्ली): काँग्रेस दल के विरोधी गुट नई दिल्ली की शान्ति भंग करने का प्रयत्न करते रहे हैं। वहाँ भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप प्रधान मंत्री को अल अक्सा मसजिद जलाये जाने के बारे में एक वक्तव्य देने के लिए कहें।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि संसद-कार्य मंत्री का इस ओर ध्यान गया होगा।

Shri Ishaq Sambhli (Almora) : The United Nations should be asked to take action on this. The Prime Minister should make a statement in regard thereto.

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि माननीय संसद-कार्य मंत्री का ध्यान इस ओर गया होगा।

विनियोग (रेलवे) संख्या 3 विधेयक, 1969

APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 3 BILL 1969

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : मैं डा० राम सुभग सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूँ:—

"कि वित्तीय वर्ष 1969–70 की रेलवे सेवा के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि वित्तीय वर्ष 1969–70 की रेलवे सेवा के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का काम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 1 to 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

डा० राम सुभग सिंह: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेक को पारित किए जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

श्री म० मो० बनर्जी: (कानपुर): मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि उन दो सौ रेलवे कर्मचारयों, जिन्हें मुअत्तल अथवा नौकरी से हटा दिया गया है, के बारे में स्थिति क्या है, मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूँ कि कार्मिक संघों की मान्यता बहाल की जाये। राजधानी एक्सप्रैस कानपुर पर खड़ी होनी चाहिये ताकि कानपुर से कलकत्ता जाने वाले व्यक्ति उससे यात्रा कर सकें।

श्रीमती इला पाल चौधरी (कृष्ण नगर) रेलवे टूटने-फूटने वाले माल के बारे में पर्याप्त सावधानी से काम नहीं ले रही है। इस कारण बहुत अधिक क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है। आशा है कि रेलवे मंत्री आल इण्डिया रेलवे जूनियर सुपरवाईजरी, मिस्त्री एण्ड चार्जमैन्स एसोसियेशन की शिकायतों को दूर करेंगे।

यदि कृष्णनगर नवद्वीप घाट छोटी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदला जा रहा है, तो जलंगी नवद्वीप घाट पर एक ऊपरि पुल की बहुत आवश्यकता होगी। मुझे आशा है कि इलिबादी तथा जलपाइगुड़ी के बीच रेलवे लाइन को बहाल किया जाये।

Shri Meetha Lal Meena (Sawai Madhopur) : Proper attention has not been paid towards the development of railways in Rajasthan. Six schemes for constructing new railway lines in Rajasthan have been sanctioned but the Railway Ministry has not made any survey in this regard. Scheme prepared for converting metre gauge into broad gauge from Swai Madopur to Jaipur should be implemented.

Drinking water is not available at stations in Rajasthan. There is no provision of shelters at stations in Rajashtan as a result of which people have to undergo hardships at the stations. A great havoc has been wrought by the recent floods in Rajasthan. The Government had been reminded in this regard from time to time but inspite of it nothing has been done to save Rajasthan from floods.

There has been a demand to convert a middle school into a Higher Secondary School. If this demand has been met, a declaration to this effect should be made.

Shri Suraj Bhan (Ambala) : It is better if the Government announces the upgradation of class three and class four posts. You represent the masses. Therefore, you should make such announcement for the masses.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा): विभिन्न श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों के साथ वेतन तथा अन्य मामलों में किए जा रहे भेदभाव को दूर करने के लिये रेलवे वेतन आयोग की शीघ्र नियुक्ति की जानी चाहिये। विभिन्न श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों की कठिनाइयों का उचित रूप से अध्ययन किया जाना चाहिये।

हड़ताल के दौरान मुअत्तिल किए गए कर्मचारियों के बारे में यथाशीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये। विभिन्न रेलवे क्षेत्रों में की जाने वाली बरबादी को रोका जाना चाहिये। रेलवे के कार्य की इस प्रकार जाँच की जानी चाहिये कि जो अधिकारी रेलवे के कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं उन्हें अधिक सतर्क होने के लिये कहा जाये।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) The accidents on railways have become so common that it is now necessary to make provisions for compulsory insurance for the passengers travelling by railways.

A committee should be appointed to make survey regarding necessity of platforms at Railway stations in Delhi. It should also make a survey regardng the amenities which can be provided at Railway Stations in Delhi.

There should be many more halting stations in Delhi.

The population of Delhi is increasing rapidly. It is, therefore, necessary that an underground railway is constructed in Delhi.

The basic amenities are lacking in the railway colonies of Delhi. It is requested that the basic necessities of life may be provided to them.

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh) : I am grateful to the Hon. Railway Minister for starting the 'Chetak Express' between Udaipur and Delhi. Fast running trains should be started for small cities also.

Chittargarh-Kotha railway line should be constructed as early as possible. Starting of this line will give great relief to the crores of people of Rajasthan.

The hon. Minister should also look into the difficulties faced by the passengers due to misconnection of trains at Mawali, Chittorgarh and Ajmer.

Shri Ramavatar Shastri (Patna): There are 159 Station Masters and Assistant Station Masters in Moradabad Division. Orders of their en-mass transfer have been issued by the D. S. there. Their appeals have not been heard. The hon. Minister should intervene in this matter and their en-mass transfer should be stopped.

People were refused leave to join the All India Station Master's Association's annual meeting held at Jaipur. They should have been granted leave for the purpose.

The number of class IV employees is the biggest in railways.These workers have to work for 12 to 14 hours. No factory Act is applicable to them. Provision should be made that they may not be asked to work for more than eight hours per day.

Shri P. L. Barupal (Ganganagar) : Broad guage line between Sri Ganganagar and Hindumal Koth has not been constructed, although the Hon. Minister had given an assurance as far back as two years that a train between Sri Ganganagar and Hindumal Koth would be started on 2nd October.

There are no lavatories and bathrooms at Suratgarh junction on Northern Railway.Lavatories and bathrooms should immediately be built for the Third Class passengers. There are no arrangements for cold drinking water. People at Pillibanga Station have to face great inconvenience due to non-avabilaility of drinking water.

From the point of view of security of the country, it is very necessary that a railway link between Bikaner to Shri Kolayat and Shri Kolayat to Phallod is immediately provided.

Action has not been taken with regard to construction of railway Station between Mohan Nagar and Jaitsar.

I wish that the railways should make progress under your leaderhip.

Steel bars should be fitted on the windows of the first class compartments. There should be proper arrangement of water in the lavatories in the first class compartments.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथन । (विशाखापत्तनम्) : रेलवे में नम्रता सप्ताह मनाया जाता है लेकिन प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच नम्रता सप्ताह नहीं मनाया जाता। अभी कुछ दिन पूर्व विजयनगरम और वाल्टेयर के बीच निरीक्षक कर्मचारियों को वरिष्ठ अधिकारी द्वारा गालियाँ दी गईं जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। यदि इस नम्रता सप्ताह का अधिकारियों और कर्मचारियों में विश्वास उत्पन्न करने के लिये प्रयोग नहीं किया गया तो भविष्य में विभिन्न अवसरों पर कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

डी० बी० के० रेलवे का प्रयोग विशाखापत्तनम से बड़ी मात्रा में लौह-अयस्क ले जाने के लिये किया जाता है। डी० बी० के० रेलवे मार्ग पर बिजली लगाई जानी चाहिये। इसके परिणामस्वरूप अधिक और शीघ्र माल ले जाने में सहायता मिलेगी।

केन्द्रीय विद्युतीकरण योजना के विकेन्द्रीकरण के समय माननीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि विकेन्द्रीकरण से प्रभावित अधिकारियों को कोई हानि नहीं होगी। लेकिन सब प्रभावित अधिकारियों को संरक्षण नहीं दिया गया है । इस बारे में शीघ्र उचित निदेश जारी किए जाने चाहिये। विशाखापत्तनम में जनसंख्या में वृद्धि हुई है लेकिन वहाँ स्टेशनों की संख्या में कमी हुई

है। विशाखापत्तनम में बन्दरगाह के मुहाने पर एक रेलवे स्टेशन को एक वर्ष पूर्व यात्रियों के लिये बन्द कर दिया गया था। उक्त स्टेशन को यात्रियों के लिये फिर से खोला जाना चाहिये।

Shri Sheo Narain (Basti): There has not been any improvement in the condition of railways since 1947. An extra train from Lucknow to Delhi and *vice-versa via* Moradabad should be started. A level crossing gate should be constructed at Basti.

The Government has increased the penalty for ticketless travellers. The T. T. I. have to allow the passengers travelling without tickets to go unpunished due to fear of their lives.It is, therefore, necessary that they should be given protection by the Government. Government should fully utilise its intelligence bureau to enquire into the accidents, which are the acts of the leftists.

श्री स० मो० बनर्जी: (कानपुर) मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय: सामान्यता विनियोग विधेयक पर चर्चा नहीं की जाती और इसे ऐसे ही पारित कर दिया जाता है। श्री बनर्जी इस समय बोल कर इस परम्परा का उल्लंघन करेंगे।

हमें इस विधेयक को पारित करने दीजिए। अन्य विषय पर चर्चा के समय मैं सब सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा। मैं यह ठीक नहीं समझता कि मंत्री महोदय सब बातों का उत्तर दें।

Shri Ramavatar Shastri : The Hon. Minister first of all should give a reply to the point raised by us.

Shri George Fernandes : (Bombay-South) : So many members have spoken. At least the Hon'ble Minister should give a reply.

उपाध्यक्ष महोदय: सामान्यता विनियोग विधेयक पर चर्चा नहीं की जाती और इसे ऐसे ही पारित कर दिया जाता है।

श्री स० मो० बनर्जी: नियमों के अनुसार माननीय सदस्य कुछ ऐसे प्रश्न उठा सकते हैं जिन्हें पिछले भाषण में उठाया गया था लेकिन उनका उत्तर नहीं दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय: विनियोग विधेयक पर बोलने के लिये सदस्य को पीठासन अधिकारी को सूचना देनी चाहिये और यदि पीठासीन अधिकारी बोलने की अनुमति दे तो माननीय सदस्य बोल सकते हैं। माननीय सदस्यों को अतिरिक्त अनुदानों की माँगों पर जिस विषय पर, इसके बाद चर्चा की जायेगी बोलने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अतिरिक्त अनुदानों की माँगें (रेलवे)—जारी

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (RAILWAYS)—*contd.*

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब अतिरिक्त अनुदान की माँगों पर आगे चर्चा करेगी।

श्री लोबो प्रभु (उद्दीपी) : मुझे तीन दिन और तीन रात रेल यात्रा करके आना पड़ता है अतः रेलवे में होने वाली कठिनाइयों का मुझे बहुत अनुभव है।

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

मैंने किसी भी ऐसी गाड़ी में यात्रा नहीं की जिसमें बिजली फेल न हुई हो। यहाँ तक कि ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस जैसी गाड़ियों में भी करेन्ट के फेल हो जाने के कारण यात्रियों को कठिनाइयाँ होती हैं। करन्ट फेल होने का कारण बैटरियों का अपर्याप्त संख्या में होना बतलाया जाता है। लेकिन क्या सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह यह देखे कि पिछली इतनी लम्बी अवधि में खराब और अपर्याप्त संख्या में बैटरियों के स्वीकार करने के क्या कारण थे।

अच्छी बैटरियों का निर्माण किया जाना चाहिये। यदि इनका निर्माण नहीं किया जा सकता तो मंत्रालय को इनका आयात करना चाहिये। प्रत्येक एक घंटे के बाद यात्री की नींद खुल जाती है।

रेलवे में मिलने वाला भोजन खाने योग्य नहीं है, और बार-बार एक ही प्रकार का भोजन मिलता है। भोजन व्यवस्था सम्बन्धी समिति ने जो सिफारिशें की थीं, उनका पता नहीं क्या प्रभाव हुआ है। लम्बी यात्रा करने वालों को इससे बहुत कठिनाई होती है।

गाड़ियों का देर से पहुँचना एक आम बात है। वे प्रशासन इसका कारण जंजीरों का खींचा जाना अथवा कमजोर पुलों का होना बताता है। क्या इसी प्रकार से रेलवे जनता को संतुष्ट करना चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है। रेलवे प्रशासन का यह प्रथम कर्त्तव्य है कि वह इस बात को सिद्ध कर दे कि राष्ट्रीयकरण उपभोक्ता अथवा आम आदमी के हित में हैं।

दुहरी लाइन की व्यवस्था की जानी चाहिये। इससे समय की बचत होगी क्योंकि गाड़ियाँ अधिक तेज चल सकती हैं। इससे कर्मचारियों की संख्या में भी कमी की जा सकेगी क्योंकि वही कर्मचारी बिना कुछ अतिरिक्त भुगतान के अथवा बिना अधिक समय काम किए अधिक रेल-गाड़ियों की देखभाल कर सकते हैं। इससे ईधन की खपत में भी बचत होगी। इसके लिए किसी आयातित माल की आवश्यकता नहीं है। स्पात कारखानों में पटरियाँ बेकार पड़ी हैं। अतः दुहरी लाइन बिछाने के काम को शीघ्रता से किया जाना चाहिये। मेरा सुझाव है कि जिस समय दुहरी लाइन बिछाने का काम शुरू किया जाये तो सबसे पहिले मुख्य लाइनों को लिया जाय क्योंकि यदि इन लाइनों को पहिले लिया जाता है, तो इनसे सबसे अधिक लाभ होगा। मेरा निवेदन है कि दिल्ली-मद्रास, दिल्ली-बम्बई और दिल्ली-कलकत्ता लाइन को शीघ्रातिशीघ्र दुहरी लाइन में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिये।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : मैं इन माँगों का समर्थन करता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि विश्व की कुछ रेलों में से हमारी रेलवे एक है जिसमें सबसे कम भाड़े पर सोने की व्यवस्था है।

गुजरात राज्य द्वारा बार-बार की गई इस माँग को स्वीकार किया जाना चाहिये कि पश्चिम रेलवे के मुख्यालय को बम्बई से हटाकर गुजरात स्थानान्तरित किया जाय। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिये कि अधिकतर काम गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों के साथ है। बम्बई तो काफी दूर पड़ता है। माननीय मंत्री इस ओर अवश्य ध्यान दें।

रेलवे का भी नौवहन उद्योग की तरह पहिले से योजना बनानी चाहिये। मैं रेलवे की केटेनर योजना से काफी खुश हूँ। मेरी रेलवे प्रशासन से प्रार्थना है कि वह कुछ आधुनिक प्रणालियाँ बनाये। बम्बई और सामनें के तट के बीच रेलवे लाइन चलाने की बजाय, जिस पर काफी व्यय होता है, हावरक्रैफ्ट सेवा चलाई जानी चाहिये। प्रारम्भ में हम लगभग 45 अथवा 50 यात्रियों को ले जाने वाले हावरक्रैफ्ट चालू कर सकते हैं परन्तु इस संख्या को बाद में बढ़ाया जा सकता है, इसी प्रकार से सौराष्ट्र में खम्भात की खाड़ी में भड़ौच से भावानगर के बीच यह सेवा चालू की जानी चाहिये। इससे गाड़ी द्वारा बम्बई से भावानगर तक लगने वाले समय में कमी हो जायेगी। इस सेवा से खर्च भी आधा हो सकता है।

डीज़ल तेल के उपयोग पर भी विचार किया जाना चाहिये। पश्चिम रेलवे में, जब कि कोयाली तेल शोधक कारखाने में डीजल तेल का उत्पादन चल रहा है, उड़ीसा से तेल क्यों लाया जाता है? डीज़ल के इंजन अधिक से अधिक संख्या में चलाये जाने चाहिये क्योंकि वे सस्ते पड़ते हैं, तेज चलते हैं और कम भारी हैं। हमें कोयले से चलने वाले तथा डीज़ल से चलने वाले इंजनों और माल डिब्बों के निर्यात को बढ़ावा देना चाहिये। दक्षिणी कोरिया और रूस में भारत के माल डिब्बों की माँग है। यदि हमारे दूतावासों और वैदेशिक व्यापार मंत्रालय द्वारा अधिक प्रचार किया जाय तो सुदूर-पूर्व, मध्य-पूर्व, पूर्वी अफ्रीका आदि में भारतीय माल के निर्यात को बढ़ाया जा सकता है।

भावानगर और तारापुर के बीच एक रेलवे लाइन होनी चाहिये। उपयोगिता की दृष्टि-से यह अच्छा होगा। मेरा विचार है कि यह विचाराधीन है। ये आँकड़े कि यह रेलवे लाइन लाभ-प्रद सिद्ध नहीं होगी, गलत है। मैं इस बारे में गुजरात सरकार के द्वारा समुचित तथ्य पेश करने के लिये तैयार हूँ कि यह लाइन सरकार के लिये लाभप्रद होगी।

रेलवे भोजन व्यवस्था का विषय बहुत पेचीदा है क्योंकि इसमें शाकाहारी पश्चिमी भोजन, माँसाहरी पिश्चिमी भोजन, शाकाहारी भारतीय भोजन और माँसाहारी भारतीय भोजन सम्मिलित है। यह अत्यधिक पेचीदा पेशों में से है। अतः मेरी प्रार्थना है कि भोजन पैकिटों में दिया जाना चाहिये जिनमें उचित कीमत में विभिन्न प्रकार के भोजन सम्मिलित किए जा सकते हैं।

Shri Shiv Charan Lal (Firozabad) : Mr. Chairman, Sir, I have been making repeated demands in the House for the last 2 years for running a train from Agra Cantt. to Wah. Due to increase in population, the people of this area have been facing great difficulties regarding traffic. I would humbly urge upon the hon. Minister that keeping in view the difficulties of these poeple, arrangements for running of the train should be made as early as possible.

When Shri Jagjiwan Ram was holding the portfolio of Railway Minister, a train was run from Barhan to Etah and, it covers Chalesar and Avagarh stations and then finally reaches Etah. These stations have been provided at a distance of one Kilometer from the city. People do not feel secured in boarding the night trains from these stations and they are forced to go to Etah. I would request that these stations should be situated within the city.

Secondly, a direct railway line from Kuberpur to Barhan should be laid. The distance upto

Barhan is only 12 miles. One station between Kuberpur and Barhan should be constructed so that passengers travelling from Agra to Etah may go direct. Thirdly, I would request the hon. Minister that a train should be run from Jamuna bridge or Chalesar railway station to Barhan junction after laying a direct line. It wound be economical to Government and will provide great facilites to the passengers also.

In the end, I would like to point out one thing to the hon. Minister regarding the Principal of N.R. College, situated at Tundla station. The college has become a political forum. The principal is a very hot-headed person. Proceedings were going on against him but due to unknown reasons these proceedings have been dropped. A harijan sweeper, named Santosh, who has been working in the College for the last 7-8 years, has not been made regular as yet. His services are terminated in the months of May or June and he is again recruited in July. I had sent a letter to the hon. Deputy Minister and also took up this matter with Shri Berry the General Manager. But I have not received any communication from them. I would request the hon. Minister to hold an inquiry in the matter and regularise his services . Moreover, action should be taken against the principal. In these circumstances his transfer from that College is imperative.

Shrimati Agam Das Guru Mini Mata (Janjgir) : Sir, I wish that the demands for Excess Grants for the Ministry of Railways should be increased. The windows in the ladies compartment should be provided with iron bars so that people may not throw their luggage etc. in the compartments through windows.

From Chapa to Sargundia, it is an area of 12 miles and there are three stations between these two places. But Korba is 12 miles from Sargundia and there is no station which results in great inconvenience to the poeple and they catch train at Chopa or Korba after walking 12 miles. Therefore, a station at Urga should be constructed for which 40 acres of land has already been acquired by Government.

The Middle school and Higher Secondary School at Bilaspur in Madhya Pradesh are being separated by the authorities concerned which will result in loss of revenue to the railway and its expenditure will increase. Moreover, the poor employees are also put to inconvenience because their families are divided at three places. I would request the hon. Minister to look into these things and set them right.

The Railway Minister should frame rules to the effect that at least 75 per cent local people are compulsorily employed in class III and IV service, in Raipur Wagon Repairing Workshop in Bilaspur Division .

The narrow guage line from Raipur to Dhamteri should be converted into broad gauge line. It takes 36 hours for journey from Chattisgarh to Delhi and back. I would urge upon the Railway Ministry to run a train so that the journey may take only 24 hours. Taking into consideration the importance of Bhilai Steel Plant, a train should be run from Bhilai *via* Bina by which we may travel for Delhi.

A bogey is attached in this train at Amritsar for Bilaspur *via* Bina. I would request that a sleeper may also be attached with it.

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : Sir, an excess amount to the tune of Rs.26,27,331 has been incurred on repairs while the estimates in this connection for the whole year had been prepared in advance. A new line from Guna to Bakshi was laid and a huge amount was incurred on it.It was told that the line would begin to operate in 1968 and the Railways would derive sufficient income from it. But the line has not been opened so far. I would request the Government to announce the date by which the line would begin operating. For the completion of the unfinished works Government takes the plea that they have not got funds.

The narrow gauge line from Ujjain to Sagar should be converted into broad gauge line so that the income of the Railway may increase. The speed of the train at narrow gauge line from Indore to Ujjain should be accelerated.

Adequate provision for water and lighting should be made in the pasaenger train running on the Ratham to Bhopal railway line.

An amount of about Rs. 98 lakhs has been incurred on coal and diesel. In this connection I would like to point out that a large quantity of coal is pilferaged from railway stations and wagons resulting in loss to Government. Government should be vigilant in this regard to avoid loss.

The traders and businessmen feel hesitant in sending the goods by trains because they are not sure whether the goods would reach the destination safely and in time. Therefore, they have been sending their goods by trucks. Government should assure them that their goods will reach the destination safely and in time.

Government should increase the amount of pension paid to retired Government employees because it is not sufficient keeping in view the increasing cost of living.

In the end, I would like to point out that for the sake of economy, you have engaged attendants in place of T. T. Es. while these attendants are not even empowered to issue tickets. I oppose the practice.The hon. Minister had given a statement on 22nd that Government would accede to the demands of T. T. Es. I would request him to pay special attenion to their difficulties and try to remove them.

सभापति महोदय: मेरे पास पहले ही बहुत सारे नाम आ चुके हैं और उनको सबको बोलने के लिये समय देना सम्भव नहीं है। अतः मैं आप से निवेदन करता हूँ कि आप और अधिक नाम न भेजें। यह बहस अतिरिक्त माँगों पर है किन्तु माननीय सदस्य रेलवे से सम्बन्धित प्रत्येक चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। अतः मेरा निवेदन है कि अतिरिक्त माँगों से सम्बन्धित प्रश्नों तक ही चर्चा को सीमित रखा जाये।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बतूल) : मैं इन माँगों का समर्थन करता हूँ क्योंकि रेलवे मन्त्रालय डा० राम सुभग सिंह जैसे उदार हृदय व्यक्ति के हाथ में है। मेरे राज्य मध्य प्रदेश की सभी मंत्रालयों द्वारा उपेक्षा की गई है। अतः रेलवे मंत्री से मेरा निवेदन है कि वे मेरे राज्य की ओर विशेष ध्यान दें।

इस सम्बन्ध में मेरा पहला सुझाव यह है कि नागपुर से भोपाल तक एक गाड़ी चलाई जानी चाहिये क्योंकि इस समय पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र से भोपाल जाने वाले यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है।

दूसरे, इटारसी और अमला के बीच के स्टेशनों पर वन उत्पादों की ढुलाई के लिये माल डिब्बे प्राप्त करने में सदैव कठिनाई होती है। अतः माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह समुचित माल डिब्बों का प्रबन्ध करें क्योंकि अन्यथा इससे उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है।

जी० टी० एक्सप्रेस मद्रास से दिल्ली तक पहुँचने में 40 घंटे का समय लेती है और उसके 14 घंटे मध्य प्रदेश से गुजरने में लगते हैं। मध्य प्रदेश में इस गाड़ी के हाल्ट केवल

चार हैं। यदि बतूल के स्टेशन पर इस गाड़ी का एक और हाल्ट बना दिया जाये तो उस क्षेत्र के लोगों को बड़ी सुविधा हो जायेगी।

अगला सुझाव यह है कि इलाहाबाद और लखनऊ के बीच एक तेज रफ्तार वाली गाड़ी चलाई जानी चाहिये जो केवल $4\frac{1}{2}$ घंटे ले। मेरा अन्तिम निवेदन यह है कि माननीय मंत्री स्पष्ट तौर पर बतायें कि रेलवे में आरक्षण के सम्बन्ध में संसद् सदस्यों की क्या स्थिति है? नागपुर में मुझे एक गाड़ी से उतार दिया गया था क्योंकि राज्य के एक उपमंत्री और उनकी पत्नी को उस कुपे में सफर करना था जिसके लिये मेरा नाम प्रतीक्षा-सूची में पहले ही से था।

श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर) : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि रेलवे के किराये और मालभाड़े में पिछले 20 वर्षों में कई गुना वृद्धि किए जाने के बावजूद भी रेलवे को घाटा हो रहा है। इसका मुख्य कारण रेलवे कर्मचारियों में गहरे असंतोष का व्याप्त होना है। नौकरशाही जिस ढंग से रेलवे प्रशासन को चला रही है उससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।

16 मई, 1969 को मदुरै डिवीजन में पम्बन स्टेशन के दो सहायक स्टेशन मास्टरों का तबादला तार द्वारा किया गया था और उसका कोई कारण नहीं बताया गया था। बात वास्तव में यह थी कि 1967 के चुनावों में ये कर्मचारी काँग्रेस के दबाव में नहीं आये और उन्होंने काँग्रेस के उम्मीदवार के लिये काम नहीं किया। इसीलिए राजनीतिक कारणों से उनका तार द्वारा तबादला किया गया।

पिछले वर्ष देश के मेरे भाग में फायरमैनों की हड़ताल हुई और माननीय मंत्री ने इस सभा में कई बार आश्वासन दिया है कि किसी भी कर्मचारी को तंग नहीं किया जायेगा। इसके बावजूद भी अनेकों कर्मचारियों को नोटिस दिए गए हैं और उनकी सेवा में विघ्न डाला गया है। उनमें बहुत से कर्मचारी तो ऐसे हैं जिन्होंने 19 सितम्बर की हड़ताल में भाग नहीं लिया और उनकी वफादारी के कारण ही उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है। यह उचित नहीं है। रेल के डिब्बों में सुविधाओं की बहुत कमी है। रात के समय में रेलगाड़ी में कभी भी नहीं पढ़ सका हूँ क्योंकि रोशनी का उचित प्रबन्ध नहीं है।

गत वर्ष माननीय मंत्री ने कहा था कि घाटे वाली पार्श्व लाइनों को हटाया नहीं जायेगा किन्तु मेरे क्षेत्र में अब भी इस बारे में भय है। अतः मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री इस भय को दूर करें। यदि इन लाइनों को अन्य क्षेत्रों से मिला दिया जाये तो ये लाभकर सिद्ध हो सकती हैं।

अरन्तनागरी से तूतीकोरिन तक एक तटीय लाइन के लिये कई वर्षों से माँग की जा रही है। पिछली बार मेरे एक साथी श्री दीविकन ने मंत्री महोदय को व्रत की धमकी दी थी तो माननीय मंत्री ने कहा था कि व्रत न करें, लाइन का काम आरम्भ किया जायेगा। यह लाइन चेंगलपट से चिन्नासलाम तक है। इसके अतिरिक्त यह आश्वयक है कि रेलवे मंत्री अपने मित्र श्री कामराज द्वारा चुनाव के दौरान किए गए वायदों को पूरा करें। यह दुर्भाग्य की बात है कि तीनों योजनाओं में नई लाइनें स्थापित करने के सम्बन्ध में मेरे राज्य की उचित मागों की उपेक्षा की गई है। आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि तूतीकोरिन लाइन को शीघ्र बड़ी लाइन में बदला जाये।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : दिल्ली से भुवनेश्वर तक सीधी रेल चलाने की माँग

बहुत पुरानी है। अब पहली अक्तूबर से उत्कल एक्सप्रैस चलाई जा रही है। किन्तु हमें इसके मार्ग और समय-सूची की जानकारी नहीं है। हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। कटक से बरहामपुर तक शटल ट्रेन चलाने की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान ट्रेन सेवा पर्याप्त नहीं है। शहीद नगर जादूपुर खुर्दा रोड और रेटांग के बीच नए हाल्ट बनाने की आवश्यकता है। झरसागुड़ा में दूसरी रेलवे डीविजन बनाने की माँग बहुत पुरानी है क्योंकि हाल ही में उस क्षेत्र में नई रेलवे लाइनों का विकास हुआ है।

Shri Chandra Shekhar Singh (Jahanabad) : Mr. Deputy Speaker, Sir, while I support the excess grants, it pains me to say that the Railway Ministers and the officials of the Railway Board work in a bureaucratic manner. Crores of rupees are spent over the plans and schemes and they are abruptly dropped when they are half way through. Demand No. 7 relates to the grant of excess expenditure on coal. Dr. Ram Subhag Singh, the officials of the Mining Board at that time and the concerned Minister had misappropriated huge sums of money in the purchase of coal without inviting tenders. The coal had been purchased at the rate of Rs.23 per ton while later the same coal had been purchased at the rate of Rs. 13 per ton against the tenders.

For the operation of railways Ministers and officers are not needed. The entire operational work is being done by the different categories of employees. But it is ironcial that in anticipation of profits the officers had been given all sorts of facilities and better scales of pay and coversely the class III and class IV employees had been retrenched.

As you know on the 19th September, 1968 the Central Government employees and the Railway employees had gone on a day's token strike to press their demand for a need-based minimum wage. Although the Government promised to show leniency and to reinstate them, yet hundreds of employees are still under suspension. On account of this there is discontent and resentment among the employees and this prevents them from giving proper attention to their work. Unless their lot is improved the development of railways will remain a mirage.

Shri Derorao Patil (Yeotmal) : Mr. Chairman, Sir, I support the demads for excess grants of the Ministry of Railways. In this connection I want to give certain suggestion which are as follows :

A new railway line should be laid between Chanakha and Varna in District Yotmal in Maharahstra. A new cement factory is being set up there and for that this line is abolutely essential. A Janta Express should be started from Bombay to Howrah via Nagpur. This will provide immense relief to the middle and lower class people. The lines between Yeetmal and Achalpur and between Pulgaon and Arvi should be coverted into broad guage lines.

Shri B. P. Mandal (Madhipura) : Sir, I would like to confine myself only to the four cut motions that I have tabled. My cut motion No. 6 relates to the service conditions of the railway employees.The lower category employees are being victimised by the officers and I shall be able to give documentary proof in this regard when called up to do so. Secondly, the tickless travelling is very much on the increase and therefore checking by magistrates should be further intensified. Thirdly, the entire track from Delhi to Howrah should be dieselised.

Shri George Fernandes (Bombay -South) : Sir, at the outset I would like to appeal to the Government to reinstate the employees who had been suspended last year for taking part in the token strike on the 19th September. They should translate their slogans of socialism,

I want to draw the attention of the Government to the assurance given to the people of Konkan regarding construction of Railway line. Voices were raised in the House and also outside the House in support of the Railway line. Now they are demanding that if no railway line is constructed from Bombay to Goa, they should form a separate State. So I request the Hon. Railway Minister to fulfil that promise. People have to face great difficulty during rainy season, when ships stop functioning, and thus causing great inconvenience. So the Government must take a decision without further delay. Otherwise people will rise against the Government.

Thirdly, I want to say about the suburban railway of Bombay. The people have to experience great difficulty in it. So it is my request to take concrete steps to remove the difficulties of the travellers of suburban trains.

Fourthly, I do not say that Rajdhani express should be introduced upto Madras or Bombay. I do not at all want this Rajdhani Express. It should be stopped. This Rajdhani Express is meant for rich people and not for the poor. The Prime Minister talks of socialism and declares that they are going to do this and that thing for the poor but in actual practice they are doing nothing for the poor.

Lastly, I want to draw the attention of the Government to the sad plight of licensed porters. The Hon. Minister assured the House that attention would be paid to the demands of porters but nothing has geen done so far. At least benefits like Medical treatment etc. should be given to them. I urge the Hon. Minister to take steps to solve the problem of licensed porters.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Whenever demands are made, it pertain to big cities like Bombay, Calcutta .Madras, etc. It is my urge not to give heed to such demands. The railway lines should be constructed in the border areas with China and Pakistan and areas where there are no roads. Facilities of transport should be provided in rural areas .

Now I will say something about my State. At the time of late Lal Bahadur Shastri, work on the railway line from Rohtak to Gohane was started. We are all grateful to you for this. It is our request that a train should be introduced from Rohtak to Panipat.

Some cases of Railway employees are still hanging.It is my request that all cases against them should be withdrawn.

Lastly, employment in the Railway Service should be given to those candidates who belong to Harijan Community and got third class in their Matriculation examination. All doors of other avenues of employment are closed for them. So they may be absorbed in the railways.

It is my suggestion that like Rajdhani Express a Kisan Express may also be started. The main function of this train should be to educate the farmers about the achievements in agriculture like seeds, lastest manure, different varieties of crops etc. Latest implements should be exhibited. In this way the country can be benefitted.

One thing more, the fares in Railways have gone up but amenities are the same. Facilities like durinking water, lavatory etc. are not provided properly for the third class passengers. So attention may be paid to this matter also.

Shri Mahant Digvijai Nath : (Gorakhpur) : Instead of going into the amenities in Railway, I will ask to give consideration for the security of the country.

It is good that survey work is going on beteeen Banaras to Gorakhpur and Gorakhpur to Barabanki.It was very important because we may have to send our forces to the border with Nepal at any time. It is our request that this may be expedited.

The line between Lucknow to Siliguri is so inefficient that trains running on this line are always late by 11 or 12 hours. It is my suggestion that the train on this line should be convrerted into diesel train so that time may be saved.

Lastly, I would like to ask the time by which the broad gauge line will be constructed. This should be expedited. It is necessary to construct overbridge at Gorakhpur, so estimate thereof should also be included.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हमारे एक भूतपूर्व रेल-मंत्री ने रेलवे के डीजलीकरण के लिये विदेश से आयात करने के लिए करार किया था। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोयला ईंधन है, इसके होते हुए भी वे हमें दूसरे देश का गुलाम बनाना चाहते थे। इसका परिणाम क्या हुआ अमेरिका की फर्म, जिसके साथ करार हुआ था, का दिवाला निकल गया। अब उन्होंने अधिकारियों का एक दल अमेरिका भेजा है जो कि इसके कल-पुर्जों को देने वाली फर्म की खोज करेगा। यह एक शोचनीय स्थिति है। मेरा निवेदन है कि रेलवे मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के जाजपुर में हुई दुर्घटना का कारण यह बताया गया है कि यह सिगनल देने के नए तरीकों को अपनाने से हुई। हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय तथ्यों का स्पष्टीकरण करें।

रेलवे को जनता को बेवकूफ बनाने की आदत है। यदि कोई टिकट खरीदता है तो उसे जगह देने की कोई गारन्टी नहीं दी जाती और यदि कोई टिकट नहीं खरीदता है तो उसे कठोर दंड दिया जाता है। इस प्रकार रेलवे जनता को बेवकूफ बना रही है।

बहुत से स्टेशनों की आय में वृद्धि हुई है, परन्तु यात्रियों की सुविधाओं में व्यय किया जाने वाला धन बहुत ही कम है, यह वास्तव में ही शोचनीय स्थिति है, सरकार इस प्रकार यात्रियों का अहित कर रही है।

इस देश के अध्यापक रेलवे में रियायत की माँग कर रहे हैं। आप विदेशियों को रेलवे-रियायत देते हैं पर उनके साथ ऐसा नहीं होता। अध्यापक का वेतन बहुत कम होता है और वह समाज के लिये बड़ा काम करता है।

रेलवे अधिकारी 19 सितम्बर के हड़तालियों के साथ कठोरता से पेश आ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि उनके साथ न्याय किया जाये।

कचरापारा अस्पताल में कार्य कर रहे तकनीशियनों के विकिरण के दुष्प्रभाव का खतरा है और वे इसके लिए क्षतिपूर्ति चाहते हैं। सरकार को चाहिये कि वे उनकी माँगों पर पुनर्विचार करे।

भोजन-व्यवस्था के बारे में मुझे यह कहना है कि सरकार विभागीय भोजन-व्यवस्था को गैर-सरकारी व्यक्तियों के हाथ में दे रही है। मैं नहीं जानता कि कौन इसका लाभ उठाने जा रहा है ?

अन्त में मैं कहना चाहता हूँ कि हमने यह सुझाव दिया था कि नूरपुर से होते हुए बाजबाज और डायमंड हारबर के बीच एक रेलगाड़ी चलाई जाये। मेरा निवेदन है कि रेलवे मंत्री महोदय इस पर विचार करें।

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : मेरा कहना है कि यह अतिरिक्त माँग, जिस पर वाद-विवाद किया जा रहा है, वित्तीय वर्ष 1967–68 से सम्बन्ध रखती है। यह लगा-

भग 171.33 लाख रुपए की है और लोक-लेखा समिति ने अपने 83वाँ प्रतिवेदन में कहा है कि इसको नियमित कर दिया जाये। इससे पहिले मैं अन्य बातों पर विचार करूँगा।

कई सदस्यों ने 19 सितम्बर की हड़ताल के बारे में कहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस हड़ताल में भारतीय रेलवे के लगभग कुल 90,000 कर्मचारियों ने भाग लिया, उनमें से 89,000 को काम पर वापिस ले लिया गया है, अब केवल 555 कर्मचारी निलम्बित हैं अथवा न्यायालय के आदेश पर गिरफ्तार किए गए हैं। कुछ कर्मचारियों के बारे में न्यायालय को निर्णय देना है और कुछ निलम्बित हैं। इन मामलों में शीघ्र ही निर्णय किया जाएगा। केवल उन्हीं मामलों में अन्तिम निर्णय लेना शेष रह जायेगा जो हिंसक आदि कार्यवाहियों से सम्बन्धित हैं।

श्री जि० मो० विस्वास (बाँकुरा) : श्री शुक्ल ने राज्य-सभा में यह कहा था कि सरकार ने उदार निर्णय लिया है और इसको कार्यान्वित करने के उपरान्त केवल एक दर्जन व्यक्ति ही शेष रहते हैं। रेलवे में अभी लगभग 500 कर्मचारियों के मामले लटके हुए हैं। यह कैसे हो सकता है?

श्री उमानाथ (पुदुकोटै) : आप सबको क्षमा क्यों नहीं कर देते?

श्री परिमल घोष: मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इनके मामले न्यायालय में विचाराधीन पड़ हैं, जैसे ही इन पर निर्णय हो जाएगा, हम पुनर्विचार करेंगे।

छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के बारे में मुझे यह कहना है कि हमने पहले ही यह निर्णय किया हुआ है कि अगले दस वर्षों में 3,000 किलोमीटर छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला जायेगा, चौथी पंचवर्षीय योजना में 1,500 किलोमीटर छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का प्रस्ताव है।

मैं यह बता देना चाहता हूँ कि नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए बहुत कम धन उपलब्ध है। 83 करोड़ रुपयों में से 56 करोड़ रुपए उन लाइनों पर व्यय करना है जिन पर कार्य पहिले ही आरम्भ हो गया है और उनको अभी पूरा करना है। इसके उपरान्त नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए बहुत कम धन शेष रहता है। हमें नई रेलवे लाइन के निर्माण का चयन करते समय यातायात तथा आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नई रेलवे लाइनों के बारे में अभी तक विचार नहीं किया गया है। अन्तिम निर्णय किए जाने पर यह विदित हो जायेगा कि कितनी नई लाइनों का निर्माण किया जायेगा।

जहाँ तक बिना टिकट यात्रा का सम्बन्ध है, इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए हमने कुछ कड़े उपाय किए हैं और हमारे इन प्रयत्नों के परिणाम अच्छे निकले हैं और बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या काफी घटी है।

जहाँ तक अन्य सुविधाओं तथा और चीजों का सम्बन्ध है, मैं यथा संभव धन की सीमा को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर निश्चित रूप से विचार करूँगा।

सभापति महोदय: अब मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 28 तक मतदान के लिये रखूंगा।

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The cut motions were put and negatived.

सभापति महोदय: अब मैं वर्ष 1967–68 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की माँगें (रेलवे) संख्या 5, 7, 8, 16 तथा 20 सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

वर्ष 1967–68 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की माँगें (रेलवे) सभा के मतदान के लिए रखी गईं तथा पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

The demands for Excess Grants (Railways) for 1967-68 were put and adopted.

माँग संख्या	शीर्षक	राशि
5	राजस्व—संचालन व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण	26,27,331
7	राजस्व—संचालन व्यय—परिचालन (ईंधन)	97,89,494
8	राजस्व—संचालन व्यय—परिचालन (कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर)	37,32,622
16	पेंशन प्रभार—पेंशन निधि	9,83,349
20	राजस्व आरक्षित निधि से निकासी	273

विनियोग (रेलवे) संख्या 4 विधेयक, 1967

APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 4 BILL, 1967

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1968 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे की कुछ सेवाओं पर उस वर्ष के लिये तथा उन सेवाओं के लिये दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों को विनियोग का अधिकार देने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

> "कि 31 मार्च, 1968 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे की कुछ सेवाओं पर उस वर्ष के लिये तथा उन सेवाओं के लिये दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों को विनियोग का अधिकार देने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

डा० राम सुभग सिंह: मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

अनुपूरक अनुदानों की माँगें (सामान्य) 1969–70

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL) 1969-70

सभापति महोदय: वर्ष 1969–70 के आय-व्ययक (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की निम्नलिखित अनुदानों की अनुपूरक माँगों (सामान्य) को अब सभा के विचार-विमर्श तथा मतदान के लिये लिया जायेगा:—

वर्ष 1969-70 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) प्रस्तुत की गईं

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
7	शिक्षा	1,000
44	मंत्रिमंडल	3,31,000
60	नमक	12,53,000
61	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	8,10,000
66	बहुप्रयोजनी नदी योजनाएँ	5,00,000
82	जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	4,15,00,000
93	डाक और तार का कार्य-चालन व्यय	2,00,00,000
98	समाज कल्याण विभाग का अन्य राजस्व-व्यय	1,50,000
116	दिल्ली पूंजी परिव्यय	1,000
121	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	6,50,90,000
124	सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	60,00,000
125	श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	4,00,000
131	विमानन पर पूंजी परिव्यय	1,000

सभापति महोदय: कुछ कटौती प्रस्ताव हैं। निम्नलिखित कटौती प्रस्तावों को पेश किये गये प्रस्ताव समझा जायेगा:—

3,
6,
7,
9,
12,
13,
15,
18,
20,
21,
25 to 32
51 to 56
58,
61,
72 to 84

89 to 96
102 to 129

वर्ष 1969–70 के आय-व्ययक (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की माँगों (सामान्य) के बारे में प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्ताव

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
44	3	श्री यशपाल सिंह	मंत्रियों के दौरे।	100 रुपये
44	6	श्री लोबो प्रभु	मंत्रियों द्वारा अपने कर्त्तव्य में अहित में तथा कर-दाताओं के कंधों पर दौरे।	100 रुपये
61	7	श्री यशपाल सिंह	औद्योगिक लाइसेंस नीति जाँच समिति की सिफारिशों को कार्य-रूप देने में विलम्ब।	100 रुपये
66	9	श्री लोबो प्रभु	क्षेत्र-वार विकास योजनाओं को केवल गंगा नदी जल क्षेत्र तक सीमित रखना।	100 रुपये
82	12	श्री लोबो प्रभु	वर्तमान पत्तनों तथा निर्माणाधीन पत्तनों के लिये पर्याप्त ड्रेजर प्राप्त करना।	राशि घटा कर 1 रुपया कम कर दी जाये।
82	13	श्री यशपाल सिंह	कलकत्ता पत्तन का कार्य संचालन।	100 रुपये
93	15	श्री लोबो प्रभु	ऊपरी दखावे पर अनावश्यक खर्च जबकि अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी वर्ग को पर्याप्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाता।	100 रुरपये
136	18	श्री यशपाल सिंह	केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस दल के सदस्यों के लिये आवास स्थान का अभाव।	100 रुपये
124	20	श्री लोबो प्रभु	राष्ट्रीय प्रायोजनाएँ निर्माण निगम लिमिटेड में, जिसका लाभांश घट रहा था और 1967–68 में कुछ भी नहीं रहा, पूंजी का लगाया जाना।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये।

1	2	3	4	5
124	21	श्री यशपाल सिंह	राष्ट्रीय प्रायोजनाएँ निर्माण निगम लिमिटेड सम्बन्धी मामले।	100 रुपये
7	25	श्री रामवतार शास्त्री	तकनीकी शिक्षा-प्राप्त लोगों को रोजगार देने में असफलता।	100 रुपये
7	26	श्री रामावतार शास्त्री	तकनीकी शिक्षा को व्यापक बनाने में असफलता।	100 रुपये
44	27	श्री रामावतार शास्त्री	मंत्रियों के यात्रा-व्यय में कमी करने में असफलता।	100 रुपये
60	28	श्री रामावतार शास्त्री	नमक के कारखानों को बाढ़ के भीषण प्रकोप से बचाने में असफलता।	100 रुपये
61	29	श्री रामावतार शास्त्री	औद्योगिक लाइसेंस देने के मामलों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने में असफलता।	100 रुपये
61	30	श्री रामावतार शास्त्री	औद्योगिक लाइसेंस जाँच समिति की सिफारिशों को सख्ती से कार्यान्वित करने की आवश्यकता।	100 रुपये
66	31	श्री रामावतार शास्त्री	गंगा नदी के बाढ़ को स्थायी रूप से रोकने में असफलता।	100 रुपये
66	32	श्री रामावतार शास्त्री	गंगा नदी के पानी को सिंचाई के लिये उपयोग करने के लिये योजनाओं में कमी।	100 रुपये
7	51	श्री पी० विश्वम्भरन	रोजगार-उन्मुख शिक्षा-पद्धति लागू करने में सरकार की असफलता।	100 रुपये
61	52	श्री पी० विश्वम्भरन	एकाधिकार को समाप्त करने और औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योग पतियों के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही करने में सरकार की असफलता।	100 रुपये

1	2	3	4	5
61	53	श्री कंवर लाल गुप्त	कुछ उद्योगपतियों द्वारा आयातित माल की चोर-बाजारी में बिक्री और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाना।	100 रुपये
61	54	श्री कंवर लाल गुप्त	कुछ अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा कुछ प्रिय उद्योग-पतियों को आयात लइासेंस जारी करने के सम्बन्ध में घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार और उनके विरुद्ध कार्यवाही न की जाना।	100 रुपए
61	55	श्री कंवर लाल गुप्त	केवल कुछ ही हाथों में धन-संग्रह रोकने के लिये कार्यवाही करने में विलम्ब।	100 रुपये
66	56	श्री पी० विश्वम्भरन	देश में पर्याप्त बाढ़-नियंत्रण उपायों को कार्यान्वित करने में सरकार की असफलता।	100 रुपये
82	58	श्री पी० विश्वम्भरन	कोचीन बन्दरगाह से ठीक प्रकार मिट्टी निकालने और उस बन्दरगाह का विकास करने की आवश्यकता।	100 रुपये
121	61	श्री पी० विश्वम्भरन	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की अकुशलता।	100 रुपये
61	72	श्री किरुतिनन	औद्योगिक लाइसेंस नीति जाँच समिति की सिफारिशों को कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता।	100 रुपये
66	73	श्री किरुतिनन	गंगा नदी को सुदूर दक्षिण में कावेरी तथा अन्य नदियों से मिलाने के सम्बन्ध में पड़ताल करने की आवश्यकता।	100 रुपये
66	74	श्री किरुतिनन	तमिलनाडु में अपर पेरियार योजना को क्रियान्वित करने में असफलता।	100 रुपये

1	2	3	3	4
66	75	श्री किरुतिनन	केरल राज्य की नदियों से वैगई में अधिक पानी लाने के लिये जाँच करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
82	76	श्री किरुतिनन	तूतिकोरिन बन्दरगाह परियोजना को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता।	100 रुपये
82	77	श्री किरुतिनन	तूतिकोरिन बन्दरगाह को सड़कों तथा राष्ट्रीय राजपथों से मिलाने की आवश्यकता।	100 रुपये
82	78	श्री किरुतिनन	पूर्वी तट सड़क को तमिलनाडु के राष्ट्रीय राजपथों के अन्तर्गत लाने में असफलता।	100 रुपये
82	79	श्री किरुतिनन	सेतू समुद्रम परियोजना को शुरू करने की आवश्यकता।	100 रुपये
82	80	श्री किरुतिनन	तमिलनाडु के पूर्वी तट पर थोंडी पर एक छोटा पत्तन बनाने के लिये जाँच करने की आवश्यकता।	100 रुपये
93	81	श्री किरुतिनन	तमिलनाडु के ग्रामीण क्षत्रों में दूर-संचार सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता।	100 रुपये
93	82	श्री किरुतिनन	तमिलनाडु में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा-सूची में लोगों की भारी संख्या ।	100 रुपये
93	83	श्री किरुतिनन	दिल्ली और मद्रास के बीच दूर-संचार सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता।	100 रुपये
125	84	श्री किरुतिनन	बर्मा और सीलोन से देश में लौटने वाले व्यक्तियों के लिये और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	100 रुपये
66	89	श्री रामावतार शास्त्री	बाढ़ से रक्षा तथा सिंचाई की सुविधाओं के लिए पुनपुन नदी योजना तैयार करने की आवश्यकता।	100 रुपये

1	2	3	4	5
66	90	श्री रामावतार शास्त्री	पुनपुन नदी से बरसाती नहरें निकालने की आवश्यकता।	100 रुपये
66	91	श्री रामावतार शास्त्री	गंगा नदी से सिंचाई का काम लेने में असफलता।	100 रुपये
82	92	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार में पड़ने वाली गंगा नदी में व्यापारिक जहाज का पुनः चलाना जारी करने की आवश्यकता	100 रुपये
82	93	श्री रामावतार शास्त्री	बक्सर से राजमहल तक गंगा नदी में व्यापारिक जहाज चलाना।	100 रुपये
82	94	श्री क० मि० 'मधुकर'	देश के बड़े बन्दरगाहों के समुचित विकास तथा उनमें आधुनिक उपकरणों का अभाव।	100 रुपये
82	95	श्री क० मि० 'मधुकर'	गंगा तथा देश की अन्य बड़ी नदियों में नौका वहन सम्बन्धी एक राष्ट्रीय योजना लागू करने की आवश्यकता।	100 रुपये
82	96	श्री क० मि० 'मधुकर'	कलकत्ता, विशाखापत्तनम, कोचीन आदि बन्दरगाहों के विकास के समुचित वित्तीय साधन उपलब्ध करने की आवश्यकता।	100 रुपये
66	102	श्री क० मि० 'मधुकर'	बूढ़ी गंडक नदी के लगातार कटावों को रोकने सम्बन्धी योजना को लागू करने में असफलता।	100 रुपये
66	103	श्री क० मि० 'मधुकर'	पुन पुन योजना को लागू करने तथा उसके प्रति केन्द्र की उपेक्षा।	100 रुपये
66	104	श्री क० मि० 'मधुकर'	गंगा के अतिरिक्त पानी के निकास तथा उसे सिंचाई के साधन के रूप में उपयोग करने में असफलता।	100 रुपये
66	105	श्री क० मि० 'मधुकर'	सरकार द्वारा बिहार में उन नदियों के पानी को पम्पिंग सेट लगा कर उपयोग करने में असफलता जिनमें साल भर पानी रहता है।	100 रुपये

1	2	3	4	5
66	106	श्री क० मि० 'मधुकर'	बिहार की नदियों से सस्ती बिजली उत्पन्न करने की योजना लागू करने में सरकार की असफलता।	100 रुपये
66	107	श्री क० मि० 'मधुकर'	पूर्णिया में बाढ़ से पीड़ित लाखों लोगों को केन्द्रीय सहायता का अभाव।	100 रुपये
66	108	श्री क० मि० 'मधुकर'	बागमती एवं अधिवारा नदी योजना को बहु-प्रयोजनी योजना के रूप में लागू करने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
66	109	श्री क० मि० 'मधुकर'	गंडक योजना क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में सरकार की अकर्मण्यता	100 रुपये
66	110	श्री क० मि० 'मधुकर'	गंडक योजना के कार्यान्वयन में धन का अभाव।	100 रुपये
66	111	श्री क० मि० 'मधुकर'	गंडक योजना में इस वर्ष पर्याप्त राशि के अभाव में उसके कार्यों में शिथिलता।	100 रुपये
66	112	श्री क० मि० 'मधुकर'	बिहार में भयंकर बाढ़ से पीडित लोगों को केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता।	100 रुपये
66	113	श्री क० मि० 'मधुकर'	कोसी योजना के अन्तर्गत पश्चिमी कोसी नहर के कार्यों में उत्पन्न बाधा	100 रुपये
93	114	श्री रामावतार शास्त्री	जिन लोगों ने टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन किया है उनको पटना टेलीफोन एक्सचेंज द्वारा टेलीफोन कनेक्शन देने में असफलता ।	100 रुपये
93	115	श्री क० मि० 'मधुकर'	बिहार में जिला चम्पारन के मधुबन डाकखाने के लिए सरकारी इमारत बनाने में असफलता।	100 रुपये

1	2	3	4	5
93	116	श्री क० मि० 'मधुकर'	बिहार में जिला चम्पारन के केसरिया डाकखाने की इमारत की मरम्मत कराने में असफलता।	100 रुपये
93	117	श्री क० मि० 'मधुकर'	जिला चम्पारन में वरचकिया में टेलीफोन एक्सचेंज के लिए सरकारी इमारत बनाने में असफलता।	100 रुपये
93	118	श्री क० मि० 'मधुकर'	ग्रामीण क्षेत्रों के हरिजन और अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को पर्याप्त छात्रवृत्तियाँ तथा रोजगार के अवसर प्रदान करने में असफलता।	100 रुपये
93	119	श्री रामावतार शास्त्री	अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के लोगों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने के लिये राज्यों को अधिक धन देने की आवश्यकता।	100 रुपये
93	120	श्री रामावतार शास्त्री	अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देने में विलम्ब को रोकने में असफलता।	100 रुपये
93	121	श्री रामावतार शास्त्री	छात्रवृत्ति की राशि को बढ़ाने की आवश्यकता।	100 रुपये
93	122	श्री रामावतार शास्त्री	अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों को सामाजिक उत्पीड़न को रोकने में असफलता।	100 रुपये
124	123	श्री क० मि० 'मधुकर'	उत्तर बिहार में बिजली की लगातार कमी को दूर करने में असफलता।	100 रुपये
124	124	श्री क० मि० 'मधुकर'	मोतिहारी के निकट गंडक योजना के अन्तर्गत तिरहुत नहर में रेगुलेटर टूट जाने के कारण होने वाली हानि।	100 रुपये

1	2	3	4	5
124	125	श्री क० मि० 'मधुकर'	बिहार में बिजली की कमी को पूरा करने के लिये मोतीपुर के निकट एक और थरमल पावर स्टेशन की स्थापना।	100 रुपये
124	126	श्री क० मि० 'मधुकर'	गंडक योजना के तीसरी पूर्वता वाले कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता	100 रुपये
124	127	श्री क० मि० 'मधुकर'	गंडक योजना में लगे मजदूरों और इंजीनियरों की छंटनी को रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपये
124	128	श्री क० मि० 'मधुकर'	गंडक योजना के अन्तर्गत प्रमुख तिरहुत नहर और शाखा नहरों के निर्माण-कार्यों में आर्थिक कठिनाइयाँ।	100 रुपये
124	129	श्री क० मि० 'मधुकर'	गंडक योजना के अधीन पश्चिमी नहर का काम एकदम ठप्प।	100 रुपये

Shri Meetha Lal Meena (Sawai Madhopur) : We have had now good crops due to favourable monsoons and the hard labour of our farmers and it is hoped that the present trend would continue. Keeping this in view, it is advisable for the Government to remove all restrictions on the movement of foodgrains.

A part of the State of Rajasthan is flood-ravaged and the rest of the State is facing the devastating situation of famine But the Central Government have not dealt this situation properly and the heavy amounts allotted for the purpose have been misued. Rajasthan Canal which may prove to be a preponderate source of irrigation has not been given proper consideration. I suggest that the canal should be taken over by the Central Government and more and more funds should be allotted for its proper development because the State Government is not in the position to handle the same due to the non-availability of adequate funds.

Due to the bumper crop, the prices of foodgrains are likely to be decreased but those of other consumer goods will tend to increase if proper attention is not given towards their production. I suggest the Government should also try to get an equilibrium between the production and the prices of the foodgrains and that of other consumer goods.

[श्री एम० बी० राणा पीठासीन हुए]
[Shri M. B. Rana in the Chair]

The agricultists should be provided with electricity also with a large number of tube-wells. Better means of communication should be made available to the people of rural areas. Government have accepted a scheme envisaging supply of telephones to the agriculturists at cheap rates but it has not been implemented as yet.

In certain areas of Rajasthan, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, people are terrified of dacoits and therefore these areas should be provided with means of communications at cheap rates. Besides, the Government should deploy the personnel of the Central Reserve Police in these areas so that the panic-striken people may feel safe.

The problem of unemployment is becoming more serious day by day. I suggest the Government should send the unemployed engineers to technically advanced countries like Japan to study technical know-how in the sphere of small-scale industries and cottage industries so that after coming back to India they may be able to develop Indian small scale industries.They should also be given financial assistance in the form of loans. Apart from this, rural industrialisation is equally important and the Government should take steps towards this objective.

One of the most disgusting problems is that the areas which have already been declared as backward areas could not be fully developed so far. Last year an amount of Rs.23 lakhs was sanctioned by the Goverment for the supply of drinking water to the people of Swai Madhopur district in Rajasthan but it is strange that the relief could not be percolated to the poor peasants who had to suffer from non-availability of drinking water.

It should also be ensured that the electricity is supplied to the rural areas regularly and the corruption in the electricity departments is eraditcated.

The arrears of income-tax should be recovered so that the money may be invested in other productive works. The development of rural areas is much more important and the Government should pay heed towards the proper development of villages.

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : इन अनुपूरक माँगों को स्वीकार करने से 1,362.41 लाख रुपयों का अतिरिक्त व्यय होगा। ये माँगें विभिन्न मंत्रालयों से सम्बद्ध हैं और मैं केवल तीन या चार मंत्रालयों के बारे में उल्लेख करूँगा।

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय ने बहु-प्रयोजनीय नदी योजना के लिये 5 लाख रुपयों की माँग की है। नर्मदा परियोजना संसार की ऐसी सभी योजनाओं में बड़ी है तथा सरकार को उसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिये। अन्तर्राज्यीय विवाद के कारण यह परियोजना बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पाई। किन्तु अब सरकार को इस मामले में शीघ्रता करनी चाहिये। यदि यह परियोजना पूर्ण हो जाती है तो देश की भारी जनता को दो समय पेट भर खाना उपलब्ध हो सकता है और इस परियोजना से देश खाद्यान्न के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हो सकता है।

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय को ड्रेजर की आवश्यकता है। योजना आयोग ने नौवहन को कोई प्राथमिकता नहीं दी जो अवश्य दी जानी चाहिये थी। विदेशों से खाद्यान्न का आयात करने पर, माल ढुलाई पर भारी धन व्यय होता है। सरकार इस व्यय से बच सकती है किन्तु उसे नौवहन पर पर्याप्त ध्यान देना पड़ेगा। सरकार को अपने देश में भी जहाजों का निर्माण कराना चाहिये तथा इस मंत्रालय के लिये अधिक धन नियत करना चाहिये।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय को भी अधिक धन राशि दी जानी चाहिये जिससे यह मंत्रालय अन्य विकसित देशों की तुलना में अधिक विकास कर सके इन शब्दों के साथ मैं इन माँगों का सभा की स्वीकृति के लिये समर्थन करता हूँ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Today a systematic and planned personality cult of the Prime Minister is being created and crores of rupees are being spent for the purpose. Her photographs are published in the newspapers and her speeches are broadcast from the All India Radio. All the big newspapers are under the influence of the Government and they are not independent.

It is well known that the newspapers are owned by the big capitalists who one way or the other are hand and glove with the Government. With certain allurements or fears the newspapers are being forced to succumb to the Government and the newspapers have also started to give cheap publicity in favour of the prsonality cult of the Prime Minister. But I want to warn these new-papers that a day will come when the people of India will not forgive even these newspapers which are helping the Prime Minister in leading our country towards dictatorship.

I am constrained to state that today the All India Radio is doing nothing but performing a duty of a eulogist.No mention has been made by the All India Radio about the calling attention motion of today in the bulletin of 1.30 p.m. with the clear intention that it casts reflections on the functioning of the Ministry of Industries and the hon. Prime Minister and her colleague Shri F. A. Ahmed. May I know whether the All India Radio is a personal property of the Prime Minister? (**Interruptions**)

I also suggest that if democracy is to be maintained in our country we will have to eschew our country from the ideologies propounded by Hilter and such other persons.

Sir, it may be recalled that Shri Gujral approached Shri Irani working in the Statesman and asked him to toe the line of the Government. But I am happy to mention that Shri Irani flatly refused to act according to the dictates of the hon.-Minister. Thus, it is quite obvious that in some ways the newspapers are being pressucrised and demoralised. This practice which the Government and the Hon. Prime Minister are adopting cannot be called healthy. The language of People's democracy used by the Prime Minister causes anxiety and concern.

I dare say that none except Shrimati Indira Gandhi, and this psendo-socialist Government are responsible for the concentration of wealth in the country. This is a pseudo-socialist Government which wants to seize all economic powers in it hands in the garb of providing better means of livelihood to the poor people with the connivance of big industriaslists. Whether it is Tata, Birla or the bureaucrats or the Ministers, all of them have ulterior motives and want to misuse the Indian resources. They are all hand and glove with each other.

Banks have been nationalised and I want to welcome this particular step taken by the Government. But at the same time I am persistent on my demand that the Government should declare and guarantee that within a specified period, say a period of a year or two, the poor would be able to enjoy at least two square meals a day. The Government should also take guarantee that the benefit arising out of additional resources to the Government will be percolated to the poor public of the country. I am fully confident of the fact that if this is not done the people of India will sack this Government and hunreds of dictators would not be able to face the anger of the public.

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : Sir, I rise to support this demand. I also want to submit that the eastern districts of Uttar Pradesh are being ignored by the Government. The agriculturists of these areas have not been provided with the electricity and the irrgiation facilities. I am afraid, if proper steps are not taken immediately the Ballia-Baria barrage, which is 22 miles far from Ballia, will be damaged resulting in large scale devastation in the entire district because this barrage is being eroded by the river Ganga.

According to the news item published in the newspapers of today, the condition of people of Diara area of Ballia districts has become more serious and six persons have lost their lives. But it is regrettable to note that no relief work has been undertaken by the Government in this respect.

I request that the Government should also provide a sum of Rs. 1.5 cores for constructing a permanent *thokar* at the Ballia-Barria barrage in order to save the poeple of that area from the impending danger.

श्री रा० कृ० बिड़ला (झुंझनू) : हम गाँधी शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। नमक पर अभी भी रु० 3.50 पैसे उपकर लगा हुआ है। दाण्डी-मार्च के समय गाँधी जी ने कहा था कि नमक पर हवा-पानी की तरह कोई उप-कर नहीं लगना चाहिये। नमक पर उप-कर स्वतंत्रता के तुरन्त बाद लगाया गया। मैं गाँधी जी के अनुयायियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या वे नमक पर लगे उप-कर को हटाने की बात गम्भीरता से सोच रहे हैं ?

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh): I support the demands presented by the Finance Minister and would like to draw his attention towards a few matters :—

Rajasthan is a dry State. Whenever it is affected by famine we have to spend crores of rupees on relief works. But we do not make conserted efforts so that the calamity may be averted in future. We adopt a negative approach towards the problem and we do not attempt to solve the problems on permanent basis by digging tube-wells etc.

India has only one desert and that too touches Pakistan border covering an area of 700 miles in length . The water available there is too saltish to drink. People have to wait for 2-3 days for drinking water. We have not succeeded in making arrangements for the suply of drinking water for millions.

There is a debt of crores of rupees on Rajasthan and it is backward as compared to other States. Attemps were not made to develop the State properly even after Independence.

Late Pandit Govind Ballabh Pant announced that the Rajasthan Cannal Project would be completed in about 10 years. But hardly one-third work has been completed though more than 10 years' period has elapsed. I can say with confidence that if the cannal had been completed by now it would have brought about green revolution in Rajasthan. The project should have been treated at National level. A special plan should be drawn for the arrangement of drinking water.

A number of towns and thousands of villages have inadequate arrangements for the supply of water and also of tube-wells. The Chief Minister sent various porposals to the Central Government which have been lying in cold storage. I request the Finance Ministry to allocate adequate funds for providing drinking water to Rajasthan.

Rajasthan being a border and backward State, should be provided additional funds even outside the Plans.

In our State there are talks for East and West Rajasthan. The Government should take steps to remove regional imbalance of this backward State.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The report of the Industrial Licencing Policy Enquiry Committee is not being finalised early. In spite of repeated demands by M.Ps. for an enquiry of Birla enterprises, the Government is not prepared for it. What is the reason that the so-called socialist Government of Shrimati Indira Gandhi is not prepared to hold enquiry against Birlas ? I feel there has been some compromise so that enquiry is not held. The Hindustan Times is, these days, supporting Indira Gandhi.

Shri R. K. Birla: The hon. Member used to call it 'Birla Times'. What does he say it today.

Shri Madhu Limaye : Now I call it Indira Gazettee. So I would like to know from the hon. Minister what compromise has been arrived at with them. Even Shri Bharat Ram is praising Indira. Has there been some compromise with him as well that there shall be no enquiry by C. B. I. in his case.

It looks strange when S/s. Birla and Bharat Ram talk of socialism. Is the Government prepared to investigate into the allegations against Asian Cables Co. Ltd.? Will the hon. Speaker refer this matter to the Estimates Committee ?

Shri Sukhadia, Chief Minister of Rajasthan did, a conspiracy to illegaly acquire 51 gold bricks. The conspiracy was done by a plan for weighing a national leader. The names of Shri Y. B. Chavan, and Shri K. Kamraj were considered but were not accepted by Shri Sukhadia as the weight of both the gentlemen was considerable. The weight of Sri Lal Bahadur Shastri was only 102 lbs. and the proposal to weigh him was accepted by Shri Sukhdia. Gold weighting a little over 102 lbs. was deposited into Government treasury. It is, however, not known as to what happened to that 102 lbs. of gold and also the rest of it.

I desire that an enquiry of all the Ministers, Shri Nijlingappa, Shri Patel, and Shri Sukhadia may be held. But no pressure should be used in the matter of who votes from where in the Working Committee.

डा० चेन्ना रेड्डी तथा अन्य व्यक्तियों की रिहाई के बारे में

Re: RELEASE OF DR. CAHENNA REDDY AND OTHERS

श्री एम० नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : डा० चेन्ना रेड्डी तथा उनके 17 साथियों को निवारक निरोध अधिनियम के आधीन नजरबन्द किया गया था। आँध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज 11 बजे से उनकी रिहाई के आदेश दिए, जिसका समाचार दो बार आकाशवाणी से प्रसारित किया गया। परन्तु रिहाई के आदेश के पश्चात् भी उन्हें छोड़ा नहीं गया। ग्यारह बजे के पश्चात् उन्हें नजरबन्द रखना गैर-कानूनी है—

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : यह गम्भीर मामला है। आप सरकार को इन्हें रिहा करने के लिए कहें।

श्री एम० नारायण रेड्डी : ऐसी दशा में न्यायपालिका का और मौलिक अधिकारों का क्या बनेगा ?

सभापति महोदय : कोई मामला सभा में प्रस्तुत करने के लिए आपको अध्यक्ष की लिखित अनुमति लेनी चाहिए।

श्री एम० नारायण रेड्डी : विधि मंत्री इस पर वक्तव्य दें।

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटै) : यह गम्भीर मामला सभा में रखा गया है। आप संसदीय मामलों के मंत्री को वक्तव्य देने के लिए कहें।

सभापति महोदय: मैं उन्हीं मामलों को लूँगा जिनकी विधिवत लिखित सूचना दी जा चुकी है।

श्री एम० नारायण रेड्डी: मामले की गम्भीरता देखते हुए आपको न्याय करना चाहिए।

सभापति महोदय: अध्यक्ष महोदय की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जाये। मंत्री महोदय यदि चाहें तो उत्तर दे सकते हैं।

अनुपूरक अनुदानों की माँगें (सामान्य) 1969-70—जारी

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL) 1969-70—Contd,

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The contention of Shri Madhu Limaye that he is the only spokesman of socialism is not correct.He has complained that a lot of Radio programme relates to the Prime Minister. My complaint is that Shri Madhu Limaye consumes half the time available with the Parliament. The matters relating to farmers, Harijans and backward people are not taken up by the Radio .

The country is now on the crossroads. We have to decide whether we have to go on the path of capitalism or we have to take the side of the poor. The Congress party has palyed a revolutionary role. The mean attacks on the Prime Minister ought to be condemned.

श्री ई० के० नायनार (पालाघाट): सभा में प्रस्तुत अनुपूरक माँगों से स्पष्ट पता चलता है कि सरकार की मूल नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद लोग कुछ आमूल कार्यवाहियों की आशा कर रहे थे परन्तु बड़े व्यापारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने से सरकार के इंकार के कारण लोगों की आशायें गलत निकली हैं।

लेखनसामग्री तथा मुद्रण विभाग के कुछ अधिकारियों के घोटाले के कारण सरकार को कोष में 2 लाख अधिक रुपयों का भुगतान करना पड़ रहा है। सरकार ने ऐसे अधिकारियों को दण्ड देने के लिए क्या किया है? जिन बड़े व्यापारियों ने अपने स्वार्थ के लिए सरकारी साधन का दुरुपयोग किया है, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये।

मुझे आशंक है कि बड़े व्यापारी राष्ट्रीयकृत बैंकों का अपने लाभ के लिए दुरुपयोग करेंगे। यदि सरकार विदेशी ऋण भुगतान पर तथा विदेशी समवायों द्वारा लाभ की राशि विदेशों में भेजने पर प्रतिबन्ध लगा दे और निर्यात तथा आयात व्यापार का तथा तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दे तो सरकार को भारी राशि उपलब्ध होगी जिसका छोटे उद्योगों तथा कृषि के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

खेतिहर मजदूरों में भूमि के वितरण से ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को एक नया रूप मिलेगा, प्रादेशिक असंतुलन तथा राज्यों के विरुद्ध भेदभाव अभी तक जारी है। केरल के औद्योगिक विकास के मामले में पक्षपात किया जा रहा है। सरतार को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों के औद्योगिक विकास के लिए आमूल कार्यवाही करनी चाहिये।

Shri Ramavatar Shastri : (Patna) : On a point of order. Our party has not been given an opportunity to participate in this discussion,

सभापति महोदय: निर्धारित समय के अनुसार चलना चाहिये।

Shri Ramavatar Shastri : It is the question of right of our party ......**

The Deputy Minister in the Ministry of Finance : (Shri Jagannath Pahadia): The points raised have nothing to do with the Supplementary Demand, before the House.

Attempts are being made not only to prevent the desert from extending further but also to amelcorate the condition of all backward areas and hill areas.

The report of Licensing Enquiry Committee was received last month and it has been forwarded to various Ministries for favour of knowing their reaction. Thereafter, the Industrial Development Committee will consider it and take necessary action. The question of enquiry into Birla Group enterprises is under consideration.

The Government are making effiort to remove the unemployment not only amongst the engineers but also other categories of unemployed person. It will be our endeavour to enquire into all the suggestions made here and to take action, wherever found desirable.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस वादविवाद में भाग लेने के लिए द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया तथा अन्य दलों के प्रतिनिधियों को अवसर नहीं दिया है। इसके विरोध में मेरे साथी सभा से उठकर चले गए हैं और मैं भी सभा से उठकर जा रहा हूँ।

तब श्री स० मो० बनर्जी सभा से उठकर चले गये।

Shri S. M. Banerjee left the House at this stage.

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The cut motions were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा निम्नलिखित अनुपूरक अनुदानों की माँगें मतदान के लिए रखी गयी तथा पूरी पूरी स्वीकृत हुई।

The following Demands for Supplementary Grants were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
7.	शिक्षा	1,000
60.	नमक	12,53,000
61.	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	8,10,000
66.	बहुप्रयोजनी नदी योजनाएँ	5,00,000
82.	जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	4,15,00,000
93.	डाक और तार का कार्य चालन व्यय	2,00,00,000
98.	समाज कल्याण विभाग का अन्य राजस्व व्यय	1,50,000
116.	दिल्ली पूंजी परिव्यय	1,000
121.	औद्योगिक विकास, आन्तरिक, व्यापार और समवाय मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	6,50,90,000

**अध्यक्ष पीठ के अनुसार कार्यवाही वृत्तान्त मे शामिल नहीं किया गया।

**Not recorded as ordered by the Chair.

124. सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य पूँजी परिव्यय	60,00,000
125. श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय का पूँजी परिव्यय	4,00,000
131. विमानन पर पूँजी परिव्यय	1,000

विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1969

APPROPRIATION (No. 4) BILL, 1969

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) मैं श्री प्र० चं० सेठी की ओर से प्रस्ताव करता हूँ :

"कि वित्तीय वर्ष 1967 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियम का अधिकार देने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 1967 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियम का अधिकार देने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री जगन्नाथ पहाड़िया: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का प्रश्न

POINT OF PERSOANAL EXPLANATION

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) आज सभा में श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा है कि मैं जन-हित निधि ट्रस्ट के न्यासी निकाय का सदस्य हूँ। मैं इस आरोप का खण्डन करता हूँ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : If you are not a member of the Trust, I express regret for what I said in the morning.

*राष्ट्रीय वस्त्र निगम

NATIONAL TEXTILE CORPORATION

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : देश में अनेक मिलों के बन्द हो जाने से हजारों मजदूरों और उनके परिवारों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वे लोग बेरोजगार हो गए हैं। मुख्यतः ये मिलें छोटे-छोटे नगरों में थीं। इससे उन नगरों की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन स्थानों पर रोजगार के और अवसर नहीं हैं।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की स्थापना उन मिलों को पुनः चालू करने के उद्देश्य से की गई थी ताकि मजदूरों को रोजगार मिल सके। मेरे क्षेत्र में शोलापुर में लगभग पाँच वर्ष इसी प्रकार एक मिल बन्द हो गई थी। इस निगम की स्थापना पर मजदूरों ने समझा था कि मिल पुनः चालू होगी। और उन्हें रोजगार मिलेगा। हमें देखना है कि गत दो वर्षों में राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने क्या कार्य किया है और उद्योग की क्या सहायता की है?

*आधे घंटे की चर्चा

**Half An Nour Discussion

ये मिलें उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण बन्द हुई थीं। रुई का मूल्य बहुत बढ़ गया था और मजूरी भी बढ़ गई थी और ऐसी स्थिति कपड़े का विक्रय मूल्य न बढ़ने पर मिलों को घाटा होने लगा और कुछ वर्षों के बाद उन्हें बन्द करना पड़ा।

आधुनिकीकरण से उत्पादन लागत में कुछ कमी की जा सकती है। परन्तु मिलों के घाटे में होने के कारण वह मुश्किल है। सरकार ने स्थिति पर विचार करने हेतु अनेक समितियाँ नियुक्त कीं। उन्होंने अपनी रिपोर्टें दे दी हैं परन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। निगम ने अबतक अहमदाबाद की केवल एक मिल अपने अधीन की है। उन्होंने 21 मिलों के कार्य-करण को देखा है परन्तु केवल एक मिल ही पुनः चालू की गई है। वैसे 80 मिलों में उत्पादन बन्द है। उन 21 मिलों में से 9 मिलें राज्य सरकारें चला रही हैं।

मैं जानना चाहता हूँ कि अन्य मिलें कब तक चालू की जायेंगी ? सरकार इस बारे में कार्यवाही कर सकती है। दूसरी बात यह है कि उत्पादन लागत कम करने के लिये आधुनिकी-करण बहुत आवश्यक है। निगम ने इसके लिये कोई योजना नहीं बनायी है।

वैसे एक अच्छी बात यह है कि कपड़ा मिलों के लिये अपेक्षित अधिकांश मशीनरी देश में ही तैयार होती है। सरकार यदि चाहे तो आधुनिकीकरण में सहायता कर सकती है। स्थिति में सुधार करने के लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। सबसे प्रथम तो आधुनिकीकरण के लिये धन उपलब्ध किया जाना चाहिये।

वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में कुछ अनुभवी व्यक्ति हैं। इस समय उन्हें क्या कार्य सौंपा गया है? अब उन्हें दफ्तर के कार्यों पर लगाया गया है। वास्तव में उनके तकनीकी ज्ञान से कोई लाभ नहीं उठाया जा रहा है। उन्हें संकटग्रस्त मिलों की स्थिति की जाँच करने और उनमें सुधार करने के कार्य में प्रयोग किया जाना चाहिये। हम प्रतिवर्ष लगभग 84 करोड़ रुपए की रुई का आयात करते हैं। इसकी तुलना में हम रुई के अपने देश में विकास के लिये केवल 20 करोड़ रुपए व्यय कर रहे हैं। यह बहुत कम है। इस बारे में सरकार को विचार करना चाहिये। हमें अपने प्रति एकड़ भूमि के उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिये। यह बहुत आवश्यक है।

अन्त में मैं कहना चाहता हूँ कि छोटे नगरों में स्थित मिलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। वस्त्र आयुक्त के कार्यालय का ठीक ढंग से उपयोग किया जाना चाहिये।

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को उठाया है। यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण विषय है। वस्त्र उद्योग एक बहुत बड़ा और पुराना उद्योग है। इसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। गत दो वर्षों में सभा ने इस विषय पर बहुत चिन्ता व्यक्त की है। अनेक मिलें बन्द होने लगी थीं। परन्तु सरकार द्वारा कुछ कार्यवाही करने पर मिलों का बन्द होना तो समाप्त हो गया है और अब ऐसी मिलों की संख्या वही है जो पहले थी। इस तरह यह बात ठीक है कि सरकार की कार्यवाही से लाभ हुआ है। वैसे सरकार ने और भी अनेक कदम उठाये हैं। माननीय सदस्य ने शिकायत की है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने अभी तक अपना कार्य आरम्भ नहीं किया है। जब विधेयक पारित हुआ था

तो उस पर कुछ जिम्मेदारियाँ निर्धारित की गई थीं। उसे कुछ प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करना था। फिर कई मामलों को न्यायालयों में ले जाना था। ऐसी स्थिति को संभालना कठिन कार्य था। अब कुछ चालू की गई हैं। राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने सभी मिलों के बारे में अपनी सिफारिशें दी हैं। उन पर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

चार ऐसी मिलें हैं जिनके बारे में अधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने का निर्णय किया गया है। उनमें से दो चल रही और शेष दो शीघ्र ही कार्य आरम्भ करने वाली हैं। मिलों का मामला कोई सरल मामला नहीं है। सभी संबंधित मामलों पर विचार करने के लिये जाँच समितियाँ नियुक्त करनी पड़ती हैं। फिर सभी संबंधित कार्यालयों में आवश्यक कार्यवाही की जाती है। यह प्रक्रिया अधिनियम में दी हुई है। निगम के अध्यक्ष ने कहा है कि भविष्य में अधिक विलम्ब नहीं होगा। इस बारे में अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

मिलों का आधिनिकीकरण ही तो मुख्य बात है। हमारा वस्त्र उद्योग बहुत पुराना है। हमें उनमें आधुनिक मशीनें लगानी हैं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो और भी मिलों के बन्द हो जाने का भय है।

इस कार्य का मूल्यांकन करने के लिये और पता लगाने के लिये कि इसके लये कितनी राशि अपेक्षित होगी एक कार्यकारी दल की नियुक्ति की गई थी। उस दल का अनुमान है कि चौथी योजना में इसके लिये 180 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। कुछ लोगों का विचार है कि इसके लिये अधिक धन चाहिये होगा। 75 करोड़ रुपए उद्योग को उपलब्ध करना होगा। 105 करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी होगी। यदि वित्त मंत्रालय तथा वित्तीय संस्थाएँ इसे उपलब्ध कर दें तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। इस राशि से आधुनिकीकरण का कार्य पूरा किया जा सकेगा।

इस सम्बन्ध में हमें पहले उन मिलों को लेना होगा जो निर्यात के लिये माल तैयार करती हैं।

कपास की प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिये कृषि मंत्रालय ने कार्यवाही की है। इस सम्बन्ध में पहले कोई विशेष कदम नहीं उठाये गए हैं। हमें इस सम्बन्ध में आत्मनिर्भर होना होगा। वैसे हमें अन्य देशों के साथ अपने सम्बन्ध बनाये रखने के लिये आयात करना ही होगा। मैंने अपने सहयोगी कृषि मंत्री से अनुरोध किया है कि कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिये पर्याप्त धनराशि उपलब्ध की जाये।

श्री हरि कृष्ण (इलाहाबाद): सभा में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय: अब सभा में गणपूर्ति है। श्री लोबो प्रभु।

श्री लोबो प्रभु (उद्दीपी): बन्द हुई 80 मिलों में से गत छः महीने में केवल एक मिल को पुनः खोला गया है।

80 मिलों के बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप 75,000 व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं। सरकार ने यह दलील दी है कि इन मिलों को फिर चालू करने में समय लगेगा। कपड़ा निगम में कुछ त्रुटि प्रतीत होती है।

गत दस वर्षों में कपड़े के मूल्य में शत प्रतिशत वृद्धि हुई है। जब कभी कोई व्यक्ति कोट के लिये कपड़ा खरीदता है तो वह उसके मूल्य का 40 प्रतिशत भाग सरकार को देता है, कपड़े के उत्पादकों को नहीं। आधुनिकीकरण करने से पूर्व सरकार को इस विषय पर ध्यान देना चाहिये। जब देश में 75,000 लोग बेकार हैं तो करों को, जो वर्तमान कपड़ा उद्योग की कठिनाई का मुख्य कारण है, कम क्यों नहीं किया जाता?

Shri George Fernandes (Bombay-South) : This matter has been discussed several times in the House during the last two and a half years. The Government has not fulfilled the assurrances given by it at the time of introducting the Bill regarding sick textile mills as result of it textile mills in Bombay, Ahemdabad are still closed. I want to know what efforts are being made to take over the sick mills and to solve the labour froblem. I want to know whether it is a fact that the sale of the cotton cloth has been effected as a result of use of terylene ? If it is so, what efforts Government has made to compete it.

श्री एन० शिवप्पा (हसन) : 75,000 कर्मचारयों के बेकार होने का मुझे दुःख है। संकटग्रस्त मिलों को सरकार ने अपने अधिकार में इसलिये लिया था कि उनकी दशा में सुधार कर कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सके। इस प्रयोजन के लिये जोगलेकर समिति और मनुभाई समिति की नियुक्ति की गई थी। उनके लिये क्या यह सम्भव नहीं था कि वे कुछ सिफारिशें दें और मिल के कार्य में सुधार करें? निगम की स्थापना यद्यपि 1½ वर्ष पूर्व की गई थी तथापि वह कार्य नहीं कर रहा है।

देश में कुछ मिलें लाभ में चल रही हैं और कुछ संकटग्रस्त मिलें हैं। यदि ये दोनों मिल कर कार्य आरम्भ करें तो वित्त मंत्रालय या विदेशों से धन की सहायता की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस बारे में सरकार को क्या आपत्ति है? यह उद्योग देश की आत्मा है। इस उद्योग का उचित प्रकार से कार्य करना जनता के हित में होगा और इससे गरीब जनता को सहायता मिलेगी?

किसी भी लोकतंत्र राज्य में यदि श्रमिकों को सरकार की गलती के कारण काम से हटाया जाता है तो वहाँ की सरकार न केवल श्रमिकों बल्कि उनके परिवार के सदस्यों के लिये बंगलों और धन की व्यवस्था करती है। क्या सरकार अपने श्रमिकों की स्थिति में सुधार करेगी और मानवीय आधार पर उन्हें और सुविधाएँ प्रदान करेगी ? इस बारे में जाँच समिति की रिपोर्ट का क्या हुआ? क्या सरकार के लिये यह उचित है कि वह जाँच के पश्चात् मामले की ओर ध्यान न दे? इस मामले के बारे में शीघ्र निर्णय क्यों नहीं किया जाता?

Shri Ramavatar Shastri : (Patna) We were of the view that the number of textile mills has increased after independence. But there are no textile mills in Bihar. The number of sick mills is increasing. The National Textile Corporaton has made an investigation with regard to 21 textile mills. The Government have decided to take over three mills out of the 21 mills and an investigation was made in this regard. Discussion is going on with regard to four textile mills. I want to know the limit of this discussion. Two textile mills have been given assistance. I want to know the conditition of these mills after the assistance has been given to them. I also want to know the proposals under consideration to give employment to the workers ?

श्री ब० रा० भगत: राष्ट्रीय कपड़ा निगम का काम सब बन्द मिलों को अपने अधिकार में लेकर चलना नहीं है क्योंकि कुछ मिलें ऐसी हैं जिनको बन्द किया जाना चाहिये। उन मिलों में जो भी धन लगाया जायेगा वह बेकार जायेगा। जाँच समिति ने इस विषय पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और फिर मिलों की क्षमता और शक्यता के आधार पर सिफारिशें दी हैं।

इस समय कम्पनियों के पुनः निर्माण का विघटन और नई कम्पनियों के बनाने के सम्बन्ध में सात सिफारिशें विचाराधीन हैं। दो मामलों में हमें वित्त मंत्रालय की सहमति प्राप्त हो चुकी है और पाँच मामले विचाराधीन हैं।

विभिन्न नियंत्रकों के आधीन काम कर रही मिलें अच्छा काम कर रही हैं। उनमें से कुछ मिलों को लाभ हुआ है और कुछ मिलों की हानि की राशि में कमी हुई है। उनमें से अधिकांश मिलें अधिकार में लिये जाने के समय की तुलना में आज अधिक अच्छी स्थिति में हैं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि ये दो मिलें तथा चालू होने वाली अन्य मिलें न केवल आत्मनिर्भर हो जायेंगी बल्कि लाभ भी अर्जित करेंगी।

जहाँ तक टेरीलीन कपड़े का प्रचलन का प्रश्न है में माननीय सदस्य के विचार से सहमत हूँ। लेकिन हमें आशा है कि भविष्य में सूती कपड़े का प्रचलन जारी रहेगा। मूल्य में अन्तर होने के कारण साधारण जनता के लिये सूती कपड़े का ही प्रचलन रहेगा। केवल बहुत अमीर व्यक्ति टेरिलीन का प्रयोग कर पायेंगे।

दूसरे कृत्रिम रेशे का उत्पादन बहुत सीमित है। मंदी के बाद सूती कपड़े की माँग में फिर से वृद्धि हुई है।

Shri George Fernandes : I want to know whether any study has been made by your Ministry in this matter ?

श्री ब० रा० भगत: मैं माननीय मंत्री की बात से सहमत हूँ और मेरा यह विचार है कि इस विषय में ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिये।

मुझे इस बात की जानकारी है कि बन्द मिलों में काम करने वाले कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं माननीय सदस्यों को इस बात का आश्वासन देता हूँ कि अधिक से अधिक मिलों को अधिकार में लेकर उन्हें खोलने के यथासम्भव प्रयत्न किए जायेंगे। अधिक से अधिक मिलों को निगम के अन्तगत लाने के प्रयास नहीं छोड़े जायेंगे।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार 26 अगस्त, 1969 4 भाद्र, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Saha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, August 26 1969/Bhadra 4 1891 (Saka)

Printed by Job Printers, 119, Swami Vivekanand Marg, Allahabad.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]